9 अगस्त 1994

श्रावण 1916 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

ग्यारहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

विषय सूची

दशम म खंड 34, 11वां सत्र, 1994 / 1916 (शक)
अंक 12 मंगलवार, 9 अगस्त, 1994 / 18 श्रावण, 1916 (शक)

विषय		पृष्ठ
भारत छोड़ो आंदोलन की 52वीं वर्षगांठ और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए जाने की 49वीं वर्षगांठ		1-12
श्री अर्जुन सिंह		2
श्री बलराम जाखड़		3
श्री सूर्य नारायण यादव		4
श्री ई॰ अहमद		5
श्री पी॰ जी॰ नारायणन		5
डा॰ कार्तिकेश्वर पात्र		5
श्री आर॰ जीवरत्नम		6
श्री नाथू राम मिर्धा		7
श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील		8
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री		9
श्री कमालुद्दीन अहमद		10
श्री माणिकराव होडल्या गावीत		10
श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़		11
श्री याइमा सिंह युमनाम		12
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या :	236	13-18
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	221-235 और 237-240	18-36
*अतारांकित प्रश्न संख्या :	2256-2467	36-186
सभा पटल पर रखे गए पत्र		195-197

विषय	पृष्ठ
कार्य मंत्रणा समिति	197
43वां प्रतिवेदन–प्रस्तुत	
अनुपूरक अनुदान की मांग (रेल), 1994-95 –प्रस्तुत	197
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल), 1991-92 –प्रस्तुत	197
नियम 377 के अधीन मामले	197-199
(एक) इन्द्रावती नदी से नवरंगपुर, उड़ीसा के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी छोड़ने की आवश्यकता	197
श्री के० प्रधानी	
(दो) नासिक में टेलिफोन सेवा में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता	198
डा० वसंत पवार	
(तीन) आंध्र प्रदेश के श्री काकुलम जिले के लोगों को पेय जल उपलब्ध कराने की आवश्यकता	198
श्री विश्वनाथम कैनिथी	
(चार) आंध्र प्रदेश के तेलगाना जिले में सूखे से प्रभावित लोगों की कठिनाइयां कम करने के लिए राज्य सरकार को प्राकृतिक आपदा निधि से पर्याप्त वित्तीय, सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता	199
श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी	
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1994-95	
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1990-91	199-223
और	
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1991-92	
प्रो० के० वी० थामस	199
श्री पी० सी० थामस	203
डा० वसंत पवार	207
डा० कार्तिकेश्वर पात्र	210
कुमारी सुशीला तिरिया	212
श्री माणिकराव होडल्या गावीत	215

विषय	पृष्ठ
श्री सूर्य नारायण यादव	216
श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति	219
विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 1994	223
पुर:स्थापित करने के लिए प्रस्ताव	223
श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	223
श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति	
खंड 2,3, और 1	224
पारित करने के लिए प्रस्ताव	224
श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति	
विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 1994	224
पुर:स्थापित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	224
श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति	
खंड 2,3, और 1	225
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति	
विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 1994	
पुर:स्थापित करने के लिए प्रस्ताव	226
श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	227
श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति	
खंड 2,3, और 1	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	227
श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति	

विषय	पृष्ठ
जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में जारी की गई उद्घोषणा को जारी रखने का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प :	
और	
जम्मू और कश्मीर बजट, 1994-95—अनुदानों की मांगें	227-256
श्री एस० बी० चव्हाण	227-231 और 253-256
श्री शरद दिघे	231
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	234
श्री ई० अहमद	237
श्री सूर्य नारायण यादव	241
श्री अयूब खां	242
श्री मृत्युंजय नायक	244
श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी	247
श्री आर० नायडू रामासामी	250
श्री किरिप चालिहा	251
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति	257
जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1994	
पुर:स्थापित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति	258
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति	258
खंड 2,3, और 1	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	259
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति	

लोक सभा

मंगलवार, 9 अगस्त 1994 18 श्रावण, 1916 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० प० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

भारत छोड़ो आंदोलन की 52वीं वर्षगांठ और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराये जाने की 49 वीं वर्षगांठ

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृतज्ञ राष्ट्र आज भारत छोड़ो आंदोलन की बावनवीं वर्षगांठ मना रहा है।

इस दिन स्वाधीनता संग्राम के नेताओं ने देश के सभी भागो से पुरुष और महिलाओं, युवा और वृद्धों, धनी और गरीबों का आह्वान किया कि वे देश में विदेशी शासन समाप्त करने और देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपनी अंतिम सांसों तक संघर्ष करें। महात्मा गांधी ने देश की स्वाधीनता के लिए करो या मरो का नारा दि ।

देश की जनता ने स्वतंत्रता के लिए अपने नेताओं के आह्वान का स्वागत किया तथा उनके दिलों में स्वतंत्रता के लिए उठती उमंगों को बहुत ही, शानदार और साहसपूर्ण तरीके से साकार किया और इसके लिए उन्होने अपने जीवन की परवाह नहीं की तथा अपने सर्वाधिक प्रिय वस्तुओं की भी बलि देने को तत्पर रहे।

स्वतंत्रता सेनानियो द्वारा दिए गए बलिदान और इसमें प्रदर्शित की गई दृढ़ता के परिणामस्वरूप भारत में स्वतत्रता का सवेरा हुआ।

परन्तु, यदि उन्होंने संघर्ष, बलिदान और दृढ़ता प्रदर्शित न की होती तो हमें स्वतंत्रता का वरदान न मिलता और हम इसका आनन्द न उठा पाते। हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियो को याद करना चाहते है और ऐसे देशभक्तो की पवित्र स्मृति को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी में परमाणु बम गिराये गए जिससे हजारो लोग मर गए और लाखों लोग अपंग हो गए एवं इससे दुनिया को यह सबक मिला कि युद्ध और इसमें आधुनिक शस्त्रों का अनुचित इस्तेमाल तथा मानव तथा राष्ट्रों की उस महत्वाकांक्षाएं मनुष्यो और देशों के लिए कितनी खतरनाक हो सकती हैं।

परमाणु शस्त्रों और युद्ध के आधुनिक अस्त्रों का खतरा कई गुना बढ़ गया है। यदि विश्व में इस समय विद्यमान परमाणु शस्त्रागार में कटौती नहीं की जायेगी और इसे समाप्त नहीं किया जायेगा तो इससे मानव जाति, घोर विध्वंश के भय से मुक्त नहीं रह पायेगी। परमाणु शस्त्रागार और जन विध्वंसकारी और खतरनाक प्रकृति के

अन्य परम्परागत शस्त्रों में कटौती करने और उन्हें समाप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले सिद्धान्त सर्वमान्य और गैर-विभेदकारी होनी चाहिए जो विश्व के सभी लोगों को न्याय, समानता और समृद्धि तथा शान्ति दिला सके। अब शीत युद्ध के समाप्त होने पर विश्व में सभी जगह स्नेह और शान्ति का प्रसार हो और इससे एक नई विश्व व्यवस्था क़ायम हो तथा भाईचारा की भावना बने। परमाणु बमों की त्रासदी से सबक लेकर हमें इस संबंध में अधिक सहानुभूति पूर्वक न्याय प्रिय होकर और सौहार्दपूर्वक इस संबंध में उचित निर्णय करने चाहिए।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हिरोशिमा और नागासाकी में क्या हुआ। हमें भविष्य में ऐसी त्रासदी को रोकने के लिए यह त्रासदी याद रखनी चाहिए। हमें शान्ति के लिए साहस के साथ और न्यायपूर्वक तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। हमें इस विश्व में अहिंसा और शान्ति के लिए संघर्ष करते रहने की आवश्यकता है। हमें इस दिशा में सभी प्रयासों का समर्थन क़रना चाहिए और इसके विरोध में सभी प्रयासों का इच्छापूर्वक और पूरे सामर्थ्य से विरोध करना चाहिए। ठीक है अब मैं आपको बोलने का अवसर देता हूं।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आधुनिक भारत के इतिहास में चरम क्षणों को याद करने के लिए आभारी हूं इस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने मुम्बई में भारत छोड़ो का संकल्प स्वीकृत किया और इसके साथ ही स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम चरण शुरू हुआ।

भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष मात्र एक शासक से दूसरे शासक को सत्ता का अंतरण नहीं था जैसा कि गांधी जी ने कहा था। वास्तव में, भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन का नेतृत्व ऐसी ऐतिहासिक ताकतों ने किया जो विश्वभर में स्वतंत्रता प्राप्ति उपनिवेशवाद तथा औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा दमन को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया। और भारत में स्वतंत्रता की घोषणा इसी प्रकार हुई जैसे कि विश्व के अन्य परतंत्र देशों में स्वतंत्रता का उदय हुआ। इस ऐतिहासिक संघर्ष में शहीद हुए लोगों की देश भर में पूजा जाता है। वस्तुत:, यह दिन उस क्षण की याद दिलाता है जब स्वतंत्रता सेनानियों ने 'करो या मरो' की प्रतिज्ञा की जो कि केवल समर्पित लोग ही कर सकते हैं। गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व अत्यंत ही संकटकालीन घड़ी में किया जिससे इस देश को अंतत: स्वतंत्रता मिली।

इस समय, मुझे एक महान कवि की प्रसिद्ध पंक्तियां याद आ रही हैं और मैं इसका उद्धरण करते हुए अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा। कवि कहता है :

"इंटरनल स्पिरिट आफ द चेनलेस माइंड
ब्राइटेस्ट इन डंगियन्स लिबर्टी टाड आर्ट
फार देयर दै हेबिटेशन इज़ द हार्ट
द हार्ट विच लव आफ दी एलोन केन बाइंड
एंड हैन दाई संस टू फेटर्स आर कन्साइन्ड
फ्रीडम फाइन्ड्स विंग्स इन दिस फोर विन्ड्स"

इस प्रकार स्वतंत्रता का चारों दिशाओं में प्रसार हुआ है। परन्तु आपने अभी-अभी कहा कि स्वतंत्रता पर सतत निगरानी किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि हमें स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए हमें ये कीमत चुकानी होगी।

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके विचार इतने सार्थक थे कि उनसे असहमति हो ही नहीं सकती और आज का दिन हमें यह स्मरण कराता है, एक ऐसा लक्ष्य जिसके लिये हमारे कितने ही नौजवान शहीद हो गए, हमारे नेता उस तरफ चले गये। हमारी जिन्दगी में एक मोड़ आता है, इस तरीके से देखने से कि आदमी कहां पैदा होता है, उसने किस जन्मभूमि पर जन्म लिया है उस जन्मभूमि की अवस्था क्या है, दिशा क्या है तथा कैसी है। हम लोगों ने जब समझा कि परतंत्रता इतनी बुरी चीज है, मां के पैरों में पड़ी हुई बेड़ियां उनके दिल में खनखनाती थी तो उन्होंने एक ध्येय अपनाया था और शहादत का वह बीड़ा दिया था उसी की याद में आज आपने हमें यह कहानी याद कराई है कि हम क्या करें। उनको कैसे नतमस्तक हो करके नमस्कार करें। जिन्दगी में बार-बार ऐसे मौके आते हैं जब आदमी को अपना एक लक्ष्य बनाना पड़ता है और जो सर्वोपरि लक्ष्य मेरे समक्ष सोचने में आता है वह है,

"जननी जन्म-भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयते",

ये मां, जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़ कर है, इनका मुकाबला किसी से नहीं है। जहां तक मां की आजादी का, मान का, जन्मभूमि के मान का और उसके सम्मान का प्रश्न उठता है वहां सब कुछ नगण्य हो जाता है और उसी के लिये हमारे लोगों ने जान दी। मैं उन अनगिनत शहीदों के प्रति, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति नतमस्तक हो जाता हूं जिस दिन ये देखता हूं कि उन लोगों के दिल में क्या था जो उन्होंने सब कुछ स्वाहा कर दिया। उन्होंने यह नहीं देखा कि लक्ष्य मिलने वाला है, उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि हमें कुछ बनना है। उन्हें यह पता था कि सामने काल-कोठरियां हैं, फांसी के फंदे हैं और वे अंधेरी कोठरियां हैं इसके सिवाए कुछ नहीं है लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मन में यही ठाना कि हम कुर्बान हो जाएं ताकि हमारी आने वाली संतान, हमारे साथी या हमारे भाई, हमारे देशवासी, हमारी मां आजादी की सांस ले सकें और इसलिये उन्होंने अपने आप को स्वाहा कर दिया। उनके आगे हम क्या हैं। उनसे, भगत सिंह से किसी ने पूछा भी था कि तुम नौजवान, हसीन और खूबसूरत हो, आने वाला जमाना तुम्हारे लिये उत्सुक है कि तुम्हें क्या मिलेगा तब उसने एक शेर कहा था,

"न दे लालच मुझे वतन पर मरने का देश की आन मेरी आबरू बढ़ाती है,
वतन पर मरना तो है फर्ज अपना, अरे सुना है, कहीं शहीदी भी बेची जाती है।"

शहादत बेची नहीं जाती, खरीदी नहीं जाती बस मन में एक संकल्प होता है कि किस तरीके से हमें पतंगे की तरह स्वाहा होना है। उन्होंने एक ज्वाला जलाई थी जो आज एक मशाल बन गई और अब सूरज बन गया। अब सवाल इतना है कि हम में कितनी शक्ति है, हमें उस मशाल को, रोशनी को कमजोर नहीं करना है। पंजाबी में एक कहावत है, "फलाना बड़ा सोखा है, पर ढिमकाना बड़ा ओखा है"। सुरमा डालना तो आसान है लेकिन उसका खूबसूरती से कोई चेहरा काला कर लेता है, कोई उसको डाल कर खूबसूरत बन जाता है लेकिन उसकी

खूबसूरती कायम रखना बड़ा मुश्किल है। आज देश की आजादी हमारे हाथ में एक अमानत है। जिन लोगों ने अपनी जान देकर इस अमानत को हमारे हाथ में सौंपा है तो हम कैसे आदमी होंगे अगर हमारे हाथ से यह अमानत में खयानत हो जाये। यह हमें सोचना होगा कि हमारा क्या ध्येय है ? हमें जिस भूमि ने जन्म दिया है, जिसने जलवायु दी है, जिसने अन्न दिया है, जिसमें पनप कर हम बड़े हुए हैं अगर इस पर हमारी तरफ से या हमारे स्वार्थ की तरफ से किसी तरह की आंच आती है तो हम किस मिट्टी के बने हुए हैं ?

उस चीज को देखते हुए हमें उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करना है, जिन्होंने हमारे लिए, हमसे आने वाली पीढ़ी के लिए, उनके मान के लिए जान दे दी। उस धरोहर को हमको चमकाते हुए रखना है, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, मुसम्मम इरादा होना चाहिए। यदि हम इस इरादे से डिगे तो यह बहुत बुरी बात होगी। मैं चाहता हूं कि देशवासी समझें कि 9 अगस्त की गरिमा और बड़प्पन क्या है और यह हमें क्या सिखाता है। इसको देख कर ही हमको आगे बढ़ना है। हमारा सिर उन शहीदों और उन नेताओं के आगे झुक जाता है, हर व्यक्ति उनको याद रखता है। कौन बापू को भूल सकता है, कौन जवाहर लाल को भूल सकता है, इन नेताओं को कौन भुला सकता है, अनगिनत ऐसे स्वतंत्रता सेनानी और शहीद हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं है, जिनकी गिनती कभी की नहीं जा सकती, जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके प्रति हमारा क्या कर्त्तव्य है ? हम चाहते हैं कि उनकी कुर्बानी को हम कभी भूलें नहीं, उनको हमेशा याद रखें, दिल में उनकी जगह रहे और उनके द्वारा दी गई धरोहर को मुट्ठी में कस कर के रखें, काबू कर के रखें और सिर उठा कर इस धरोहर को चमकाते रहें, जगाते रहें और आगे बढ़ाते रहें।

इन शब्दों के साथ मैं आपके सामने अपनी सहमति प्रकट करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जिस बात का आज स्मरण कराया है, इसके बारे में जितनी भी बात की जाए, वह कम है। 9 अगस्त का दिन वह दिन था, जिस दिन भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल फूंका गया था और उस आंदोलन में बहुत से हमारे नेता और वीर शहीद हुए थे, उन सब को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर मैं एक महत्वपूर्ण बात की ओर आपका और सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि हमारे संविधान के सबसे पहले पैरे में लिखा हुआ है "इंडिया इज भारत" जबकि होना चाहिए "भारत इज इंडिया।" मैं आपसे और इस सदन से निवेदन करूंगा कि इस पर संसदीय से विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, गांधी जी ने जब चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था और वहां से दिल्ली तक आए थे, उस समय गांव-गांव से देश के 50 प्रतिशत लोग गांधी जी का साथ देने के लिए आए थे, जो कि स्वतंत्रता सैनानी थे। आज भी उस आंदोलन से संबंधित तथा अन्य आंदोलनों से संबंधित हमारे कुछ स्वतंत्रता सैनानी बचे हुए हैं। अभी भी कुछ स्वतंत्रता सैनानियों के प्रार्थना-पत्र लंबित हैं, जिनको इस अवसर पर निष्पादित कर दिया जाना चाहिए, यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : इस देश को 9 अगस्त के महत्व की याद दिलाने के लिए हम आपके आभारी हैं। इस देश की स्वतंत्रता के संग्राम में इस दिन की ऐतिहासिक भूमिका रही है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमारे महान नेताओं द्वारा किए गए बलिदान और समर्पण की भावना के परिणामस्वरूप आज हम इस गणतंत्र देश की वास्तविक स्वतंत्रता का आनंद उठाने की स्थिति में हैं। जैसा कि आपने ठीक ही बताया है और इसे माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने भी स्वीकार किया है स्वतंत्र भारत में सर्वाधिक महत्व इसकी सतत निगरानी करने का है। हम दिलों की एकता से ही सतत निगरानी रख सकेंगे। इस देश की एकता और अखण्डता देश के हरेक नागरिक के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। दिलों की एकता केवल साम्प्रदायिक सद्भावना अर्थात दिलों की सच्ची सद्भावना से ही हो पायेगी और गांधीजी ने इसी के लिए अपना सारा जीवन अर्पण कर दिया और अपने प्राणों की भी बलि दे दी। मुझे महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और सरदार पटेल के महत्वपूर्ण नेतृत्व में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए महत्वपूर्ण बलिदान की याद आती है। उन नेताओं ने अपनी बलि देकर हमें यह सिखाया कि हम अपने देश के लिए मर मिटें। अतः, अब वह समय आ गया है जब प्रत्येक भारतीय स्वयं यह प्रतिज्ञा करे कि वह देश के लिए पूरी तरह से समर्पित रहेगा।

महोदय, इस अवसर पर मैं, अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से गांधी जी के नेतृत्व में संघर्ष करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

भारत की मर्यादा को भविष्य में बनाए रखने के लिए भगवान हमें आशीर्वाद दें। धन्यवाद।

श्री वी. जी. नारायणन (गोबिचेट्टि पालयम) : अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास में भारत छोड़ो आन्दोलन का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। महात्मा गाँधी जी के आह्वान का सभी ने पुरजोर समर्थन किया। बहुत से लोगों ने, जिसमें सभी उम्र के लोग थे, आजादी हेतु अपना जीवन बलिदान कर दिया। उनकी निष्ठा और जीवन बलिदान जीवन को सदा याद किया जाता रहेगा।

महोदय, अपनी पार्टी की ओर से तथा अपनी ओर से मैं स्वतंत्रता आन्दोलन के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर) : सभा में भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान 9 अगस्त को हुए शहीदों और उनकी कर्तव्य परायणता को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं।

महोदय, केवल एक बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है। हमारे महान कवि कालिदास ने कहा है:

[हिन्दी]

"अस्त्युत्तरस्यात दिशि देवात्मा
हिमालयनामो नगाधिराजो
पूर्व पुरातोयनिधि वगाह्या
स्थित पृथिव्या इव मान दंडा"

[अनुवाद]

यह है हमारा भारत और भारत महान है। यह संपूर्ण विश्व का केन्द्र बिन्दु है।

महोदय, ऐसे बहुत शहीद हुए हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। हमें उनके जीवन और उनकी कर्त्तव्यनिष्ठा को संक्षेप में प्रस्तुत करना होगा। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने एक बार कहा था किसी मनुष्य के लिए गुलाम होना इसके लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। हमें उस अभिशाप से मुक्ति मिल गई है और उन्होंने यह भी कहा था कि किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा अपराध बुराई और अन्याय के साथ समझौता कर लेना है। भारतीयों ने बुराई और अन्याय का साथ नहीं दिया है। उन्होंने विदेशी हकूमत के साये में काम करने का अभिशाप होने से इंकार कर दिया। उसी का नतीजा है कि सैंकड़ों देशभक्तों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी तथा अब हम उनके बलिदानों तथा कर्त्तव्य परायणता का सुख भोग रहे हैं। इसलिए आज हम उनके बलिदानों को संक्षेप में प्रस्तुत कर उनकी बलिदानों को याद कर रहे हैं।

राष्ट्रापिता महात्मा गांधी ने एक बात कही थी। हमें वह चीज सीखनी चाहिए ताकि इस प्रकार के बलिदान तथा कर्त्तव्य परायणता के लिए हम अपने आपको तैयार कर सकें। उन्होंने कहा था कि स्थिति को सुधारने के लिए कभी भी देरी नहीं होती यदि हम स्वार्थ का त्याग कर निस्वार्थ को धारण करें, भय और ढोंग को छोड़ ईमानदार, निष्कपट सदाचारी एवं सत्यवादी बनें। हमें अपने आपको इस ढंग से तैयार करना चाहिए ताकि हम किसी प्रकार की तानाशाही अत्याचार और कठिनाई को अपने देश के लिए सहन कर सकें हमें अपने जीवन का बलिदान करने, अपना जीवन समर्पित करने तथा इस प्रकार के बलिदान करने के लिए तैयार करना चाहिए। इतनी ही बात मुझे कहनी है।

***श्री आर० जीवरत्नम (अर्कोनिम) :** माननीय अध्यक्ष महोदय एक भूतपूर्व सेनानी होने के नाते मैं भी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम चरण के तौर पर महात्मा गांधी ने "भारत छोड़ो आन्दोलन" की 1942 में घोषणा की थी महात्मा गांधी द्वारा चलाये गये इस स्वतंत्रता आन्दोलन में सभी वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया। शिक्षित तथा अशिक्षित, दोनों तरह के व्यक्तियों ने इसमें हिस्सा लिया। विद्यार्थी, श्रमिक तथा खेती से जुड़े श्रमिकों ने गांधी जी की पुकार को सुना गांधी जी ने 8 अगस्त, 1942 को बम्बई में लोगों को ललकारा तथा आन्दोलन को ज्यादा तेज करने पर बल दिया और लोगों को समझाया कि अब कुछ करने अथवा मर जाने का समय आ गया है। लाखों लोग आन्दोलन में भाग लेकर जेलों को भरने के लिए आगे आये। सभी ने महात्मा गांधी के नेतृत्व को स्वीकार किया। उन्होंने सभी को सही राह पर डाला। लाखों लोग जेल में भर दिए गए। हजारों को बेरहमी से पीटा गया सैकड़ों लोग ब्रिटिश गोली के शिकार हुए। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे अनेक लोगो को जानता हूं जो महीनों और वर्षों तक लगातार जेलों में पड़े रहे।

बावजूद इन सबके, महात्मा गांधी जी को यह दृढ़ विश्वास था कि हम स्वतंत्रता केवल अहिंसा के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। सशस्त्र लड़ाई का सहारा लेने की माँग की गई। लेकिन गांधी जी ने अहिंसा पर बल दिया तथा हिंसापूर्ण तरीकों की मदद लेने से इंकार कर दिया। गाँधी जी ने कहा "स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार

*मूल तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

है और हमें स्वतंत्रता अवश्य मिलेगी।" उन्होंने यह भी कहा कि केवल अहिंसा के माध्यम से ही हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पायेंगे। उन्होंने कहा कि अहिंसा का कोई विकल्प नहीं है। अतएव, गांधीजी के नेतृत्व में लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में अहिंसा को हथियार के रूप में प्रयोग किया। महात्मा गांधीजी उनके प्रति भी सहृदय बने रहे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई का विरोध किया। उन व्यक्तियों को भी जिन्होंने कहा था कि हमें स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए, मताधिकार सहित संविधान सभा का सदस्य बना दिया गया था। ब्रिटिश शासन ने 1942 में अगस्त के प्रथम सप्ताह से लेकर लगभग चार महीने तक गांधीजी के नेतृत्व में चल रहे सत्याग्रहियों पर हिंसा का कहर ढा दिया।

मैं इस अवसर पर हुई कुछ घटनाओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। हमारे महान नेताओं में से एक सुभाष चन्द्र बोस ने उस समय एशिया में स्वतंत्रता मुक्ति का बहुत बड़ा अभियान शुरू किया। जब उन्होंने अपना अभियान चलाया तो उनकी आजाद हिन्दी फौज़ के दो सदस्यों को जापान से मद्रास भेजा गया था। मद्रास तट पर उनके उतरते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश शासन ने उन्हें मद्रास सैंट्रल जेल में रखा था। मैं उसी जेल में स्वतंत्रता संग्राम के एक कैदी के रूप में रह रहा था। मैं उनसे जेल में ही मिला था क्योंकि हम आमने-सामने के ब्लाक में हुआ करते थे। मुझे उनके नाम भी याद हैं। एक रमण नाचर तथा दूसरे कुमार थेवर थे। उनका कोर्ट मार्शल करके मौत की सजा सुनाई गई थी। उन्हें फांसी दी जानी थी। जब हम उनसे जेल में मिले थे तो उन्होंने कहा था कि वे स्वतंत्रता की खातिर अपना जीवन बलिदान कर देंगे। जब अगले दिन उन्हें फांसी दी जानी थी तो उन्होंने कहा था ? "अब हम मरने जा रहे हैं। लेकिन हमारे देश को एक-न-एक दिन स्वतंत्रता अवश्य मिलेगी। हम उस दिन तक सभी स्वतंत्रता सेनानियों में मिठाई बांटने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। इसलिए, कृपया हमें मिठाइयां दें। यदि आप हमें आज मिठाइयां देंगे तो हम आज ही सभी स्वतंत्र सेनानियों के बीच मिठाई बांट देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कल हम मरने जा रहे हैं।" उन्हें एक दूसरे जेल में ले जाया गया तथा अगले दिन उन्हें फांसी दे दी गयी। हालांकि मैं उसी जेल में था परन्तु मैं उनके अंतिम दर्शन नहीं कर पाया। परन्तु मुझे बाद में पता चला कि उन्होंने भगवान से प्रार्थना न कर 'वंदे मातरम' के नारे लगाकर 'भारत माता' की वन्दना की। अंतिम समय तक वे वंदे मातरम दोहराते रहे तथा देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। अतएव, सभी वर्गों के लोगों ने विभिन्न रूप से स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने महात्मा गांधी के आग्रहों को सुना और आजादी प्राप्ति हेतु सभी प्रकार के कष्टों को सहन किया।

यह प्रशंसा योग्य बात है कि यह आदरणीय सभा निस्वार्थ स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। एक स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर मैं आपके इस कर्त्तव्य बोध की प्रशंसा करता हूं तथा एक बार फिर से इस अवसर पर मुझे बोलने का मोका दिये जाने हेतु आप सभी का धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री नाथूराम मिर्धा (नागौर) : माननीय अध्यक्षजी, आपने सदन में पधारते ही 6 और 9 अगस्त की तारीखों के महत्व के बारे में जिक्र किया। 9 अगस्त की तारीख का इसलिए महत्व है क्योंकि इस दिन बापूजी ने 'भारत छोड़ो आन्दोलन' का नारा देशवासियों को दिया था। उसका परिणाम यह निकला कि हमारा देश आजाद हुआ।

आजादी की रक्षा करने के बारे में हम सबको जागरूक रहना है। हमारा देश दुनिया में शांति का अग्रदूत है। अग्रदूत होने के नाते आपने जो नागासाकी और हिरोशिमा में जिस तरह से एटम बम गिराये गये थे, उसका जिक्र किया। वहां के लोगों को इससे बहुत नुकसान हुआ था। आज भी उसके असरात वहां मौजूद हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उसके असरात चले हैं। हम दुनिया में शांति रखने के लिए एक चाहे हुए अग्र देश हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि आपने इन तारीखों का वर्णन उन घटनाओं का जिक्र करते हुए किया।

गांधीजी ने जो आजादी के लिए रास्ता दिखाया और जिस तरह का हमारे देश में आंदोलन हुआ उसमें कई नेताओं ने कुर्बानी दी और शहीद हुए।

उसी रास्ते को दुनिया के दूसरे देशों ने अख्त्यार किया और खासकर अफ्रीका के देशों ने। उसी रास्ते पर चलकर दुनिया के 200 छोटे-मोटे देश आज़ाद हुये। यह कोई मामूली बात नहीं थी क्योंकि त्याग और तपस्या से कालोनियलायीजेशन का विरोध करके आजादी प्राप्त की थी। ये मुल्क आज अपने अपने देश में गरीब लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिये संघर्षरत हैं। यही वह मार्ग था जिसे गांधी जी इस देश में लाये और उसका परिणाम यह निकला कि हम आजाद हुये और एक बड़ा परिवर्तन आया। उसके पहले हम लोग जिस अवस्था में रह रहे थे, न हमारी कोई आवाज ही सुनता था और न हमारी कोई आवाज थी और आज हम अपना शासन चलाने के लिये जिम्मेदार हैं। आज इन जिम्मेदारियों में भी कुछ कमियां हैं जिनको दूर करने की आवश्यकता है। इसको व्यक्ति के चरित्र के जरिये दूर किया जा सकता है। हमारे नेताओं ने जो हमें मार्ग दिखाया उसमें उनका धवल चरित्र सबसे पहले था। हम लोगों को उस आज़ादी की रक्षा करनी है और आगे बढ़ना है। इस दुनिया के लिये एक मिसाल कायम करनी है।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी आपने कहा कि आज दुनिया में खतरनाक अस्त्र-शस्त्रों की अंधी दौड़ चल रही है लेकिन दुनिया में शान्ति कायम रखने के लिये इन शस्त्रों को कोई जगह नहीं मिलनी चाहिये। आज बड़े मुल्क अपनी सीमाओं पर जो फोर्सेज़ रखते हैं, जो किसी हद तक यह जस्टिफाईड है। दुनिया में किसी मुल्क को वे चाहे, खत्म कर सकते हैं। इस तरह से शस्त्रों का भण्डारण करना विश्व की शान्ति के लिये ठीक नहीं है। उससे नुकसान होगा, इस बात की हम ताईद करते हैं और इस विचार के हैं कि विश्व में जहां ऐसे शस्त्रों का भण्डारण है, उसको खत्म करना चाहिये ताकि विश्व के अंदर शान्ति स्थापित करने के लिये हम एक नया बिगुल बजा सकें। इसमें सब राष्ट अपनी इज्जत को बरकरार रखकर अपने तरीके से उस रास्ते पर चलकर मदद करें।

मैं इस अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि उन शहीदों को अर्पित करते हुये नतमस्तक होता हूं जिन्होंने अपनी जानें इस देश की आजादी के लिये कुर्बान की।

श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील (अमरावती) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने इस सदन में दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे। 9 अगस्त क्रान्ति दिवस हमारे इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है जिसकी आज याद ताजा हो गयी। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे अधिकार तो हैं लेकिन कर्तव्यों

को भी नहीं भूलना है। जिस प्रकार से स्वतंत्रता सेनानियों ने त्याग और आत्मसमर्पण से इस देश की आजादी की रक्षा की, उस जिम्मेदारी की ओर भी हम ध्यान दें। यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय आप सब जानते हैं कि आज हमारे देश में जो बातें हो रही हैं, वे आजादी और लोकतंत्र बनाने वाली बातें नहीं हो रही हैं। जिस तरह से कहा गया है–हर व्यक्ति को जागरूकता रखने की आवश्यकता है। चाहे वह व्यक्ति हो, समाज हो, कोई राजनैतिक दल हो, यह सब की जिम्मेदारी है कि वह इस बात का ध्यान रखे। किसी भी तरह से हमारे देश की आज़ादी पर आंच नहीं आनी चाहिये। चाहे वह किसी व्यक्ति की गलती से हो, या किसी राजनैतिक दल के गलत कारनामें और गैर-कानूनी ढंग से काम करने वालों की वजह से हो। अगर वह आज़ादी हमें हाथ से धोनी पड़ जाये तो आज हमारे पास महात्मा गांधी या पं. जवाहर लाल नेहरू नहीं हैं।

[अनुवाद]

सतत सतर्कता स्वतंत्रता का मूल्य है। परन्तु सतत सतर्कता कौन रखेगा ? सभी को सतर्कता बरतनी होगी

आज कोई मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हमारे बीच नहीं हैं जो हमें आजादी को वापस दिला सकें। वह विशाल वृक्ष अब नहीं रहा। अब केवल छोटे-छोटे पौधे हैं और इन पौधों के लिये आजादी फिर से वापस लाना कोई साधारण काम नहीं रहेगा। इसलिये उन्होंने हमें जो देन आजादी के रूप में दी है, उसे हम कैसे सही सलामत रख सकते हैं, उसे कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं, यही हमारे सामने आदर्श है, हमारी जिम्मेदारी है और इसी को सामने रखकर हमें काम करना चाहिये।

हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में आपने यहां जो कुछ कहा, जगत में शांति का वातावरण पैदा करने के लिये और विश्व में जो वह भयानक कांड हो गया था, उसे फिर से दुनिया में न दोहराया जाये, सभी को मिलकर शांति की स्थापना के लिये काम करना, यहां दुनिया के हर देश का कर्तव्य है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस पंचशील सिद्धांत को दुनिया के सामने रखा और सारी दुनिया ने पंचशील तत्वों को मान लिया, वह भी भारत की ही देन है जिसे सारी दुनिया में माना है। उसी आदर्श को सामने रखकर चलना हम सबकी जिम्मेदारी है यही आज की आवश्यकता है। इसलिये मैं समझती हूं कि आपने आज बहुत अच्छा प्रस्ताव सदन के सामने रखा है जिससे कि हम अपनी जिम्मेदारियों को पहचान सकें।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं और मैं ही नहीं पूरा सदन आपका आभारी है कि आपने हिन्दुस्तान के दिल को छू लेने वाले विषय को हम लोगों के सामने रखा। आपने उस परम्परा को आज यहां मूर्त रूप दे दिया, उस गीत को आपने साकार यहां उपस्थित कर दिया जिसमें कहा गया था--

'शहीदों की चिताओं पर जुटेंगे हर बरस मेले,

वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशां होगा।'

आपने किसी शायर या किसी शहीद के कहे हुये इन वाक्यों को यहां साक्षात रूप से प्रदर्शित कर दिया है जिसका आज सारा राष्ट्र लोकसभा की इस कार्यवाही से आपके सामने नतमस्तक है।

अनगिनत आजादी के दीवानों ने अपने रक्त से हमारी मातृभूमि को सींचा है। तांत्या टोपे, मंगल पांडे, झांसी की रानी की कड़ी को उन्होंने आबाद किया और उस परम्परा को उन्होंने आगे बढ़ाया। कुछ लोगों को यह पता भी नहीं था कि काला पानी कहां है, अंडमान निकोबार कहां है लेकिन वे काला पानी या अंडमान निकोबार की ओर चल पड़े और अपने वतन से हजारों मील दूर जाकर आजादी की लड़ाई लड़ी और अनगिनत कष्ट और यातनाएं सहकर हमारे देश को आजादी दिलाई। आज के दिन हम सब उन्हें याद कर रहे हैं।

प्रश्न केवल उन्हें याद करने का नहीं है बल्कि हम सबको उनके खून से सींची हुई आजादी, उनके द्वारा खून देकर प्राप्त की हुई आजादी की रक्षा करनी है। हम यह चाहते हैं कि इस लोकतंत्र में जो वे क्षण गुजरे हैं, लोकतंत्र की प्राप्ति के लिये उन्होंने जो कुछ बलिदान दिये, उनको हम हमेशा याद रखें, उन्हें कभी न भुलायें और इन्हीं शब्दों के साथ मैं भी आपके साथ सम्मिलित होता हूं।

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : मैं स्पीकर साहब, आज से 52 साल पहले, आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किसी शायर की जुबान में एक पयाम दिया था–

'देख बिन्दा के परे रंगे चमन जोशे बहार,

और रक्स करना है तो फिर पांव की जंजीर न देख।'

उस पयाम को देश के छोटे-बड़े, बूढ़े-जवान, मर्द और औरत सभी ने अपनाया और आजादी के जजबे से सक्सार करने लगे तथा उस समय के साम्राज्य को मजबूर कर दिया कि 5 साल के अंदर वह मुल्क को छोड़कर चला जाये। उसके बाद 5 साल के अंदर हमें आजादी मिली और आजाद होने के बाद मुल्क ने काफी तरक्की की है। आज के इस अहम और मुकद्दस दिन हम सबका यह फर्ज बनता है कि उन तमाम शहीदों को याद करें जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी और उन्हें हम अपना सलाम-एक-अकीदत पेश करें और आज अहद करें कि हम अपने मुल्क की सालमियत को बरकरार रखेंगे, मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन के लिये अपने आप को वक्फ कर देंगे। मैं समझता हूं कि यह दिन इस लिहाज से भी हमारे लिए बहुत अहम है।

मैं समझता हूं कि यह दिन इस लिहाज से भी बहुत अहम है। शुक्रिया।

श्री माणिकराव होडल्या गावीत (नंदरबाट) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर आज का यह दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है। आज यहां पर आपने तथा हमारे साथियों ने स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया, यह बहुत अच्छा किया। मैं भी महात्मा गांधी और उनके साथ स्वतंत्रता सेनानियों की याद करता हूं। स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए जो कुर्बानियां की वे सभी को मालूम हैं।

आज की इस नई पीढ़ी को यह देखना है कि हमारे कर्तव्य क्या हैं। हमारे अधिकार तो हमें मालूम हैं, लेकिन हमारे कर्तव्य क्या हैं इस बात को देखना चाहिए। हमें देश को आजाद रखना है, देश की आजादी को सुरक्षित रखना है, देश की एकता और अखंडता को बनाये रखना है और देश में जो प्रगति हो रही है, उसको आगे बढ़ाने के बारे में जो हमारा कर्तव्य है उसे निभाना चाहिए।

मुझे ऐसा लगता है कि जो स्वतंत्रता सेनानियों ने इस स्वतंत्रता के लिए इस बात की परवाह किए बगैर

कि हमें देश की आजादी के बाद कुछ मिलेगा, पैसा मिलेगा या कुछ सुविधा मिलेगी, अपने देश की आजादी के लिए कुरबानी देने के लिए आगे आए। हमारे महाराष्ट्र में नंदरबार जैसे क्षेत्र में उस समय ब्रिटिशर्स की गोलियों के आगे विद्यार्थी चले गए और शहीद हो गए। इस प्रकार की थी वह पीढ़ी। आज की नयी पीढ़ी को भी यह आदर्श कायम रखना चाहिए।

आज नौ अगस्त को क्रांति दिवस है। मैं अपने देश के लिए कुर्बान उन क्रांतिकारियों को याद करता हूं और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ) : अध्यक्ष महोदय, हमें देश की दो महत्वपूर्ण घटनाओं, एक देश की स्वतंत्रता से संबंधित घटना, की याद दिलाने और स्वाधीनता संघर्ष का नेतृत्व करने वाले हमारे पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम आपके आभारी हैं।

नौ अगस्त महत्वपूर्ण दिवस है। जब राष्ट्रपिता ने इस दिन अंग्रेजों से यह देश छोड़ने का आह्वान किया था। उस समय के कई लोग हमारे बीच नहीं है और कई दिग्गज अभी भी हमारे साथ हैं। मुझे विश्वास है कि उस दौर के जो लोग हमारे बीच हैं, वे हमें प्रेरणा देते रहेंगे।

महोदय, मुझे याद है कि जब मैं एक जवान लड़का था तो उन दिनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था और उन्हें जेलों में डाल दिया जाता था। उन दिनों के दौरान सरकार लोगों को रखने की व्यवस्था नहीं कर पाती थी क्योंकि लोगों में अत्यधिक उत्साह था और उनकी प्रतिक्रिया बहुत ही व्यापक थी। जेलों पर सरकार का नियंत्रण होने के बावजूद वह स्कूली बच्चों को छुट्टी देकर विद्यालय भवनों को जेलों के रूप में परिवर्तित कर दिया करती थी। इतने पर भी वह लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में नहीं रख पा रही थी। सरकार के पास पर्याप्त संख्या में इतनी गाड़ियां नहीं थी कि सभी लोगों को जेल भेज सके और इसके कारण जो लोग शेष रह जाते थे उन्हें बहुत निराशा होती थी कि उन्हें जेल नहीं भेजा गया। लोगों की ऐसी भावना थी और वे बहुत खुश होते थे। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था अथवा उसे जेल भेज दिया जाता था तो वह अपने पर गर्व महसूस करता था जैसे वह नायक या नेता हो।

लोगों की ऐसी भावना थी कि जब किसी को इस महान आंदोलन में भाग लेने का अवसर मिलता तो वह जानता था कि वह धन्य है और उसने देश के लिए कुछ किया है।

मेरे मित्र ने ठीक ही कहा है कि लोगों में ऐसी भावना विद्यमान थी। मुझे याद है कि उस समय पुलिस लोगों को वहां से ले जाकर जंगलों में छोड़ दिया करती थी। जब ये युवा वापस अपने गांवों में आते तो उस समय, वहां के सभी लोग, उनका स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में स्वागत करते थे। इस आंदोलन में पूरा देश शामिल था और इसमें किसान, औद्योगिक कर्मचारी, छात्र वृद्ध, युवा, पुरुष और महिलाएं सभी शामिल थे, इसी कारण अंग्रेज भारत छोड़ने को मजबूर हुए और इसके बाद लगभग पांच वर्षों के भीतर ही हमें स्वतंत्रता प्रदान कर दी।

इस समय जब हम उन्हें याद करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तो, जैसा कि श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील ने ठीक ही उल्लेख किया है, हमें स्वतंत्रता, संविधान और प्रजातंत्र के बारे में पूर्वजों द्वारा सौंपी

गई जिम्मेदारी की याद आती है और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम आज जिसका लाभ उठा रहे हैं उसे सम्भालकर रखें और उसे अगली पीढ़ी को सौंप दें।

इसी प्रकार से आपने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु शस्त्रों के प्रभाव की याद दिलाकर हमें मानवता के प्रति जिम्मेदारी की याद दिलायी है। इस अवसर पर, जैसा कि हमने महात्मा गांधी को याद किया है, यह भी कहना चाहूंगा कि हमें स्वर्गीय श्री राजीव गांधी को भी याद करना चाहिए जिन्होंने एक युवा नेता के रूप में अपने प्रभाव से बड़े देशों के बीच मिसाइल प्रतियोगिता और परमाणु शस्त्रों की होड़ समाप्त करने में योगदान किया है। इसके लिए हमें रूस के महान नेता हमारे मित्र गोर्बाचेव का योगदान भी याद करना चाहिए जिन्होंने अपने सभी मिसाइल और परमाणु शस्त्रों को महासागर में फिकवा कर मानवता को राहत पहुंचाने में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

मुझे विश्वास है विश्व में मानवता को लेकर सभी तरह के तनाव को देखते हुए विश्व में सभी देशों के नेता और देश मानवता और प्रकृति से मिली विरासत की सुरक्षा के लिए निश्चित रूप से अपनी जिम्मेवारी पूरी करेंगे। यह हमारे लिए ही नहीं अपितु भावी पीढ़ी और भविष्य के लिये आवश्यक है।

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : अध्यक्ष महोदय, 9 अगस्त, 1942 के इस ऐतिहासिक दिन गांधी जी ने "करो या मरो" का आह्वान किया। यह आह्वान देश के दूर-दराज के क्षेत्रों तक भी पहुंचा। इसके परिणामस्वरूप केवल नेताओं ने ही नहीं अपितु कई लोगों और कामगारों ने भी हमारे देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किये।

लोग यह जानते हुए भी कि उन पर पुलिस द्वारा गोली चलायी जा रही थी इस आंदोलन में भाग लेने वाले लोग हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लेकर आगे बढ़ते गए। "वंदे मातरम्" का नारा लगाते हुए उन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर किये। महोदय, हम भारत में कई लोगों देशभक्त ने इस भावना से प्रेरित होकर कि "हम अपना बलिदान देकर अपना वर्तमान आपके भविष्य के लिए न्यौछावर करते हैं" अपने प्राणों का बलिदान दिया।

उन नेताओं और उन लोगों, जिनके बारे में कोई उल्लेख या रिकार्ड नहीं है, और जिनका गुणगान नहीं किया जाता है, को मैं भी आज के दिन आपके साथ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

इन्हीं कुछ शब्दों के साथ इस देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वालों के प्रति सभी सदस्यों के साथ मैं भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हमें बड़ी प्रसन्नता है कि देश के विभिन्न भागों में और सामाजिक परिस्थितियों में पले और बढ़े हुए सदस्यों ने स्वतंत्रता सेनानियों के लिये अपने दिल में संजोई हुए सम्मान की भावनायें तथा इस विषय पर अभूतपूर्व ढंग से लंबे समय तक मनोभाव सहजतापूर्वक व्यक्त किये। यह हमारी एकता और शक्ति का प्रतीक है जो हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और त्याग से मिली है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए।

क्या अब, मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करूँ कि वे नेताओं, स्वतंत्रता सेनानियों और परमाणु विध्वंस के पीड़ितों की स्मृति में थोड़ी देर मौन खड़े हों ?

11.51 म. प.

तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

11.53 म. प.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय :–अब हम प्रश्न लेते हैं।

प्रश्न सं. 221	श्री सुब्रत मुखर्जी	अनुपस्थित
प्रश्न सं. 222	श्री लालजान एस. एम. बाशा	अनुपस्थित
प्रश्न सं. 223	श्री दत्तात्रेय बंडारू	अनुपस्थित
प्रश्न सं. 224	श्री चित्त बसु	अनुपस्थित
प्रश्न सं. 225	श्री प्रेम चन्द राम	अनुपस्थित
प्रश्न सं. 226	श्री डी. वेंकटेश्वर राव	अनुपस्थित
प्रश्न सं. 227	मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन च[illegible]ी	अनुपस्थित
प्रश्न सं. 228	प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु	अनुपस्थित
प्रश्न सं. 229	श्री हरिकेवल प्रसाद	अनुपस्थित
प्रश्न सं. 230	श्री काशीराम राणा	अनुपस्थित
प्रश्न सं. 231	श्री बलराज पासी	अनुपस्थित
प्रश्न सं. 232	डा. साक्षी जी	अनुपस्थित
प्रश्न सं. 233	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	अनुपस्थित
प्रश्न सं. 234	श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति	अनुपस्थित
प्रश्न सं. 235	श्री हरिन पाठक	अनुपस्थित

[हिन्दी]

वन्य प्राणी संरक्षण

***236. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान वन्य प्राणी संरक्षण के लिए राज्य-वार, कितना अनुदान मंजूर किया है;

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान, राज्यवार, कितना अनुदान वास्तव में दिया गया;

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान कितना अनुदान दिया जाएगा; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान वन्य प्राणियों के संरक्षण संबंधी उपलब्धियां क्या हैं ?

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) भारत सरकार पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास सुरक्षित क्षेत्रों में और उसके चारों ओर पारिविकास, हाथी परियोजना, बाघ परियोजना, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण चोरी-छिपे शिकार नियंत्रण, असम में गेंडों का संरक्षण, नमभूमि संरक्षण, कच्छ वनस्पति तथा जीव मंडल रिज़र्व स्कीमों के अंतर्गत वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 1991-92, 1992-93 और 1993-94 में क्रमशः 23.62 करोड़ रुपए, 25.16 करोड़ रुपए और 36.09 करोड़ रुपए का अनुदान मंजूर और रिलीज़ किया गया। राज्यवार अनुदान का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-I सदन के पटल पर रखा गया है।

(ग) और (घ) वितरण II सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय प्रयोजित स्कीमों के अन्तर्गत वन्यजीव संरक्षण के लिए-स्वीकृत और रिजीज किया गया अनुदान

(रुपये लाखों में)

राज्य	1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	94.621	87.346	124.0
अरूणाचल प्रदेश	43.857	88.54	83.643
असम	273.51	144.256	161.281
बिहार	80.409	134.127	87.9
गोआ	16.7	18.5	22.285
गुजरात	59.75	49.164	55.50
हरियाणा	33.4	14.03	13.25
हिमाचल प्रदेश	131.18	160.775	103.892
जम्मू और कश्मीर	शून्य	11.959	28.625
कर्नाटक	176.075	234.285	279.226
केरल	200.029	123.535	193.212
मध्य प्रदेश	228.12	262.322	482.868
महाराष्ट्र	81.1	121.032	100.977
मणिपुर	25.25	25	19.45

1	2	3	4
मेघालय	28.16	34.56	318.72
मिजोरम	26.77	25.44	17.842
नागालैण्ड	2.5	2.43	2.62
उड़ीसा	135.3	111.998	194.95
पंजाब	28.97	24.737	37.35
राजस्थान	184.75	184.229	256.388
सिक्किम	38.43	83.622	40.2
तमिलनाडु	87.013	124.64	209.455
त्रिपुरा	24.66	45.15	9.75
उत्तर प्रदेश	152.005	164.585	238.338
पं. बंगाल	209.92	235.212	386.314
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य	11.5
चण्डीगढ़	शून्य	2	11.375
दादर नगर	शून्य	शून्य	शून्य
दमन दीव	शून्य	3.1	शून्य
कुल :	2362.479	2516.547	3689.314

*1993-94 के लिए अनुदान प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर

टिप्पणी : कुछ राज्यों में 1993-94 में आवंटन में कमी निम्नलिखित कारणों से हुई :

(क) कुछ केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की राज्य योजनाओं को अंतरण।

(ख) पिछले वर्ष खर्च न की गई राशि को आगे लाना।

(ग) नई विदेशी सहायता परियोजनाएं शुरू करना जिनके लिए राज्य योजनाओं में व्यवस्था की है।

(घ) वर्ष के लिए किया गया विशिष्ट पूँजीगत निवेश।

विवरण-II

1994-95 के दौरान उपर्युक्त स्कीमों के लिए किया गया बजट प्रावधान निम्नलिखित है :-

क्र. सं.	स्कीम	आवंटन (लाख रुपयों में)
1.	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास	1150
2.	सुरक्षित क्षेत्रों में और उनके चारों ओर पारि-विकास	680

1	2	3	4
3.	हाथी परियोजना		500
4.	बाघ परियोजना		770
5.	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण		300
6.	नम भूमि संरक्षण		150
7.	कच्छ वनस्पति		150
8.	जीव मंडल रिजर्व		300

तथापि, चोरी-छिपे शिकार तथा वन्यजीवों के अवैध व्यापार के नियंत्रण तथा "असम में गैंडों का संरक्षण" स्कीमों को राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिशों पर 1992-93 से संसाधनों सहित राज्यों को अंतरित कर दिया गया है। वन्यजीवों की सुरक्षा उपलब्धियां इस तथ्य से परिलक्षित होती है कि वास स्थल में सुधार हुआ है, वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है तथा राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की संख्या बढ़कर अब 503 हो गई है जिसमें 75 राष्ट्रीय उद्यान और 428 अभयारण्य हैं जो कुल 1.40 वर्ग कि. मी. क्षेत्र में फैले हुए हैं। हाथियों, शेरों, चीतों, ब्रो-एण्टलर्ड डीयर, नीलगिरि ताहर, गैंडे, नीलगाय, काले हिरन आदि जैसे पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई है।

[हिन्दी]

श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश भर में दुर्लभ वन्य प्राणी और जो वनस्पति है, उनकी प्रजातियां नष्ट होने के कगार पर है तो वह कौन-कौन सी प्रजातियां हैं, जो नष्ट होने के कगार पर हैं और उन्हें बचाने के लिए सरकार क्या करने जा रही है ? जैसे कि सफेद बाघ वगैरह है, वह जाति भी नष्ट होने के कगार पर है। उनकी संख्या में कितनी वृद्धि हुई है, यह बताने की मंत्री महोदय कृपा करें ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : बढ़ती हुई आबादी और जो नेशनल पार्क्स एण्ड सैंक्चुरीज के ऊपर विकास का दबाव है, यह दो मुख्य कारण हैं, जिनके कारण आज हमारी वाइल्ड लाइफ के ऊपर एक प्रकार का दबाव आ रहा है। इस चुनौती का सामना करने के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई हैं। उनमें से कुछ का जिक्र तो मैंने किया है, जिसके लिए केन्द्र सरकार ने कुछ राज्य सरकारों को राहत दी है पर इसके साथ-साथ जो और योजनाएं हैं, वह हैं प्रबंधन क्षमता में सुधार, आवास विकास और प्राकृतिक शिक्षा व्यवस्था और अनुसंधान, साथ-साथ आम जनता को नेशनल पार्क्स एण्ड सैंक्चुरीज और अपने पूरे कन्जर्वेशन मूवमेंट में जोड़ा जाय, इस प्रकार की भी अन्य योजनाएं हैं।

श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : देश में वन्य प्राणियों की बड़े पैमाने पर जो चोरी छिपे हत्याएं हो रही हैं, उसके कितने प्रकरण पिछले साल पकड़े गये हैं ? वीरप्पन जैसा बड़ा तस्कर कर्नाटक में दो तीन साल से सरकार को बड़ा परेशान कर रहा है। अब वह हाथियों को भी बहुत बड़े पैमाने पर हत्या कर रहा है लेकिन उसे अभी तक पकड़ा नहीं गया है। देश में वन्य प्राणी संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय अभ्यारण्यों का

निर्माण करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रस्ताव अलग-अलग प्रान्तों से सरकार के पास आये हैं, तो वह कितने प्रकरण इनके पास आये हैं और उनमें से कितने लम्बित हैं ? जैसे महाराष्ट्र के किनवट जिला नादिड़ में लगभग 10 साल पहले एक अभ्यारण्य का प्रस्ताव सरकार के पास आया है लेकिन अभी तक उसको भी निर्मिती की मंजूरी नहीं मिली है। ऐसे कितने प्रकरण सरकार के पास लम्बित पड़े हैं और उनके लिए सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री कमल नाथ : ऐसे बहुत सारे प्रस्ताव हमारे पास आते हैं। कुछ सीमा के अन्दर उनपर विचार किया जाता है। इन्होंने जो उदाहरण मुझे दिया है, उसकी सूचना मैं माननीय सदस्य को भेजूंगा। पर आज साथ-साथ जो दबाव टाइगर पर है उसकी पोचिंग जारी है, इसके लिए भी अनेक योजनाऐं गवर्नमेंट ने बनाई हैं, जिनपर कार्रवाई होगी।

श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : चोरी-छिपे जो हत्याऐं हो रही हैं, उन्हें रोकने के बारे में बड़े पैमाने पर क्या करने हा रहे हैं ?

श्री कमल नाथ : चोरी छिपे जो हत्याऐं हो रही हैं, जो पोचिंग हो रही है, यह दबाव पिछले तीन साल में बढ़ा है, क्योंकि शेर की हड्डी की दवाइयों का उपयोग साउथ ईस्ट एशियन कन्ट्रीज में किया जा रहा है। समस्या यह है कि टाइगर की आबादी अपने देश में बढ़ी है पर जा टाइगर का एरिया है, जो टाइगर का हैबीटाट है, वह नहीं बढ़ रहा है। जैसा मैनें पहले कहा कि उसके ऊपर प्रैशर है। इसके लिए हमने एक प्रोजैक्ट टाईगर एक क्राइसिस सैल भी बनाया है, अन्य देशों से भी इसकी बात की है जो स्मगलिंग हो रही है, इस पर रोक के लिए भी हमने कुछ उपाय प्रस्तावित किये हैं। इसपर पूरी कार्रवाई हो रही है पर माननीय सदस्य का यह कहना सही है कि टाइगर की पोचिंग पिछले तीन-चार साल में बढ़ी है। इसमें कुछ सीजर भी हुए हैं। जितने सीजर पिछले साल में हुए हैं, उतने कभी नहीं हुए। यह एक नये प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई है, जिसपर पूरी कार्रवाई की जा रही है।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने कहा कि एलीफेंट्स, टाइगर्स, बाघ, इन तमाम जानवरों को बचाने की बहुत बड़ी जरूरत है। इसके साथ ही हमारे देश का नेशनल पक्षी मोर है। वह खासकर मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में पाया जाता है। मेरी कांस्टीट्वेंसी झाबुआ में मोर में ऐसी बीमारी फैली है कि कई मोर मर गये हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मोर नेशनल बर्ड है, इसको बचाने के लिए आपके पास कोई योजना है ? अगर नहीं है तो आप कोई योजना बनाएंगे। क्योंकि हमारे देश में यह पक्षी गांवों में रहता है और यह बहुत ही अच्छा पक्षी है तो इतने सुंदर पक्षी को बचाने के लिए कौन-कौन सी योजना है यह मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री कमल नाथ : माननीय सदस्य ने मुझे जो बीमारी बताई है, उनके जिले में जो मोर को पीड़ित कर रही है इसकी मुझे जानकारी दी है, इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। अगर इस बीमारी की गंभीरता को देखते हुए आवश्यकता हुई तो इसके लिये उपाय किये जायेंगे और योजना भी बनाई जायेगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से नहीं। मंत्री इसका उत्तर नहीं देंगे।

श्री मृत्युंजय नायक : चिलका पक्षियों का एक बहुत बड़ा और प्रमुख अभयारण्य है; लेकिन सरकार

ने इस परियोजना को विकसित करने के लिए अभी कोई प्राथमिकता नहीं दी है। मत्स्यपालन भी अन्य गतिविधियों में निजी उद्यमियों की भागीदारी के कारण से पारिस्थितिकीय संतुलन में गड़बडी आ रही है। विश्व के विभिन्न भागों के पक्षियों की यहाँ उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए, चिलका झील का अपना ही महत्व है।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार निजी उद्यमियों की भागेदारी को सीमित करके इसे एक अत्याधुनिक वन्य जीव और पक्षी अभयारण्य के रूप में विकसित करने के लिए और अनुदान देगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न कल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

गेहूं तथा चावल का निर्गम मूल्य

*221. **श्री सुव्रत मुखर्जी** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचे जाने वाले चावल तथा गेहूं के निर्गम मूल्यों में भारी वृद्धि खाद्यान्नों की कमी वाले राज्यों पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ेगा;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई आकलन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन राज्यों के लिए कोई विशेष मूल्य प्रणाली अपनाने पर विचार कर रही है ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (ग) धान और गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्यों और भारतीय खाद्य निगम की हैंडलिंग लागत में हुई वृद्धि को आंशिक रूप से खपाने के प्रयोजन से सरकार द्वारा समय-समय पर चावल और गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों (भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से) में वृद्धि की जाती है ताकि खाद्य सब्सिडी को उचित सीमा में रखा जा सके। ये मूल्य समस्त देश में एक-सम्मान रूप में लागू हैं।

समाज के कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली और समन्वित आदिवासी विकास परियोजना (आई॰ टी॰ डी॰ पी॰) ब्लाकों के जरिए सप्लाई किए जाने वाले चावल और गेहूं की कीमतों को कम रखा जाता है।

अनुसंधान संस्थानों के लिए धनराशि का आवंटन

*222. **श्री एस॰ एम॰ लालजान बाशा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्यों को उनके उन ऐसे संस्थानों के लिये धनराशि देती है जिनमें कृषि अनुसंधान कार्य किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान राज्य-वार उपलब्ध कराई गई/स्वीकृति की गई कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में बनायी गयी नीति का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान राज्यों को उपलब्ध कराये गये कुल धन/अनुदान का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) अनुसंधान के लिए धन उपलब्ध कराने से सम्बन्धित नीति निम्नानुसार हैं :

(i) राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में चल रही अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजनाओं के लिए 75 प्रतिशत तक की अनुदान सहायता भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। खर्च का शेष 25 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है।

(ii) राज्यों में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रयोजना (चरण-II) के तहत अनुसंधान संबंधी बुनियादी ढांचों के विकास के लिए पहले 5 वर्षों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा शतप्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। उसके बाद उसका लागत खर्च राज्यों द्वारा वहन किया जाता है।

(iii) इन परियोजनाओं की अवधि के लिए कृषि उत्पाद उपकर निधि द्वारा प्रायोजनाओं को शतप्रतिशत अनुसंधान अनुदान अपलब्ध किया जाता है।

(iv) कृषि विश्वविद्यालयों के लिए विकास अनुदान आठवीं योजना के तहत उपलब्ध कराए जाते हैं।

विवरण

विभिन्न राज्यों के लिए कृषि अनुसंधान के तहत अनुदान/आवंटन की सूची

(रु. लाखों में)

राज्य	1993-94	1994-95
1	2	3
आंध्र प्रदेश	570.09	626.65
आसाम	309.19	123.46
बिहार	389.38	292.09
गुजरात	448.46	301.47
हरियाणा	861.82	507.05
हिमाचल प्रदेश	481.75	209.35
जम्मू और कश्मीर	146.73	171.21
कर्नाटक	493.94	516.89
केरल	558.08	218.76
मध्य प्रदेश	682.78	489.02
महाराष्ट्र	890.79	638.08

1	2	3	4
उड़ीसा		942.56	200.21
पंजाब		633.62	432.09
राजस्थान		949.60	696.19
तमिलनाडु		497.97	461.72
उत्तर प्रदेश		597.79	683.66
पश्चिमी बंगाल		266.80	254.28

रेल दुर्घटनाएं

*223. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :**

श्री धर्मभिक्षम :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आन्ध्र प्रदेश में नालगोंडा और महबूब नगर में समान कारणों से एक के बाद दूसरी दो भीषण रेल दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन दो दुर्घटनाओं में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और क्या उक्त दुर्घटनाओं के जीवित/पीड़ित व्यक्तियों को कोई मुआवजा दिया गया है; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाएं न हों यह सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय/कदम उठाए गये हैं?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ) : (क) से (ग) जी हां, 2.5.94 को दक्षिण मध्य रेलवे के सिकन्दराबाद मण्डल के बीबीनगर नाडिकुडे खण्ड पर बिना चौकीदार वाले समपार सं॰ 11 पर 7424 नारायणाद्री-तिरुपति एक्सप्रेस एक ट्रैक्टर ट्रेलर से जा टकराई, 5.5.94 को इसी प्रकार की एक दूसरी दुर्घटना में 7208 तुंगभद्रा एक्सप्रेस, जब वह दक्षिण मध्य रेलवे के हैदराबाद मण्डल के महबूबनगर सिंकदराबाद खण्ड पर चल रही थी, उस समय वह बिना चौकीदार वाले समपार सं॰ 39 पर एक जीप से टकरा गई, पहली दुर्घटना में ट्रैक्टर ट्रेलर में सवार 32 व्यक्ति मारे गए जबकि 7 अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, दूसरी दुर्घटना में जीप में सवार 13 व्यक्ति मारे गए तथा 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए, दोनों दुर्घटनाएं बिना चौकीदार वाले समपार पर हुई तथा दोनों दुर्घटनाएं "सड़क वाहन चालकों की लापरवाही" के कारण हुई। जो बिना चौकीदार वाले समपारों को पार करते समय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 131 तथा भारतीय रेल अधिनियम, 1989 की धारा 161 के प्रावधानों का भी पालन नहीं कर रहे थे।

मौजूदा नियमों के अनुसार कोई क्षतिपूर्ति अनुमेय नहीं है। बहरहाल इन दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के निकट संबंधियों तथा घायल व्यक्तियों को 1,29,000 रु॰ की अनुग्रह राशि का भुगतान कर दिया गया है।

(घ) बिना चौकीदार वाले समपारों पर इस प्रकार की दुर्घटनाएं न होने देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :–

(1) समपारों को पार करते समय सड़क वाहन चालकों द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में टी॰ वी॰ तथा रेडियो सहित संचार मीडिया के माध्यम से गहन शैक्षिणिक अभियान।

(2) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा भारतीय रेल अधिनियम, 1989 के अंतर्गत विपथगामी सड़क वाहन चालकों को पकड़ने के लिए सिविल प्राधिकारियों के सहयोग से घात लगाकर संयुक्त जांच।

(3) ग्रामीण तथा अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में जनता को जागरूक करने के कार्यक्रमों में ग्राम पंचायतों तथा अन्य एजेंसियों को शामिल करना।

(4) समपारों के पहुंच सड़कों पर सीटी बोर्डों, स्पीड ब्रेकरों तथा सड़क चिह्नों तथा सफेद पेंट किये गए फाटकों पर नजर रखना तथा उनकी व्यवस्था सुनिश्चित करना।

(5) सड़क उपयोगकर्ताओं तथा गाड़ी चालकों के लिए पर्याप्त दृश्यता सुनिश्चित करना।

(6) बिना चौकीदार वाले 500 समपारों पर चौकीदार तैनात करने के लिए 25 करोड़ रू॰ की व्यवस्था करना।

(7) यह विनिश्चय किया गया है कि बिना चौकीदार वाला कोई नया समपार न खोला जाए।

(8) यह भी निर्णय लिया गया है कि यातायात में गिरावट आने के बावजूद चौकीदार वाले किसी भी मौजूदा समपार को बिना चौकीदार वाला समपार न किया जाए।

व्यापार की शर्तें

*224. **श्री चित्त बसु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि संबंधी विभिन्न सरकारी समितियों ने व्यापार की शर्तों में सुधार करने की आवश्यकता पर बल दिया है क्योंकि वे कृषि के अनुकूल नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) से (ग) जी हां, विभिन्न समितियों ने व्यापार की शर्तों में कृषि के पक्ष में सुधार करने का सुझाव दिया है।

वर्ष, 1980 से कृषि लागत और मूल्य आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश करते समय कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तों में परिवर्तन के मामलों पर विचार करता रहा है। समग्र रूप में व्यापार की शर्तों से संबंधित समस्याओं पर विचार करने के लिए एक कार्यदल (टास्ट फोर्स) का गठन किया गया है। साथ ही कृषि क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि करके तथा उत्पादकता को बढ़ाकर व्यापार की प्रतिकूल शर्तों के प्रभाव को कम करने का भी प्रस्ताव है।

मात्स्यकी प्रशिक्षण

*225. **श्री प्रेम चन्द राम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य में मात्स्यकी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने हेतु सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष, सरकार ने प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता प्रदान की है; और

(घ) युवा छात्रों को मात्स्यकी में व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिये अन्य क्या सुविधाएं दिये जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) से (ग) जी, हां। (i) ताजा जल मछली पालन और खारा जल मछली पालन विकास को केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में एक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए इनमें से प्रत्येक के अन्तर्गत 5 लाख रुपये उपलब्ध हैं। 1993-94 के दौरान ताजा जल मछली पालन की योजना के अन्तर्गत असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, मिजोरम, उडीसा, त्रिपुरा और उत्तर-प्रदेश को और 1991-92 के दौरान महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश व केरल को तथा 1993-94 में गुजरात को खाराजल मछली पालन योजना के अन्तर्गत 5-5 लाख रुपये की सहायता दी गई है।

(ii) विश्व बैंक की सहायता प्राप्त झींगा और मछली पालन परियोजना के अन्तर्गत 1993-94 के दौरान पश्चिम बंगाल और दीघा अंडा उत्पत्तिशाला (हैचरीज) और उड़ीसा में चन्द्रभागा अंडा उत्पत्तिशाला (हैचरीज) में एक-एक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिये क्रमश: 25.00 लाख रुपये और 21 लाख रुपये प्रदान किए गये हैं।

(iii) जून, 1994 में अनुमोदित "मात्स्यिकी प्रशिक्षण और विस्तार" को केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना के अन्तर्गत राज्यों के लिये दो-दो प्रशिक्षण की स्थापना/उन्नयन के लिये 5.00 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध है। इस योजना के तहत अभी तक कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई है क्योंकि राज्यों से इसके प्रस्ताव नहीं मिले थे।

(घ) केन्द्रीय मात्स्यिकी नाविकी और इन्जीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, केन्द्रीय ताजा जल मछली पालन संस्थान और केन्द्रीय समुद्री मात्सियकी अनुसंधान संस्थान जैसे विभिन्न संस्थान विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वाले छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। उन्हें छात्रावास की सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। राज्यों द्वारा प्रायोजित छात्रों का खर्च सामान्यतया संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है।

अंत: क्रियात्मक स्वर प्रत्युत्तर प्रणाली
(इन्टर-एक्टिव वायस रेलपांस सिस्टम)

*226. **श्री डी॰ वेंकटेश्वर राव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने समस्त कम्प्यूटरीकृत आरक्षण नेटवर्क में सुधार करने के कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर रेलवे

में अंत: क्रियात्मक स्वर प्रत्युत्तर प्रणाली (इन्टर-एक्टिव वायस रेसपांस सिस्टम) लागू करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इससे रेलवे की कार्यकुशलता बढ़ाने में तथा जनता की मांग को पूरा करने में कितनी सहायता मिली है ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) और (ख) अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बहरहाल, इन्टरएक्टिव वायस रेसपांस प्रणाली शुरू करने के लिए उत्तर रेलवे द्वारा नई दिल्ली के मुख्य कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण काम्पलेक्स में कुछ परीक्षण किये गये हैं। इसके आगे और परीक्षण करने का प्रस्ताव है। परीक्षणों के परिणामों के मूल्यांकन से कुशलता में सुधार की संभावित सीमा और यात्रियों की आरक्षण से संबंधित पूछ-ताछ के उत्तर देने के बारे में पता चलेगा।

पारिस्थितिकी के अनुकूल ईंधन

***227. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवनचन्द्र खण्डूरी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या एक जर्मन फर्म भारत में सस्ता तथा पारिस्थितिकी के अनुकूल ईंधन उपलब्ध कराने वाली एक परियोजना की स्थापना करने की योजना बना रही है;

(ख) क्या इस परियोजना में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और जवाहर लाल नेहरू विश्व विद्यालय को सहयोजित किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसी परियोजना की स्थापना करने में कोई पहल की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) "नॉन एडिबल वेजिटेबल ऑयल एज़ ए डिसेन्ट्रलाइज़्ड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स विद मल्टिपल इकॉलाजिकल ग्रेटिस–इफैक्ट्स" नाम से एक संयुक्त अनुसंधान प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव परियोजना की स्थापना का प्रस्ताव नहीं है बल्कि एन्वॉयरमेंट कॉन्सेप्ट लिमिटेड, जर्मनी तथा क्विन्टा डा फिगुरिया, पुर्तगाल के सहयोग से जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली द्वारा निधियन के लिए यूरोपीय समुदाय आयोग को प्रस्तुत एक संयुक्त अनुसंधान प्रस्ताव है।

(ग) इस प्रस्ताव का उद्देश्य आंशिक तौर पर कटाव वाली भूमि (नमभूमि) पर स्थानीय तिलहन के पौधों की खेती और उत्पादन, वनस्पति तेल उत्पादन छोटे आकार के स्थिर उपयोगिता वाले इंजनों तथा खान पकाने के स्टोवों में ईंधन के तौर पर इन तेलों की उपयोगिता तथा इससे सामाजिक और आर्थिक लाभ प्राप्त करने से संबंधित विकेन्द्रित प्रौद्योगिकी श्रृंखला के उपयोग के बारे में व्यापक और समेकित जानकारी प्राप्त करना है।

(घ) और (ङ) सरकार ने प्रदूषण उपशमन की अपनी नीति के अनुकूल सीसामुक्त पैट्रोल, इथनोल मिला हुआ पैट्रोल और डीज़ल, सम्पीड़ित प्राकृतिक गैस तथा जैवमास से ऊर्जा और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्नों के निर्गम मूल्य

*228. **प्रो॰ उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई किए जाने वाले खाद्यान्नों के निर्गम मूल्य निर्धारित करने के लिए बनाए गए मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्नों का निर्गम मूल्य उनके खरीद मूल्य के अनुसार निर्धारित किया जाता है;

(ग) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से खाद्यान्नों के निर्गम मूल्य कम करने का अनुरोध किया है; और

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्नों के मूल्य कम करने के लिए कदम उठाए जाने का विचार है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख) धान और चावल के न्यूनतम समर्थन मूल्यों/वसूली मूल्यों तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा इनकी खरीद और हैंडलिंग पर किए गए खर्च को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा चावल और गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्य (भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से) निर्धारित किए जाते हैं। वितरण और स्टाक रखने की लागत को हिसाब में नहीं लिया जाता है। और केन्द्रीय सरकार इस पर भारी खाद्य सब्सिडी वहन करती है।

(ग) और (घ) कुछ राज्यो सरकारों, सामाजिक संगठनों और व्यक्तियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

इस प्रकार निश्चित किए गए केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल और गेहूं के निर्गम पर सरकार को भारी खाद्य सब्सिडी का भार वहन करना पड़ता है और खाद्य सब्सिडी बजट को नियंत्रित करने के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्यों को कम करना संभव नहीं है। अन्तिम खुदरा मूल्य राज्य सरकारों द्वारा स्वयं निश्चित किए जाते हैं।

[हिन्दी]

नैमित्तिक मजदूर

*229. **श्री हरिकेवल प्रसाद :**

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में नैमित्तिक मजदूरों को नियमित करने के लिये निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ख) रेलवे में नियमन हेतु प्रतीक्षारत नैमित्तिक मजदूरों की जोन-वार संख्या कितनी है; और

(ग) इन्हें नियमित करने के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) नैमित्तिक श्रमिकों को उनकी बारी आने पर नियमित किया जाता है जो उनके द्वारा की गई सेवा के दिनों की संख्या पर आधारित होता है तथ नियमित स्थापना में रिक्तियों की उपलब्धता और प्रत्येक श्रमिक की उपयुक्तता पर निर्भर करता है।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित स्थापना में समाहन का अवसर प्रदान करने के लिए पिछले दो दशकों से कतिपय अपवादों को छोड़कर ग्रुप "ब" में वस्तुत: सभी रिक्तियां नैमित्तिक श्रमिकों और एवजियों की स्क्रीनिंग और समाहन द्वारा भरी गई है।

इसके आगे, नियमित प्रकृति के कार्य क्षेत्रों, जिनमें नैमित्तिक श्रमिकों का उपयोग किया जा रहा था, का पता लगाया गया तथा उन्हें स्थायी बनाया गया और इन स्थायीकरण योजनाओं के अंतर्गत 1988 और 1993 के बीच लगभग 90,000 पद स्वीकृत किए गए थे, इससे समाहन में काफी तेजी आई है।

उपर्युक्त प्रयासों के फलस्वरूप, नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या 1981-82 के अंत में लगभग 2.3 लाख से घटकर 1992-93 के अंत में लगभग 0.86 लाख हो गई है।

[अनुवाद]

वनस्पति उद्योग

*230. **श्री काशीराम राणा** : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वनस्पति उद्योगों की राज्य-वार वर्तमान संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितने उद्योग बन्द हो गए हैं; और

(ग) बन्द हुए एककों को फिर से चालू करने तथा वनस्पति उद्योग को अर्थक्षम बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री ए॰ के॰ एंटनी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछ उपाय हैं : वनस्पति के विनिर्माण में कुछ विनिर्दिष्ट तेलों का उपयोग करने पर वित्तीय प्रोत्साहन देना, वर्ष 1993-94 के बजट में वनस्पति पर उत्पाद शुल्क में 400 रु॰ प्रति मी॰ टन॰ की कमी करना, आधुनिकीकरण और लागत में कमी लाने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले कुछ उपकरणों के लिए सीमा शुल्क की दर में रियायत देना, वनस्पति के विनिर्माण में आयातित पामोलीन के उपयोग की अनुमति देना, इत्यादि। वनस्पति उद्योग के कार्यकरण में और सुधार लाने के लिए किए गए उपायों की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है तथा जब कभी आवश्यक होता है, उपयुक्त निर्णय लिए जाते हैं।

विवरण

संस्थापित, वनस्पति एककों की संख्या, कार्य कर रहे तथा वनस्पति का उत्पादन कर रहे वनस्पति एककों की संख्या, परिष्कृत तेलों, बेकरी शॉर्टनिंग तथा इंडस्ट्रीयल हार्ड ऑयल का उत्पादन (परन्तु वनस्पति का नहीं) कर रहे वनस्पति एककों की संख्या तथा बन्द कर दिए गए वनस्पति एककों की संख्या के संबंध में राज्यवार स्थिति दर्शाने वाला विवरण।

(31 मई, 1994 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	संस्थापित वनस्पति एककों की संख्या	कार्य कर रहे तथा वनस्पति का उत्पादन कर रहे वनस्पति एककों की संख्या	परिष्कृत तेल, बेकरी शार्टनिंग तथा इंडस्ट्रीयल हार्ड ऑयल का उत्पादन (परन्तु वनस्पति का नहीं) कर रहे वनस्पति एककों की संख्या	बन्द कर दिए गए वनस्पति एककों की संख्या
1	2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	8	7	–	1
2. बिहार	4	1	–	3
3. गुजरात	11	9	–	2
4. हरियाणा	7	5	–	2
5. जम्मू व कश्मीर	5	3	–	2
6. कर्नाटक	6	1	2	3
7. मध्य प्रदेश	7	6	–	1
8. महाराष्ट्र	17	10	1	6
9. पंजाब	20	19	–	1
10. राजस्थान	9	5	–	4
11. तमिलनाडु	8	6	1	1
12. उत्तर प्रदेश	19	12	1	6
13. पश्चिम बंगाल	6	4	–	2
14. दिल्ली	2	2	–	–
15. हिमाचल प्रदेश	2	2	–	–

1	2	3	4	5	6
16.	केरल	2	–	1	1
17.	असम	1	1	–	–
18.	उड़ीसा	2	2	–	–
19.	सिक्किम	1	1	–	–
20.	मणिपुर	1	1	–	–
	योग :	138	97	6	35
	क्षमता:	(21.14 लाख मी॰ टन)	(16.11 लाख मी॰ टन)	(0.41 लाख मी॰ टन)	(4.62 लाख मी॰ टन)

[हिन्दी]

कीटनाशक दवाइयों की अनुपलब्धता

*231. **श्री बलराज पासी :**

श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को किसानों को समय पर कीटनाशक दवाएं उपलब्ध न होने के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करायी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सरकार ने किसानों को समय पर कीटनाशक दवाइयों की सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बलराज जाखड़) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार द्वारा किए गए मुख्य उपाय इस प्रकार हैं :–

(i) केन्द्रीय कृषि और सहकारिता विभाग प्रत्येक वर्ष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ मिलकर रबी और खरीफ मौसम के पहले कृमिनाशकों की आवश्यकता का मूल्यांकन करता है। इससे उत्पादन और कृमिनाशियों के आयात के लिए पहले से योजना बनाने में सहायता मिलती है।

(ii) कृमिनाशक 1,20,118 वितरण केन्द्रों के विस्तृत नैटवर्क के जरिए किसानों को उपलब्ध कराये जाते हैं। इस नेटवर्क में राज्य कृषि विभाग के (5858 केन्द्र, सहकारी संस्थाओं/कृषि उद्योग के (28948) केन्द्र तथा निजी व्यापार के (85312) केन्द्र शामिल हैं।

[अनुवाद]

माल डिब्बों से कोयले की चोरी

*232. डा॰ साक्षीजी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में माल डिब्बों, विशेषरूप से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को भेजे जा रहे माल डिब्बों से कोयले की चोरी के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे मामलों की जांच करायी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) से (घ) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में पारवहन में माल डिब्बों से कोयले की चोरी तथा जांच के बाद अपराधियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

रेलवे	अवधि	सूचित किए गए मामले	मूल्य		गिरफ्तार किए गये			
			चोरी हुई	बरामद की गई	सा.व्य.	रे.क.	रे.सु.ब.	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1991-92	954	86,402	86,402	1016	67	–	1083
म. रे.	1992-93	954	47,642	47,642	653	58	–	711
	1993-94	329	26,380	26,380	356	40	–	396
	1991-92	479	3,71,115	3,76,635	464	38	–	502
पू. रे.	1992-93	402	7,24,354	7,97,556	334	5	–	339
	1993-94	435	8,15,384	9,12,382	368	4	–	372
	1991-92	220	5,03,470	12,552	180	47	–	227
उ. रे.	1992-93	190	6,89,047	19,111	135	33	–	168
	1993-94	130	4,78,022	14,665	87	24	–	111
	1991-92	164	2,986	11,747	196	31	2	229
पूर्वो. रे.	1992-93	146	17,009	11,718	158	27	–	185
	1993-94	101	8,0008	10,938	104	35	–	139
	1991-92	31	7,053	2,453	29	6	–	35
पू. सी. रे.	1992-93	27	4,384	2,984	26	2	–	28
	1993-94	5	750	890	5	–	–	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1991-92	1	1,000	1,000	5	–	–	5
द. रे.	1992-93	5	24,245	24,245	9	–	–	9
	1993-94	–	–	–	–	–	–	–
	1991-92	96	44,620	44,620	134	4	–	138
द. म. रे.	1992-93	82	22,151	22,151	117	7	–	124
	1993-94	79	12,947	12,947	136	2	–	138
	1991-92	79	1,87,479	1,87,479	137	9	–	146
द. पू. रे.	1992-93	75	25,47,451	1,96,295	101	10	1	112
	1993-94	75	6,06,965	6,09,965	52	–	–	52
	1991-92	1051	12,31,757	44,968	1004	18	–	1022
द. रे.	1992-93	481	94,508	36,777	574	29	–	063
	1993-94	338	77,444	53,544	479	13	–	492
	1991-92	3075	24,35,882	7,67,856-31.52%	3165	220	2	3387
योग	1992-93	2362*	41,70,791**	11,58,479-27.78%	2107	171	1	2279
	1993-94	1492	20,25,900	16,41,711-81.04%	1587	118	–	1705
		(-36.83%)	(-51.43%)					
		*(-23.19%)	**(+71.22%)					

जहां तक उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को भेजे जा रहे माल डिब्बों से कोयले की चोरी होने का संबंध है, यह उल्लेखनीय है कि रे. सु. ब. को न कोई शिकायत प्राप्त हुई है और न कोई शिकायत दर्ज है।

नोट :–बा. व्य. (बाहरी व्यक्ति), रे. क. (रेलवे कर्मचारी)

व्यावसायिक कालेजों में प्रवेश

*233. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, भारतीय चिकित्सा परिषद् और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न राज्यों में निजी प्रबंधन वाले व्यावसायिक कालेजों में पचास प्रतिशत स्थानों पर 'नि:शुल्क' कोटा के अंतर्गत और शेष पचास प्रतिशत स्थानों पर 'भुगतान' के आधार पर छात्रों के प्रवेश देने के बारे में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 4 फरवरी, 1993 के निर्णय के कार्यान्वयन के लिए मार्ग–निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मार्ग–निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस विषय पर कुछ राज्य सरकारों द्वारा दायर की गई याचिकाओं, जो अन्य न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं, का ब्यौरा क्या है और इन याचिकाओं में कौन-कौन से मुद्दे उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) गैर-सरकारी व्यावसायिक गैर-सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थाओं में दाखिलों और शिक्षा शुल्कों को विनियमित करने के लिए 4.2 1993 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में 26.5.1994 को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् विनियम जारी किए गए हैं। इन विनियमों के मुताबिक, 50 प्रतिशत स्थान नि:शुल्क स्थान होंगे और शेष 50% स्थान भुगतान वाले स्थान होंगे। दाखिले पूरी तरह से योग्यता के आधार पर किए जाएंगे। किसी व्यावसायिक कालेज द्वारा लिए जाने वाले शिक्षा शुल्क तथा अन्य शुल्कों का निर्धारण राज्य स्तरीय समितियों द्वारा किया जाएगा।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम सोच-विचार की प्रोन्नत अवस्था में हैं तथा शीघ्र जारी कर दिए जाएंगे। गैर-सरकारी व्यावसायिक मेडिकल कालेजों में दाखिलों और शुल्कों को विनियमित करने के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्तों पर अन्य मंत्रालयों के साथ परामर्श करके स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सक्रिय तौर से विचार किया जा रहा है।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, उच्च न्यायालयों/उच्चतम न्यायालय में ऐसे कोई मामले लम्बित नहीं हैं।

शैक्षिक सर्वेक्षण

***234. श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :**

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न चरणों में स्कूल सुविधाओं की उपलब्धता का आकलन करने के लिए नेशनल इन्फोरमेटिक्स सेंटर की सुविधाओं का उपयोग एक प्रमुख शैक्षिक सर्वेक्षण के लिए किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे शैक्षिक सर्वेक्षण से क्या-क्या लाभ होने की संभावना है; और

(घ) सर्वेक्षण के बाद प्रस्तावित अनुवर्ती कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) छठा अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण (ए०आई०ई०एस०) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन० आई० सी०) और राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों का एक संयुक्त प्रयास है। जिला और राज्य मुख्यालयों में राष्ट्रीय सूचना केन्द्र की संगणक प्रणालियां सेटेलाईट-आधारित संचार नेटवर्क जिसे एन० आई० सी० एन० ई० टी० कहा जाता है, से जुड़ी हैं। आंकड़ों के प्रभावी संसाधन एवं सारणीयन तथा सूचना के प्रसार के लिए छठे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण में राष्ट्रीय सूचना केन्द्र की संगणक और एन० आई० सी० एन० ई० टी० सुविधाओं का उपयोग किया जा रहा है। विभिन्न स्कूली स्तरों पर शैक्षिक सुविधाओं की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करने और समय पर सर्वेक्षण रिपोर्ट

को प्रकाशित करने के अलावा छठे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण का उद्देश्य जिला और राज्य मुख्यालयों में स्कूली शिक्षा के आंकड़ों का आधार तैयार करना है ताकि केन्द्रीय और राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा सूक्ष्म (माइक्रो) और वृहत (मैक्रो) स्तरों पर स्कूली शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में परिमाणात्मक और गुणात्मक सुधार की योजना तैयार करने और उसके कार्यान्वयन के लिए अनिवार्य वार्षिक आंकड़ों को अद्यतन बनाने की प्रक्रिया को सुकर बनाया जा सके।

पर्यावरणीय लेखा परीक्षा

*235. **श्री हरिन पाठक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या गत वर्ष शुरू की गई पर्यावरणीय लेखा-परीक्षा योजना को अभी तक पूरी तरह कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उद्योगों के लिए अनिवार्य पर्यावरणीय लेखा परीक्षा लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) 31 जुलाई, 1994 तक विभिन्न राज्यों में संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को विभिन्न उद्योगों से चार हज़ार सत्ताईस पर्यावरणीय विवरण संलग्न हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

31 जुलाई, 1994 की स्थिति के अनुसार पर्यावरणीय विवरण प्रस्तुत करने संबंधी अनुपालन स्थिति :

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रस्तुत पर्यावरणीय विवरण
1	2	3
1.	असम	10
2.	आन्ध्र प्रदेश	83
3.	अरुणाचल प्रदेश	–
4.	बिहार	193
5.	गुजरात	290
6.	गोवा	19
7.	हरियाणा	94
8.	हिमाचल प्रदेश	54

1	2	3
9.	जम्मू और कश्मीर	–
10.	कर्नाटक	288
11.	केरल	63
12.	महाराष्ट्र	1203
13.	मध्य प्रदेश	219
14.	मणिपुर	–
15.	मेघालय	6
16.	मिज़ोरम	–
17.	नागालैण्ड	–
18.	उड़ीसा	136
19.	पंजाब	78
20.	राजस्थान	236
21.	तमिलनाडु	185
22.	त्रिपुरा	1
23.	उत्तर प्रदेश	404
24.	पश्चिम बंगाल	250
25.	दिल्ली	10
26.	पांडिचेरी	4
27.	दमन दीव और दादर नागर हवेली	193
28.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–
29.	चण्डीगढ़	8
30.	लक्षद्वीप	–

विवरण II

पर्यावरणीय विवरण तैयार करने के लिए अपेक्षाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अपनाए गए उपाय निम्नलिखित हैं :

(1) पर्यावरणीय विवरण प्रस्तुत करने को अनिवार्य शर्त बनाते हुए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत एक राजपत्रित अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना के अनुसार वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत सहमति प्राप्त करने या परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियमावली,

1989 के अंतर्गत अनुमोदन लेने वाली सभी इकाइयों के लिए आवश्यक है कि वे संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को 1993 से आगे प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए 30 सितम्बर या उससे पूर्व पर्यावरणीय विवरण भेज दें।

(2) पर्यावरणीय विवरण तैयार और प्रस्तुत करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।

(3) प्रयोक्ता उद्योग के लिए मांडल के रूप में कार्य करने के लिए अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले सेक्टरों के संबंध में सेक्टर विशिष्ट मापांक पर्यावरणीय संपरीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई है।

(4) केन्द्रीय तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों तथा उद्योगों में कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

(5) इंटर-फर्म तुलना और बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों तथा निर्णय लेने के लिए पर्यावरणीय विवरणों में आंकड़ों के कम्प्यूटरीकरण के लिए साफ्टवेयर विकसित किए गए हैं।

ध्वनि प्रदूषण

*237. **श्रीमती सरोज दुबे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने गत वर्ष के दौरान देश में विभिन्न स्थानों/शहरों में ध्वनि प्रदूषण के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले और किन-किन शहरों में प्रदूषण निर्धारित सीमा से अधिक पाया गया है; और

(ग) सरकार ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए क्या उपाय कर रही है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पिछले वर्ष दिल्ली, कोचीन, विशाखापत्तनम, वडोदरा, लखनऊ, इन्दौर और ग्रेटर कलकत्ता के आवासीय, औद्योगिक तथा अन्य चुनिन्दा क्षेत्रों में परिवेशी शोर स्तरों के बारे में सर्वेक्षण किए हैं। वडोदरा और इन्दौर के औद्योगिक क्षेत्रों और इन्दौर में रात के समय कुछ आवासीय क्षेत्रों को छोड़कर इन सभी शहरों में रिकार्ड किए गए शोर के स्तर निर्धारित मानकों से अधिक हैं।

(ग) शोर प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे उपाय इस प्रकार हैं :

– शोर प्रदूषण को संशोधित वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1987 में शामिल किया गया है। विभिन्न श्रेणियों के क्षेत्रों (आवासीय वाणिज्यिक औद्योगिक तथा अन्य चुनिन्दा क्षेत्रों के लिए शोर के संबंध में परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित किए गए हैं। वाहनों, घरेलू उपकरणों और निर्माण उपस्करों के लिए भी विनिर्माण स्तर पर ही शोर सीमाएं निर्धारित की गई हैं। वाहनों के लिए शोर सीमाएं दिसम्बर, 1992 तक प्राप्त की जानी थी जबकि उपकरणों और उपस्करों के लिए 1993 तक पूरी की जानी थी।

– केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों और वाहनों को छोड़कर स्रोत पर ही शोर को नियंत्रित करने

के लिए व्यवहार संहिता तैयार की गई है। इनमें सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली, वायुयान संचालन, रेल संचालन निर्माण गतिविधियां और पटाखे चलाना शामिल हैं। इसको सभी राज्य सरकारों को इस अनुरोध के साथ सम्प्रेषित कर दिया गया है कि वे संगत स्थानीय अधिनियमों के तहत व्यवहार संहिता कार्यान्वित करने के लिए राज्यों के संबंधित विभागों को सलाह दें।

– सरकार ने औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के जरिए पर्यावरणीय अनिवार्यताओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से पर्यावरणीय जागरूकता अभियान शुरू किया है।

– भारी वाहनों के आवागमन को विनियमित करना और उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से हटाना।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

*238. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :**

श्री अनादि चरण दास :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में दो-दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं जबकि दूसरे राज्यों में एक भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस असंतुलन को समाप्त करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) केन्द्रीय विश्वविद्यालय विशिष्ट शैक्षिक तथा केन्द्र राज्य दृष्टिकोणों को देखते हुए स्थापित किए जाते हैं। ये राज्य-वार स्थापित नहीं किए जाते हैं।

खुम्भी का उत्पादन

*239. **श्री जंगबीर सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य-वार कुल कितनी खुम्भी का उत्पादन किया गया;

(ख) चालू वर्ष के लिए इसका उत्पादन लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है;

(ग) इसके उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) सरकार द्वारा किसानों को विशेषत: हरियाणा में इसके उत्पादन हेतु उपलब्ध कराई गई मूल सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) चूंकि खुंभी की खेती असंगठित क्षेत्र में होती है, अत: इसके

उत्पादन के संबंध में वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मुख्य खुंभी उत्पादक राज्यों के संबंध में 1992-93 के उत्पादन के अनुमानित आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) खुंभी उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ग) तथा (घ) भारत सरकार आठवीं योजना के दौरान 21 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में 10 करोड़ की कुल परिव्यय से खुंभी की खेती के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित कर रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड खुंभी के उत्पादन और विपणन में लगे हुए एकीकृत एककों के लिए उदार ऋण देता है।

केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत इन राज्यों में 29 स्पॉन प्रोडक्शन यूनिटों, 30 पास्च्युराइज्ड कम्पोस्ट यूनिटों की स्थापना तथा कृषकों को प्रशिक्षण देने के लिए सहायता दी जाती है।

हरियाणा राज्य के लिए दो स्पॉन प्रोडक्शन यूनियनों तथा दो पास्च्युराइज्ड कम्पोस्ट यूनिटों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, राज्य के 2400 किसानों को मशरूम उत्पादन और प्रसंस्करण के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है।

विवरण

खुंभी का राज्यवार अनुमानित उत्पादन

क्रम सं.	राज्य	1992-93 (मी. टन.)	1994-95 हेतु प्रक्षिप्त
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	300	500
2.	बिहार	5	10
3.	दिल्ली	500	600
4.	गुजरात	10	15
5.	हरियाणा	1650	3000
6.	हिमाचल प्रदेश	2000	3500
7.	जम्मू व कश्मीर	300	500
8.	कर्नाटक	500	600
9.	केरल	300	700
10.	मध्य प्रदेश	200	1200
11.	महाराष्ट्र	250	500
12.	उड़ीसा	50	600
13.	पंजाब	1200	4200

1	2	3	4
14	राजस्थान	5	10
15.	तमिलनाडु	1200	4500
16.	उत्तर प्रदेश	2500	3500
17.	पश्चिम बंगाल	50	1200
18.	अन्य	500	1000
	योग	11520	26135

[अनुवाद]

कुलपतियों की नियुक्ति

240. श्री अन्ना जोशी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के संबंध में रामलाल पारिख समिति द्वारा निर्धारित मार्गनिदेशों को कार्यान्वित किया है;

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन सिफारिशों को शीघ्रता से कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों तथा सम विश्वविद्यालय संस्थाओं के कुलपतियों/निदेशकों की नियुक्ति की पद्धति की जांच करने के लिए सितम्बर 1991 में प्रो॰ रामलाल पारिख, कुलपति, गुजरात विद्यापीठ के संयोजकत्व में एक समिति गठित की थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस सम्बन्ध में इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों को उचित कार्रवाई हेतु राज्य सरकारों/कुलपतियों को भेज दिया दिया है। जहाँ तक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध है, कुलपतियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में समिति की सिफारिशों की जाँच की जा रही है।

तटीय क्षेत्र

2256. श्री बापू हरि चौरे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश के तटीय क्षेत्रों का वर्गीकरण किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके उद्देश्य क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां। देश के तटीय क्षेत्रों को दिनांक 20.2.91 की राजपत्र अधिसूचना सा का सं॰ 114 (ई) द्वारा विकासात्मक गतिविधियों को विनियमित करने के लिए 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकरण के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

तटीय क्षेत्रों को निम्नलिखित 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :-

श्रेणी-1 (सी आर जेड-I)

(1) वे क्षेत्र जो पारिस्थितिकी की दृष्टि से संवेदनशील और महत्वपूर्ण हैं, जैसे राष्ट्रीय उद्यान/मेरीन पार्क, अभयारण्य, आरक्षित वन, वन्यजीव वास-स्थल, कच्छ वनस्पतियां, प्रबाल/प्रबाल भित्तियां, मछलियों और अन्य समुद्री जीवों के प्रजनन स्थलों के निकट के क्षेत्र, उत्कृष्ट प्राकृतिक सौन्दर्य के क्षेत्र, ऐतिहासिक/विरासत के क्षेत्र, जीन विविधता से सम्पन्न क्षेत्र, पृथ्वी की गरमी के परिणामत: समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण संभवत: जलमग्न होने वाले क्षेत्र तथा ऐसे ही अन्य क्षेत्र जिनकी घोषणा केन्द्रीय सरकार अथवा समय समय पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर संबंधित प्राधिकारियों द्वारा की जाती है।

(2) निम्न ज्वार रेखा और उच्च ज्वार रेखा के बीच का क्षेत्र।

श्रेणी-2 (सी और जेड-II)

वे क्षेत्र जिनका विकास तटीय रेखा तक पहले ही किया गया है अथवा जो तटीय रेखा के समीप हैं। इस प्रयोजन के लिए "विकसित क्षेत्र" के रूप में उस क्षेत्र का उल्लेख है जो क्षेत्र नगरपालिका सीमाओं अथवा अन्य कानूनी तौर पर नामोदिष्ट उस शहरी क्षेत्र के भीतर है जो पहले ही निर्मित है और जिसमें जल आपूर्ति और मलजल नालियों जैसे जल निकास और पहुंच मार्गों तथा अन्य आधारभूत सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

श्रेणी-3 (सी आर जेड-III)

वे क्षेत्र जो अपेक्षाकृत निर्बाध हैं और जो न तो श्रेणी-1 में आते हैं और न ही श्रेणी-2 में। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों (विकसित और अल्प विकसित) के तटीय क्षेत्रों के साथ-साथ नगर पालिका सीमाओं अथवा अन्य कानूनी तौर पर नामोदिष्ट उस शहरी क्षेत्र के भीतर है जो तत्वत: पहले ही निर्मित नहीं हैं।

श्रेणी-4 (श्री आर जेड-IV)

सी आर जेड-I, सी आर जेड-II, अथवासी आर जेड-III में नामोदिष्ट तटीय क्षेत्रों को छोड़कर अण्डमान और निकोबार, लक्षद्वीप और छोटे द्वीपों के तटीय क्षेत्र।

[हिन्दी]

पानी की जांच करने के लिए प्रयोगशाला

2257. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश से प्रत्येक जिले में पानी की जांच करने के लिए प्रयोगशाला की स्थापना करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे प्रस्ताव अन्य राज्यों से भी मिले हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारत सरकार को उत्तर प्रदेश जिले में जल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए कोई प्रस्तमाव प्राप्त नहीं है। तथापि, विश्व बैंक की सहायता प्राप्त औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना के चरण-I में शामिल राज्यों में से उत्तर प्रदेश एक है। इस परियोजना के तहत, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उत्तर प्रदेश की केन्द्रीय और क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। ये प्रयोगशालाएं फिर अपने-अपने कार्य क्षेत्र में यूनिटों द्वारा विसर्जित औद्योगिक बहिस्रावों की जल गुणवत्ता की निगरानी करते हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, विश्व बैंक की सहायता प्राप्त औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना में आठ राज्यों अर्थात् प्रथम चरण में महाराष्ट्र, तमिलनाडु उत्तर प्रदेश और गुजरात और दूसरे चरण में कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान को अपने अपने प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की केन्द्रीय और प्रादेशिक प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

पैंट्री कारों के लिए भोजन सामग्री

2258. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी एक्सप्रेस और अन्य मेल एवं एक्सप्रेस गाड़ियों के पैंट्री कारों के लिए भोजन सामग्री उपलब्ध करने की मद-वार कार्यविधि क्या है;

(ख) इस कार्य के लिए कौन प्राधिकारी उत्तरदायी होते हैं;

(ग) ये सामग्रियां कहां से, किन दरों पर और कितनी मात्रा में प्राप्त की जाती हैं;

(घ) अभी रेल यात्रियों को पैंट्री कारों द्वारा किस प्रकार के विस्कुट वेफर दिए जाते हैं और ये कहां से तथा किन शर्तों और दरों पर प्राप्त किए जाते हैं;

(ङ) केन्द्रीय भंडार और इन वस्तुओं को न खरीदे जाने के क्या कारण हैं; और

(च) केवल केंद्रीय भंडार से ही इन वस्तुओं को खरीदने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) से (घ) राजधानी एक्सप्रेस सहित, मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में पैन्ट्री कारों के लिए आवश्यक खाद्य मदें तथा कच्चे सामान की खरीद की प्रक्रिया स्थानीय परिस्थितियों, बाजार दरें, मांग आदि को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे द्वारा निर्धारित की जाती है, तदनुसार, क्षेत्रीय रेलों को वाणिज्य विभाग के खान-पान अधिकारी मानक/सरकारी स्रोतों जैसे सुपर बाजार, केंद्रीय भंडार, मदर डेयरी, सहकारी भंडारों आदि अथवा निविदा प्रणाली के माध्यम से विभिन्न मदों की खरीद के लिए उत्तरदाई हैं। बिस्कुट तथा बेफर्श सहित प्रोपराइटरी तथा मिठाई की मदें या तो सीधे निर्माताओं से अथवा उनके अधिकृत एजेन्टों के माध्यम से खरीदी जाती हैं।

(ङ) और (च) प्रश्न नही उठता।

[हिन्दी]

राजधानी एक्सप्रेस में आरक्षण कोच

2259. **श्री ललित उरांव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली से हावड़ा-गुवाहाटी, पटना से नई दिल्ली और नई दिल्ली से पटना के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस की प्रत्येक श्रेणी और चेयर-कार में आरक्षण कोटे में वृद्धि करने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मांग को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हाँ।

(ख) 2305/2306 नई दिल्ली-पटना-हावड़ा और 2423/2424 नई दिल्ली-गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रैस गाड़ियां मुख्यत: थ्रू यातायात को सेवित करने के लिए हैं, तथापि, उन मध्यवर्ती स्टेशनों पर कुछ शायिकाओं/सीटों को कोटा आबंटित किया गया है जहाँ ये गाड़ियां रुकती हैं मौजूदा कोटा धारी स्टेशनों पर कोटे का पूरा उपयोग होने के कारण फिलहाल कोटे में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल कार्पोरेशन

2260. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, हिंदुस्तान वेजीटेबल ऑयल कार्पोरेशन का सरकारी क्षेत्र के अन्य इकाइयों के साथ विलय करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल कार्पोरेशन को कुल कितनी संचित हानि हुई है;

(ग) इस उपक्रम को अर्थक्षम बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार के पास हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल कार्पोरेशन को निजी पार्टियों को पट्टे पर देने का कोई अन्य प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ङ) सरकार कई विकल्पों पर विचार कर रही है, जिसमें हिंदुस्तान वेजिटेबल ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड का अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ विलय करने की बात भी शामिल है। कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

हिंदुस्तान वेजिटेबल आयल्स कार्पोरेशन लिमिटेड 1991-92 से घाटे पर चल रही है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है :-

वर्ष	हानि (करोड़ रुपए में)
1991-92	4.56
1992-93	3.53
1993-94 (अनन्तिम)	10.00

[हिन्दी]

लघु उद्योग

2261. श्री विजय कुमार यादव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा, राज्यवार, क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या सरकार की लघु उद्योगों को स्वच्छ प्रौद्योगिकी और आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना के अन्तर्गत अब तक राज्यवार कितनी सहायता उपलब्ध करायी गयी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां। यह सही है कि बहुत सी छोटी इकाइयां प्रदूषण नियंत्रण नियमों का अनुपालन नहीं कर रही हैं। वे मुख्यत: वित्तीय समस्याओं, प्रदूषण नियंत्रण हेतु उपयुक्त तकनीकी जानकारी की कमी के कारण तथा उनमें से कई ऐसे घने क्षेत्रों में स्थित होने, जहां प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं स्थापित करने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है, के कारण उत्सर्जनों और बहिस्रावों के निर्धारित मानकों का अनुपालन करने में सक्षम नहीं हैं।

(ख) सरकार ने स्वच्छ प्रौद्योगिकियों तथा छोटी इकाइयों के बीच अपशिष्टों के पुन: प्रयोग करने संबंधी प्रणालियों के संवर्द्धन के लिए उपाए शुरू कर दिए हैं। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को छोटे उद्योगों में अपशिष्ट न्यूनीकरण के लिए क्षेत्रवार सामान्य मार्ग निर्देशी नियम पुस्तक तैयार करने के लिए एक परियोजना परिवर्तित की गई है। लघु उद्योग विकास संगठन के कार्मिकों के लिए लघु उद्योगों के प्रदूषण नियंत्रण और निवारण में प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम को मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किया गया है जिसमें लघु उद्योग विकास संगठन के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है और इन अधिकारियों से देश भर में लघु उद्योगों के कार्मिकों को प्रशिक्षण देने की आशा की जाती है।

(ग) और (घ) विश्व बैंक सहायता प्राप्त औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना के तहत औद्योगिक इकाइयों के समूहों में साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु सरकार की एक स्कीम है। इस स्कीम के तहत अनुदान के रूप में केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा 50 प्रतिशत राशि अथवा एक करोड़

रुपए में से जो भी कम हो, दिया जाता है, उदार ऋण के रूप में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के माध्यम से परियोजना लागत की 30 प्रतिशत राशि दी जाती है तथा शेष 20 प्रतिशत राशि प्रवर्तक के योगदान के रूप में होता है। विश्व बैंक की इसी परियोजना के तहत अपशिष्ट पुन: प्रयोग, अपशिष्ट न्यूनीकरण और स्वच्छ प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में प्रदर्शनी और प्रायोगिकी संयंत्रों की स्थापना के लिए सहायता दी जाती है।

(ङ) विश्व बैंक औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना के तहत सहायता प्राप्त विभिन्न राज्यों के साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों की सूची नीचे दी गई है :-

क्रम सं.	स्थान	राज्य का नाम
1.	तारापुर	महाराष्ट्र
2.	ठाणे	महाराष्ट्र
3.	अमरावती	महाराष्ट्र
4.	उन्नाव	उत्तर प्रदेश
5.	जीआईडीसी-वापी	गुजरात
6.	जीआईडीसी-पनोली	गुजरात
7.	सरीगाम (बीईसीएस)	गुजरात
8.	जी आईडीसी सरीगाम	गुजरात
9.	पल्लवरम	तमिलनाडु
10.	कोडईकेनाल	तमिलनाडु
11.	अय्यमपेट	तमिलनाडु
12.	टाल्को-रानीपेट	तमिलनाडु
13.	वणियमवाड़ी	तमिलनाडु
14.	रानीपेट-सिल्डको	तमिलनाडु
15.	करूर	तमिलनाडु
16.	पाली	राजस्थान
17.	जीडीमेटला	आन्ध्र प्रदेश
18.	पत्तनचेरू	आन्ध्र प्रदेश

[अनुवाद]

सी एल डब्ल्यू और डी एल डब्ल्यू में अनुसंधान और विकास

2262. श्री हाराधन राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स और डीजल लोकोपोटिव वर्क्स के अनुसंधान और विकास

के लिए कोई कोष स्वीकृत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां। डीजल रेल इंजन कारखाना तथा चित्तरंजन रेल इंजन कारखानों के लिए अभिकल्प एवं विकास केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं।

(ख) चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना, चित्तरंजन के लिए 3.16 करोड़ रुपए तथा डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी के लिए 2.86 करोड़ रुपए की लागत पर परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

डीज़ल इंजनों को बदलना

2263. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की वर्तमान डब्ल्यू डी एम डीजल इंजनों के स्थान पर नये इंजन लगाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये नये इंजन आयात किए जायेंगे अथवा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के द्वारा भारत में ही निर्मित किए जायेंगे;

(घ) किस देश से इनका आयात अथवा प्रौद्योगिकी हस्तांतरित की जा रही है; और

(ङ) इस पर कुल कितनी राशि खर्च होगी ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भावनापाडु छोटा मत्स्यन पत्तन

2264. श्री रामकृष्ण कोंताला : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भावनापाडु छोटा मत्स्यन पत्तन की गलत तकनीकी रूपरेखा और इसके कारण मछुआरों द्वारा पत्तन की सुविधाओं का उपयोग न किये जाने की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार का तकनीकी त्रुटियों की जांच के लिए समिति गठित करने और दोषी अधिकारियों की जिम्मेवारी निर्धारित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने इसमें सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ कृष्ण कुमार) : (क) इस बन्दरगाह का सभी पहलुओं से निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। निर्माण पूरा होने के बाद ही बन्दरगाह की सुविधाओं का अनुकूलतम उपयोग संभव है।

(ख) से (घ) इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिये सिफारिशें करने हेतु एक समिति गठित की गई थी।

(ङ) राज्य सरकार को उक्त समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर लागत के नये अनुमान प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है।

श्रमिक विद्यालय

2265. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में हल्दिया में एक श्रमिक विद्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) आठवीं योजनावधि के दौरान श्रमिक विद्यापीठ की योजना का विस्तार व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। सम्पूर्ण देश में श्रमिक विद्यापीठों के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए नए मानदंड तैयार किए गए हैं। इसके अनुसार, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हल्दिया (प॰ बं॰), श्रमिक विद्यापीठ के लिए हकदार नहीं हैं।

रेलवे में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

2266. डा॰ पी॰ वल्लल पेरूमान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे तथा रेलवे सुरक्षा-बल के विभिन्न संवर्गों में 31.12.93 तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/पिछड़ी जातियों के कितने कर्मचारी थे;

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों की संवर्ग-वार अब तक कुल रिक्तियों की स्थिति क्या है; और

(ग) अब तक की इन रिक्तियों को भरने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है,

(ग) 1.4.93 को मौजूद बकाया रिक्तियों को भरने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान चलाया गया है। इसके परिणामस्वरूप, काफी हद तक कमी पूरा कर दी गई है, ग्रुप "ग" की बकाया रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी, जो प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं और ग्रुप "घ" की बकाया रिक्तियां नैमित्तिक श्रमिकों की स्क्रीनिंग करके और अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां करके भी भरी जा रही हैं।

विवरण

31.12.1993 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

ग्रुप	जोड़	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति
"क"	7417	1039	372
"ख"	6077	1106	279
"ग"	875211	137287	45830
"घ"			
(i) सफाई वाले	128917	49202	10026
(ii) अन्य	601843	117434	38135
जोड़ (i) + (ii)	730760	166636	48161

8.3.93 से पहले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति कर्मचारियों से इतर कर्मचारियों को कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता था। अत: अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है। 31.3.1994 को भर्ती ग्रेड में बकाया रिक्तियों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

ग्रुप	अनुसूचित जाति	अनु॰ जन जाति
"क"	6	6
"ख"	1	1
"ग"	692	1160
"घ"	1089	1311

प्रतिभा पलायन

2267. श्री राम नाईक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने इन्जीनियर और डाक्टर भारत में अपना प्रशिक्षण और शिक्षा पूरी करने के बाद अमरीका चले गए; और

(ख) सरकार द्वारा पेशेवर व्यक्तियों को बाहर जाने के लिए हतोत्साहित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री) (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) भारत में प्रशिक्षण और शिक्षा प्राप्त करने के बाद कुछ इंजीनियर और डाक्टर संयुक्त राज्य अमरीका चले जाते हैं, तथापि, ऐसे कोई सांख्यिकीय आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। व्यावसायिकों को पुन: देश आने के लिए आकर्षित करने के वास्ते सरकार ने कदम उठाए हैं जिनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिव्ययों में वृद्धि,

नए वैज्ञानिक विभागों/संगठनों की स्थापना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थाओं को बढ़ी हुई प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन, आदि शामिल हैं।

त्रिवेन्द्रम के पास नेमन में भूमि अधिग्रहण

2268. श्री वी. एस. विजयराघवन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित कोच मरम्मत यार्ड के लिए त्रिवेन्द्रम के पास नेमन में 36 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो भूमि का अधिग्रहण कब किया गया;

(ग) क्या यार्ड का निर्माण कार्य आरम्भ हो चुका है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

वृक्षारोपण कार्यक्रम

2269. श्री एस. बी. सिदनाल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बांधों के निर्माण के कारण वनों के जलाप्लावन के परिणामस्वरूप गत तीन वर्षों के दौरान सामाजिक वानिकी और वृक्षारोपण के अन्तर्गत कितने पौधों का रोपण किया गया है;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार उनमें से कितने पौधे लगे हुए हैं;

(ग) अन्य पौधों के असमय नष्ट हो जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में लापरवाह कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) बांधों के निर्माण के कारण जलमग्नता के लिए प्रयुक्त क्षेत्र के बदले में वर्ष 1989-90 से 1991-92 की अवधि के दौरान क्षतिपूरक वनरोपण के तहत 1287.58 लाख पौधे लगाए गए। जिनमें से 924.71 लाख (लगभग 72%) पौधे बचे हुए हैं।

पौधों के सूख जाने के लिए उत्तरदायी कारक हैं–वर्षा न होना, लम्बी अवधि तक सूखा पड़ना, जैवीय हस्तक्षेप, प्राकृतिक विपदाएं और दीमकों का भारी आक्रमण।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

स्कूलों में शारीरिक शिक्षा

2270. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों ने अपने राज्य के स्कूलों में शारीरिक शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने स्कूलों में दी जाने वाली शारीरिक शिक्षा के संबंध में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सिफारिशें मान ली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम और खेल विभाग) में राज्य मंत्री संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने श्री के० पी० सिंह देव, राज्य मंत्री सूचना और प्रसारण की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो शिक्षा प्रक्रिया के साथ शारीरिक शिक्षा और खेल को शामिल करने के उपायों का सुझाव देगी।

समिति ने स्कूलों में शारीरिक शिक्षा और खेल को अनिवार्य विषय के तौर पर लागू करने की सिफारिश की है। इसने सिफारिश की है कि शारीरिक शिक्षा के लिए प्रतिदिन कम से कम 40 मिनट का समय दिया जा सकता है। सभी अध्यापकों को सेवापूर्व और सेवा काल में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। इन पाठ्यक्रमों का आयोजन जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थानों और बी० एड० कालेजों के माध्यम से किया जाना चाहिए।

सरकार ने सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे इन सिफारिशों को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करें।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मोरों की हत्या

2271. श्री खेलनराम जांगड़े : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में मोरों की हत्या संबंधी जांच पूरी हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस संबंध में कितने अधिकारी दोषी पाए गए और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने 1991 में मोरों की तीन अस्वाभाविक मौतों की सूचना दी थी। पहला मामला 25.1.91 को राजगढ़ जिले में नजीराबाद (वैरासिया) में घटित हुआ जिसमें 15 मोर मारे/मरे पाए गए। इस मामले में दो अपराधियों को न्यायालय के उठने तक की कैद और 300-300 रुपए का जुर्माना किया गया। अन्य दो मामले 17.4.91 को मिर्जापुर (तालेन) और 23.4.91 को रोसाला में घटित हुए जिनमें क्रमश: 150 और 4 मोर मारे गए। मामलों की पुलिस द्वारा छान-बीन की गई। मृतक मोरों को उनकी मौत के कारण का पता लगाने के लिए विसरा फारेन्सिक प्रयोगशाला, सागर भेजा

गया और रिपोर्ट में मौत का कारण जहरीली कीटनाशक दवाएं खा जाना बताया गया। इस मामले को पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्द कर दिया गया क्योंकि इस मामले में अपराधियों का पता नहीं लग पाया।

(ग) इस मामले में कोई सरकारी कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया।

[अनुवाद]

रेलवे विद्युतीकरण इकाई का बंद होना

2272. **श्री शंकरसिंह वाघेला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 अप्रैल, 1994 के "इंडियन एक्सप्रैस" में रेलवे इलैक्ट्रीफिकेशन यूनिट फेसिंग क्लोजर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वहां पर कार्यरत सभी श्रेणियों के लगभग 500 कर्मचारियों के भविष्य का क्या होगा ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) बड़ौदा रेल विद्युतीकरण संगठन द्वारा निष्पादित किया जाने वाला स्वीकृत विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया जा रहा है और पश्चिम रेलवे क्षेत्र में को कोई नया स्वीकृत कार्य नहीं है।

(ग) उन कर्मचारियों को जिन्होंने अन्य विद्युतीकरण परियोजनाओं में सेवा करने की इच्छा व्यक्त की है, उन परियोजनाओं में स्थानान्तरित करने के बारे में विचार किया जायेगा जब उनमें रिक्तियां उपलब्ध हों। अन्यों को रेलवे की चालू लाइनों पर भेजा जाएगा जहां से उन्हें विद्युतीकरण परियोजनाओं में कार्य करने में अस्थायी रूप से लगाया गया था।

मत्स्य पालन इकाइयां

2273. **श्री सुधीर सांवत** : क्या कृषी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मत्स्य पालन को कितनी इकाइयां स्थापित करने का विचार है;

(ख) मत्स्य पालन की आज तक स्थान-वार कितनी इकाइयां स्थापित की गई हैं;

(ग) क्या महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग और रत्नागिरि जिलों में मत्स्य पालन की इकाइयां स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो ये कब तक स्थापित कर दी जाएंगी; और

(ङ) इन इकाइयों की प्रशिक्षण योजना का क्या ब्यौरा है ?

गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ कृष्णा कुमार) : (क) मछली पालन के विकास के लक्ष्य क्षेत्र के रूप में निर्धारित किये जाते हैं, न कि एककों की संख्या के रूप में आठवीं योजना अवधि के दौरान ताजा जल मत्स्य पालन के अन्तर्गत 2 लाख हैक्टे॰ तथा खारा जल मत्स्य पालन के तह। 8000 हैक्टे॰ क्षेत्र को लाने का प्रस्ताव है।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) तथा (घ) वर्ष 1990-91 के दौरान खारा जल मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिये सिन्धुदुर्ग तथा रत्नागिरि, प्रत्येक जिले में एक-एक खारा जल मत्स्य पालन विकास एजेंसी को पहले ही मंजूरी दे दी गई है और सिन्धुदुर्ग में लगभग 56 हैक्टे० तथा रत्नागिरि जिले में लगभग 13 हैक्टे० क्षेत्र को इन एजेंसियों के माध्यम से पहले ही खारा जल मत्स्य पालन के तहत लाया जा चुका है।

(ङ) ताजा जल मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिये ताजा जल मत्स्य पालन विकास एजेंसी के तहत तथा खारा जल मत्स्य पालन विकास को प्रोत्साहन देने के लिये खारा जल मत्स्य पालन विकास एजेंसी के तहत कृषकों को प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। प्रशिक्षण अवधि के लिये 25 रु० प्रति दिन व्यक्ति दिन के हिसाब से ताजा जल मत्स्य पालक विकास एजेंसी के कृषकों को बजीफा दिया जाता है, वहीं अधिकतम दो महीने की अवधि के लिये 25 रु० प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से खारा जल मत्स्य पालक विकास एजेंसी के कृषकों को वजीफे का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा ताजा जल मत्स्य पालक विकास एजेंसी के कृषकों को क्षेत्रीय दौरों के लिये वाहन प्रचार के तौर पर 40/-रु० की एक मुश्त राशि का भुगतान किया जाता है और खारा जल मत्स्य पालक विकास एजेंसी के कृषकों को इसी उद्देश्य के लिये 140/-रुपये की एक मुश्त राशि का भुगतान किया जाता है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	ता०ज०म०पा० वि०ए० द्वारा	खा०ज०म०पा०वि० ए० द्वारा
		मछली पालन अधीन लाया गया क्षेत्र	
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	13417	350
2.	अरूणाचल प्रदेश	115	–
3.	असम	2710	–
4.	बिहार	21858	–
5.	गोवा	अ०न०	44
6.	गुजरात	30099	310
7.	हरियाणा	15565	–
8.	हिमाचल प्रदेश	244	–
9.	जम्मू व कशमीर	1555	–
10.	कर्नाटक	18915	225

1	2	3	4
11.	केरल	3668	442
12.	महाराष्ट्र	9001	107
13.	मध्य प्रदेश	50639	–
14.	मणीपुर	1617	–
15.	मेघालय	25	–
16.	मिजोरम	106	–
17.	नागालैंड	1163	–
18.	उड़ीसा	37667	9700
19.	पंजाब	11121	–
20.	राजस्थान	3829	–
21.	सिक्किम	52	–
22.	तमिलनाडु	11246	166
23.	त्रिपुरा	3297	–
24.	उत्तर प्रदेश	63694	–
25.	पश्चिम बंगाल	93272	728
26.	पांडिचेरी	65	–
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपै समूह	–	उ० न०
	योग	394940	12072

उ० न० :–उपलब्ध नहीं।

लियन इंस्पेक्टर, सतर्कता की नियुक्ति

2274. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय रेल के सतर्कता संगठन के अंतर्गत लियन इंस्पेक्टर, सतर्कता के पद का कोई प्रावधान किया है;

(ख) उपरोक्त संगठनों के अंतर्गत ऐसे सृजित किए गए/स्वीकृत पद कितने हैं;

(ग) यदि हां, तो भारतीय रेल के प्रत्येक मुख्यालय के अंतर्गत ऐसे कितने पद, उपलब्ध हैं;

(घ) यदि नहीं, तो पूर्वी रेल के सतर्कता संगठन के अंतर्गत लियन इंस्पेक्टर, सतर्कता की नियुक्ति का औचित्य क्या है;

(ङ) पूर्वी रेल सतर्कता संगठन के अंतर्गत अब तक ऐसे कितने पद भरे गए हैं; और

(च) इस पद का सृजन करने के बाद लियन इंस्पेक्टर, सतर्कता पद पर कितने कर्मचारी नियुक्ति किए गए?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सतर्कता संगठन, पूर्व रेलवे के अंतर्गत किसी को भी लियन निरीक्षक सतर्कता के रूप में तैनात नहीं किया गया है, तथापि, केन्द्रीय जाँच ब्यूरो की प्रवर्तन शाखा, स्थानीय पुलिस और अन्य विभागों के साथ समन्वय और संपर्क रखने के लिए पूर्व रेलवे सतर्कता संगठन के सतर्कता निरीक्षकों के पदों में से एक पद संपर्क निरीक्षक के रूप में निर्धारित किया गया है।

(ङ) और (च) एक संपर्क निरीक्षक।

[हिन्दी]

राजसहायता के भुगतान में अनियमितताएं

2275. श्री नीतीश कुमार :

श्री गुमान मल लोढा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में उर्वरकों पर राजसहायता के भुगतान में की जा रही कथित अनियमितताएं केन्द्र सरकार के ध्यान में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन शिकायतों की सत्यता से संबंधित तथ्य एंकत्रित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार ने उर्वरकों का उत्पादन करने वाली इकाइयों को सीधी राजसहायता देने का पुनः निर्णय लिया है;

(च) यदि हां, तो क्या हाल ही में इस तरह की व्यवस्था को बन्द कर दिया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (घ) बिहार राज्य से उर्वरकों पर राजसहायता के वितरण में अनियमितताओं की रिपोर्टें मिली थीं। भारत सरकार ने राज्य सरकार से उन शिकायतों की जांच करने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार ने संघीय कृषि मंत्रालय को इस संबंध में अन्तिम रिपोर्ट अभी प्रस्तुत नहीं की है।

(ङ) से (छ) यूरिया पर सांविधिक मूल्य नियन्त्रण जारी है और यूरिया पर राजसहायता दिये जाने में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। फास्फेटयुक्त तथा पोटाशयुक्त उर्वरकों को अगस्त, 1992 में विनियन्त्रित कर दिया गया

था। मूल्य वृद्धि को अप्रभावी बनाने के लिये विनियन्त्रित उर्वरकों पर रियायत देने संबंधी एक योजना रबी 1992-93 से शुरू की गई थी। यह 1993-94 में कार्यान्वित की गई थी तथा 1994-95 के दौरान जारी है। इस योजना के अन्तर्गत पहले दो वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में विनिर्माताओं द्वारा उर्वरकों की आपूर्ति/वितरण के पश्चात उर्वरक विनिर्माताओं को भुगतान किये जाने के लिये ये रियासतें राज्य सरकारों के माध्यम से दी गई थी। कुछ राज्यों ने राज्य में उर्वरकों की आपूर्ति/वितरण हो जाने के पश्चात भी विनिर्माताओं को भुगतान नहीं किया। यह सुनिश्चित करने कि लिए कि आपूर्ति की गई/वितरित मात्रा पर रियायत का भुगतान नहीं किये जाने की वजह से उर्वरक आपूर्ति में बाधा न उत्पन्न हो, भारत सरकार ने आपूर्ति किये गये/वितरित उर्वरकों के लिये 1994-95 के दौरान विनिर्माताओं को भुगतान करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे विभिन्न विनिर्माताओं द्वारा/म्यूरियेट आव पोटाश के आयातकों द्वारा उनके किसानों को आपूर्ति किये जाने वाले उर्वरकों के मूल्य तथा मात्रा का निर्धारण करेंगे और उस की गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे।

उर्वरकों के मूल्य

2276. डा० परशुराम गंगवार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के मूल्य बढ़ा दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन उर्वरकों के मूल्य बढ़ाये गये हैं और मूल्यों में किस सीमा तक बढ़ोत्तरी की गई है;

(ग) इस मूल्यवृद्धि का किसानों, कृषि और फसलों के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) सरकार ने इस अलाभकारी प्रभाव को रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) सरकार ने यूरिया (46% एन) एनहाइड्रास अमोनिया और जिंकेटेड यूरिया की कीमतें 10.6.94 से बढ़ा दी हैं। इनमें 20% वृद्धि की गयी।

(ग) और (घ) इस वृद्धि के प्रभाव की अभी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। अपितु यह आशा की जाती है इन उर्वरकों की खपत पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छी वर्षा और खाद्यान्नों के बेहतर समर्थन मूल्य होने से पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष उर्वरकों की खपत अच्छी होने की आशा है।

[अनुवाद]

बौद्ध पुरावशेष

2277. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में वेरूलापाडू मंडल के जग्गुरू गांव में बौद्ध पुरावशेष मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से कुछ मुंडेरों की चोरी हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) मूल रूप से चूना-पत्थर के मुंडेर की पाँच पट्टियां पाई गई थीं जिनमें से चार के दो-दो टुकड़े हो गए थे। बाद में, दो और मुंडेर-पट्टियां पाई गई हैं जिनमें से एक के कई टुकड़े हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, एक स्तूप के खोल की दो पट्टियां भी पाई गई हैं।

(ग) मूल रूप से स्थल पर पाए गए नौ टुकड़ों में से चार की चोरी हो गई है (एक पूरी मुंडेर-पट्टी, दूसरी मुंडेर-पटटी के दो टुकड़े और तीसरी आधी मुंडेर-पट्टी)।

(घ) जग्गुरू गांव के प्रशासनिक अधिकारी ने चोरी की औपचारिक शिकायत मंडल राजस्व अधिकारी, वीरूंलापाडु मंडल के यहां दर्ज कराई। यद्यपि यह स्थल केन्द्रीय संरक्षित नहीं है, तथापि बाद में संरक्षण सहायक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उप-मंडल, विजयवाड़ा तथा अधीक्षक पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, हैदराबाद मंडल ने चोरी की शिकायतें कृष्णा जिला मछलीपटनम्, आन्ध्र प्रदेश के पुलिस प्राधिकारियों और जिला प्राधिकारियों के यहां दर्ज कराई। इसके अतिरिक्त, देश के अन्तरराष्ट्रीय निर्गम-स्थानों के सीमा-शुल्क विभाग तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सावधान कर दिया गया है।

कपास की खेती

2278. श्री के० प्रधानी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गैर-परम्परागत क्षेत्रों में कपास उगाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की जाने वाली योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) गैर परंपरागत क्षेत्रों में कपास उगाने के लिए अभी तक कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है। फिर भी चावल पट्टी क्षेत्रों में गहन कपास विकास कार्यक्रम के जरिए प्रदर्शनों का आयोजन किया जा रहा है।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-5

2279. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :

श्री शरत पटनायक :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 को चौड़ा करने के लिए कई पेड़ों को काटने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में केन्द्रीय सरकार से कोई स्वीकृति ली गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को इस संबंध में पर्यावरणविदों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) मामले को राज्य सरकार के साथ उठाया गया जिसने यह सूचना दी थी कि पेड़ों की व्यापक अथवा बेतरतीब कटाई नहीं की गई; बल्कि पेड़ों की कटाई को कम से कम करने के लिए पूरी सावधानी बरती गई।

(ग) और (घ) उड़ीसा सरकार ने स्वीकृति हेतु मंत्रालय को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। उन्होंने सूचित किया है कि वृक्ष राजस्व भूमि पर खड़े हैं। इस प्रकार इन वृक्षों को काटने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वानिकी दृष्टि से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होती।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

यात्री सुविधा

2280. श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान यात्री-सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु बजट-कोष का पूर्ण उपयोग नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) और (ख) पिछले पांच वर्षों में धन का अभ्यर्पण स्थल की उपलब्धता में विलंब, ठेकेदारों की विफलता, सामग्री की अनुपलब्धता, मौसम संबंधी कारकों आदि जैसे अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण किया गया था, बहरहाल, 1993-94 में यह सुनिश्चित करने के सभी संभव प्रयास किए गए थे कि योजना शीर्ष-यात्री और अन्य रेल उपयोगकर्ता, सुविधाएं के अंतर्गत कोई अभ्यर्पण न किया जाए और इसके परिणामस्वरूप योजना शीर्ष के अंतर्गत किए गए आवंटन का पूर्णतया उपयोग किया गया था।

[हिन्दी]

चीनी मिल

2281. श्री अमर पाल सिंह : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में मउखास गांव में एक चीनी की मिल स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव काफी समय से केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या ऐसा कोई प्रावधान है जिसके अंतर्गत गन्ने की सघन खेती को ध्यान में रखते हुए गन्ने के मिलों के लगाए जाने में 25 कि॰मी॰ की दूरी कम कर दी जाती है;

(घ) यदि हां तो क्या क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य के मउखास गांव में एक चीनी मिल स्थापित करने के बारे में कोई निर्णय किया है;

(ङ) यदि हां, तो कब तक; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (च) औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग मंत्रालय के माध्यम से मउखास, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में एक नई चीनी फैक्ट्री की स्थापना के लिए 5 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने उपरोक्त स्थान पर एक नई चीनी मिल स्थापित करने की सिफारिश की है।

जांच समिति ने अपनी दिनांक 1.9.1993 को हुई बैठक में इन सभी प्रस्तावों पर विचार किया था। खाद्य मंत्रालय की सिफारिशें/टिप्पणियां लाइसेंसिंग समिति के विचारार्थ उपयोग मंत्रालय को भेज दी गई हैं।

सरकार द्वारा दिनांक 8.11.1991 के प्रेस नोट सं॰ 16 (1991 श्रृंखला) के तहत घोषित लाइसेंस नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार 25 कि॰मी॰ की दूरी के मानदण्ड में, विशेष मामले में जहां न्यायोचित मात्रा में गन्ना उपलब्ध है, 15 कि॰ मी॰ तक की भी छूट दी जा सकती है।

[अनुवाद]

व्यापक वृक्षारोपण कार्यक्रम

2282. श्री एम॰ वी॰ एस॰ मूर्ति :

श्री डी॰ वेंकटेश्वर राव :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 1994-95 के लिए हैदराबाद के जुड़वां शहरों में व्यापक वृक्षारोपण कार्यक्रम हेतु कोई योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी और इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गयी है; और

(घ) यह कार्यक्रम कब तक पूरा हो जायेगा ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) शहरी क्षेत्र के चारों ओर हरित पट्टी विकसित करने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार ने "हैदराबाद हरित पट्टी परियोजना "शुरू की है। राज्य सरकार ने "कॉलोनियों को हरा-भरा बनाओ" के नाम से एक योजना भी स्वीकृत की है।

हैदराबाद नगर निगम का वर्ष 1994 के दौरान शहर के विभिन्न भागों में 4 लाख वृक्ष लगाने का भी कार्यक्रम है।

(ख) भाग (क) में उल्लिखित योजनाओं की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) तथा (घ) हैदराबाद हरित पट्टी परियोजना की कुल परियोजना लागत लगभग 996 लाख रुपए है जिसमें नीदरलैंड रायल सरकार के 751 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी शामिल है। पांच वर्ष की अवधि तक चलने वाली यह परियोजना चालू वित्तीय वर्ष अर्थात 1994-95 में शुरू हो गई है। जुड़वां शहर क्षेत्र में वर्ष 1994-95 के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत हैदराबाद शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) द्वारा 33,000 पौध लगाई जाएगी। अब तक "हुडा" द्वारा 3 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

हैदराबाद नगर निगम द्वारा सितम्बर, 1994 तक 3.50 लाख वृक्ष लगाए जाएंगे और दिसम्बर, 1994 तक "कालोनियों को हरा-भरा बनाओ" योजना के अंतर्गत 50,000 वृक्ष लगाए जाएंगे। हैदराबाद नगर निगम ने इन योजनाओं पर अब तक 22 लाख रुपए खर्च किए हैं।

विवरण

I. हैदराबाद हरित पट्टी परियोजना की मुख्य विशेषताएं

इस योजना का उद्देश्य हैदराबाद के जुड़वां शहरों के क्षेत्रों को हरा-भरा करना है। यह परियोजना हैदराबाद मैट्रो जल आपूर्ति और जलमल बोर्ड तथा स्थानीय गैर-सरकारी एजेंसियों के सहयोग से हैदराबाद शहरी विकास प्राधिकरण तथा आन्ध्र प्रदेश वन विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। परियोजना की अवधि 5 वर्ष अर्थात 1994 से 1999 तक है।

परियोजना की कुल लागत 996 लाख रुपए है जिसमें नीदरलैंड रॉयल सरकार के 751 लाख रुपए भी शामिल हैं।

II. हैदराबाद नगर निगम द्वारा वृक्षारोपण

वृक्ष 1994-95 के दौरान हैदराबाद नगर निगम का शहर के विभिन्न भागों में 4 लाख वृक्ष लगाने का कार्यक्रम है। ये वृक्ष मार्गों कालोनियों, पार्कों, क्रीड़ा-स्थलों, शैक्षिक संस्थाओं, धार्मिक स्थानों में तथा सरकारी भवनों, हस्पतालों आदि के आस-पास लगाए जाएंगे। हैदराबाद नगर निगम लगभग 50,000 पौध नि:शुल्क वितरित करेगा।

III. "कालोनियों को हरा-भरा बनाओ"

राज्य सरकार ने "कालोनियों को हरा-भरा बनाओ" (मेक कालोनीज ग्रीन) नामक एक योजना स्वीकृत की है जिसके अन्तर्गत निवासी संघ (रेजीडेंड एसोसिएशन) को 20 रुपए की रियायती दर पर एक स्टील ट्री गार्ड जिसकी लागत 320 रुपए है, के साथ एक वृक्ष उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजनान्तर्गत वर्ष 1994-95 के दौरान 1.50 करोड़ रुपए की लागत से 50,000 वृक्ष लगाए जाएंगे।

पूर्ना से निजामाबाद लाइन का विस्तार

2283. श्री जी. गंगा रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्ना से निजामाबाद तक बड़ी लाइन का विस्तार करने और निजामाबाद से पेद्दापल्ली तक नई रेल लाइन बिछाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह लाइन कब तक बिछा दी जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हाँ।

(ख) पूर्ना से मुदखेड़ तक के आमान परिवर्तन को 1995-96 में पूरा करने का लक्ष्य है, निजामाबाद से पेद्दापल्ली तक नई लाइन के निर्माण का लक्ष्य नवीं योजनावधि में पूरा करने का है, मुदखेड़-निजामाबाद-बोलारम-सिकन्दराबाद का आमान परिवर्तन भी नवीं योजना में पूरा किए जाने की संभावना है। इस प्रकार पूर्ना से निजामाबाद तक बड़ी लाइन का निर्माण नवीं योजनावधि के दौरान हो जाने की संभावना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दल्ली राजहरा-जगदलपुर रेल लाइन

2284. श्री मानकू राम सोडी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दल्ली-राजहरा-बगदलपुर रेल लाइन के प्रथम चरण हेतु 1994-95 के बजट में कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ख) क्या भिलाई इस्पात सयंत्र (सेल) प्रथम चरण में होने वाले व्यय में अपना 175 करोड़ रुपये का हिस्सा देने के लिये सहमत हो गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस राशि का उपयोग भूमि के अधिग्रहण और दोनों तरफ पथ-संरेखण कार्य करने में किया जायेगा; और

(घ) यह कार्य कब शुरू हो जायेगा और भूमि-अधिग्रहण और दोनों तरफ पथ-संरेखण कार्य में कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) अभी कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) मैसर्स सेल ने दल्ली राजहरा-रोघाट (95 कि॰ मी॰) के बीच निर्माण की वास्तविक लागत वहन करने का प्रस्ताव किया है जिसमें मुद्रास्फीति के कारण लागत में होने वाली वृद्धि, यदि कोई हो, भी शामिल है। इसके अलावा, वेरोघाट जगदलपुर लाइन के निर्माण की लागत के लिए 50 करोड़ रुपए की एक मुश्त राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हो गए हैं। कार्य स्वीकृत हो जाने पर भूमि के अधिग्रहण सहित लाइन के निर्माण के लिए इस प्रस्ताव का लाभ उठाया जाएगा।

(घ) यह कार्य योजना आयोग का कार्य शुरू करने के लिए अनुमोदन प्राप्त हो जाने तथा इस कार्य को संसद द्वारा वास्तव में अनुमोदित कर दिये जाने के बाद स्वीकृत किया जाएगा।

[अनुवाद]

बाघ के संबंध में विशेष प्रकोष्ठ

2285. **श्री जितेन्द्र नाथ दास :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास बाघों के संरक्षण के विभिन्न पहलुओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु कोई विशेष प्रकोष्ठ है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रकोष्ठ के गठन का समय क्या है तथा इसके कार्य क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्री की अध्यक्षता में एक बाघ संकट सेल बनाया गया है जिसमें सदस्यों के रूप में 6 वन्य जीव विशेषज्ञ और सदस्य सचिव के रूप में निदेशक, बाघ परियोजना शामिल हैं। सदस्यगण बाघ की स्थिति और उसेक सामने आ रहे संकट के बारे में उपलब्ध सूचना को एकत्र एवं उसका मिलान करेंगे और न केवल संरक्षित क्षेत्रों में बल्कि जहां जहां यह प्रजाति पाई जाती है, उन क्षेत्रों में भी बाघ के उचित प्रबंध के लिए किए जाने वाले उपायों का सुझाव देंगे। वे दिए गए सुझावों के क्रियान्वयन की निगरानी करेंगे और निष्कर्षों के बारे में अध्यक्ष को रिपोर्ट भी देंगे।

[हिन्दी]

रेल कूपनों का दुरुपयोग

2286. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**

श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

डा॰ रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विधान सभा सदस्यों (एम॰एल॰ए॰) को जारी किए जाने वाले रेल कूपनों की देश में खुले बाजार में बिक्री की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष है; और

(घ) सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) से (घ) खुले बाजार में रेल यात्रा कूपनों का बिक्री का कोई मामला नोटिस में नहीं आया है। तथापि, मध्य रेलवे पर चार यात्री विधान सभा/विधान परिषद सदस्यों के कूपनों पर यात्रा करते हुए पकड़े गए हैं। उन्हें उपयुक्त टिकट के बिना यात्रा करते हुए समझा गया और उन से रेलवे को देय राशि और जुर्माना वसूल किया गया। रेलवे कूपनों के दुरुपयोग के बारे में सचिव, विधान सभा लखनऊ को भी सूचित किया गया है।

[अनुवाद]

छितौनी-बगहा रेल परियोजना

2287. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 168 करोड़ रुपयों के अनुमानित लागत पर 1974-75 में छितौनी-बगहा रेल परियोजना को स्वीकृति दी गयी थी;

(ख) क्या इस पर 128 करोड़ रुपये पहले ही खर्च किये जा चुके हैं;

(ग) इस परियोजना का कितना प्रतिशत काम पूरा हो चुका है तथा इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस परियोजना का काम कब तक पूरा हो जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) 6.74 करोड़ रु॰ की लागत पर 1974-75 में अनुमोदित इस परियोजना की नवीनतम स्वीकृत लागत 164.09 करोड़ रु॰ है।

(ख) जी हां।

(ग) 80 प्रतिशत जहां तक रेलवे पुल के निर्माण का संबंध है, कोई विलंब नहीं हुआ है।

(घ) 1995-96 तक सिवाय सड़क अधिरचना के।

[हिन्दी]

कोडरमा-हजारीबाग को रेललाइन द्वारा जोड़ा जाना

2288. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हजारीबाग जिले और सर्किल मुख्यालय (बिहार) को रेल लाइन से जोड़ने के लिए कोडरमा से हजारीबाग तक के सर्वेक्षण संबंधी कोई योजना तैयार की है;

(ख) क्या सर्वेक्षण कार्य शुरू हो गया है;

(ग) यदि हां, तो यह कब तक पूरा कर लिया जायेगा; और

(घ) क्या आठवीं योजना के दौरान हजारीबाग को रेल से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) और (ख) जी नहीं। बहरहाल, हजारीबाग के रास्ते रांची से गया तक एक नई लाइन के लिए सर्वेक्षण शुरू किया गया है।

(ग) 31.3.95 तक।

(घ) यह सर्वेक्षण के परिणामों तथा आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

पैलेस-आन-व्हील्स सेवा

2289. श्री अनंतराव देशमुख : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार देश के अन्य क्षेत्रों में भी "पैलेस-आन व्हील्स" सेवा आरम्भ करने का है; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान रेलवे को उक्त सेवा पर व्यय की तुलना में कितना वास्तविक लाभ हुआ ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) और (ख) पैलेस-आन व्हील्स के परिचालन पर इसके अनुरक्षण सहित हुए खर्च तथा इससे रेलों को हुए लाभ का ब्यौरा इस प्रकार है :–

वर्ष	खर्च	लाभ (लाख रुपयों में)
1992-93	302.59	195.01
1993-94	363.58	117.04

पूर्वोत्तर राज्यों में स्थल संग्रहालय

2290. श्री प्रबीन डेका : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का कोई स्थल संग्रहालय नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उपरोक्त राज्यों में ऐसे संग्रहालय स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) पूर्वोत्तर राज्यों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कोई स्थल संग्रहालय नहीं है।

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उन महत्वपूर्ण पुरातत्वीय स्थलों पर स्थल/संग्रहालय स्थापित किए जाते हैं, जहाँ से पुरा-वस्तुएं या तो खुदाई के दौरान पाई जाती हैं, जिनमें खुली मूर्तियां और उत्कृष्ट ऐतिहासिक कलात्मक एवं पुरातत्वीय महत्व की उत्कीर्ण संरचनात्मक सामग्री शामिल होती हैं, अथवा उस स्थान से एकत्र की जाती हैं। चूंकि पूर्वोत्तर राज्यों के ऐसे किसी स्थल से अभी तक उत्कृष्ट महत्व की कोई पुरा-वस्तु प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इन राज्यों में कोई स्थल संग्रहालय स्थापित नहीं किया गया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गोरखपुर-गोंडा रेल लाइन का आमान परिवर्तन

2291. श्री रामपाल सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में उत्तर-पूर्व रेलवे के गोरखपुर-गोंडा छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की कोई मांग है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब शुरू किया जाएगा;

(ग) क्या उन्होंने इस कार्य को कार्ययोजना के प्रथम चरण में शामिल करने का स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया है; और

(घ) प्रथम चरण को कब से कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां।

(ख) इस कार्य को 9वीं योजना में पूरा करने की योजना है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

(ग) इस कार्य को कार्य योजना के पहले चरण में शामिल किया गया है।

(घ) 8वीं तथा 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान।

वृक्षारोपण कार्य

2292. श्री तेज नारायण सिंह : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न वृक्षारोपण कार्यों तथा पूरक वृक्षारोपण कार्यों पर निगरानी रखने हेतु विभाग की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितने पौधे लगाए गए तथा उनमें कितने पौधे बचे हुए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण और वृक्षारोपण की देशव्यापी प्रगति पर पर्यावरण और वन मंत्रालय में स्थित राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड तथा भारत सरकार के योजना और कार्यक्रम कार्यान्वन मंत्रालय द्वारा निगरानी रखी जाती है। राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड स्वतंत्र एजेंसियों और विशेषज्ञों द्वारा देश के चयनित जिलों में नमूना जांच भी कराता है। पूरक वृक्षारोपण कार्यों पर पर्यावरण और वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निगरानी रखी जाती है। विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर धनदाता एजेंसियां भी निगरानी रखती हैं।

राज्य/संघ शासित प्रदेश स्तर पर वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलापों पर निगरानी रखने के लिए राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों की अपनी-अपनी व्यवस्थाएं हैं।

(ख) गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों की स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा किए गए वनीकरण कार्यकलापों के अध्ययनों तथा मूल्यांकनों से पता चलता है कि स्थान-वार और प्रजाति-वार भिन्नता को देखते हुए समग्र जीवितता दर 55% से 80% तक रही। वर्ष 1991-92 के दौरान चलाए गए वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलापों को जिला/तालुक-वार सूचना का ब्यौरा संकलित कर लिया गया है और 30 राज्यों व संघ शासित प्रदेशों की कम्प्यूटरीकृत रिपोर्ट संसद के पुस्तकालय में रख दी गई है। वर्ष 1991-92 के दौरान चलाए गए वृक्षारोपण कार्यों की एक नमूना जांच देश के 48 चयनित जिलों में की गई। इस नमूना जांच के परिणाम संलग्न पर विवरण-I में दिए गए हैं। वर्ष 1992-93 के दौरान 50 चयनित जिलों में चलाए गए वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलापों की नमूना जांच की जा रही है। नमूना जांच के लिए इस प्रकार चयनित जिले संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

वर्ष 1991-92 के दौरान किए गए वृक्षारोपण के संबंध में स्वतंत्र विशेषज्ञों/एजेंसियों द्वारा किए गए जीवितता दर अध्ययनों के परिणाम

क्र. सं.	जिले का नाम	औसत जीवितता दर प्रतिशत*
1	2	3
1.	पश्चिम त्रिपुरा	70.6%
2.	पश्चिम कामांग	80.3%
3.	पश्चिम खासी पहाड़ियां	65.8%
4.	मेहसाना	70.0% और उससे अधिक
5.	कोरापुट	85.0%–90.0%
6.	मण्डी	78.34%
7.	अल्वर	88.22%
8.	संगरूर	86.4%
9.	जालौन	82.85%
10.	बरेली	74.25%
11.	सरगुजा	75.48%
12.	जोरहाट	40.0%–50.0%
13.	मोकोकचुंग	80.0%–90.0%
14.	मणिपुर	70.0%–80.0%
15.	बहराइच	85.2%
16.	चन्द्रपुर	64.5%
17.	छिंदवाड़ा	61.3%
18.	कपूरथला	91.7%
19.	मिदनापुर	49.2%
20.	नादिया	79.6%
21.	सम्बलपुर	81.4%
22.	दक्षिण सिक्किम	50.6%

23.	मेडक	62.8%
24.	गोवा	68.0%
25.	इडुकी	71.78%
26.	कासरगोड	84.83%
27.	जलगांव	77.71%
28.	तंजावर	81.2%
29.	पूर्वी गोदावरी	68.28%
30.	कछुआ	62.17%
31.	कोलार	70%-90%
32.	बस्तर	82.07%
33.	पौड़ी गढ़वाल	77.72%
34.	जामनगर	70.0% और उससे अधिक
35.	बाड़मेर	72.0%
36.	मंदसौर	51.43%
37.	चुरू	72% से 87%
38.	डूंगरपुर	65 % से 85%
39.	भिवानी	60 % से 98%
40.	नैल्लौर	82.7%
41.	नीलगिरि	70.% से 90%
42.	गुलबर्ग	22%
43.	मंगलौर (द० कन्नड़)	87%
44.	धर्मपुरी	69%

*-प्रजातिवार/स्थान-वार भिन्नता के आधार पर

विवरण-II

वर्ष 1992-93 के दौरान विशेषज्ञों/स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा नमूना जांच करने के लिए प्रस्तावित पहचाने गए जिलों की सूची

क्र० सं०	राज्य का नाम	जिलों के नाम	जिलों की कुल संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	कुड्डपा, खम्माम, महबूबनगर	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	पश्चिम सिआंग	1
3.	असम	ऑगलॉंग, कार्बी	1
4.	बिहार	पश्चिम चम्पारन, सिंहभूम	2
5.	गुजरात	भड़ौच, जूनागढ़	2
6.	हरियाणा	अम्बाला, रोहतक	2
7.	हिमाचल प्रदेश	चम्बा, सिरमौर	2
8.	जम्मू और कश्मीर	ऊधमपुर	1
9.	कर्नाटक	बेलगांव, बेल्लैरी, शिमोगा	3
10.	केरल	क्यूलैन, त्रिचूर	2
11.	मध्य प्रदेश	बिलासपुर, होशंगाबाद, शाहड़ोला, शिवपुरी	4
12.	महाराष्ट्र	अमरावती, बांद्रा, धूले, कोल्हापुर	4
13.	मणिपुर	मणिपुर पश्चिम	1
14.	मेघालय	पूर्वी खासी पहाड़ियां	1
15.	मिजोरम	ऐजवाल	1
16.	नागालैंड	कोहिमा	1
17.	उड़ीसा	फूलबनी, ढेंकनाल, सुन्दगढ़	3
18.	पंजाब	भटिंडा, होशियारपुर	2
19.	राजस्थान	बीकानेर, उदयपुर, बरन	3
20.	सिक्किम	पश्चिम सिक्किम	1
21.	तमिलनाडु	उ० आरकोट, सलेम, पेरियार	3
22.	त्रिपुरा	उ० त्रिपुरा	1
23.	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर, मिर्जापुर, पिथौड़ागढ़ उत्तर काशी	4
24.	पश्चिम बंगाल	जलपाइगुड़ी, पुरूलिया	2
		योग	50

[अनुवाद]

सिल्चर से डिब्रूगढ़ तक सीधी रेल सेवा

2293. श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिल्चर से डिब्रूगढ़ तक तथा डिब्रूगढ़ से सिल्चर तक सीधी रेल सेवा शुरू करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हाँ।

(ख) जांच की गई लेकिन फिलहाल व्यावहारिक नहीं पाया गया।

रेल लाइन का बढ़ाया जाना

2294. डा॰ बहादुर रावल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दोहरी रेल लाइन को मुरादनगर से सहारनपुर तक बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है;

(ग) इस लाइन पर निर्माण कार्य कब तक आरम्भ कर दिया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) से (घ) मुरादनगर-मेरठ सिटी खंड के दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण शुरू करने का प्रस्ताव है, सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने के बाद ही परियोजना पर आगे विचार करना संभव हो सकेगा।

जायफल की खेती

2295. श्री पी॰ सी॰ थॉमस : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जायफल के मूल्य में आई गिरावट के कारण इसकी खेती प्रभावित हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) ऐसी कोई विशिष्ट रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है जिससे यह जाहिर हो कि जायफल के मूल्य में आई गिरावट के कारण इसकी खेती पर बुरा प्रभाव पड़ा है।

(ख) आठवीं योजना के दौरान, भारत सरकार मसालों के समेकित विकास के लिये एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना चला रही है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को जायफल की अच्छी किस्मों की ऊलागों के लिए आर्थिक सहायता देकर तथा किसानों के खेतों में जायफल के प्रदर्शन प्लाटों की स्थापना करके किसानों की मदद की जा रही है। जिससे कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करके जायफल की वैज्ञानिक खेती को लोकप्रिय बनाया जा सके। मूल्यों में गिरावट आने की स्थिति में किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने में सहायता करने के लिए भारत सरकार मण्डी हस्तक्षेप योजना भी चला रही है। इसके लिये राज्य सरकारों के लिये यह जरूरी हो जाता है कि

वे योजना में दिये गये दिशा निर्देशों के साथ विस्तृत प्रस्ताव भेजें तथा साथ ही साथ किसी भी हानि की दशा में उसका 50% वहन करने और राज्य नामित एजेन्सी की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सहमत हों।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम में ठेका प्रणाली

2296. श्री राम विलास पासवान : क्या खाद्य मंत्री 26 जुलाई, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 334 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में ठेका प्रणाली अभी भी कायम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से इस प्रथा को पूर्ण रूप से कब तक समाप्त करने का विचार है ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) श्रम मंत्रालय, जो भारतीय खाद्य निगम में ठेका श्रमिकों के रोज़गार का निषेध करने के लिए ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 के अधीन एक उपयुक्त प्राधिकरण है, ने अब तक भारतीय खाद्य निगम के 193 केन्द्र अधिसूचित किए हैं जिनमें ठेका श्रमिकों के रोज़गार का निषेध किया गया है। इनमें से 78 केन्द्रों में ठेका श्रम प्रणाली समाप्त की जा चुकी है। शेष केन्द्र विभागीयकरण/ठेका श्रम प्रणाली को समाप्त करने के मानदण्डों को पूरा नहीं करते हैं और उनके नाम श्रम मंत्रालय को अनुसूचित करने के लिए वापस भेज दिए गए हैं।

मौसमी/विरामी/स्वरूप के परिचालनों की दृष्टि में भारतीय खाद्य निगम के अधिकांश डिपुओं में कार्यभार दिन-प्रतिदिन और मास-प्रतिमास भिन्न-भिन्न होता है। अत: भारतीय खाद्य निगम के कई डिपुओं में विधि के अधीन ठेका प्रणाली जारी है क्योंकि इससे भारतीय खाद्य निगम को अपने परिचालनों में लचीलापन लाने में मदद मिलती है।

[अनुवाद]

तम्बाकू में मिलावट

2297. डा० महादीपक सिंह शाक्य : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में पैदा की जाने वाली तम्बाकू में कुछ हानिकारक रसायनों की मिलावट करने के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इस मिलावट पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) तम्बाकू में हानिकारक रसायनों की मिलावट के संबंध में इस मंत्रालय में अब तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

फार्मासिस्टों का नियमित करना

2298. श्री पंकज चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी में डिवीजनल अस्पताल में लंबे समय से कार्यरत अस्थाई फार्मासिस्टों की सेवाएं अब तक नियमित नहीं की गयी हैं;

(ख) क्या इन फार्मासिस्टों को उल्लेखनीय सेवा के लिए सामूहिक नकद पुरस्कार दिये गये थे और उन्होंने "फार्मासिस्टों के लिए सेवा में रहते हुए प्रशिक्षण" का विशेष पाठ्यक्रम भी उत्तीर्ण किया है;

(ग) यदि हां, तो इन फार्मासिस्टों को कब तक नियमित कर दिया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

गंगा कार्य योजना

2299. श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष गंगा कार्य योजना के अंतर्गत कुछ राज्यों को प्रतिवर्ष कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) क्या इस केन्द्रीय सहायता की केन्द्रीय स्तर पर कोई निगरानी की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके उपयोग संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या संबंधित राज्यों ने अब तक पानी की गुणवत्ता में सुधार हेतु कोई प्रगति की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) पिछले 3 वर्षों में गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता का विवरण निम्नलिखित है :

(लाख रुपए में)

वर्ष	उत्तर प्रदेश	बिहार	पश्चिम बंगाल
1993-94	2440	442	1548
1992-93	2289	779	2148
1991-92	1845	340	2596

(ख) और (ग) जी, हां। कार्यों की प्रगति एवं उन पर लगे खर्च की नियमित निगरानी का कार्य केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण की संचालन समिति द्वारा किया जाता है। पिछले 3 वर्षों में राज्य सरकारों द्वारा किए गए खर्च का विवरण निम्नलिखित है :

(लाख रुपए में)

वर्ष	उत्तर प्रदेश	बिहार	पश्चिम बंगाल
1993-94	1999	369	1758
1992-93	2340	583	2662
1991-92	2046	404	2549

(घ) से (च) गंगा कार्य योजना के कार्यों का मूल्यांकन, रूड़की, पटना और जादवपुर विश्वविद्यालयों तथा मोती लाल नेहरू इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद से लिए गए विशेषज्ञों द्वारा, कराया गया था। इस मूल्यांकन से यह पता चलता है कि गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत विभिन्न स्कीमों के क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल इन तीनों राज्यों में, कानपुर को छोड़कर, गंगा नदी की जल गुणवत्ता में सुधार हुआ है, जहाँ पर नगर की कुल आबादी के केवल आधे भाग को शामिल करने के लिए अवरोधन एवं दिशा-परिवर्तन कार्यों को हाथ में लिया गया है। कानपुर नगर में शेष कार्यों को गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण में किए जाने का प्रस्ताव है।

बदरपुर रेलवे जंक्शन, असम का दर्जा बढ़ाना

2300. श्री द्वारका नाथ दास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में करीमगंज जिले में बदरपुर रेलवे जंक्शन का दर्जा बढ़ाकर रेल डिवीजन किया जाएगा;

(ख) क्या 1994-95 के रेल बजट में इस कार्य के लिए कोई प्रावधान किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ) : (क) से (ग) चूंकि फिलहाल बदरपुर में किसी मंडल रेल मुख्यालय की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, इसलिए 1994-95 के रेल बजट में इस कार्य के लिए, कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बहरहाल, मंडलों के सृजन/पुनर्गठन से संबंधित मामले, का अध्ययन किया जा रहा है तथा उसकी जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

सकोटी रेल फाटक पर ऊपरी पुल

2301. श्री एन० के० बालियान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मेरठ जिले के सखोती रेल फाटक पर ऊपरी पुल बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माण कब तक कर दिया जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेलमार्ग

2302. डा० अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अहमदाबाद-बड़ौदा और सूरत से होकर राजकोट से मुम्बई के बीच भारी यातायात को देखते हुए तीसरे रेलमार्ग को आरम्भ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना को आरम्भ करने हेतु बजट में कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है; और

(ग) इसे कब तक पूरा किए जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) सर्वेक्षण शुरू किया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट पूरी हो जाने तथा इसके उपलब्ध हो जाने पर ही परियोजना पर आगे विचार करना संभव हो सकेगा।

नए वैगनों का आवंटन

2303. डा० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेलवे मंडलों को नए वैगनों के आवंटन की क्या प्रणाली है;

(ख) वर्ष 1992-93, 1993-94 और जून, 1994 तक प्रत्येक मंडल को कितने नए वैगन आवंटित किए गए;

(ग) क्या सभी मंडलों की मांग पूरी कर दी गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) पूर्व मांग की पूर्ति हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) विभिन्न क्षेत्रीय रेलों को नये माल डिब्बों का आवंटन, निर्धारित लक्ष्य के अनुसार माल यातायात की ढुलाई और संचलन की आवश्यकता तथा उनके माल डिब्बों के मौजूदा स्वामित्व को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

(ख) 1992-93, 1993-94, 1994-95 (जून 1994 तक) के दौरान माल डिब्बों का क्षेत्रवार आबंटन इस प्रकार है :–

	1992-93	1993-94	1994-95 (जून 1994 तक)
मध्य	2907.5	717.5	1413.5
पूर्व	898.5	635	2442.5
उत्तर	315	35	–
पूर्वोत्तर	180	–	–
पूर्वोत्तर सीमा	3535	1353	–
दक्षिण	102	–	–
दक्षिण मध्य	4145	2772.5	1785
दक्षिण पूर्व	19534	7892.5	1025
पश्चिम	500	–	–

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गुजरात में हिन्दी प्रशिक्षण केन्द्र

2304. डा० के० डी० जेस्वाणी : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार निकट भविष्य में गुजरात में हिन्दी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो वे कब तक स्थापित किये जायेंगे और उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां ऐसे केन्द्र स्थापित किये जायेंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद में हिन्दी शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की सुविधा विद्यमान है। गुजरात के शिक्षकों सहित सभी शिक्षक केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा द्वारा चलाए जाने वाले हिन्दी शिक्षण पारंगत पत्राचार पाठ्यक्रम की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं। राजभाषा विभाग, भारत सरकार भी अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत और भावनगर, पारा स्थित अपने प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों/उपक्रमों और स्वायत्व निकायों के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य हिन्दी प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है।

नेशनल फिशरीज जेनेटिक प्रोसेसिंग ब्यूरो

2305. श्री राम पूजन पटेल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद में नेशनल फिशरीज जेनेटिक प्रोसेसिंग ब्यूरो स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ब्यूरो ने अब तक क्या कार्य किये हैं;

(ग) क्या सरकार का इसे दूसरे जगह स्थानांतरित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) ब्यूरो को स्थानांतरित करने पर आने वाले खर्च का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार के इस निर्णय के खिलाफ किसी ने कोई आपत्ति की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) राष्ट्रीय मात्स्यकी आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो पहले पहल इलाहाबाद में स्थापित किया गया था और बाद में लखनऊ में स्थापित कर दिया गया।

(ख) ब्यूरो ने मछली की महत्वपूर्ण प्रजातियों के मत्स्य शुक्राणुओं को निम्नताप पर सुरक्षित रखने, मछली की प्रमुख प्रजातियों के आनुवंशिक गुण विश्लेषण, पुमणु-जनन (एण्ड्रोजेनेसिस) और लिंग परिवर्तन (सैक्स रिवर्सल) की तकनीकों के विकास पर कार्य किया है। मत्स्य जनन द्रव्य और संकटापन्न मत्स्य प्रजातियों की सूची बनाने का भी कार्य किया गया है।

(ग) ब्यूरो लखनऊ में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

(घ) लखनऊ में जो स्थान हैं वह संगठनात्मक एवं तकनीकी रूप से ज्यादा उपयुक्त हैं।

(ङ) ब्यूरो को स्थानान्तरित करने पर हुआ खर्च निम्नानुसार है :-

		(रू. लाख में)
1.	उपस्करों को पैक करने व लाने-लेजाने में	-2.50
2.	उपस्करों का बीमा कराने में	-0.50
3.	कर्मचारियों के स्थानान्तरण एवं यात्रा भत्ता के अग्रिम पर	-2.27
4.	अन्य फुटकर खर्च	-0.34
	कुल	-5.61

(च) जी, हां।

(छ) ब्यूरो के कुछ कर्मचारियों ने और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने ब्यूरो के स्थानान्तरण के इस

निर्णय के सिरोध में प्रतिवेदन दिया है। मछुआरों के कुछ नेताओं ने इनके खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।

लखनऊ में स्थान की तकनीकी एवं संगठनात्मक रूप से श्रेष्ठता को ध्यान में रखते हुए परिषद ने ब्यूरो को इलाहाबाद से लखनऊ में स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया है। ऐसा मात्सकी अनुसंधान के हितों को ध्यान में रखकर किया गया है।

[अनुवाद]

केरल में मत्स्य बन्दरगाह

2306. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने मोपला खाड़ी, केन्नानोर और चोम्बल मत्स्यकी बन्दरगाह, कालिकट के निर्माण हेतु आबंटित पूरी धनराशि का उपयोग कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) मोपला खाड़ी (जिला कन्नानोर) और चोंबल (जिला कालीकट) स्थित मत्स्यन बन्दरगाहें जनवरी, 1992 में क्रमश: 564 लाख तथा 556 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर स्वीकृत की गई थी। इन दोनों परियोजनाओं की पूरी होने की अवधि स्वीकृति की तारीख से चार वर्ष है। 31 मार्च, 1994 तक इन परियोजनाओं के लिये क्रमश: 53.07 लाख रुपये तथा 86.13 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

उत्तर सीमान्त रेलवे के सवारी डिब्बे

2307. श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर सीमान्त रेलवे द्वारा प्रत्येक श्रेणी में यात्री डिब्बों की सख्या के संबंध में कोई रिकार्ड रखा जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अन्य जोनल रेलवे से कितनी सवारी डिब्बे किराये पर लिये गये हैं;

(घ) क्या कुछ सवारी डिब्बों को उनकी अवधि समाप्त होने पर भी उपयोग में लाया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन सवारी डिब्बों का उपयोग कर रहे यात्रियों के लिए क्या सुरक्षोपाय किये गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) और (ख) जी हां, 1.8.94 को पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के पास यात्री वाहक वाहनों (पी सी वी) की टाइप वार संख्या इस प्रकार है :–

टाइप	बड़ी लाइन	मीटर लाइन	कुल
वातानुकूल-2 टियर शयनयान	28	10	38
वातानुकूल कुर्सीयान	2	–	2
पहला दर्जा	42	31	73
2/3 टियर दूसरा दर्जा शयनयान	240	201	441
जी एस/दिन में चलाए जाने वाले सवारी डिब्बे	215	322	537
एस एल आर	85	155	240
डाक	2	25	25
कुल	614	742	1356

(ग) एक रेलवे से दूसरी रेलवे पर सवारी डिब्बे किराए पर लेने की कोई प्रणाली नहीं है।

(घ) और (ङ) सवारी डिब्बे आयु-एवं हालत के आधार पर नाकारा किए जाते हैं। केवल उन्हीं सवारी डिब्बों को सेवा में बनाए रखने का अनुमति दी जाती है जो चलाये जाने के लिए सुरक्षित हों तथा जिनमें निर्धारित सुविधाएं उपलब्ध हों। कुछ सवारी डिब्बों को उनकी जीवट आयु के बाद भी उपयोग में लाया जा रहा है क्योंकि वे अभी भी सेवा के योग्य हैं। 1.8.94 को बड़ी लाइन के 4 (0.6%) तथा मी० ला० के 40 [कुल संख्या की तुलना में पी सी वी एस 5.5%] सवारी डिब्बे जीवट आयु के बाद भी सेवा में हैं।

(च) कारखानों में सवारी डिब्बों ओवरहालिंग के अलावा, उनके प्राथमिक तथा गौण अनुरक्षण के दौरान नियमित जांच की जाती है ताकि उन्हें यात्री यातायात के योग्य बनाये रखा जा सके।

मुफ्त रेल पास

2308. प्रो० सावित्री लक्ष्मणन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे ने गत तीन वर्षों के दौरान जोन-वार अपने कर्मचारियों को सभी श्रेणियों में कितने मुफ्त रेल पास और पी०टी०ओ० जारी किये हैं;

(ख) क्या ये आंकड़े वार्षिक आधार पर रेलवे की वार्षिक रिपोर्ट में नहीं दर्शाए जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफ़र शरीफ़) : (क) से (ग) विभिन्न कोटियों के बड़ी संख्या में सेवारत/सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को पास/पी०टी०ओ० जारी करने का कार्य देश के सभी भागों में सेवारत/रह रहे रेल कर्मचारियों की सुविधा के लिए विकेन्द्रित किया गया है। ये पास सभी भारतीय रेलों पर विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों, उत्पादन इकाइयों और देशभर में फैली अन्य रेलवे स्थापनाओं द्वारा जारी किए जाते हैं, अत: जारी किए गए

पास/पी०टी०ओ० की कुल संख्या या विभिन्न रेलवे इकाइयों के कर्मचारियों द्वारा उनके वास्तविक उपयोग से संबंधित समेकित रिकार्ड एक स्थान पर नहीं रखा जाता है। अत: वार्षिक रिपोर्टों में ये आंकड़े देना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

खाद्य और कृषि संगठन से सहायता

2309. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**

श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य और कृषि संगठन ने खाद्य आपूर्ति पर गैट समझौता के प्रभाव के संबंध में कोई विचार व्यक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार ने खाद्य और कृषि संगठन की रिपोर्ट पर गंभीरता से विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या खाद्य और कृषि संगठन गरीब देशों को विशेष सहायता देने पर सहमत हुआ है; और

(च) यदि हां, तो भारत को उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) खाद्य एवं कृषि संगठन ने अपने दस्तावेज नामत: उरूग्वे राउण्ड एग्रीमेंट एप्रिलिमिनरी एसेसमेंट में अपना यह विचार व्यक्त किया है कि कृषि व्यापार उदारीकरण और निर्यात राजसहायता में कमी करने से खाद्य पदार्थों के विश्व मूल्यों में वृद्धि हो सकती है। वैसे, ऐसे देशों में, जिनमें लागत कम है तथा राजसहायता नहीं दी जाती है, उत्पादन में इस हद तक वृद्धि होने की आशा है कि कृषि जिंसों के उच्चतर विश्व बाजार मूल्य इन देशों के उत्पादकों को प्राप्त होंगे। विकसित देशों में समगत: कृषि उत्पादन में कमी से विकासशील देशों में कृषि कार्यकलापों में तेजी लाने में भी मदद मिलेगी।

(ग) और (घ) मैराकोश में गैट-समझौता को अन्तिम रूप दिए जाने के पहले ही खाद्य एवं कृषि संगठन का दस्तावेज जारी किया गया था तथा यह केवल एक प्रारंभिक मूल्यांकन के रूप में है। चूंकि, खाद्य एवं कृषि संगठन अभी भी उक्त समझौते के प्रभाव की समीक्षा कर रहा है, अत: इस दस्तावेज पर सरकार द्वारा विचार नहीं किया गया है।

(ङ) से (च) खाद्य और कृषि संगठन सदस्य देशों को अनुरोध करने पर नीतियों के निरूपण, नीति विकल्पों के विकास, खाद्य सहायता जुटाने, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिये तकनीकी सहायता के लिये सहायता प्रदान करता है।

भारत खाद्य और कृषि संगठन का एक महत्वपूर्ण सदस्य होने के नाते आवश्यकता पड़ने पर ऐसी सहायता पाने का पात्र है।

टिड्डी निवारण निधि

2310. **श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में गैर सरकारी अनुबंधित जहाजों और वायुदूत सेवाओं की सहायता से टिड्डियों के प्रकोप से बचने के लिए टिड्डी निवारण बन्दोबस्त की स्थापना के लिए तीन करोड़ रुपयों का आवंटन किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) सरकार ने टिड्डियों के प्रकोप से बचने के लिए टिड्डी निवारण बन्दोबस्त के सुदृढ़ीकरण के वास्ते आठवीं योजना (1992-97) के दौरान 3.0 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। 1993-94 के टिड्डी आक्रमण के दौरान, वायुदूत तथा गैर सरकारी अनुबन्धित हेलीकॉप्टरों की सेवाएं ली गई।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

नेरूल-माथेरान रेल सेवा

2311. **श्री मोहन रावले** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेरूल-माथेरान रेल सेवा के बार-बार बंद होने के कारण पर्यटकों को बड़ी असुविधा होती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस लाइन पर नियमित रेल सेवा सुनिश्चित करने हेतु पुराने डीजल इंजनों के स्थान पर नए डीजल इंजन चलाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) मानसून मौसम के दौरान, खंड को बंद करने के अलावा, रेल इंजनों की गतायु हालत तथा उनके उपलब्ध न होने के कारण भी रद्दकरण किया गया है।

(ग) और (घ) नए इंजनों की खरीद के लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय शैक्षणिक सेवा

2312. **श्री जगमीत सिंह बरार** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में सिविल सेवाओं के समान भारतीय शैक्षणिक सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों के विचार आमंत्रित किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) (क) से (ग) और (घ) कार्रवाई योजना (पी०ओ०ए०) 1992 में शिक्षा के प्रबन्ध पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की ओर एक आवश्यक कदम के तौर पर भारतीय शिक्षा सेवा (आई० ई० एस०) की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि इस सेवा के मौलिक सिद्धांतों और भर्ती की प्रक्रियाओं पर कार्यों के संबंध में निर्णय राज्य सरकारों के परामर्श से लिया जाना चाहिए। तदनुसार राज्यों से भारतीय शिक्षा सेवा के गठन पर अपनी विस्तृत टिप्पणियां भेजने का अनुरोध किया है। अब तक केवल गोवा और कर्नाटक की ही टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं।

बोकारो से हावड़ा के लिए सीधी रेल सेवा

2313. श्री बसुदेव आचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरूलिया–आदरा से होकर बोकारो से हावड़ा तक कोई सीधी एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उपभोक्ता जागरूकता पर विचार गोष्ठी

2314. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

श्री बापू हरि चौरे :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय उपभोक्ता संगठन संघ द्वारा हाल ही में उपभोक्ता जागरूकता के संबंध में एक गोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस गोष्ठी में क्या सुझाव दिए गए हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) भारतीय उपभोक्ता संगठन संघ (इंडियन फेडरेशन ऑफ कंज्यूमर आर्गेनाइजेशन) में उपभोक्ता जागरूकता के बारे में 15 जुलाई, 1994 को नई दिल्ली में एक संगोष्ठी का आयोजन किया था। संगोष्ठी में दिए गए मुख्य सुझाव हैं : विद्यालयों में उपभोक्ता शिक्षा को शामिल करना; दिल्ली में और जिला मंचों की स्थापना करना; उपभोक्ता संगठनों को उपभोक्ता आन्दोलन को गांवों तक पहुंचाने के लिए सुविधाएं प्रदान करना, आदि।

(ग) सरकार इन सुझावों का स्वागत करती है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

2315. श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयों में प्रति छात्र किये जा रहे व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या व्यय को उचित सीमा में रखने की दृष्टि से सरकार का विचार वर्तमान शुल्क ढांचे और व्यय की पुनरीक्षा करने का है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार वर्ष 1993-94 के दौरान प्रति विद्यार्थी खर्च 45,592 रू. हुआ।

(ख) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय ने पुन्नय्या समिति की सिफारिशों की जांच करने के लिए प्रो. आर. राजारमण की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। राजारमण समिति ने आय वृद्धि, शुल्क ढांचे, व्यय मानदण्डों इत्यादि सहित वित्तीय तथा शैक्षिक मानदण्डों की विस्तृत जांच की है। राजारमण समिति की रिपोर्ट जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के विचाराधीन है।

तमिलनाडु में वनों का विकास

2316. श्री ए. अशोकराज : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में वनों के विकास के लिए केन्द्रीय और विदेशी सहायता से शुरू की गई परियोजनाओं का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में अब तक की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत कितनी सहायता राशि उपलब्ध करायी गई ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) तमिलनाडु में वनों के विकास के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान चलाई जा रही केन्द्रीय क्षेत्र की और केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजना स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर विवरण में दिया गया है।

राज्य में वर्ष 1988-89 के दौरान स्वीडिश इण्टरनैशनल डेवलपमेंट एजेंसी (सीडा) की सहायता से तमिलनाडु सामाजिक वानिकी परियोजना चरण-II का काम हाथ में लिया गया था। परियोजना की कुल लागत 854 मिलियन रुपए थी और इसकी अवधि 5 वर्ष थी। परियोजना की अवधि 1994-95 तक बढ़ायी गयी है। परियोजना की वर्षवार प्रगति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

वित्तीय : लाख रुपए

वास्तविक : हैक्टेयर

क्र० सं०	योजनाएं	1991-92		1992-93		1993-94	
		अवमुक्त केन्द्रीय सहायता	वास्त. उप.	अवमुक्त केन्द्रीय सहायता	वास्त. उप.	अवमुक्त केन्द्रीय सहायता	वास्त. उप.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ईंधन लकड़ी और चारा परियोजना स्कीम	85.03	4.604	67.28	2,828	75.28	2,805
2.	लघु वनोपज स्कीम	26.18	520	26.23	635	24.31	710
3.	बीज विकास	6.00	–	–	–	8.00	–
4.	हवाई बीजा–रोपण स्कीम	118.50	18,000	119.82	18,500	20.00	10,000
5.	समेकित वनीकरण और पारि. विकास परियोजना स्कीम	63.79	उ०न०	10.00	378	6.45	366
6.	अनुदान सहायता	4.94	–	13.38	–	8.93	–
7.	वन्यजीव संरक्षण	65.093	–	92.59	–	134.095	–
8.	भारत में दावनल नियंत्रण की आधुनिक विधियां	–	–	5.00	–	8.00	–
9.	महत्वपूर्ण सुरक्षित क्षेत्रों के आस-पास पारि. विकास	5.02	–	–	4.76	–	
10.	प्रोजेक्ट टाईगर	5.99	–	29.63	–	40.86	–
11.	*सूखा-प्रवण क्षेत्रों का कार्यक्रम (ग्रामीण विकास मंत्रालय)	328.50	–	328.50	–	492.75	–

उ० न०– उपलब्ध नहीं

*– कुल वित्तीय परिव्यय में से निधि का 25% वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलापों के लिए निर्धारित है।

विवरण-II

1. **परियोजना का शीर्षक :**

तमिलनाडु सामाजिक वानिकी परियोजना–चरण–II

2. **सहायता देने वाली एजेंसी :**

स्वीडिश इण्टरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी (सीडा)

3. **परियोजना लागत :**

	मिलियन रुपए	मिलियन स्वीडिश क्रोन
–कुल लागत	854.00	379.56 *
–स्थानीय अंशदान	256.20	113.87 *
–विदेशी अंशदान	597.80	313.00 *

*अस्थाई तौर पर लगाए गए हिसाब से 1 स्वीडिश क्रोन = 2.25 रुपए के बराबर है।

4. **वनीकरण कार्यकलापों के वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य :**

	वनीकरण कार्यकलाप	वास्तविक (हैक्टेयर)	लक्ष्य (मिलियन पौध)	वित्तीय लक्ष्य (मिलियन रुपए)
–	सामुदायिक बंजर भूमि विकास वृक्षारोपण	56,300	–	145.50
–	मनोरंजन वानिकी तथा पट्टीदार वृक्षारोपण	–	1.00	
–	अंतरापृष्ठ वानिकी कार्यक्रम	4,080	–	25.80
–	शुष्क भूमि में कृषि वानिकी	–	35.00	80.00
	योग	60,380	36.00	251.50

5. वित्तीय प्रगति

	वर्ष	वित्तीय मिलियन रुपए		
		मू० प० द० लक्ष्य	राज्य परिव्यय	वास्तविक व्यय
–	1988-89	148.00	140.51	127.35
–	1989-90	161.60	126.62	160.00
–	1990-91	170.70	185.48	194.69
–	1991-92	181.60	195.50	195.37
–	1992-93	192.10	250.00	240.01
--	1993-94	–	255.04	250.83

* मूल्यांकित परियोजना दस्तावेज।

6. वास्तविक प्रगति

वर्ष	मू० प० द० लक्ष्य			उपलब्धि		
	हैक्टेयर	मिलि०पौध	कि०मी०	हैक्टेयर	मिली०पौध	कि०मी०
1988-89	15,260	5.50	750	13,677	–	779
1989-90	14,160	6.50	600	14,713	5.7	603
1990-91	13,740	7.00	300	14,174	5.5	305
1991-92	16,600	8.00	–	17,366	8.03	–
1992-93	18,100	–	–	18,799	–	–
1993-94	14,250	14.40	–	14,586	17.19	–

वन-भूमि का नियमन

2317. श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से, विशेष रूप से महाराष्ट्र और गुजरात से, राज्यों में वन-भूमि को नियमित करने के सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण मांगा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों का ब्यौरा क्या है; और सरकार द्वार इस संबंध में राज्यवार क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) अब तक राज्यवार कुल कितनी हेक्टेयर वन-भूमि नियमित की गई है;

(घ) क्या राज्य सरकारों ने इस तरह नियमित की गई वन-भूमि के लिए कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत महाराष्ट्र और गुजरात राज्य सरकारों से वन भूमि पर किए गए अवैध कब्जों के नियमितीकरण के लिए इन राज्यों से प्राप्त औपचारिक प्रस्तावों के बारे में आवश्यक अपेक्षित ब्यौरे मांगे गए हैं।

(ख) गुजरात राज्य सरकार से 3 अगस्त, 1994 को उत्तर प्राप्त हुआ है और उसकी जांच की जा रही है। अन्य राज्य सरकारों से ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के लागू होने से मध्य प्रदेश के 1.03000 लाख हेक्टेयर वन भूमि के अंतरण, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के 1367 हेक्टेयर तथा केरल में 28,588 हेक्टेयर के अंतरण के लिए सिद्धान्ततः अनुमोदन तथा अरूणाचल प्रदेश में 13,419 हेक्टेयर के लिए 25 अक्टूबर 1980 से पूर्व वन भूमि में किए गए अवैध कब्जों के नियमितीकरण का औपचारिक अनुमोदन दे दिया गया है।

(घ) और (ङ) जितनी वन भूमि को अंतरित किया जा रहा है उतनी ही वेनतर भूमि/अवक्रमित वन भूमि में दुगुना प्रतिपूरक वनीकरण का निर्धारण करके इन सभी प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया है।

तेल शोधक कारखानों द्वारा प्रदूषण

2318. डा॰ के॰ वी॰ आर॰ चौधरी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में तेलशोधक कारखानों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने तेलशोधक कारखानों द्वारा फैलाए गए प्रदूषण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए शोधन प्रणालियों का मूल्यांकन करने के लिए भारत में तेल शोधक कारखानों का एक विस्तृत सर्वेक्षण किया। इस प्रकार के सर्वेक्षण के आधार पर एक व्यापक उद्योग दस्तावेज तैयार किया गया। तेलशोधक कारखानों की प्रदूषण विशेषताओं और नियंत्रण उपायों का मूल्यांकन करने के बाद प्रदूषकों की परिमेय सीमाएं निर्धारित करने के लिए अपशिष्ट जल और वायु प्रदूषण दोनों के संबंध में न्यूनतम राष्ट्रीय मानक निर्धारित किए गए।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपने कार्य क्षेत्रों में सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन के स्तर का पता लगाने के लिए तेलशोधक कारखानों की निगरानी कर रहे हैं और स्थिति इस प्रकार है :

देश में 12 तेल शोधक कारखानों में से 9 कारखानों ने अपेक्षित प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियां लगा ली हैं। जिन तेल शोधक कारखानों ने अपेक्षित प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियां नहीं लगाई हैं ये हैं :–

1. भारतीय तेल निगम, डिगबोई
2. भारतीय तेल निगम, हल्दिया

3. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन, विशाखापत्तनम

(ग) इन दोषी यूनिटों की स्थिति की समीक्षा 2-3 अगस्त, 1994 को आयोजित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अध्यक्षों और सदस्य सचिवों की एक बैठक में की गई। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अनुसार, सभी दोषी यूनिटें प्रदूषण निर्यंत्रण प्रणालियां लगाने की प्रक्रिया में हैं।

गाजियाबाद और मुरादनगर के बीच रेल लाइन

2319. श्री राजवीर सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गाजियाबाद और मुरादनगर दोहरी रेल लाइन का मुरादनगर से मेरठ कैंट तक बढ़ाने और इसका विद्युतीकरण करने का भी विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए अनुमानत: कितनी राशि आवंटित की गई है;

(ग) यह कार्य कब तक आरम्भ कर दिया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) से (घ) मुरादनगर-मेरठ सिटी खंड पर दोहरी लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण शुरू करने का प्रस्ताव है, सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने से पर ही परियोजना पर आगे विचार करना संभव हो सकेगा।

यातायात के कम घनत्व, संसाधनों की तंगी तथा अन्य खंडों की तुलना में सापेक्षा महत्व के कारण फिलहाल, इस खंड को विद्युतीकृत करने की कोई योजना नहीं है।

काजू उत्पादन

2320. श्री राम कापसे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केन्द्र (एन आर सी सी) का काजू का उत्पादन दोगुना करने और इनका निर्यात करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ कृष्णा कुमार) : (क) जी नहीं। राष्ट्रीय काजू अनुसंधान संस्थान, काजू की किस्मों और प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए अनुसंधान कर रहा है ताकि काजू की उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि करने में मदद मिल सके। काजू की अधिक पैदावार वाली 29 किस्मों और बड़े पैमाने पर ग्राफ्टों के उत्पादन हेतु ग्राफ्टिंग तकनीक विकसित होने से काजू उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। काजू के निर्यात संबंधी मामले पर राष्ट्रीय काजू अनुसंधान संस्थान द्वारा कम नहीं किया जाता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सुपर बाजार की लेखा परीक्षा रिपोर्ट

2321. श्रीमती सूर्यकांता पाटील :

श्री सोमजी भाई डामोर :

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990-91 और 1991-92 के लिए सहकारी भंडारों (सुपर बाजार) की लेखा परीक्षा रिपोर्ट सरकार को दे दी गई है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इसमें कुछ अनियमितताओं और कमियों की ओर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसमें कितनी राशि की हेराफेरी की गई है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या वर्ष 1993-94 हेतु लेखा परीक्षा पूरी कर ली गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इस संबंध में अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) लेखा परीक्षकों ने 1991-92 के लिए अपनी रिपोर्ट में एक मामले का उल्लेख किया है, जिसमें एक पार्टी द्वारा, जिसे 11.78 लाख रु. मूल्य का माल ऋण पर बेचा गया था, भुगतान करने की जिम्मेदारी से इनकार कर दिया गया था। यह मामला, लेखा-परीक्षकों द्वारा इंगित किए जाने के पूर्व ही सुपर बाजार के प्राधिकारियों की जानकारी में आ गया था और सुपर बाजार के संबंधित अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया था। यह मामला दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को जांच के लिए सौंप दिया गया था और अब यह मामला न्यायालय के सुपुर्द कर दिया गया है।

(ङ) वर्ष 1993-94 के लेखाओं की लेखा-परीक्षा की जा रही है और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शीघ्र मिलने की संभावना है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) इसमें कोई देरी नहीं हुई है। लेखा-परीक्षा सूचीबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरी कर लिए जाने की आशा है।

"भीतरकानिका वन्य प्राणी अभ्यारण्य"

2322. श्री रवि राय :

कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 27 जून, 1994 के "टाइम्स ऑफ इण्डिया" में भीतरकानिका वन्य प्राणी अभ्यारण्य की स्थिति के बारे में प्रकाशित रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) सरकार ने रिपोर्ट को देख लिया है।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में सूचना उड़ीसा राज्य सरकार से मांगी गई है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

रियायती दर पर खाद्यान्न

2323. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से निर्धनों को रियायती दर पर खाद्यान्न की आपूर्ति करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) जी नहीं। तथापि, उड़ीसा सरकार ने संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले क्षेत्रों में वितरण के लिए अभिप्रेत चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में कमी करने का अनुरोध किया है।

मैसूर रेलवे स्टेशन का सौन्दर्यकरण

2324. **श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994-95 के दौरान मैसूर सिटी रेलवे स्टेशन का सौन्दर्यीकरण कार्य आरम्भ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर अब तक कितनी धनराशि व्यय हुई; और

(ग) 1994-95 के दौरान कितनी धनराशि के व्यय का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ) : (क) से (ग) मैसूर रेलवे स्टेशन के सौंदर्यकरण का कार्य 14.90 लाख रुपए की लागत पर हाल ही में स्वीकृत किया गया है जिसके लिए चालू वर्ष में 2 लाख रुपए की राशि आवंटित की गयी है। यद्यपि इस संबंध में प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई खर्च नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

विद्यालयों में चरित्र का विकास

2325. डा॰ एस॰ पी॰ यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की योजना चरित्र निर्माण को स्कूल एवं कालेज शिक्षा का अंग बनाकर राष्ट्रीय स्तर पर चरित्र विकसित करने का है; और

(ख) यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभग और संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) चरित्र का विकास मन में बैठाए जाने वाले कतिपय मौलिक मूल्यों पर बल देने वाली एक व्यापक अवधारणा है। अनिवार्य चरित्र शिक्षा के लिए यह आवश्यक है कि इन अत्यावश्यक मूल्यों की जानकारी स्कूल की संपूर्ण पाठ्यचर्या और कार्यकलाप कार्यक्रम में शामिल हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या-एक ढाँचा में सामाजिक और नैतिक मूल्यों के सृजन का उल्लेख प्रमुखता से किया गया है। स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार किए गए दिशा-निर्देश तथा पाठ्यचर्या में मूल्य परक शिक्षा के विभिन्न तत्वों को शामिल करने के प्रयास किए गए हैं।

2. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने मूल्य परक शिक्षा के विभिन्न तत्वों को शामिल करते हुए 1989-92 की अवधि के दौरान इन दशा-निर्देशों के आधार पर अपनी पाठ्य पुस्तकों को संशोधित किया है। राज्य सरकारों द्वारा भिन्न-भिन्न मात्राओं में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पाठ्यचर्या तथा पाठ्य पुस्तकों को अपनाया या अपने अनुकूल बनाया गया है। इसके अलावा स्कूल और गैर-औपचारिक शिक्षा के क्षेत्रों में मूल्य परक एवं संस्कृति की दिशा को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1993-94 के केन्द्रीय क्षेत्र (योजनागत) की योजना शुरू की ताकि नवाचारी कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए सरकारी एवं स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता प्रदान की जा सके।

3. विश्वविद्यालय स्तर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रथम डिग्री स्तर पर पाठ्यक्रम पुन: तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आधार पाठ्यक्रमों का प्रावधान किया गया है। इन आधार पाठ्यक्रमों में अन्य बातों के साथ-साथ चरित्र के विकास संबंधी शिक्षा के अध्ययन का प्रावधान है।

[अनुवाद]

टिहरी बांध

2326. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरणीय मूल्यांकन संबंधी स्थाई समिति ने टिहरी बांध के भूवैज्ञानिक भूकम्पीय, सामाजिक तथा पारिस्थितिकी संबंधी खतरों के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति देते समय क्या शर्तें रखी गई थी; और

(ग) क्या ये शर्तें पूरी की गई हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) टिहरी बांध परियोजना को कुछ शर्तों के अधीन पर्यावरणीय अनापत्ति प्रदान की गई थी जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

– परियोजना प्राधिकारियों को इस बांध के सुरक्षा पक्षों और डिज़ाइन को इस प्रयोजनार्थ गठित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति से अनुमोदित कराना होगा;

– जलग्रहण क्षेत्र शोधन योजनाएं तैयार करनी होंगी;

– कमान क्षेत्र विकास हेतु एक योजना तैयार करनी होगी;

– डूब क्षेत्र में आने वाले प्राणिजात और वनस्पतिजात का अध्ययन कराया जाएगा;

– एक संकट प्रबंध योजना बनाई जाएगी।

(ख) निर्धारित शर्तों के अनुपालन के संबंध में प्रगति निम्नलिखित है :–

– बांध के सुरक्षा पहलुओं की जांच करके सरकार ने उन्हें अनुमोदित कर दिया है।

– प्रारंभिक जलग्रहण क्षेत्र सुधार योजना प्रस्तुत की गई है। जबकि विस्तृत योजना की प्रतीक्षा है।

– वनस्पतिजात और प्राणिजात के संबंध में अध्ययन पूरे कर लिए गए हैं। मछलीपालन के लिए एक कार्रवाई योजना तैयार की गई है।

– कमान क्षेत्र विकास योजना और विपदा प्रबंध योजना तैयार की गई है तथा परियोजना प्रस्तावकों ने अनुमोदन के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

2327. मेजर डी॰ डी॰ खनोरिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पठानकोट-जोगिन्दर नगर सैक्शन में छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पठानकोट-जोगिन्दर नगर रेल लाइन एक पर्वतीय रेल लाइन है जिसमें खड़ी ढालें, तीखे मोड़, सुरंगे तथा पुल हैं जो कि बड़ी लाइन के लिए उपयुक्त नहीं है। इस प्रकार इस खंड पर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तन करना तकनीकी दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

[हिन्दी]

रेल लाइन का विद्युतीकरण

2328. श्री केशरी लाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कानपुर-झांसी रेल सेक्शन का विद्युतीकरण करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सेक्शन का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जाएगा;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान इस कार्य को शुरू करने हेतु धनराशि दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं, इस समय इस खंड को विद्युतीकृत करने की कोई योजना नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गोवा में दुग्ध सहकारी संघ

2329. कुमारी सुशीला तिरिया :

श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डी :

श्री गुरूदास कामत :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड आपरेशन फ्लड तृतीय चरण कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक वर्षों से गोवा की शीर्षस्थ दुग्ध सहकारी समितियों का परिचालन और वित्तपोषण करता रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस विवरण के साथ कि शीर्षस्थ दुग्ध-संघ के अधीन कितनी कितनी सहकारी समितियां हैं; उनके द्वारा कितना दूध खरीदा और वितरित किया जाता है तथा उनकी वित्तीय क्षमता आदि की स्थिति क्या है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गोवा सरकार ने हाल ही में राज्य में मुंबई आधारित निजी डेरी उत्पाद कम्पनी को निर्यातोन्मुख डेरी एकक स्थापित करने की अनुमति दी है;

(घ) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने गोवा सरकार के उपरोक्त निर्णय को स्वीकार नहीं किया है और राज्य सरकार को निर्णय की समीक्षा करने का अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) गोवा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) गोवा में गोवा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड नामक केवल एक ही शीर्षस्थ दुग्ध संघ है। इस शीर्षस्थ दुग्ध संघ के अधीन 145 सहकारी समितियां हैं। यह दुग्ध संघ औसतन 22,500 लीटर प्रतिदिन दूध अधिप्राप्ति करता है और वर्ष 1993-94 के दौरान इसने लगभग 43,000 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से दूध बेचा। यह संघ वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य है तथा 1992-93 के दौरान इसे 4.30 रुपये का निवल लाभ हुआ।

(ग) से (च) गोवा सरकार ने मैसर्स आइडियल विटामिन फूड प्रोडक्ट लिमिटेड, मुंबई को "डेयरी दूध" के विनिर्माण के लिए पौण्डा गोवा में एक डेयरी संयंत्र खोलने की अनुमति दी है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने गोवा सरकार के उपर्युक्त निर्णय का अनुमोदन नहीं किया था और जिसने राज्य सरकार से इस निर्णय पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया था क्योंकि यह गोवा के दुग्ध उत्पादकों के हितों के प्रतिकूल होगा। उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने गोवा में निजी कम्पनी को प्रदान की गई डेयरी यूनिट खोलने की अनुमति को वापस लेने का निर्णय लिया है।

शिमला में ऐतिहासिक लॉज

2330. **श्री गुरूदास कामत :**

कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिमला में ऐतिहासिक वाइसराय के लॉज पर गंभीर विवाद है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस लॉज का समुचित रख-रखाव नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) एक जनहित याचिका दर्ज की गई है तथा यह उच्चतम न्यायालय में लंबित है जिसमें इस बात के लिए प्रार्थना की गई है कि जिस प्रयोजन के लिए शिमला स्थित वाइसराय लाज का इस समय प्रयोग हो रहा है उसमें परिवर्तन न लाने का राज्य सरकार को निर्देश दिया जाना चाहिए।

(ग) से (ङ) भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला में यह सूचित किया है कि इस भवन का रखरखाव समुचित ढंग से किया जाता है। तथापि नींव के धँस जाने के कारण मुख्य राष्ट्रपति निवास भवन में कुछ दरारें आ गई हैं जिसके जीर्णोद्धार और परिरक्षण करने की जरूरत है। संस्थान ने राष्ट्रपति निवास के परिरक्षण, संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत न्यास (आई॰ एन॰ टी॰ ए॰ सी॰ एच॰) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एम॰ ओ॰ यू॰) पर हस्ताक्षर किए हैं।

[हिन्दी]

मोतीझील में मात्स्यिकी

2331. श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले में स्थित मोतीझील को साफ करने और उसमें मछली पालने के लिए 36 लाख रुपए की एक योजना मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संम्बंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के अन्तर्गत कार्य आरम्भ न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस योजना को कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) विश्व बैंक ने बिहार राज्य के पूर्वी चम्पारण जिले में स्थित मोतीझील को साफ करने तथा उसमें मछली पालन करने के लिए 18.8 लाख रुपये की लागत से एक योजना को मंजूरी प्रदान की है।

(ख) और (ग) इस योजना के तहत कार्य की मदें इस प्रकार हैं :-

(i) खरपतवार उन्मूलन (ii) दो स्लूईस गेटों का निर्माण (iii) जल नियंत्रण हेतु कटाई और भराई और (iv) रक्षा बांधों पर कटाई और भराई कार्य।

संविदा देने का प्रारंभिक कार्य पूरा कर लिया गया है तथा मानसून के बाद काम शुरू किए जाने की आशा है।

वैगनों की आपूर्ति

2332. श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वैगनों की आपूर्ति करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मांग को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। बहरहाल, दक्षिण के लिए खाद्यान्न भेजने के लिए मालडिब्बों की सप्लाई के संबंध में आयुक्त रायपुर मंडल तथा कलकटर रायपुर जिला से फरवरी/मार्च, 1994 में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।

(ग) फरवरी से अप्रैल के दौरान भारतीय खाद्य निगम के लेखे में खाद्यान्नों का लदान गंतव्यस्थानों पर भारतीय खाद्य निगम की भंडारण समस्याओं के कारण मांग से कम था। बाद के महीनो में इन सभी मार्गों को पूरा कर दिया गया है।

इन्जीनियरिंग कालेजों में अध्यापक

2333. श्री के॰ मुरलीधरन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कालेजों के शासी मंडल में अध्यापकों की शिकायतें प्रस्तुत करने हेतु किसी अध्यापक प्रतिनिधि को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कालेज, कालीकट ने अध्यापकों की प्रोन्नति के संबंध में केन्द्रीय सरकार के निर्देश को कार्यान्वित किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, प्रत्येक क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज के शासी बोर्ड में संकाय के दो प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

(ग) और (घ) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों में शिक्षकों का चयन तथा पदोन्नति और उनके वेतनमान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की सिफारिश और सरकार द्वारा अनुमोदित रूप में अभिशासित होते हैं। क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, कालीकट ने सरकार के पत्र सं॰एफ॰ 6-1/88-टी॰ 5 दिनांक.2.89 के अंतर्गत जारी किए गए निदेश को कार्यान्वित किया है।

[अनुवाद]

एफ॰सी॰आई॰ कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

2334. प्रो॰ के॰ वी॰ थामस : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एफ॰ सी॰ आई॰ के कुछ गोदामों में कर्मचारी हड़ताल पर हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) हड़ताल को टालने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा सीधे भुगतान करने की माँग को लेकर भारतीय खाद्य निगम वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर केरल में स्थित आठ डिपुओं में कामगारों ने काम बन्द कर दिया है जबकि तथ्य यह है कि ये डिपु श्रम सहकारी समिति प्रणाली के अधीन कार्य कर रहे हैं जो सुनिश्चित करती है कि ठेका श्रम प्रणाली के अधीन कामगारों का किसी प्रकार का शोषण संभव न हो।

यद्यपि, भारतीय खाद्य निगम प्रबन्ध ने उनकी माँग के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया था परन्तु कामगार अपनी माँगों पर अड़े हुए हैं। चूँकि इस मामले में कई पहलू अन्तर्ग्रस्त हैं, इसलिए यह सारा मामला खाद्य मंत्रालय के विचाराधीन है। अत: सरकार भारतीय खाद्य निगम प्रबन्ध ने यूनियन से अपील की है कि वे देश की खाद्य इकोनमि के हित में इस मामले पर जल्दी न करें।

भोपाल रामगंज मंडी रेलवे लाइन

2335. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल-रामगंज मंडी रेलवे लाइन का कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इसे कब तक स्वीकृति प्रदान कर देगी ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हाँ।

(ख) भोपाल और रामगंज मंडी के बीच एक नई बड़ी लाइन के लिए 1992 में किए गए टोह इंजीनियरी-एवं-यातायात सर्वेक्षण से पता चला था कि 262 कि०मी० लंबी लाइन की लागत 249.77 करोड़ रुपए होगी और इससे प्राप्त होने वाले प्रतिफल की दर ऋणात्मक होगी। लाइन अलाभप्रद होने के कारण कार्य शुरू करने के बारे में विचार नहीं किया जा सका।

राष्ट्रीय यातायात परिवहन नीति संबंधी समिति

2336. श्री अंकुशराव राव साहब टोपे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने रेल और सड़क नेटवर्क के माध्यम से माल की ढुलाई के लिए कितनी हिस्सेदारी का सुझाव दिया है;

(ख) इस समय रेल व सड़क के द्वारा ढुलाई की वास्तविक स्थिति क्या है;

(ग) क्या रेल के द्वारा माल का यातायात कम हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफ़र शरीफ़) : (क) राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने अपनी रिपोर्ट में परिकल्पना की थी कि 2000 ईस्वी तक माल यातायात में रेलवे का निश्चित हिस्सा 72% और सड़क नेटवर्क का 28% होगा।

(ख) माल के कुल संचलन में रेल और सड़क यातायात के हिस्सों का नियमित संकलन नहीं किया जाता है। पिछली बार इनका संकलन योजना आयोग द्वारा परिवहन के विकास के लिए संदर्श योजना पर गठित सुंचालन समिति ने किया था जिसने 1988 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसके अनुसार वर्ष 1970-71 में रेलवे का हिस्सा 69.0%, 1980-81 में 61.9% और 1986-87 में 51-5% था। बहरहाल, आर्थिक सर्वेक्षण-1993-94 में माल यातायात में रेलवे का हिस्सा लगभग 40% लगाया है।

(ग) जी हां।

(घ) परिवहन एक व्युसन्न मांग है। रेलें लंबी दूरी के थोक यातायात जो सामान्यत: महत्वपूर्ण क्षेत्र के उद्योगों से प्राप्त होते हैं, के संचलन के लिए सबसे उपयुक्त हैं। महत्वपूर्ण क्षेत्र से प्राप्त यातायात प्रत्याशा से कम होने तथा साथ ही औसत गमन दूरी कम हो जाने जैसे कारक रेलवे के निश्चित हिस्से में ऋणात्मक वृद्धि के लिए काफी हद तक जिम्मेवार रहे हैं।

चीनी की कीमतों से नियंत्रण हटाना

2337. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चीनी मिल संघ ने चीनी की कीमतों से लम्बी अवधि के आधार पर पूर्ण रूप से नियंत्रण हटाने के सम्बन्ध में हाल में सरकार को ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और भारतीय चीनी मिल संघ ने उपरोक्त मांग किन आधारों पर की है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने हाल ही में सरकार को प्रस्तुत किए गए अपने दिनांक 29.7.1994 के अभ्यावेदन द्वारा अनुरोध किया है कि चीनी का मुख्यतया निम्नलिखित आधार पर विनियंत्रण किया जाए:–

(1) विनियंत्रण से प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न होगी जिससे कार्य-कुशलता में वृद्धि होगी और लागत घटेगी।

(2) विनियंत्रण से उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन के बढ़ने से सरकारी राजस्व में वृद्धि होगी और निर्यात के लिए अधिशेष उत्पादन होगा।

(3) समाज के कमजोर वर्ग को सीधे सब्सिडी के माध्यम से कम मूल्यों पर चीनी दी जा सकती है।

(4) यदि नई चीनी फैक्ट्रियों को प्रोत्साहन दिए ही जाने हैं तो नई चीनी यूनिटों को चीनी पर उत्पादन शुल्क में उपयुक्त छूट देकर ऐसा किया जा सकता है।

(5) चीनी मूल्यों के विनियंत्रण से चीनी इकानमि को इस ढंग से मजबूत करने में मदद मिलेगी कि भविष्य में देश में चीनी की कमी नहीं होगी।

(6) विनियंत्रण से सभी तीनों मीठे पदार्थों अर्थात चीनी, खण्डसारी और गुड़ को बराबर अवसर प्राप्त होंगे।

(7) आर्थिक उदारीकरण की नीति को चीनी के क्षेत्र में भी लागू किया जाना चाहिए क्योंकि नियंत्रण अत्यधिक रूप से उत्पादकता विरोधी हो गए हैं।

(ग) फिलहाल, सरकार का चीनी का विनियंत्रण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

औद्योगिक मानक ब्यूरो

2338. श्री सनत कुमार मंडल : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री 19 अप्रैल, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3959 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक मानक ब्यूरो समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या औद्योगिक मानक ब्यूरो ने उपभोक्ता वस्तुओं संबंधी गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के उल्लंघन की अत्यधिक शिकायतों को ध्यान में रखते हुए घटिया किस्म के उत्पादों के विपणन को कम करने हेतु कोई योजना बनायी है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) और (ख) भारतीय मानक ब्यूरो की प्रवर्तन संबंधी स्थाई समिति की पहली बैठक मई, 1994 में हुई थी, और उसमें निम्नलिखित सिफारिशें की गई थीं :-

1. भारतीय मानक ब्यूरो प्रचार अभियान चलाए, ताकि गुणवत्ता तथा मानकों की धारणाओं तथा अपेक्षाओं और उनके बारे में कानूनी उपबंधों की सारे देश में व्यापक रूप से जानकारी हो सके।

2. देश में मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संगठनों को प्रवर्तन से संबंधित कार्यवाही शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

3. गुणवत्ता मानकों के प्रवर्तन से संबंधित मौजूदा सांविधिक उपबंधों में कमियों को दूर किया जाए।

(ग) व (घ) भारतीय मानक ब्यूरो आई०एस०आई० चिह्न के दुरुपयोग को कम करने के लिए सभी संभव उपाय कर रहा है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। आई०एस०आई० चिह्न के दुरुपयोग को रोकने के लिए राज्य प्राधिकारियों की सहायता से नियमित रूप से प्रवर्तन अभियान चलाए जाते हैं तथा छापे मारे जाते हैं। आई०एस०आई० चिह्न का उल्लंघन किए जाने की जांच की जाती है और जहां-कहीं संभव होता है, मुकदमे चलाए जाते हैं। उपभोक्ताओं, व्यापारियों तथा विनिर्माताओं को व्यापार जन-संपर्क कार्यक्रमों के जरिए गुणवत्ता मानकों तथा सांविधिक उपबंधों के बारे में शिक्षित किया जाता है।

[हिन्दी]

तिलहनों का आयात

2339. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में तिलहनों की मांग को पूरा करने हेतु इनका आयात करने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार आयातित तिलहनों का ब्यौर क्या है; और किन-किन देशों से कितनी-कितनी मात्रा में इनका आयात किया गया; और

(ग) किन-किन देशों से कितनी-कितनी मात्रा में इनका आयात किया गया है ?

अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्णा कुमार) : (क) से (ग) जी, नहीं। पिछले तीन सालों से स्वदेशी मांग पूरा करने के लिए खाद्य तेलों के निष्कषर्ण हेतु सरकार ने तिलहनों का आयात नहीं किया है।

[अनुवाद]

गोदावरी पुल

2340. **श्री रामकृष्ण कोंताला :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोदावरी पुल के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इसके कब तक पूरा हो जाने की आशा है;

(ग) क्या धन के अभाव में कार्य की प्रगति में रोक आ गई है; और

(घ) कार्य में शीघ्रता लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/प्रस्तावित हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफ़र शरीफ़) : (क) लगभग 66% कार्य पूरा हो गया है।

(ख) मार्च, 96.

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

14 वाक्य संदेश

2341. **श्री राम नाईक :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेल प्रशासन ने "एड्स" पर काबू पाने की दृष्टि से कंडोम (निरोध) के प्रयोग का प्रचार करने के लिए भारतीय स्वास्थ्य संगठन की सहायता से 14 वाक्य संदेश तैयार किए हैं जिन्हें रेलवे स्टेशनों पर जन संबोधन प्रणाली से उद्घोषित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि ये संदेश अशिष्ट और अटपटे हैं और सड़क-छाप मजनुओं द्वारा इनका प्रयोग गलियों और नुकक्ड़ों पर युवा महिलाओं को छेड़ने के लिए किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इन संदेशों का प्रयोग रोकने के लिए रेल प्रशासन को निर्देश देने पर विचार करेगी; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इन देशों को स्वीकृति देने तथा इनके प्रयोग करने से पूर्व भारतीय स्वास्थ्य संगठन के साथ-साथ कतिपय महिला संगठनों से परामर्श करने का है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफ़र शरीफ़) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कोल्लम तिरूअनंतपुरम के बीच रेल लाइन का दोहरा किया जाना

2342. **श्री वी० एस० विजयराघवन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल्लम-तिरूअनंतपुरम लाइन के दोहरीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण कर ली गई है;

(ख) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) भूमि के अधिग्रहण की कब तक सम्भावना है ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं।

(ख) संसाधनों की तंगी।

(ग) 31.3.95

विक्रमशिला मगध एक्सप्रैस में अतिरिक्त सवारी डिब्बा

2343. श्री विजय कुमार यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार शरीफ, नालन्दा, पावपुरी और राजगीर से दिल्ली आने वाले यात्रियों की संख्या में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इन यात्रियों की सुविधा हेतु पूर्वी रेलवे के बख्तियारपुर जंक्शन पर विक्रमशिला-मगध एक्सप्रैस में अतिरिक्त सवारी डिब्बा जोड़ने का कोई विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) बिहार शरीफ, नालंदा, पावापुरी तथा राजगीर से दिल्ली की ओर के यातायात को देखते हुए विक्रमशिला-मगध एक्सप्रेस में अतिरिक्त सवारी डिब्बा लगाने का औचित्य नहीं है।

भोपाल डिवीजन में रेलवे स्टेशन

2344. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के भोपाल डिवीजन में बुदनी, ओबैदुल्लागंज, विदिशा, गंजबासोदा, कुरवाई रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध सुविधाओं को उचित ढंग से उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन स्टेशनों पर उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और उक्त स्टेशनों पर प्लेटफार्मों को समतल करने के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इन प्लेटफार्मों को समतल करने और मरम्मत करने का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इन सभी स्टेशनों पर, सम्हाले जाने वाले यातायात के अनुरूप ही उपयुक्त प्लेटफार्म, जल-आपूर्ति और बैठने का प्रबंध, बुकिंग और प्रतिक्षालय जैसी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। इन स्टेशनों पर प्लेटफार्मों की सतह संतोषजनक हालत में है, बहरहाल, ओवेदुल्ला गुज पर प्लेटफार्म को ऊँचा करने का कार्य प्रगति पर है तथा इसे मार्च, 1995 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

विश्व पर्यावरण कोष

2345. प्रो॰ उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने 1993-94 और चालू वर्ष के दौरान विश्व पर्यावरण कोष से कोई धनराशि प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पर्यावरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुसार संस्थानगत सीमाओं में वृद्धि करने तथा मार्गनिर्देशों के अनुपालन में भारत को कहां तक लाभ पहुंचा है;

(घ) क्या सी॰एफ॰सी॰ के सीमित उपयोग हेतु यह धनराशि भारत को भेज दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जून, 1992 के पर्यावरण और विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में, अन्य मुद्दों के साथ-साथ, विशेषकर विकासशील देशों को टिकाऊ विकास कार्यक्रमों के लिए नये और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन मुहैया करने के तौर-तरीकों पर विचार किया गया। विश्व पर्यावरण सुविधा को, जिसका प्रबंध विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना है, एक संभावना के रूप में मान्यता दी गई है। विश्व पर्यावरण निधि की प्रायोगिक चरण, जो जुलाई 1991 से आरम्भ हुआ है, के दौरान, लगभग 44.5 मिलियन अमरीकी डालर की परियोजनाओं को मंजूर किया गया था। अनुमोदित परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) भारत ने पर्यावरण और अंतर्राष्ट्रीय विचार-विमर्श में सक्रिय रूप से भाग लिया और जलवायु परिवर्तन संबंधी कन्वेंशन, जैव-विविधता संरक्षण संबंधी कन्वेंशन तथा ओजोन को समाप्त करने वाले पदार्थों को हटाने संबंधी मांट्रियल प्रोटोकॉल सहित कई प्रमुख करारों तथा कन्वेंशनों का अनुसमर्थन किया है। ऐसा माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों में भाग लेने से देश पर कई नैतिक दायित्व आए हैं, और जिससे स्थानीय और विश्व दोनों स्तरों पर टिकाऊ विकास को प्रोत्साहन मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय करारों में भारत के भाग लेने से भारत वित्तीय और तकनीकी दोनों सहायता पाने का भी पात्र बन जाता है। यह इस बात को भी सिद्ध करता है कि जबकि भारत जैसे विकासशील देश गरीबी कम करने के प्रयासों और लोगों को मौलिक आवश्यकताएं मुहैया कराने में लगे हुए हैं, हम विश्व स्तर पर पर्यावरण के संरक्षण के लक्ष्य के प्रति भी वचनबद्ध हैं।

(घ) और (ङ) भारत में क्लोरो-फ्लोरो-कार्बन्स के विनियमन के लिए 16 निवेश परियोजनाओं सहित 30 गतिविधियों के लिए अब तक लगभग 11.5 मिलियन अमरीकी डालर की राशि अनुमोदित की गई है। इन्हें मांट्रियल प्रोटोकॉल की बहु-पक्षीय निधि ने मंजूर किया है जिसमें निवेश परियोजनाओं के साथ-साथ तकनीकी सहायता भी शामिल है। अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

विश्व पर्यावरण निधि परियोजनाएं (3.5.94)

मंजूर परियोजनाएं

	परियोजना का नाम	विभाग	कार्यान्वयन एजेंसी	विषय	आकार
1.	वैकल्पिक ऊर्जा परियोजना	गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	विश्व बैंक	पृथ्वी के तापमान में वृद्धि	30 मिलियन डालर
2.	भारत के पर्वतीय प्रदेशों में छोटे जल संसाधनों का इष्टतम विकास	–वही–	यूएनडीपी	पृथ्वी के तापमान में वृद्धि	7.5 मिलियन डालर
3.	ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने एक उपाय के रूप में उच्च स्तरीय बायोमीथेनेशन प्रक्रियाओं का विकास	–वही–	यूएनडीपी	पृथ्वी के तापमान में वृद्धि	5.4 मिलियन डालर
4.	ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए किफायती विकल्प	पर्यावरण और वन मंत्रालय	विश्व बैंक	पृथ्वी के तापमान में वृद्धि	1.5 डालर की तकनीकी सहायता मंजूर की गई। अंतिम परियोजना प्रलेख तैयार किया जा रहा है।

विवरण-II

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी (विभाग/प्रभाग/ राज्य सरकार या कोई अन्य	मांट्रियल प्रोटोकाल बहुपक्षीय निधि के जरिए निधि देने वाली एजेंसी	परियोजना की प्रकृति (विषय) हटाये जाने वाले ओ. डी.एस. की मात्रा	सहायता का प्रकार (भारतीय रुपया)	विदेशी मुद्रा (अमरीकी डालर)	प्रारम्भ होने की तारीख	पूरा होने की तारीख	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	प्रशीतकों की पुनर्प्राप्ति एवं पुनर्प्रयोग की व्यवहार्यता (सामान्य श्रेणी)	ओजोन सेल (पर्या. व वन मंत्रालय)	यूनिडो	शून्य	1,760,000	55,000	मार्च 94	जून 94	चालू है
2.	सी. एफ. सी. 11, प्रशीतक के स्थान पर एच. सी. एफ. सी. 123 सेन्ट्री यूएल का प्रयोग (मैसर्स ब्लू स्टार लि.)	-वही-	विश्व बैंक	36	18,144,000	567,000	–	–	निधि के वितरण के लिए करार को अंतिम रूप दिया जाना है।
3.	कम्प्रेसर उत्पादन का सी.एफ.सी. 12 से एच.एफ.सी. 134 ए. डिज़ाइन में परिवर्तन (मैसर्स श्रीराम इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज़ेज़ लि.)	-वही-	विश्व बैंक	18	21,920,000	686,000	–	–	-वही-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	सी. एफ. सी. 113/एलकोहल युक्त आर. I, I, I, ट्राई-क्लोरोथेन से नॉन, सी. एफ. सी. क्लिनिंग में परिवर्तन के लिए इलैक्ट्रोनिक प्रोसेस परियोजना प्रतिपादित करना। (सामान्य श्रेणी)	ओज़ोन सेल	यूनिडो	शून्य	2,368,000	74,000	–	–	शीघ्र शुरू होने की संभावना है। है।
5.	सभी क्षेत्रों में परियोजना तैयार करने के लिए सहायता (श्रेणी सामान्य)	–वही)	यूएनडीपी	शून्य	3,200,000	100,000	अप्रैल 93	सित. 94	चालू है।
6.	संस्थागत सुदृढ़ीकरण (सामान्य श्रेणी)	–वही–	यूएनडीपी	शून्य	13,779,200	430,600	अप्रैल 93	मार्च 93	चालू है।
7.	कन्ट्री प्रोग्राम तैयार करना (सामान्य श्रेणी)	वही–	–वही–	शून्य	6,400,000	200,000	वही	नव. 93	पूरी हो गई है।
8.	निवेश परियोजनाएं तैयार करना (सामान्य श्रेणी)	–वही–	विश्व बैंक	शून्य	5,600,000	175,000	अप्रैल 93	अक्तू. 93	पूरी हो गई है।
9.	संगठित क्षेत्र में ओडीएस को समाप्त करने के लिए परियोजना प्रतिपादन (सामान्य श्रेणी)	–वही–	यूनिडो	शून्य	1,760,000	55,000	–	–	डीसी, एसएसआई और यूनिडो द्वारा स्थानीय परामर्शदाता के चयन हेतु कार्य आरंभ होना है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	लघु (बहुत छोटे) और अनौपचारिक क्षेत्रों मे ओडीएस प्रयोग का सर्वेक्षण, डाटा बेस तैयार करना और ओडीएस (सामान्य श्रेणी)	ओजोन सेल	यूएनडीपी	शून्य	3,840,000	120,000	-	-	शीघ्र शुरू होने की संभावना है।
11.	प्रयोक्ता क्षेत्र निवेश पूर्व अध्ययन (सामान्य श्रेणी)	-वही-	विश्व बैंक	शून्य	(क) 3,200,000 (ख) 12,800,000	100,000 100,000	नव. 93	अप्रैल 94	पूरी हो गई है।
12.	एयरो फार्मा एयरोसोल कन्वर्जन (मैसर्स एयरो फार्मा प्रा. लि.)	-वही-	-वही-	36	2,000,640	62,520	-	-	निधियों के लिए करार को अंतिम रूप दिया जाना है।
13.	एनएफसी 134 ए. के लिए सीएफसी 12 मोबाइल एयरकंडीशनिंग निर्माण का आधुनिकीकरण (मैसर्स सबरस लि.)	-वही-	-वही-	84	54,720,000	1,710,000	-	-	-वही-
14.	सीएफसी 2/पोलीयोल प्रणाली का अल्प/गैर ओडीएस निर्माण के लिए परिवर्तन अनुप्रयोग विकास (मैसर्स मनाली पैट्रोकैमिकल्स लि.)	-वही-	-वही-	488	22,400,000	700,000	-	-	-वही-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	सीएफसी 2/पोलीयोल प्रणाली का अल्प/गैर ओडीएस निर्माण के लिए परिवर्तन अनुप्रयोग विकास (मैसर्स यू. एस. पैट्रो-प्रॉडक्ट्स)	ओज़ोन सेल	विश्व बैंक	705	18,741,888	585,684	–	–	निधियों के लिए करार का अंतिम रूप दिया गया जाना है।
16.	कम्प्रेसर के डिज़ाइनों को प्रशीतकों और उपस्करों के लिए सीएफसी 12 से एचएफसी 134 ए. में बदलना (मैसर्स किर्लोस्कर कोपलैण्ट लि.)	–वही–	–वही–	125	17,532800	547,900	–	–	–वही–
17.	थर्मोवायर के लिए कठोर फक के निर्माण में सीएफसी के उपयोग का समापन (मैसर्स ईगल फ्लास्क इंडस्ट्री लि.)	–वही–	यूएनडीपी	20	11,680,000	365,000	–	–	–वही–
18.	पॉलीथिलीन फॉम शीट के निर्माण में सीएफसी के उपयोग का समापन (मैसर्स कैम्फोर एंड एलाइड प्रॉडक्ट्स लि.)	–वही–	–वही–	120	8,960,000	280,000	–	–	–वही–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	पैनल्स के लिए कठोर पफ के निर्माण में सीएफसी के उपयोग का समापन (मैसर्स सुप्रता लि.)	ओजोन सेल	विश्व बैंक	20	13,248,000	414,000	–	–	निधियों के लिए करार का अंतिम रूप दिया गया जाना है।
20.	परियोजना तैयारी सहायता (सामान्य श्रेणी)	–वही–	–वही–	शून्य	3,200,000	100,000	–	–	अभी शुरू होना है क्योंकि पहले की निधियां समाप्त नहीं हुई।
21.	इंडिया ओडीएस 1, के लिए निवेश परियोजनाएं तैयार करना (सामान्य श्रेणी)	–वही–	विश्व बैंक	शून्य	2,266,784	70,837			
22.	बहुपक्षीय निधि और विश्व बैंक परियोजना कार्रवाई प्रक्रिया पर वित्तीय मध्यस्थों का प्रशिक्षण (सामान्य श्रेणी)	–वही–	–वही–	शून्य	19,200,000	600,000	अप्रैल 94	मार्च 95	चालू है।
23.	सीएफसी-22 रेफ्रिजिरेन्ट के स्वय उपयोग के लिए सीएफसी-12 "ओपन-टाइप कम्प्रेसरों का पुन: अभिकल्पन और विकास (मैसर्स फ्रीज किंग इन्डस्ट्रीज प्रा. लि.)	–वही–	विश्व बैंक	46	7,696,000	240,599	–	–	निधियों के फलों के लिए अभी करारों को अंतिम रूप दिया जाना है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	पीयू फोम के निर्माण में सीएफसी के प्रयोग को धीरे-धीरे समाप्त करना। (मैसर्स यू फोम प्रा. लि.)	ओजोन सेल	यूएनडीपी	35	10,493,000	328,000	–	–	निधियों के फ्लों के लिए अपी करारों को अंतिम रूप दिया जाना है।
25.	अग्नि सुरक्षा प्रणालियों और तकनीकी सहायता के लिए वैकल्पिक प्रौद्योगिकी अन्तरण (रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन)	–वही–	–वही–	शून्य	9,888,000	309,000	–	–	–वही–
26.	फेनोलिक फोम और फोम उत्पादों के निर्माण में सी एफसी का समाप्त करना (मैसर्स बैकेलाइट नायलोन लि.)	–वही–	–वही–	58	11,744,000	367,000	–	–	–वही–
27.	ओडीएस विलायकों से बेट मिडिया ब्लास्टिंग तथा बलीय सफाई की इलैक्ट्रोनिक सफाई में परिवर्तन (मैसर्स आइटीआई-कानपुर)	–वही–	–वही–	66.4	19,525,120	610,160	–	–	–वही–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	निपटान योग्य सिरिंजों के निर्माण की प्रक्रिया का इडी/सीएफसी-12 से इओ/सीओ 2 स्टेरिलाइजेशन और प्रत्यक्ष सिलिकोनाइजेशन में परिवर्तन (मैसर्स हिन्दुस्तान सिरिंज एण्ड मैडिकल डिवाइसेस)	ओजोन सेल	विश्व बैंक	50	15,392,000	481,000		-	निधियों के फलों के लिए अभी करारों को अंतिम रूप दिया जाना है।
29.	सीएफसी-2 ब्लोईंग एजैन्ट का निम्न तथा गैर-ओडी एस सामग्रियों वाली पोलीयूरेथिन (पीयू) फोम प्रणालियों में परिवर्तन (मैसर्स एक्सपान्डेड इनकार्पोरेशन)	-वही-	456	16,068,160	502,130	-	-	-वही-	
30.	फोम के निर्माण में सीएफसी को समाप्त करने के लिए नीति और कार्रवाई (श्रेणी : सामान्य)	-वही-	यूएनडीपी	शून्य	6,400,000	200,000	-	-	निधियों के फलों के लिए करारों को अंतिम रूप देने के लिए अभी शुरू किया जाना है।
				2363.4	11,435.511				

वैगनों हेतु क्रयादेश

2346. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने वैगनों हेतु क्रयादेशों में कमी के संबंध में प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग की है जिससे इन राज्यों में उत्पादों की ढुलाई पर विपरीत प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के लिए पर्याप्त वैगन उपलब्ध कराने जाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ) : (क) जी हां, पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने माल डिब्बों के क्रयादेश देने के मामले में प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है परन्तु उत्पादों/पण्यों की ढुलाई पर विपरीत प्रभाव पड़ने के बारे में कोई संदर्भ नहीं है।

(ख) माल डिब्बा प्रापण की वर्तमान स्थिति से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया गया है। यातायात की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त माल डिब्बे उपलब्ध हैं।

टिहरी बांध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत न्याय का प्रकाशन

2347. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत न्यास ने टिहरी बांध पर संभावित भूकम्पीय प्रभावों के संबंध में एक प्रकाशन निकाला है;

(ख) क्या सरकार ने उसमें प्रकाशित विशेषज्ञों के विचारों पर ध्यान दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत न्यास द्वारा प्रकाशित "अर्थक्वेक हैजर्ड एंड लार्ज डैम्स इन दि हिमालयाज" नामक पुस्तक हिमालय क्षेत्र में भूकम्प-प्रवणता और बांधों की सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर लब्ध प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों द्वारा व्यक्त विचारों का संकलन है। टिहरी बांध परियोजना के सुरक्षा पक्षों पर सरकार द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने विचार किया था और जुलाई, 1991 की उनकी रिपोर्ट से पता लगता है कि उक्त बांध का अभिकलन 0.5 ग्राम के शीर्ष-स्थल-त्वरण के अधीन किया गया है और इसे संतोषजनक पाया गया।

रेल मार्ग स्थल

2348. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा नगर निगम और नागरिक समिति ने सत्य नारायण पुरम से होकर गुजरने वाले रेल-मार्ग स्थल को सौंपने हेतु रेलवे बोर्ड से अनुरोध किया है जिससे इसे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 और राष्ट्रीय राजमार्ग

संख्या 9 के जोड़ने वाली 80 फुट चौड़ी सड़क के रूप में विकसित किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव पर रेलवे बोर्ड की नवीनतम प्रतिक्रिया क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां।

(ख) अनुरोध में सड़क बनाने के लिए 3 किलोमीटर लंबे रेलपथ को हटाना और विजयवाडा नगर निगम को 10.25 हेक्टेयर रेलवे भूमि सौंपना शामिल है।

(ग) यह अनुरोध स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते नगर निगम रेल पथ हटाने और मौजूदा वाल्तेरू-विजयवाड़ा मुख्य लाइन के समानान्तर तीसरी लाइन के निर्माण की लागत वहन करने और रेलवे के बदले में उतनी ही भूमि सौंपने के लिए सहमत हो।

जाजपुर-क्योंझर और तलचेर मार्ग का सर्वेक्षण

2349. श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में जाजपुर-क्योंझर तथा तलचेर के मध्य रेल-लाइन बिछाने हेतु सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सर्वेक्षण का काम कब तक पूरा हो जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां।

(ख) एक यातायात सर्वेक्षण शुरू किया गया है।

(ख) एक यातायात सर्वेक्षण शुरू किया गया है।

(ग) वित्त वर्ष 1994-95 में।

लेवी चीनी

2350. श्री एस॰ एम॰ लालजान वाशा : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का लेवी आबंटन आदेशों के अनुसार खुली बिक्री और लेवी चीनी की 60:40 की वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली से बिक्री हेतु चीनी का पर्याप्त भण्डार उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (ग) फिलहाल खुली बिक्री और लेवी चीनी की 60:40 के अनुपात में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है चूंकि वर्तमान प्रणाली संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है।

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सप्लाई वर्तमान स्तर पर बनी रहे यह सुनिश्चित करने के लिए एस०टी०सी०/एम०एम०टी०सी० के माध्यम से लेवी चीनी की अपेक्षित मात्रा आयात करने की व्यवस्था की गई है।

हावड़ा रेलवे स्टेशन

2351. **श्री चित्त बसु :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने हावड़ा स्टेशन पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक एवं दंडात्मक उपाय किए हैं ?

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) हावड़ा रेलवे स्टेशन द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के साधन की स्थापना से संबंधित मामले का पुनरीक्षण, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 1985 के जनहित वाद याचिका सं० 3727 एम० सी० मेहता बनाम भारत संघ के अन्तर्गत किया जा रहा है। इसके पूर्व हावड़ा रेलवे स्टेशन पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन न करने के कारण, न्यायालय ने इसे बन्द करने का आदेश दिया था। बाद की सुनवाई में माननीय न्यायाधीशों के सुझावों पर रेलवे प्राधिकारियों ने आश्वासन दिया कि बहि:स्राव के उपचार के लिए पहले चरण में अस्थाई उपचार संयंत्र बनाया जाएगा तथा बाद में स्थाई उपचार संयंत्र स्थापित किया जाएगा। दिनांक 29 जुलाई, 1994 को हावड़ा रेलवे प्राधिकारियों द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय को सूचना दी गई कि उन्होंने जुलाई, 1994 में 3.5 एम० एल० डी० के बहि:स्राव उपचार संयंत्र के निर्माण के लिए 1.97 करोड़ रुपए की लागत पर एक ठेका दिया है जिसे 18 महीनों की अवधि में पूरा हो जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

धान का उत्पादन

2352. **श्री प्रेम चन्द राम :**

श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्य-वार धान का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या इसके उत्पादन में, विशेष रूप से बिहार में, कोई कमी हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त अवधि के दौरान अधिशेष उत्पादन का उपयोग कैसे किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) गत तीन वर्षों अर्थात् 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान चावल के कुल उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) देश में तथा बिहार राज्य में 1993-94 में चावल का उत्पादन गत दो वर्षों की तुलना में अधिक होने का अनुमान है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) 1993-94 में हुए अतिरिक्त उत्पादन का उपयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधीन अधिक अधिप्राप्ति के माध्यम से प्रचुर भंडार तैयार करने में किया गया।

विवरण

चावल उत्पादन का राज्य वार आंकलन

राज्य	उत्पादन (हजार मीटरी टन में)		
	1991-92	1993-94	1993-94 (संभावित)
आन्ध्र प्रदेश	9249.4	8575.4	8785
असम	3197.2	3299.7	3337
बिहार	4753.2	3569.1	6221
गुजरात	690.6	829.6	839
हरियाणा	1812.0	1869.0	2050
जम्मू और कश्मीर	550.1	550.1	790
कर्नाटक	2826.1	2967.5	2921
केरल	1060.3	1084.8	1080
मध्य प्रदेश	5248.5	5431.8	5822
महाराष्ट्र	2100.2	2363.8	2476
उड़ीसा	6659.7	5387.7	6601
पंजाब	6755.0	7002.0	7213
राजस्थान	119.5	174.8	143
तमिलनाडु	6596.3	6563.6	6228
त्रिपुरा	474.5	438.2	
उत्तर प्रदेश	9411.4	9615.4	10109
पश्चिम बंगा	11954.2	11732.9	11750
अन्य	1065.4	1173.4	1670
अखिल भारतीय	74677.6	72610.8	78035

[अनुवाद]

केन्द्रीय राजकोष में लाभांश

2353. **श्री डी॰ वेंकटेश्वर राव :**

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने केन्द्रीय राज कोष में इस आधार पर अपना लाभांश देने से मना कर दिया है कि पहले केन्द्रीय विद्युत-केन्द्रों के पास उसकी 600 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाए;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वित्त मंत्रालय की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यावरण के अनुकूल प्रशीतन प्रणाली

2354. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चंद्र खन्डूरी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, मद्रास ने एक ऐसी स्वदेशी वाष्प अवशोषन प्रशीतन प्रणाली बनाई है जोकि पर्यावरण के अनुकूल है और ऊर्जा की बचत करती है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रणाली के विकास के लिये कोई पहल की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास वाष्प अवशोषण प्रशीतलन प्रणाली तीन विभिन्न संकल्पनाओं के सम्बंध में कार्य कर रहा है इनमें से सभी पर्यावरण के प्रति अनुकूल हैं। इन प्रणालियों में ऊर्जा संरक्षण विभव भी है जिसमें उन्हें औद्योगिक अपशिष्ट ऊष्मा और सौर ऊर्जा से चलाया जा सकता है। इन तीन प्रणालियों में से दो को, वित्त पोषण/प्रायोजन के जरिए, सरकारी सहायता प्राप्त है।

[हिन्दी]

सुपरफास्ट मेल/एक्सप्रैस रेलगाड़ियां

2355. श्री काशीराम राणा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सुपरफास्ट मेल/एक्सप्रैस रेल गाड़ियां चलाए जाने पर अधिक बल दिया जा रहा है;

(ख) वर्तमान स्थिति के अनुसार इन दो तरह की रेलगाड़ियों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या राजधानी एक्सप्रैस की तुलना में सुपरफास्ट मेल/एक्सप्रैस रेलगाड़ियों की अधिक मांग है क्योंकि इनसे अधिक यात्रियों की जरूरत पूरी होती है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन रेलगाड़ियों के संबंध में कोई अन्य योजनाएं तैयार की है ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) 1.7.1994 तक सभी कोटियों की गाड़ियों की बड़ी संख्या की तुलना में 50 जोड़ी सुपरफास्ट गाड़ियों (राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस को छोड़कर) थी।

(ग) जी हां।

(घ) कोई अन्य योजना नहीं बनाई गयी है।

केन्द्रीय विद्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियां

2356. डा॰ साक्षीजी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और हरियाणा के केन्द्रीय विद्यालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचिज जन-जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों सहित शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं;

(ख) इन रिक्तियों को भरने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है; और

(ग) इन पदों को भरने में विलंब के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सुपर बाजार

2357. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994-95 मे कर लगाए जाने पर सुपर बाजार में कपड़ा धाने के साबुन के कुछ आपूर्तिकर्ताओं ने अपने उत्पादों की दरें बढ़ा दी थीं और बाद में उन्हें वापस ले लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन उत्पादों के कुछ आपूर्तिकर्त्ताओं पर न तो कोई कर लगाया गया और न ही इसमें से कुछ आपूर्तिकर्त्ताओं ने सरकार को कोई उत्पाद शुल्क ही अदा किया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दरों को बढ़ाए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) ऐसे आपूर्तिकर्त्ताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार है;

(च) क्या कपड़ा धोने के साबुन और डिटर्जेंटो के आपूर्तिकर्ताओं को आपूर्ति आदेश जारी करते समय उनके साथ कोई भेदभाव किया जा रहा है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) गत तीन वर्षों के दौरान सुपर बाजार द्वारा इनमें से प्रत्येक आपूर्तिकर्त्ताओं को महीनेवार और उत्पादवार दिए गए आपूर्ति आदेशों का ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि मार्च, 1994 के पहले सप्ताह में कपड़ा धोने के साबुन 555 (गोरा मल हरीराम), बॉबी (खन्ना सोप फैक्ट्री) और 255 (मोती सोप फैक्ट्री) तीनों साबुनों के आपूर्तिकर्ताओं ने उत्पाद शुल्क लगने के कारण कीमतों में 10% बढ़ोतरी की मांग की थी। बाद में मई, 1994 में मोती सोप फैक्ट्री और खन्ना सोप फैक्ट्री ने उत्पाद शुल्क के कारण हुई कीमतों में वृद्धि को वापस ले लिया। लेकिन मैसर्स गोरा मल हरी राम ने उत्पाद-शुल्क वापस नहीं लिया क्योंकि, उन्होंने सूचित किया कि वे अभी भी विद्युत क्षेत्रको में हैं और उत्पाद शुल्क अदा कर रहे हैं।

(ग) से (ङ) तथ्यों का पता लगाने के लिए सुपर बाजार द्वारा विनिर्माताओं से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

(घ) और (छ) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि उनके द्वारा किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा रहा है।

(ज) गत तीन वर्षों के माह-वार और उत्पाद-वार पूर्ण ब्यौरों से प्राप्त होने वाले परिणाम उन्हें तैयार करने में लगने वाले श्रम के अनुरूप नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त ये मामले वाणिज्यिक गोपनीयता के हैं।

[हिन्दी]

दोहरी रेल लाइन की लम्बाई

2358. श्री बृज भूषण शरण सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितने किलोमीटर दोहरी रेल लाइन बिछायी गई;

(ख) 1994-95 के लिए इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गये हैं; और

(ग) इस कार्य पर अनुमानत: कितनी लागत आएगी ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) 693 किलो मीटर।

(ख) 300 किलो मीटर।

(ग) 1994-95 में 150 करोड़ रुपये।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

2359. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदूषण नियंत्रणेत्तर कार्य किये जाने के कारण इसे घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रभावी कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की 31.3.1992 को समाप्त हुए वर्ष की रिपोर्ट (1993 की 2) (वैज्ञानिक विभाग) में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संबंध में बताई गई क्षति केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के भवन, जिसमें अत्यधिक संवेदनशील उपकरणों वाली प्रयोगशालाएं भी हैं, में नियमित और टिकाऊ विद्युत आपूर्ति के लिए अपेक्षित दो ट्रांसफार्मर खरीदने से हुई। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कहा गया है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दो ट्रांसफार्मरों की खरीद विद्युत ठेकेदारों के जोखिम और लागत पर करनी थी। भुगतान की गई लागत (4.54 लाख रु०) और टेण्डर लागत (2.58 लाख रु०) के बीच के अन्तर की प्रतिपूर्ति विद्युत ठेकेदार से की जानी थी। किन्तु पंचों ने दावों की अनुमति नहीं दी क्योंकि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण को कोई द्वारा सही खण्ड को लागू नहीं किया गया था।

(ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस पंच फैसले के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया है और मामला दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय में निर्णय हेतु लम्बित पड़ा है।

[अनुवाद]

खलासियों को नियमित करना

2360. श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में 1976 से कार्यरत दिल्ली-डिवीजन द्वारा नियमित पद के लिए चुन लिए जाने के बावजूद भी अनेक खलासियों की सेवाएं अभी तक नियमित नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उनकी सेवाओं को कब तक नियमित कर दिया जाएगा;

(ग) क्या केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली की मुख्य खण्डपीठ द्वारा 13 अप्रैल, 1993 को उन खलासियों के पक्ष में निर्णय दिये जाने के बावजूद भी सम्बन्धित रेलवे प्रशासन ने उसको लागू नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफ़र शरीफ़) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

नार्थ-ईस्ट और पुरी एक्सप्रेस का विलंब चलना

2361. डा॰ महादीपक सिंह शाक्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माह जून और जुलाई, 1994 में नार्थ-ईस्ट और पुरी एक्सप्रेस कितनी बार सही समय पर चली; और

(ख) विलंब के क्या कारण हैं और इन रेलगाड़ियों को सही समय पर चलाए जाने को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) जून और जुलाई, 1994 के महीनों के दौरान नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस, अप दिशा में 4 दिन तथा डाउन दिशा में 17 दिन ठीक समय पर चली। इसी अवधि के दौरान, पुरी एक्सप्रेस (सप्ताह में 4 दिन) अप दिशा 6 दिन तथा डाउन दिशा में 20 दिन ठीक समय पर चली।

(ख) देरी के कारण हैं: आंदोलन, खतरे की जंजीर खींचना तथा अन्य शरारती गतिविधियां दुर्घटनाएं, खराब मौसम, उपकरणों की खराबी तथा इंजीनियरी प्रतिबंध, आदि। समय पालन में सुधार के लिए, मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के चालन पर कड़ी नजर तथा चौबीसों घंटे निगरानी रखकर रेलों के नियंत्रण के भीतर सभी रुकावटों को दूर करने के हर संभव उपाय किए जाते हैं।

सेवा-निवृत रेल कर्मचारियों को नि:शुल्क रेल पास

2362. श्री पंकज चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवा-निवृत रेल कर्मचारियों को पास जारी करने के संबंध में क्या नियम हैं;

(ख) नियमों के अन्तर्गत सेवा निवृति के समय 20 वर्षों से कम समय की सेवा अवधि वाले कर्मचारियों को कितने पास जारी किये जा सकते हैं;

(ग) क्या 1987 के पश्चात् सेवा-निवृत कर्मचारियों की विधवाओं को ऐसे पास जारी किए जा रहे हैं;

(घ) क्या उनकी सेवा-निवृति पर उनकी विधवाओं को पास जारी करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हो, तो इस संबंध में निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) कोई नहीं।

(ग) से (ङ) उन रेलवे कर्मचारियों, जो 12.3.87 को या उसके बाद सेवा में थे/हैं, की विधवाएं पास की योजना के अंतर्गत पास पाने की पात्र हैं। 12.3.87 से पहले सेवानिवृत्त हुए इन रेलवे कर्मचारियों की विधवाओं को पास देने का मामला उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है।

विवरण

रेल कर्मचारियों को उनकी अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति जैसा भी मामला हो, पर निम्नलिखित मापदण्ड के अनुसार सेवानिवृत्ति उपरांत मानार्थ पास प्रदान किए जाते हैं :-

रेल कर्मचारी की कोटि	शर्तें	सेटों की संख्या
वर्ग "क" और "ख"	(क) 20 वर्ष या इससे अधिक परन्तु 25 वर्ष से कम की रेल सेवा पर	प्रतिवर्ष 2 सेट
	(ख) 25 वर्ष की न्यूनतम रेल सेवा पर	प्रतिवर्ष 3 सेट
वर्ग "ग"	(क) 20 वर्ष या इससे अधिक परन्तु 25 वर्ष से कम की रेल सेवा पर	प्रतिवर्ष 1 सेट
	(ख) 25 वर्ष की न्यूनतम रेल सेवा पर	प्रतिवर्ष 2 सेट
वर्ग "घ"	**(क) 1.7.93 से पहले सेवानिवृत्त** 25 वर्ष की न्यूनतम रेल सेवा पर	दो वर्ष में एक सेट
	(ख) 1.7.93 को या उसके बाद सेवानिवृत्ति 25 वर्ष की न्यूनतम रेल सेवा पर	प्रतिवर्ष 1 सेट

बहरहाल, जो विधवाएं रेलवे कर्मचारी हैं, वे अपनी सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्ति उपरांत मानार्थ पास पाने की पात्र हैं बशर्ते कि वे नियमों में निर्धारित शर्तें पूरी करती हों।

[अनुवाद]

उड़ीसा में रेल परियोजनाएं

2363. डा॰ कार्तिकेश्वर पात्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में रेल विकास परियोजनाओं को छोड़ दिया गया है और इन परियोजनाओं के लिए आवंटित धनराशि अन्य राज्यों को दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन परियोजनाओं को छोड़ देने से इनकी लागत में वृद्धि होने की संभावना है; और

(घ) राज्य में चालू रेल परियोजनओं पर कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उड़ीसा में इस समय चल रही नई रेलवे लाइन और दोहरीकरण परियोजनाओं तथा उन पर अब तक खर्च की गई राशि का ब्यौरा इस प्रकार है :-

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	लागत	3/94 तक खर्च की जा चुकी राशि	94-95 में आवंटित निधियां
नई लाइनें					
1.	कोरापुट-रायगड़ा	164	419.20	387.94	17.00
2.	तालचेर-संबलपुर	172	220.00	99.66	35.11
3.	लांजीगढ़ रोड-जूनागढ़	54	100.00	0.50	2.00
4.	देतारी-बांसपानी	147	242.55	11.50	23.00
5.	खोरधा रोड-बोलंगीर	289	353.38		1.00
दोहरीकरण					
6.	अम्बोडला-बिस्साम कटक एवं तेरूवलि गुमड़ा	100	84.20	78.05	4.17
7.	जोरडा रोड़ हिंडोल रोड़	28	25.09	22.46	2.63
8.	तालचेर-हिंडोल रोड़	32	27.61	19.91	6.71
9.	रजतगढ़-नेरगुंडी	26	37.64	–	2.00

उपभोक्ता संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

2364. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पास "उपभोक्ता संरक्षण हेतु राष्ट्रीय युवा पुरस्कार" देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस पुरस्कार को देने का क्या मानदंड है; और

(ग) 1993-94 के दौरान यह पुरस्कार किन-किन व्यक्तियों को दिया गया ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी हां।

(ख) पुरस्कार की योजना के तहत महिलाओं सहित 15-35 वर्ष की आयु वर्ग के युवा, जिन्होंने उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है, इस पुरस्कार हेतु पात्र हैं।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1993 के लिए पात्र युवाओं से 15 अगस्त, 1994 तक प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। इसलिए अभी तक इस पुरस्कार के लिए किसी युवा का चयन नहीं किया गया है।

आस्ट्रिया के साथ पर्यावरण समझौता

2365. श्री हरिन पाठक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में आस्ट्रिया के साथ पर्यावरण से संबंधित एक समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समझौते के अंतर्गत आस्ट्रिया द्वारा भारत सरकार को इस संबंध में कितनी सहायता प्रदान की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) सुश्री मारिया राश कलाता, आस्ट्रिया गणतंत्र की पर्यावरण, युवा एवं पारिवारिक मामलों की संघीय मंत्री की भारत यात्रा के दौरान भारत और आस्ट्रिया के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए 13 जनवरी, 1994 को एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौता-ज्ञापन का पाठ विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) यह समझौता ज्ञापन प्रत्यक्षत: सहायता के प्रावधानों से संबंधित नहीं है, किन्तु इसमें पर्यावरणीय नीति और पर्यावरण से संबंधित क्षेत्रों में विचारों के आदान-प्रदान के क्षेत्र में व्यावहारिक सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए शक्तिदायक खण्ड निर्धारित किए गए हैं।

विवरण

भारत गणतंत्र सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा आस्ट्रिया गणतंत्र के पर्यावरण, युवा एवं पारिवारिक मामलों के संघीय मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन

भारत गणतंत्र सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा आस्ट्रिया गणतंत्र का पर्यावरण, युवा एवं पारिवारिक मामलों का संघीय मंत्रालय (जिन्हें इसके पश्चात् अनुबंध करने वाला पक्षकार देश कहा जाएगा)।

अपने-अपने देशों के बीच पारम्परिक मैत्री संबंध और सहयोग को स्वीकार करते हुए; पर्यावरण की सुरक्षा और पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुधार के लिए कोशिश एवं प्रयास करने के संकल्प के साथ;

पर्यावरण के क्षेत्र में पारस्परिक हितों के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मज़बूत बनाने और इस दिशा में सूचना, विचारों, कौशलों तथा तकनीकों का आदान-प्रदान करने की आकांक्षा करते हुए निम्नलिखित बातों पर सहमत हैं :

इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत सहयोग में निम्नलिखित शामिल होंगी :

अनुच्छेद-1

1. सतत् विकास की प्रक्रिया के कार्यान्वयन के उद्देश्य से राष्ट्रीय नीतियां तैयार करने में अनुभवों का आदान-प्रदान।

2. पर्यावरण के अनुकूल वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग के लिए समर्थन जुटाना।

3. मॉनीटरिंग और प्रवर्तन तंत्र के विकास में सहयोग।

4. संगत आंकड़ों और सूचना का आदान-प्रदान।

5. संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय मंच में सहयोग।

अनुच्छेद-2

अनुच्छेद-1 के ढांचे के अंतर्गत विशेषकर निम्नलिखित मामलों में सहयोग पर ध्यान दिया जाएगा :

1. वायु प्रदूषण

2. अपशिष्ट प्रबंधन, तकनीकी और वित्तीय पहलू

3. वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन

4. प्रकृति, विशेषकर पर्वत क्षेत्रों की सुरक्षा

5. ऊर्जा की बचत और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत

6. कोई अन्य क्षेत्र जिस पर पक्षकार देशों के बीच परस्पर सहमति हो

अनुच्छेद 3

इस समझौता ज्ञापन के तहत शुरू किए जा रहे कार्य का समन्वय और इसके परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए एक 'संयुक्त कार्य दल' की स्थापना की जाएगी।

संयुक्त कार्य दल में दोनों देशों के प्रतिनिधियों की संख्या बराबर होगी और इसकी बैठकें बारी-बारी से दिल्ली और वियना में हुआ करेंगी।

अनुच्छेद-4

इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत प्रत्येक पक्षकार अपने दायित्वों को निभाने के लिए अपनी वित्तीय और बजट प्रक्रियाओं के अनुसार तथा निधियां उपलब्ध होने पर लागतों को वहन करेगा।

अनुच्छेद-5

इस समझौता ज्ञापन को ऐसे तरीके से कार्यान्वित किया जाएगा जो दोनों देशों के अपने-अपने कानूनों और विनियमों के अनुरूप होगा।

अनुच्छेद-6

1. यह समझौता ज्ञापन दोनों पक्षकारों द्वारा इसमें हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से लागू होगा।

2. पक्षकारों के बीच परस्पर सहमति से इस समझौता ज्ञापन का संशोधन, विस्तार अथवा समापन किया जा सकता है।

3. इस समझौता ज्ञापन के समापन का पहले से चल रही गतिविधियों को पूरा करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

यह समझौता 13 जनवरी, 1994 को नई दिल्ली में मूलरूप में दो-दो प्रतियों में हिन्दी, अंग्रेजी और जर्मन

भाषाओं में किया गया। इसके सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। व्याख्या में असमानता होने पर अंग्रेजी पाठ मान्य रहेगा।

भारत गणतंत्र के पर्यावरण और वन मंत्रालय की ओर से

(कमल नाथ)

मंत्री

पर्यावरण और वन

आस्ट्रिया गणतंत्र के पर्यावरण युवा एवं पारिवारिक मामलों के संघीय मंत्रालय की ओर से

(मारिया राश कलात)

संघीय मंत्री

पर्यावरण, युवा एवं पारिवारिक मामले

अदरा-मिदनापुर सेक्शन पर डीजल मल्टीपल यूनिट

2366. श्री बसुदेव आचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अदरा-मिदनापुर सेक्शन पर डीजल मल्टीपल यूनिट गाड़िया शुरू की जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) और (ख) फिलहाल नहीं। बहरहाल, ऐसी सेवाएं यथासमय आरंभ करने के लिए इस खंड की पहचान कर ली गई है।

पर्यटन परियोजनाओं को मंजूरी

2367. श्री के॰ प्रधानी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में पर्यटन विकास की कुछ परियोजनाएं उनके मंत्रालय की मंजूरी के लिए लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी दिलाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) उड़ीसा के पुरी जिले में पुरी और कोर्णाक के बीच समुद्र तट पर एक विशेष पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए उड़ीसा राज्य सरकार से 901.25 हेक्टेयर वन भूमि को उपयोग में लाने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। स्थल निरीक्षण और प्रस्ताव की विस्तृत जांच करने के पश्चात राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह क्षेत्र में वनस्पतिजात एवं प्राणिजात सहित पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने के पश्चात् एक संशोधित प्रस्ताव तैयार करे। राज्य सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत एक संशोधित प्रस्ताव की प्रतीक्षा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नवोदय विद्यालयों में आरक्षण

2368. श्री राजवीर सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछड़े वर्गों के पदों को भरने हेतु नवोदय विद्यालय समिति में कोई रोस्टर बनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी हां। नवोदय विद्यालय समिति ने यह सूचित किया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्गों के पदों को भरे जाने के लिए रोस्टर के सम्बन्ध में सरकार की हिदायतों को सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को कड़ाई से पालन करने के लिए भेज दिया गया है और सभी नियुक्तियां इस संशोधित रोस्टर के अनुसार ही की जाएंगी।

(ख) लागू नहीं होता।

मध्य तथा पश्चिम रेलवे में चलने वाली रेलगाड़ियां

2369. श्री राम कापसे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1994 के दौरान मध्य तथा पश्चिमी रेलवे के उपनगरीय सेक्शन में रेल गाड़ियों का निर्धारित समय पर चलना बाधित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गाड़ियों को समय से चलाने के लिए क्या कदम उठाये गये; और

(घ) इस क्षेत्र में सिगनल-सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए कितनी राशि खर्च की गयी ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) और (ख) मध्य और पश्चिम रेलों के उपनगरीय खंडों पर दुर्घटनाओं, भारी वर्षा, आंदोलनों आदि के कारण कुछ अवसरों पर गाड़ी सेवाओं में बाधा पड़ी थी।

(ग) निर्धारित सेवायें बनाये रखने के लिए रेलों के नियंत्रण के भीतर सभी व्यावहारिक प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) 31.3.1994 तक 9.41 करोड़ रुपए।

चीन में भारत महोत्सव

2370. श्री अन्ना जोशी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी सरकार, चीन में आयोजित भारत महोत्सव की सफलता के लिए आश्वस्त/सहायता देने और प्रचार करने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कुल कितने खर्च की योजना बनाई गई थी, और चीनी सरकार द्वारा सहायता न दिए जाने के कारण कितनी अतिरिक्त धनराशि और खर्च की गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) भारत महोत्सव के लिए प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए वस्तुत: किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, इसकी अवधारणा के बारे में कुछ मतभेद रहे हैं। तथापि, इसका उत्सव की सफलता पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आयल-पाम की खेती

2371. डा॰ के॰ वी॰ आर॰ चौधरी :

श्री रामकृष्ण कोंताला :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार कुल कितने क्षेत्र में आयल-पाम की खेती हुई है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान आयल पाम का राज्यवार और वर्षवार कुल कितना उत्पादन हुआ; और

(ग) आयल पाम के उत्पादन के लिए 1994-95 के दौरान कितना लक्ष्य रखा गया है ?

गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ कृष्ण कुमार) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऑयल पाम की खेती में राज्यवार शामिल किया गया अतिरिक्त क्षेत्र इस प्रकार है :-

शामिल किया गया क्षेत्र (हेक्टे॰)

क्रम सं॰	राज्य	1991-92	1992-93	1993-94
1.	आन्ध्र प्रदेश	290	956	2998
2.	कर्नाटक	–	425	500
3.	तमिलनाडु	–	–	1671
4.	गुजरात	–	–	40
5.	गोवा	–	118	187
	योग	290	1499	5396

[हिन्दी]

आमान परिवर्तन

2372. श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुजफ्फरपुर से रक्सौल तक बड़ी लाइन के निर्माण कार्य की, जो निर्धारित समयानुसार नहीं चल रहा है, समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो यह योजना कब तक पूरी हो जाएगी ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) यह निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 31.3.1995 तक।

[अनुवाद]

उड़ीसा की अपर इंद्रावती परियोजना

2373. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में अपर इंद्रावती परियोजना के जलग्रहण-क्षेत्र के प्रबंधन और प्रतिपूरक वनरोपण संबंधी कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से तैयार नहीं किया गया और इस परियोजना के लिए पर्यावरण प्रबंधन संबंधी कार्यक्रम भी नहीं बनाया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) इस परियोजना को जलग्रहण क्षेत्र सुधार, क्षतिपूरक वनरोपण, बेदखलों के पुनर्वास तथा एक पर्यावरण प्रबंध कार्यक्रम सहित कतिपय सुरक्षा उपाय करने की शर्त पर जनवरी, 1979 में पर्यावरणीय दृष्टि से मंजूरी दी गई।

शुरू में जलग्रहण क्षेत्र सुधार योजना और वनरोपण कार्यक्रम को क्रमशः मृदा संरक्षण और वन विभागों द्वारा राज्य सरकार में इसके कार्यान्वयन के लिए तैयार किया गया था। उड़ीसा में दूर-संवेदी अनुप्रयोग केन्द्र ने जलग्रहण क्षेत्र का सर्वेक्षण शुरू किया है ताकि कार्यक्रमों की प्रगति का निर्धारण किया जा सके।

पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए नवम्बर, 1990 में राज्य सरकार ने एक परियोजना स्तरीय प्रबंध समिति का भी गठन किया था।

अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलम्पियाड

2374. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 1996 में अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलम्पियाड आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस आयोजन के क्या उद्देश्य हैं;

(ग) इसमें भाग लेने वाले देशों के नाम क्या-क्या हैं और इस आयोजन पर कितना व्यय होगा;

(घ) क्या इसमें भाग लेने वाले छात्र किसी तरह से लाभान्वित होंगे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) स्कूली शिक्षा के अंतिम वर्षों में छात्रों की गणित की दक्षता की परीक्षा करने के लिए प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलम्पियाड का आयोजन किया जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए गणित के क्षेत्र में प्रतिभा के विकास की आवश्यकता है–अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलम्पियाड इस लक्ष्य को प्राप्त करने के संबंध में महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलम्पियाड–96 में भाग लेने के लिए उन सभी देशों को आमंत्रित किया जाएगा जो पहले इसमें भाग ले चुके हैं। इस अवसर पर होने वाले संभावित खर्च का ब्यौरा परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन एक स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय उच्चतर गणित बोर्ड द्वारा तैयार किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) अत्यधिक प्रतियोगी चयन प्रक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संतोषप्रद कार्य-निष्पादन से उत्पन्न जोश से प्रतिभाशाली छात्रों को गणित उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए और अधिक परिश्रम करने की प्रेरणा मिलना अनिवार्य है।

लुमडिंग से डिब्रूगढ़ तक बड़ी लाइन का निर्माण

2375. श्री प्रवीण डेका : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लुमडिंग से डिब्रूगढ़ तक बड़ी लाइन के पूर्ण होने में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) 30.6.94 को 3.45% गिट्टी इकट्ठी करने तथा मिट्टी संबंधी कार्य प्रगति पर है। कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं।

(ख) कार्य पहले ही प्रगति पर है तथा इसे नीचे लिखे अनुसार चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा :–

खंड	आमान परिवर्तन का वर्ष
लमडिंग–दीमापुर (69 कि॰मी॰)	1994-95
दीमापुर–फरकाटिंग (70 कि॰मी॰)	1995-96
फरकाटिंग–मरियानी (38 कि॰मी॰)	1995-96
फरकाटिंग–मरियानी (86 कि॰मी॰)	1997-98
मारियानी–तिनसुकिया-लेखापानी (155 कि॰ मी॰)	1996-97
तिनसुकिया–डिब्रूगढ़ (40 कि॰मी॰)	1996-97

भारतीय खाद्य निगम द्वारा सम्पत्ति किराये पर लेना

2376. श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : क्या खाद्य मंत्री 10 मई, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7079 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के इस बीच ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली में किराये पर लिये गये भवनों को खाली कर दिया है और इन्हें राजेन्द्र पैलेस और लक्ष्मी नगर में "ट्विन टावर" में स्थानान्तरित कर दिया है,

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय खाद्य निगम का उक्त भवनों को कब तक खाली करने का प्रस्ताव है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) भारतीय खाद्य निगम के पास राजेन्द्र पैलेस में जो स्थान उपलब्ध हैं उस स्थान पर पहले से ही इसका आंचलिक कार्यालय (उत्तर) कार्यरत है। लक्ष्मी नगर स्थित ट्विन टावर काम्पलेक्स में "स्कोप" के साथ बुक किया गया स्थान अभी उपलब्ध नहीं हुआ है। गुड़गांव में अपना स्थान उपलब्ध हो जाने पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा ईस्ट आफ कैलाश में किराये पर लिया गया स्थान खाली कर दिया जाएगा।

आमान परिवर्तन

2377. श्री जगमीत सिंह बरार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिवाड़ी-भटिंडा रेल लाइन के आमान परिवर्तन कार्य की वर्तमान स्थिति क्या और इस पूरे रेल मार्ग आमान परिवर्तन कब तक कर दिया जाएगा;

(ख) क्या सरकार का विचार रिवाड़ी-फाजिल्का रेल मार्ग, जहां आमान परिवर्तन का कार्य पूरा हो चुका है, पर पुनः रेल सेवा शुरू करने का ,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या फिरोज़पुर, अम्बाला और बीकानेर डिवीजनों के बीच किसी अंतरडिवीजन विवाद के कारण उक्त रेल मार्ग पर ट्रेन सेवाओं को पुनः चालू करने में बाधा उत्पन्न हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) कार्य पूरा कर लिया गया है।

(ख) से (घ) भटिंडा और हिसार के बीच बड़ी लाइन की दो जोड़ी गाड़ियां पहले ही प्रारंभ कर दी हैं, रेवाड़ी और हिसार के बीच भी 2 जोड़ी गाड़ियां चलने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, 4085/4586 भिवानी एक्सप्रेस को सिरसा तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

ओज़ोन निधि ऑपरेशन

2378. श्री सनत कुमार मण्डल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992 में रियो डि जेनेरियो में आयोजित विश्व शीर्ष सम्मेलन में हस्ताक्षरित कार्यसूची-21 के प्रसांगिक खण्डों को ध्यान में रखते हुए ओज़ोन फण्ड ऑपरेशन का गत् माह स्वतंत्र रूप से नैरोबी में आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ओजोन क्षरण पदार्थों को हटाने हेतु उन अपेक्षित तकनीकों का पता लगाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है जो निधि के लिए उपयुक्त है तथा यह मांट्रियल संधि के कितनी अनुरूप है;

(ग) समीक्षा करने के लिए बनाये गये अंतर्राष्ट्रीय पैनल के गठन का कार्य स्वरूप है;

(घ) किसी एजेंसी द्वारा यह आकलन किया जाएगा; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं कि इस निधि पर कुछ औद्योगिक देशों के वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का वर्चस्व स्थापित न हो तथा ओज़ोन स्तर को बचाने हेतु निर्धारित मूल लक्ष्य की उपेक्षा न की जा सके ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) मांट्रियल प्रोटोकाल के पक्षकारों की 1992 में कोपनहेगन में हुई चौथी बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि माण्ट्रियल प्रोटोकाल के अनुच्छेद 10 द्वारा स्थापित वित्तीय तंत्र का मूल्यांकन और पुनरीक्षा जून, 1992 में रियो डि जेनेरो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन में अपनाए गए एजेण्डा 21 के अध्याय 9.33 और 34 तथा अन्य सभी संगत अध्यायों को ध्यान में रखकर 1995 तक किया जाए।

1993 में बैंकाक में मांट्रियल प्रोटोकाल के पक्षकारों की पांचवीं बैठक में पक्षकारों के ओपन एण्डेड वर्किंग ग्रुप से यह अनुरोध करने का निर्णय लिया गया कि वे अपनी दसवीं बैठक में इस मूल्यांकन और पुनरीक्षा के लिए एक रिपोर्ट हेतु विचारार्थ विषय और कार्य विधियां तैयार करें।

पक्षकारों के ओपन एन्डेड वर्किंग ग्रुप की दसवीं बैठक जुलाई, 1994 में नैरोबी में आयोजित की गई, जिसमें ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप ने रिपोर्ट के लिए विचारार्थ विषयों तथा कार्यविधियों को अन्तिम रूप दे दिया।

(ख) माण्ट्रियल प्रोटोकाल के पक्षकारों की प्रथम बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ तकनीकी मूल्यांकन के लिए पैनल स्थापित किया गया था। यह पैनल ओजोन परत की क्षीण करने वाले पदार्थों के बदले में वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों के प्रयोग का मूल्यांकन करता है और अपनी रिपोर्ट को प्रतिवर्ष अद्यतन बनाता है। इसकी रिपोर्ट पर ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप द्वारा चर्चा की जाती है जो पक्षकारों की अगली बैठक के सम्मुख अपनी सिफारिशें रखता है। पक्षकारों की बैठक में इस प्रकार की सिफारिशों पर उपयुक्त निर्णय लिया जाता है।

(ग) ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप ने अपनी दसवीं बैठक में पुनरीक्षा के मार्ग दर्शन के लिए छः विशेषज्ञों का एक संचालन पैनल गठित करने का निर्णय लिया। तीन विशेषज्ञ विकसित देशों से और तीन विकासशील देशों

से लिए गए। इस पैनल में प्रतिनिधित्व करने वाले देश हैं : कनाडा, फ्रांस, अमरीका, भारत, मारीशस और मैक्सिको, प्रत्येक देश ने एक विशेषज्ञ नामित किया। विशेषज्ञों के नामों का ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप द्वारा समर्थन किया गया।

(घ) ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप ने निर्णय लिया कि अर्हता प्राप्त परामर्शदाता (ओं) के चयन की प्रक्रिया ओजोन सचिवालय प्रारम्भ करेगा। प्रस्तुत किए गए आवेदनों के आधार पर ओजोन सचिवालय अर्हता प्राप्त आवेदकों की एक सूची तैयार करेगा। आवेदनों के मूल्यांकन के लिए मानदण्ड भी ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप द्वारा निश्चित किए गए। परामर्शदाता(ओं) का अन्तिम रूप से चयन संचालन पैनल द्वारा किया जाएगा। परामर्शदाता(ओं) के चयन की प्रक्रिया चल रही है और कुछ सप्ताहों में अन्तिम निर्णय ले लिए जाने की उम्मीद है।

(ङ) पक्षकारों की बैठक में तथा इसकी विभिन्न समितियों, पैनलों आदि में निर्णय सामान्यत: आम सहमति से लिए जाते हैं। यह उम्मीद है कि सदस्य विभिन्न मुद्दों पर प्रोटोकाल के उद्देश्यों के अनुरूप तथ्यात्मक अवधारणाओं के आधार पर निर्णय लेंगे। प्रोटोकाल को कार्यान्वित करने में सौद्देश्यता सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय तंत्र की समीक्षा एक अन्य सुरक्षा उपाय है।

पर्यावरण का संरक्षण

2379. श्रीमती वीनू कुमारी देवी : क्या **पर्यावरण** और **वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक पर्वतीय श्रृंखलाओं में शहरों के विकास के लिए और औद्योगिक उद्देश्यों से टीलों और पहाड़ियों का विनाश किया जा रहा है और इस प्रकार देश की पारिस्थितिकी और पर्यावरण संतुलन को क्षति पहुंचाई जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो पर्वत श्रृंखलाओं के विनाश को रोकने और पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जैसा कि 1992 में बनाई गई राष्ट्रीय संरक्षण नीति में कहा गया है पर्वत श्रृंखलाओं का पारिस्थितिकी दृष्टि से संरक्षण पर सरकार का ध्यान आकृष्ट हो रहा है। पर्वत श्रृंखलाओं के संरक्षण के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

-विभिन्न कार्यों को करने के लिए मार्ग-निदेशों का जारी किया जाना।

-दून घाटी और अरावली श्रृंखला के कुछ भाग में संवेदनशील क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों के नियंत्रण के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचनाएं जारी करना।

-वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का प्रवर्तन।

-वृक्ष-विहीन पहाड़ियों में वनीकरण; और

-हिमालय क्षेत्र का पारिस्थितिकीय दृष्टि से उपयुक्त विकास हेतु कार्य-नीतियों, प्रौद्योकियों तथा ज्ञान के विकास के लिए गोविन्द वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण और विकास संस्थान की सहायता करना।

विजयवाड़ा रेल लाइन पर उपरि पुल का निर्माण

2380. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विजयवाड़ा-अलोरू रेल लाइन पर विजयवाड़ा के निकट अजीत सिंह नगर में रेल फाटक के स्थान पर सड़क उपरि पुल के निर्माण को स्वीकृति दी है;

(ख) इस पर अनुमानत: कितनी राशि व्यय होगी; और

(ग) यह कार्य कब तक शुरू हो जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां।

(ख) मार्च 94 के अंत तक खर्च की गई राशि 12.41 लाख रुपए (लगभग) है।

(ग) रेलवे रेलपथ के ऊपर पुल का भौतिक निर्माण कार्य पूर्वापेक्षित औपचारिकताएं पूरी कर लेने तथा राज्य सरकारों द्वारा पहुंच मार्गों पर कार्य शुरू कर दिए जाने के बाद प्रारंभ करेगी।

नीम के पेड़

2381. श्री एस॰ एम॰ लालजान बाशा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नीम के पेड़ों के पौधरोपण को बढ़ावा देने हेतु एक प्रोत्साहन योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसानों को नीम के पेड़ों के लाभों के संबंध में अधिकांश कृषि वैज्ञानिकों ने भी अपने विचार व्यक्त किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय नीम के पेड़ों के उत्पादों का विदेशों में पेटेंट किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, नहीं इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ङ) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

प्याज का उत्पादन

2382. प्रो॰ उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान देश में राज्यवार प्याज का अनुमानत: कितना उत्पादन किया गया और कुल

कितने क्षेत्र में इसकी खेती की गई;

(ख) क्या अपने देश में प्याज और इसके बीजों के निर्यात की अच्छी संभावना है;

(ग) यदि हां, तो प्याज और इसके बीजों के निर्यात के लिए नीति विनियमन में ढील देने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) वर्ष 1993-94 के लिए प्याज के अनुमानित क्षेत्र और उत्पादन के राज्य-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) प्याज का निर्यात किया जाता है। प्रतिबंधित मद क्रम सं॰ 20 के अन्तर्गत भाग II 159 में प्याज के बीज को वर्गीकृत किया गया है जिसका निर्यात प्रत्येक मामले के हिसाब से लाइसेंस के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया है।

खान-पान ठेका

2383. श्री काशीराम राणा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे प्लेटफार्मों पर दुग्ध बिक्री स्टालों पर चाय और स्नैक्स की बिक्री के लिए खान-पान ठेके के आवंटन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गये हैं;

(ख) क्या सरकार ने उत्तर रेलवे में ऐसे मामलों को स्वीकृति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार की संशोधित नीति के कारण स्टालों पर दुग्ध बिक्री में गिरावट आयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस घाटे की क्षतिपूर्ति के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) (क) मिल्क बारों से चाय तथा सीमित स्नैक मदों की बिक्री की अनुमति दी जाती है बशर्ते उसी स्टेशन पर आवंटित स्थान के भीतर कई स्रोतों से यात्रियों के लिए इन मदों को उपलब्ध कराने का औचित्य हो तथा मिल्क बार-दूध की मदों की बिक्री जारी रखें।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कोयला वैगनों को खाली करना

2384. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वाराणसी जिले (उ॰ प्र॰) के शिवपुर रेल स्टेशन पर कोयला वैगनों की खाली करने के कारण बड़े पैमाने पर फैल रहे प्रदूषण की ओर गया है; और

(ख) सरकार द्वारा इस स्टेशन पर प्रदूषण रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जाएगी।

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) पार्टियों से कोयले की सावधानीपूर्वक उतराई करने के लिए कहा गया है ताकि कम धूल उड़े और उनसे प्रदूषण का स्तर नीचे रखने के लिए पानी का छिड़काव करने के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा, प्रदूषण रोकने के लिए चालू मानसून के दौरान क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जा रहा है।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय कार्यालय का स्थानान्तरण

2385. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने क्षेत्रीय कार्यालय को भुवनेश्वर से कलकत्ता स्थानान्तरित करने और अधीनस्थ अधिकारियों को समयोजित करने के उद्देश्य से मार्च, 1989 में 9,295 वर्ग फुट भूमि अधिगृहीत की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस भूमि पर डेढ़ वर्ष तक कब्जा रखने के परिणामस्वरूप 5 करोड़ 57 लाख रुपये का घाटा हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस क्षेत्रीय कार्यालय को भुवनेश्वर से कलकत्ता स्थानान्तरित करने संबंधी प्रस्ताव को स्थगित करने के क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) कलकत्ता में मंत्रालय के कार्यालयों के लिए किराए पर लिए गए आवासों के ब्यौरे निम्नवत् हैं :-

		वर्गफुट क्षेत्र
1. भारतीय वन सर्वेक्षण	–	4638
2. मुख्य वन संरक्षक	–	3531
3. गंगा परियोजना निदेशालय	–	1126
कुल	–	9295

(ख) 13 जून, 1989 से 8 अगस्त 1990 तक कब्जा करने के लिए 5.23 लाख रु॰ का किराया देना पड़ा।

(ग) प्रशासनिक औचित्य के कारण, कार्यालय को भुवनेश्वर में रखने का निर्णय किया गया।

[अनुवाद]

विद्यालयों में धर्म की शिक्षा

2386. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

डा॰ लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में विभिन्न धर्मों और मतों की शिक्षा को शामिल करने के लिए राज्यों को समय-समय पर कतिपय मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) धार्मिक सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सभी स्तरों की शिक्षा की पाठ्यचर्या में शामिल करने के लिए अनेक कोर पाठ्यचर्या क्षेत्रों का चयन किया गया है। इसमें भारत की साँझी सांस्कृतिक विरासत शामिल है। विभिन्न धर्मों के ज्ञान और समय का विकास तथा भारत की धार्मिक विविधता का महत्व इसके महत्वपूर्ण संघटक हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार किए गए पाठ्यक्रमों तथा पाठ्यपुस्तकों में विभिन्न धर्मों के मतों और प्रथाओं का अध्ययन शामिल है। राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के शैक्षिक प्राधिकरणों को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का पाठ्यक्रम और पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध करा दी गई हैं ताकि वे इन्हें अपना सकें और अपने अनुकूल बना सकें।

[हिन्दी]

कपास का उत्पादन

2387. डा॰ महादीपक सिंह शाक्य :

श्री नीतिश कुमार :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व में कपास के उत्पादन में भारत का कौन-सा स्थान है;

(ख) क्या देश में कपास की औसत उत्पादन दर असंतोषजनक है;

(ग) क्या हाल ही में इस औसत दर में कोई वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1990 के दौरान औसत दर कितनी थी और 1994 में इस समय तक औसत दर कितनी है; और

(ङ) वर्ष 2000 के अंत तक इसकी औसत उत्पादन दर में कितनी वृद्धि करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) खाद्य एवं कृषि संगठन की प्रोडक्शन ईयर बुक 1992 के अनुसार कपास उत्पादन के मामले का विश्व में तीसरा स्थान है।

(ख) विश्व के औसत की तुलना में हमारे देश में कपास की प्रति हैक्टेयर औसत उत्पादन दर बहुत ही कम है।

(ग) जी हां।

(घ) कपास का प्रति हैक्टेयर औसत उत्पादन जो 1990-91 में 225 कि०ग्रा० था 1993-94 में बढ़कर 266 कि०ग्रा० तक पहुँच गया। 1994-95 के कपास उत्पादन के बारे में बताना बहुत जल्द बाजी होगी क्योंकि सभी राज्यों में इस फसल की बुआई का कार्य अभी समाप्त नहीं हो पाया है।

(ङ) देश में कपास के औसत उत्पादन में वर्ष 2000 ई० तक वर्तमान स्तर के मुकाबले 20% तक वृद्धि होने की आशा है।

[अनुवाद]

प्रदूषण नियंत्रण अध्ययन

2388. प्रो० सावित्री लक्ष्मणन् : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का विचार सत्रह श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले नब्बे उद्योगों के बारे में गहन प्रदूषण नियंत्रण अध्ययन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे उद्योगों और उनकी श्रेणियों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां। 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पर्यावरणीय संपरीक्षा रिपोर्ट तैयार करने के उद्देश्य से अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की अभिनिर्धारित श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले 90 उद्योगों में गहन प्रदूषण नियंत्रण अध्ययन करने का प्रस्ताव था। उन्होंने 17 श्रेणियों के 81 उद्योगों और दूसरी श्रेणियों के 9 उद्योगों के लिए पहले ही अध्ययन पूरा कर लिया है। उनके द्वारा किए गए अध्ययनों का श्रेणी-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

प्रत्येक श्रेणी में उन उद्योगों का ब्यौरा नीचे दिया गया है जिनके संबंध में गहन अध्ययन किए गए :

क्रम सं०	श्रेणी	उद्योगों की संख्या
1	2	3
1.	एल्यूमिनियम प्रगालक	04
2.	काष्टिक सोडा	04
3.	सीमेन्ट	10
4.	तांबा प्रगालक	03

1	2	3
5.	मद्यनिर्माण उद्योग	05
6.	डाइज एंड डाइज इन्टरमीडिछएट्स	05
7.	उर्वरक	08
8.	समेकित लौह और इस्पात	01
9.	चर्मशोधनशालाएं	05
10.	कीटनाशक	05
11.	पैट्रोकैमिकल	01
12.	फार्मेस्यूटिकल	05
13.	लुगदी और कागज	05
14.	तेल शोधनशाला	03
15.	चीनी	07
16.	ताप बिजली संयंत्र	09
17.	जस्ता प्रगालक	01
18.	अन्य श्रेणियां	09
	कुल	90

कोंकण क्षेत्र में विश्वविद्यालय

2389. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महासागर तथा मछलीपालन के विकास हेतु महाराष्ट्र के कोंकण जैसे पिछड़े इलाके में विश्वविद्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव शिक्षा विभाग के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1992 में यथासंशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यह उल्लेख किया गया है कि संस्थाओं में चहुँमुखी सुधार करने की आवश्यकता को देखते हुए, निकट भविष्य में विद्यमान संस्थाओं में सुविधाओं के समेकन एवं विस्तार पर मुख्य बल दिया जाएगा।

अनुसंधान विभाग

2390. श्री बसुदेव आचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का अपना अनुसंधान विभाग 21वीं सदी में डीजल ट्रेक्शन के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकसित करने में सक्षम नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस विभाग का आधुनिकीकरण विचाराधीन है ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) और (ख) डीजल रेल इंजन प्रौद्योगिकी में विभिन्न क्षेत्र अर्थात् डीजल इंजन, ट्रांसमिशन, सहायक पुर्जे, बोगियां, ब्रेक प्रणाली, कंट्रोल आदि सम्मिलित हैं, अगली शताब्दी में डीजल कर्षण में काफी प्रौद्योगिकी संबंधी परिवर्तन होने की संभावनाएं हैं। माइक्रोप्रोसरे पर आधारित नियंत्रण प्रणालियां "स्पार्ट" सेनसोर, 3-फ़ेज आदि का डीजल रेल इंजनों पर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा इन सभी में प्रारंभ में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए पर्याप्त पुष्टि अवधि वित्तीय निवेश तथा परिष्कृत अवसंरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता है। यद्यपि संबंधित क्षेत्रों में उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकसित करने के प्रयास किये जाते रहेंगे परन्तु विदेश से प्राद्योगिकी को अपनाकर देशी प्रयासों को बढ़ाना आवश्यक है।

(ग) अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन में अनुसंधान सुविधाओं का आधुनिकीकरण एक सतत कार्य है।

उड़ीसा में ऊपरि पुल

2391. श्री के॰ प्रधानी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में सड़क मार्ग पर कितने ऊपरि पुल निर्माणाधीन हैं;

(ख) प्रत्येक ऊपरि पुल का निर्माण कार्य पूरा करने में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) उन ऊपरि पुलों का निर्माण कार्य तेज करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) 6।

(ख) प्रगति इस प्रकार है :

		प्रगति	
	ऊपरी सड़क पुलों का ब्यौरा	रेलवे का भाग	राज्य सरकारों का भाग
1	2	3	4
1.	भुवनेश्वर (सत्यनगर) में ऊपरी सड़क पुल	100%	कुछ नहीं
2.	भुवनेश्वर (बापू जी नगर) में ऊपरी सड़क पुल	85%	कुछ नहीं

1	2	3	4
3.	जाजपुर-कयोंझर रोड में ऊपरी सड़क पुल	65%	कुछ नहीं
4.	रायगडा में ऊपरी सड़क पुल	40%	62%
5.	टिटलागढ़ में ऊपरी सड़क पुल	4%	कुछ नहीं
6.	केसिंगा में ऊपरी सड़क पुल	कुछ नहीं	कुछ नहीं

(ग) और (घ) रेलवे के भाग में कार्य की प्रगति संतोषजनक है। राज्य सरकार को पहुंच मार्गों पर कार्य की गति तेज करनी है।

भारतीय खाद्य निगम के कार्यालय/गोदाम

2392. श्री प्रबीन डेका : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पास असम के उन जिलों में भारतीय खाद्य निगम के कार्यालयों/गोदामों की स्थापना करने हेतु कोई प्रस्ताव है जहां वर्तमान में कार्यालय/गोदाम नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारतीय खाद्य निगम का गुवाहाटी में अपना आंचलिक कार्यालय है जिसके नियंत्रण में निगम के असम और उत्तर पूर्वी सीमावर्ती (एन०ई०एफ०) क्षेत्र हैं और यह कार्यालय 1989 से कार्य कर रहा है। यह कार्यालय समस्त उत्तर पूर्वी सीमावर्ती (एन०ई०एफ०) क्षेत्रों में भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्नों सम्बन्धी परिचालनों की प्रभावी रूप से देख-भाल कर सकता है। इसके अतिरिक्त, काफी संख्या में जिला कार्यालय हैं। इसलिए, असम में और अधिक कार्यालय स्थापित करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

असम में 40 गोदाम हैं जो पूरे राज्य में फैले हुए हैं और इनकी कुल भण्डारण क्षमता 2.87 लाख मीटरी टन है। असम के सभी राजस्व जिले इन गोदामों से जुड़े हुए हैं जो राज्य की खाद्यान्न आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझे जाते हैं।

निजामुद्दीन-श्रीगंगानगर एक्सप्रैस गाड़ी का गंतव्य स्थान आगे बढ़ाना

2393. श्री जगमीत सिंह बरार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में चालू की गई हजरत निजामुद्दीन-श्रीगंगानगर एक्सप्रैस रेल गाड़ी को राज्य के कुछ नजदीकी और आस-पास के नगरों के यात्रियों के लिये सुलभ करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां।

(ख) भटिंडा में गाड़ी को विभाजित करने तथा एक हिस्से को फाज़िल्का तक चलाने के लिए।

(ग) जांच की गई है परन्तु परिचालनिक कठिनाइयों के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया।

संकर बीज

2394. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले एक वर्ष में अच्छे किस्म के बीजों, विशेषकर संकर बिनौलों तथा धान के बीजों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार संकर किस्म के बीजों को विकसित करने तथा उन्हें किसानों को उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठा रही है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ कृष्ण कुमार) : (क) तथा (ख) पिछले एक वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश में कपास के संकर बीजों के मामले में केवल अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है जबकि धान के बीज के मूल्यों में ऐसी कोई वृद्धि नहीं हुई है। कपास के संकर बीजों के मूल्य में वृद्धि मात्र निम्नलिखित कारणों से हुई है :–

(i) पिछले वर्ष कपास की फसल की पैदावार बेहतर होने की वजह से आंध्र प्रदेश तथा इसके समीपवर्ती क्षेत्रों में अत्यधिक मांग;

(ii) तम्बाकू तथा जिजेजी के कुछ क्षेत्र में कपास की खेती शुरू कर देना।

(ग) संकर बीजों के विकास तथा उत्पादन में तेजी लाने के लिये दिसम्बर, 1989 से विशेष अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके साथ-साथ संकर बीजों के क्षेत्र में वृद्धि भी की जा रही है और इससे कृषकों को उचित मूल्यों पर संकर बीज बेहतर ढ़ंग से उपलब्ध होगा।

[हिन्दी]

रेलवे क्वार्टर

2395. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 1987-88 से विभिन्न रेलवे जोनों में काफी संख्या में क्वार्टर खाली पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जोनवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्वार्टरों के खाली रहने के कारण प्रति वर्ष आवास किराया भत्ते आदि पर कितना व्यय हो रहा है;

(घ) इस संबंध में क्षेत्रीय आवास समितियों को सरकार द्वारा जारी अनुदेशों और उपयुक्त रेल कर्मचारियों को इन क्वार्टरों को आवंटन सुनिश्चित करने संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

समेकित मत्स्य पालन परियोजनाओं में कामबन्दी

2396. श्री अटल बिहारी बाजपेयी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित मत्स्य पालन परियोजना निदेशालय कोच्चि ने 9 जून, 1994 से मत्स्यपालन अनुभाग (चल स्टाफ) में कामबन्दी की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार को कामबन्दी के कारण कितना घाटा हुआ; और

(घ) सरकार द्वारा भारत-नोर्वेजियन परियोजना कर्मचारी संगठन के साथ इस मुद्दे को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ कृष्ण कुमार) : (क) तथा (ख) समेकित मत्स्य पालन परियोजना कोच्चि के प्रबन्धकों द्वारा 10 जून, 1994 को 00.00 बजे से चालक अनुभाग में आंशिक रूप से कामबन्दी की घोषणा की गई थी क्योंकि चालक दल मत्स्य परियोजना संबंधी जहाजों को अपनी क्षमता के अनुसार चलाने से लगातार इन्कार करते रहे थे और इससे सरकार को अत्यधिक हानि हुई।

(ग) कामबन्दी की अवधि के दौरान 29.60 लाख रुपये की हानि आकलित की गई है।

(घ) सहायक श्रम आयुक्त, कोचिन के माध्यम से समझौता कराने के प्रयास किये गये थे लेकिन बार-बार बैठक करने के बावजूद इस मसले का समाधान नहीं मिल सका। इस विभाग के उप सचिव को भी स्थिति का जायजा लेने तथा बातचीत में सहायता करने के लिऐ दिल्ली से कोचिन भेजा गया। अन्ततोगत्वा कर्मचारियों के इस आश्वासन के परिणामस्वरूप कि वे जहाजों का प्रभावी ढंग से प्रचालित करने में सहयोग करेंगे, प्रबन्धकों द्वारा समेकित मत्स्य परियोजना में आंशिक काम बन्दी की स्थिति 18 जुलाई, 1994 को 00.00 बजे से समाप्त घोषित कर दी गई थी। काम बन्दी समाप्त हो जाने पर चालक अनुभाग से सम्बन्धित सभी कर्मचारी काम पर आ गये और उनको सौंपे गये कार्य करने पर सहमत हो गये और जहाज लम्बे समय तक समुद्र में कार्य करने के लिये निकल चुके हैं।

प्रयुक्त बैटरियां

2397. श्री सनत कुमार मण्डल :

डा॰ वाई॰ एस॰ राजशेखर रेड्डी :

श्री परसराम भारद्वाज :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय प्रदूषण रोकने के लिए हानिकारक रसायनों के निर्माण, भण्डारण और आयात में प्रयुक्त बैटरियों के लिए कोई प्रावधान करने की संभावनाओं का पता लग रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला है कि दिल्ली में धातुएं गलाने वाले एककों द्वारा आयातित शीशा अपशिष्टों से उन क्षेत्रों में तबाही हुई थी जहां ये कारखाने स्थित हैं और जिनसे न केवल स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ही पैदा नहीं हो रही थीं बल्कि पशु भी मर रहे थे;

(घ) यदि हां, तो ऐसे एककों का ब्यौरा क्या है और सरकार ने इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) इण्टरनेशनल बेस कवेंशन को लागू करने और ऐसे हानिकारक पदार्थों के आयात पर रोक लगाने हेतु क्या कार्यवाही की जाएगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) सीसा, जस्ता, काडमियम, पारा तथा प्रयुक्त बैटरियों में निहित अन्य विषाक्त घटकों जैसे परिसंकटमय अपशिष्टों के प्रबंधन की पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंध एवं हथालन) नियमावली, 1989 में पहले ही शामिल कर दिया गया है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई जांचों से पता चलता है कि उत्तर-पश्चिम दिल्ली में मुण्डका और नांगलोई में गौण सीसा प्रगालक यूनिटों से आसपास के क्षेत्रों में लोगों तथा मवेशियों के लिए पर्यावरणीय प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्यायें पैदा कर दी हैं। इन जांचों के अनुसार में यूनिटें कच्चे माल के तौर पर देशी और आयातित दोनों थकिस्म की बैटरियों के कतरन का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने कोई प्रदूषण नियंत्रण उपाय नहीं किए हैं। वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत दिल्ली में और उसके आसपास 108 यूनिटों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं।

(ङ) परिसंकटमय अपशिष्टों को परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंध एवं हथालन) नियमावली, 1989 के नियम 11 के तहत विनियमित किया जाता है। केन्द्र सरकार ने संबंधित मंत्रालयों/विभागों से परिसंकटमय अपशिष्टों के आयात के पत्तन पर प्रवेश को तब तक के लिए रोक देने का अनुरोध किया है जब तक इनको पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अनुमति दे दी जाती है। भारत सरकार परिसंकटमय अपशिष्टों के सीमा-पार गमन और उनके निपटान के नियंत्रण संबंधी बेसल कन्वेंशन का एक पक्षकार है और भारत के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को सक्षम प्राधिकारी पदनामित किया गया है। परिसंकटमय अपशिष्टों के सभी आयात और निर्यात (सीमापार संचलन) इस कन्वेंशन के उपबंधों के अधीन हैं और इसके लिए इस मंत्रालय की सहमति अपेक्षित है।

[हिन्दी]

मात्स्यिकी पत्तन

2398. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :

श्री गोविन्दराव निकम :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण समुद्र तट पर मात्स्यिकी पत्तनों का विकास नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ कृष्ण कुमार) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

लेक्चरार के पद पर नियुक्ति

2399. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिसम्बर, 1993 तक पी॰एच॰डी॰ की डिग्री प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को लेक्चरार पद की नियुक्ति हेतु अर्हता व्यापक परीक्षा से छूट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूरे देश के विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा आयोग और राज्यों के लोक सेवा आयोग लेक्चरार पद के चयन हेतु ऐसे उम्मीदवारों को पात्रता प्रदान करेंगे;

(घ) यदि हां, तो क्या सभी संबंधित आयोगों ने इस संबंध में सूचना भेज दी है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(च) क्या आयोग के निर्णय के निर्णय का पालन न किए जाने के संबंध में किसी क्षेत्र से कोई सूचना मिली है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 31.12.1993 तक अपनी पी॰एच॰डी॰ डिग्री प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवारों को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट देने की सहमति दे दी है।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्णयों पर संबंधित एजेंसियों द्वारा यथोचित ध्यान दिया जाता है।

(घ) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को 10.2.1993 को तथा राज्य सरकारों

को 15.6.93 को सूचना भेज दी है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

कोको की खेती

2400. श्री पी॰ सी॰ थॉमस : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों की तुलना में 1993-94 के दौरान कोको के उत्पादन और इसकी खेती में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) देश में कोको की अनुमानित खपत कितनी है;

(ग) इसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है;

(घ) क्या सरकार का इसके लिए समर्थन मूल्य निर्धारित करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) पिछले दो वर्षों की तुलना में 1993-94 के दौरान कोको के उत्पादन में न्यूनतम वृद्धि हुई है जो निम्नवत है :-

वर्ष	उत्पादन (मी॰टन)
1991-92	7376
1992-93	7357
1993-94	7700

(ख) देश में कोको की अनुमानित खपत का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ग) कोको को चूर्ण, मक्खन, चाकलेट उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है तथा उसकी खपत की जाती है। चूर्ण तथा मक्खन का प्रयोग बेकरी उत्पाद तैयार करने, आइसक्रीम, ड्रिंकिंग चाकलेट तथा माल्ट तैयार करने में किया जाता है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कोको (नम फलियों) का प्रचालित मूल्य 12 से 13-50 रुपये प्रति किलो है, जो उचित है।

रेल के डिब्बों का अनुरक्षण

2401. श्री शांताराम पोतदुखे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ई॰एम॰यू॰ के डिब्बों सहित कैरियज और वैगनों की मरम्मत और अनुरक्षण के व्यय में वृद्धि

के बावजूद विभिन्न गाड़ियों में लगे डिब्बों विशेषत: पुराने प्रथम श्रेणी के डिब्बों का अनुरक्षण बहुत घटिया स्तर का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत वर्ष के दौरान प्रत्येक जोन में डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण पर हुए व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने यात्री डिब्बों और माल डिब्बों के समुचित अनुरक्षण के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) से (घ) पिछले दो वर्षों में ई॰ एम॰ यू॰ सहित सवारी डिब्बों और माल डिब्बों के अनुरक्षण पर खर्च में वृद्धि मुद्रास्फीति की सामान्य दर के अनुरूप ही है।

रेलों पर इस आशय के अनुदेश पहले ही मौजूद हैं कि कारखानों और चालू लाइन पर सवारी तथा माल डिब्बों की ओर समुचित और समय पर ध्यान दिया जाय। इसके अतिरिक्त रेलों को सवारी डिब्बों की दशा सुधारने के लिए एक अभियान चलाने के अनुदेश दिए गए थे तथा रेलों पर इनके कार्यान्वयन पर उच्चतम स्तर पर निगरानी रखी जा रही है।

माल डिब्बा अनुरक्षण खास तौर पर कारखानों और चालू लाइन पर ओवरहाल पर निरन्तर निगरानी रखी जा रही है, ताकि विश्वसनीयता में सुधार किया जा सके। मार्ग में माल डिब्बों के अलग होने की घटनाएं 1992-93 की तुलना में 1993-94 में 19% कम हुई हैं।

(ग) ई॰ एम॰ यू॰ को छोड़कर सवारी डिब्बा अनुरक्षण के लिए मांग सं॰ 6 के अंतर्गत 1993-94 का संशोधित अनुमान 467.22 करोड़ रुपए है।

[हिन्दी]

यात्री सुविधाएं

2402. श्री खेलन राम जांगडे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में उन रेलवे स्टेशनों के नाम हैं जहां पर प्रतीक्षालय, जलपानगृह, पेयजल, शौचालय, विश्रामालय की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है और जिनके प्लेटफार्म बिना छत के हैं;

(ख) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो ऐसे कितने मामले रेल परामर्शदात्री समिति को भेजे गए;

(ग) क्या चालू वित्तीय वर्ष में इन रेलवे स्टेशनों पर ये सुविधाएं प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सघन कपास विकास कार्यक्रम

2403. श्री शांताराम पोतदुखे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित "इंटेन्सिव काटन डेवलपमेंट प्रोग्राम" का कार्यान्वयन कब हुआ;

(ख) कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों में ऐसा कार्यक्रम शुरू किया गया है;

(घ) राज्यवार 1993-94 के दौरान कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गई और 1994-95 के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ङ) कार्यक्रम के कार्यान्वयन के एक वर्ष पूर्व की तुलना में इसके कार्यान्वयन के पश्चात् उपलब्धि कितनी रही; और

(च) इस कार्यक्रम को अपनाने के लिए किसानों को किस तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) केन्द्रीय प्रायोजित गहन कपास विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन वर्ष 1971-72 से हुआ।

(ख) इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कपास उत्पादन को बढ़ाना है ताकि घरेलू आवश्यकता को पूरा किया जा सके और निर्यात हेतु कपास बच सके।

(ग) जिन राज्यों में यह कार्यक्रम चल रहा है उनके नाम हैं–आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश।

(घ) 1993-94 के दौरान मुहैया की गई तथा 1994-95 के दौरान आबंटित की गई राज्यवार वित्तीय सहायता (75% केन्द्रीय हिस्सा) नीचे दर्शायी गई हैं :–

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	1993-94 के दौरान मुहैया की गई वित्तीय सहायता	1994-95 के दौरान आबंटित की गई वित्तीय सहायता
1	2	3	4
(1)	आन्ध्र प्रदेश	निर्मुक्त नहीं की गई	64.836
(2)	गुजरात	45.65	75.00
(3)	हरियाणा	58.71	81.00
(4)	कर्नाटक	24.86	65.0625
(5)	मध्य प्रदेश	20.33	64.1288
(6)	महाराष्ट्र	71.58	297.57

1	2	3	4
(7)	उड़ीसा	3.48	6.1875
(8)	पंजाब	151.15	235.875
(9)	राजस्थान	88.35	70.8875
(10)	तमिलनाडु	200.06	261.975
(11)	उत्तर प्रदेश	1.73	6.1125
	योग	665.90	1228.6348

(ङ) केन्द्रीय प्रायोजित गहन कपास विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बाद से कपास का उत्पादन जो 1970-71 में 170 किलोग्राम प्रत्येक की 4.76 मिलियन गांठें था, बढ़कर 1992-93 में 11.58 मिलियन गांठें हो गया।

(च) चुनिन्दा जिलों में उन्नत कपास उत्पादन प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षणों का आयोजन किया जा रहा है। इनके अतिरिक्त, समेकित कीट प्रबन्ध में प्रदर्शन व प्रशिक्षण का भी आयोजन किया जा रहा है।

आन्ध्र प्रदेश में रेलवे क्वार्टर

2404. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में रेल कर्मचारियों को उनकी बारी आने पर गैर-आवश्यक श्रेणी में कितने रेलवे क्वार्टर आवंटित किए गए;

(ख) रेलवे क्वार्टरों के बिना बारी के आवंटन के लिए क्या मानदंड अपनाए गये हैं;

(ग) इस प्रकार के आवंटन के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) कितने कर्मचारियों को क्वार्टर आवंटित किए गए हैं; और

(ङ) बकाया कर्मचारियों के आवेदन किन आधारों पर अस्वीकृत कर दिए गए ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

पारिस्थितिकी के अनुकूल कीटनाशक

2405. श्री शांताराम पोतदुखे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यावरण प्रदूषण को रोकने हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल कीटनाशक बनाने के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान,

हैदराबाद तथा कई अन्य संस्थान/विश्वविद्यालय पौध मूल की ऐसी कृमिनाशी दवाओं और खरपतवार नाशी दवाओं संबंधी अनुसंधान और विकास कार्य कर रहे हैं जो पारिस्थितिकीय रूप से अनुकूल हों। इन अनुसंधानात्मक प्रयासों के फलस्वरूप नीम पर आधारित योग तथा बैसिलस थुरिन्जिसिस (बी॰टी॰) तथा बैसिलस स्फिराइकस (बी॰ एस॰) पर आधारित खरपतवार नाशी दवाइयां विकसित की गई हैं।

देश में नीम पर आधारित कृमिनाशी दवाओं और खरपतवार नाशी दवाओं को बढ़ावा देने तथा उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिये उठाए गये मुख्य कदम इस प्रकार हैं :-

(1) नीम पर आधारित कृमिनाशी दवाओं और खरपतवार नाशी दवाओं को बढ़ावा देने के लिये पंजीकरण प्रविधियों को सरल बनाना।

(2) अनन्तिम पंजीकरण के अवधि में नीम पर आधारित कृमिनाशी दवाओं तथा खरपतवार नाशी दवाओं का वाणिज्यकरण।

(3) समेकित कृमि प्रबन्ध के समग्र कार्यक्षेत्र के तहत नीम पर आधारित कृमि नाशी दवाओं तथा खरपतवार नाशी दवाओं को शामिल करना।

हाल्ट स्टेशन

2406. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्वी रेल के पंस्कुरा-हल्दिया सेक्शन में रानीचक स्थान पर यात्री हाल्ट स्टेशन के निर्माण का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ) : (क) और (ख) पांसकुड़ा-हल्दिया खंड पर शिल्पाप्रवेश और हल्दिया स्टेशनों के बीच रानीचक में हाल्ट स्टेशन खोलने के प्रस्ताव की जांच की गई थी, परन्तु वित्तीय एवं परिचालनिक दृष्टि से इसे औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

बागवानी/ खाद्यान्नों के अन्तर्गत भूमि

2407. श्री धर्मभिक्षम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में खाद्यान्नों/बागवानी की खेती के लिए अलग-अलग कुल कितना भूमि-क्षेत्र है; और

(ख) इनमें कार्यरत किसानों को दी जा रही सुविधाओं का ब्यौर क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) भू उपयोग सांख्यिकी 1990-91 (अद्यतन उपलब्ध) के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में खाद्यान्नों और बागवानी (फल सब्जियों) की खेती के अंतर्गत आने वाला भू क्षेत्र अनुमानत: क्रमश: 7762 हजार हैक्टेयर और 527 हजार हैक्टेयर था।

(ख) सरकार विभिन्न फसलोत्पादोन्मुखी कार्यक्रमों के अन्तर्गत उन्नत बीजों के मिनीकिटों का वितरण अभिज्ञात फार्म उपस्करों पर राज सहायता, प्रमाणित बीजों का वितरण विभिन्न खाद्य एवं बागवानी फसलों से सम्बन्धित प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए प्रदर्शनों के आयोजन एवं किसानों को प्रशिक्षण जैसी विभिन्न प्रकार की सुविधायें और

प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। सरकार दोनों प्रकार की फसलों के उत्पादकों को मूल्य एवं बाजार समर्थन भी प्रदान कर रही है।

केन्द्रीय भांडागार निगम

2408. श्री अमल दत्त : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय भांडागार निगम ने कलकत्ता में "कन्टेनर फ्रेट स्टेशन" की स्थापना पर कितनी धनराशि खर्च की है;

(ख) इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा; और

(ग) केन्द्रीय भांडागार निगम ने माल प्राप्त करने/माल ढुलाई के लिए क्या प्रयास किए हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) केन्द्रीय भण्डारण निगम ने कलकत्ता स्थित कन्टेनर फ्रेट स्टेशन के निर्माण के लिए कुल 5.17 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है।

(ख) कन्टेनर फ्रेट स्टेशन, कलकत्ता का निर्माण कार्य मार्च, 1994 में पहले ही पूरा हो चुका है।

(ग) केन्द्रीय भण्डारण निगम के कारगो और कन्टेनरों की हैण्डलिंग के लिए 16.8.93 से कन्टेनर फ्रेट स्टेशन, कलकत्ता में एक हैण्डलिंग और परिवहन ठेकेदार, मै॰ एम॰ इलियास (प्रा॰) लिमिटेड को नियुक्ति किया है। श्रम सम्बन्धी समस्याओं के कारण कन्टेनर फ्रेट स्टेशन अपने परिचालनों को पूरी क्षमता से नहीं चला सका। आशा है कि कन्टेनर फ्रेट स्टेशन, कलकत्ता में परिचालन सुचारु रूप से हो सकेंगे क्योंकि केन्द्रीय भण्डारण निगम के हैण्डलिंग तथा परिवहन ठेकेदार द्वारा 27.6.94 को पतन श्रमिक जनता पंचायत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

दूध में कीटनाशकों का पता लगाने के लिए जांच

2409. डा॰ आर॰ मल्लू : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान बंगलौर ने दूध में कीटनाशकों का पता लगाने के लिए नई और आसान परीक्षण प्रणाली विकसित की है;

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जिन विभिन्न प्रयोगशालाओं और क्षेत्रीय केन्द्रों में यह सुविधा पहले ही उपलब्ध है, वे न लाभ न हानि के आधार पर गैर सरकारी संगठनों तथा जनता को जांच की सुविधाएं उपलब्ध करायेंगी;

(ग) क्या राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर और करनाल द्वारा इस संबंध में प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या दूध की जांच के लिए ये किट जनता को उपलब्ध कराने का विचार है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ कृष्ण कुमार) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली परिक्रमा रेल

2410. **श्रीमती विजय राजे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 15 अगस्त, 1994 से दिल्ली की सड़कों पर यातायात की भीड़ को कम करने हेतु एक नई तरह की पुनर्गठित बिजली चालित परिक्रमा रेल सेवा शुरू करने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली सरकार और रेल प्रशासन के बीच कुछ मुद्दों पर असहमति के कारण परिक्रमा रेल सेवा शुरू किए जाने में विलम्ब की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) और (ख) दक्षिणी रिंग (हज़रत निजामुद्दीन-पटेल नगर) पर सुबह और शाम की व्यस्त अवधि में लगभग 20 मिनट के अंतराल में फेरे बढ़ाने की व्यवस्था कर दी गई है। रेलें इस बढ़ी हुई सेवा को 15 अगस्त, 1994 से शुरू करने की स्थिति में हैं, बशर्ते कि दिल्ली राज्य सरकार इस संबंध में मानी गई शर्तें पूरी कर दे।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अच्छे किस्म की चीनी के लिए समझौता

2411. **श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम निम्न कोटि की चीनी के लिए पहले ही समझौता करने के बाद अच्छे किस्म की चीनी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं;

(ख) निम्न कोटि की चीनी के स्थान पर उत्तम किस्म की चीनी प्राप्त करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं को अपने समझौतों को संशोधित करने के लिए प्रलोभन दिया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो चीनी सौदे में राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

काली मिर्च में कुम्हलाने की बीमारी

2412. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में काली मिर्च के पौधे पर शीघ्र कुम्हलाने की बीमारी के कारणों का पता लगाने हेतु कोई अनुसंधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बीमारी की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या शीघ्र कुम्हलाने की बीमारी की रोकथाम हेतु कोई धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केन्द्र, कालीकट (भा० कृ० अ० प०) और काली मिर्च अनुसंधान केन्द्र, पण्णियुर (केरल कृषि विश्वविद्यालय) काली मिर्च के मुर्झान रोग पर अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। **फाइटॉप्थोरा कैपसिकि** रोग का आकस्मिक कारक जो मिट्टी में पनपने वाली एक प्रकार की फफूंद है। शीघ्र मुर्झान के लिए राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केन्द्र में विकसित एक प्रबन्ध प्रौद्योगिकी का बड़े क्षेत्र (100 हैक्टर) में सफलता पूर्वक प्रदर्शन किया गया।

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने शीघ्र मुर्झान के लिए आठवीं योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र योजना के रूप में समन्वित प्रबन्ध योजना तैयार की है।

चालू वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम को केरल के काली मिर्च उगाने वाले पांच प्रमुख जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। विकास अधिकारियों और किसानों को इस प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित किया गया और पादप सुरक्षा सम्बन्धी रसायनों और छिड़काव करने वाले यंत्रों को 50% का अनुदान किया गया है।

(ग) इस केन्द्रीय क्षेत्र योजना के लिए 27.90 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

(घ) इस कार्यक्रम के लिए राज्यवार आबंटन निम्नानुसार है :

केरल	26.226 करोड़ रु०
कर्नाटक	1.116 करोड़ रु०
तमिलनाडु	0.558 करोड़ रु०
कुल :	27.900 करोड़ रु०

दावा-न्यायाधिकरण

2413. श्री एम० बी० सिदनाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय ने कहां-कहां दावा-न्यायाधिकरण स्थापित किए हैं;

(ख) 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार इन न्यायाधिकरणों में कितने मामले लंबित हैं;

(ग) 1993-94 के दौरान इन न्यायाधिकरणों में ऐसे कितने मामले दर्ज किए गये और कितने मामले निपटाए गए;

(घ) कर्नाटक में दावा न्यायाधिकरणों में ऐसे कितने मामले दर्ज किए गये और कितने मामले निपटाए गए;

(ङ) इन न्यायाधिकरणों में कितने मामले 3 माह, 6 माह और 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं; और

(च) लंबित मामलों को निपटाने में कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) रेल दावा अधिकरण की निम्नलिखित 17 स्थानों पर 19 पीठें हैं :–अहमदाबाद, बेंगलूरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बम्बई, कलकता, (2पीठें), चण्डीगढ़, एर्णाकुलम, गुवाहाटी, गोरखपुर, जयपुर, लखनऊ, मद्रास, दिल्ली (2 पीठे), नागपुर, पटना, और सिकन्दराबाद।

(ख) 63,878

(ग) 1993-94 के दौरान दायर/सिविल न्यायालयों से अन्तरित किए गए मामलों की संख्या –14,818

1993-94 के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या –10,398

(घ) 1993-94 के दौरान दायर/सिविल न्यायालयों से अन्तरित किये गए मामलों की संख्या – 149

1993-94 के दौरान निपटाये गये मामलों की संख्या – 151

(ङ) तीन महीने से अधिक समय से – 58

6 महीने से अधिक समय से – 43

एक वर्ष से अधिक समय से – 434

(च) ये मामले रेल दावा अधिकरण की बेंगलूरू पीठ में सदस्य (न्यायिक) का पद खाली होने के कारण लम्बित पड़े हैं सदस्य (न्यायिक) के पद के लिए नियुक्ति की पेशकश पहले ही की जा चुकी है। जैसे ही सदस्य अपनी ड्यूटी ग्रहण कर लेंगे वैसे ही पूर्ण पीठ, जिसमें सदस्य (न्यायिक) तथा सदस्य (तकनीकी) शामिल हैं, गठित हो जाएगी। इससे रेल दावा अधिकरण की बेंगलूर पीठ में लम्बित पड़े मामलों का शीघ्र निपटान हो जाएगा।

सुपर बाजार

2414. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री सुपर बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कमी के बारे में 26 जुलाई, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या-233 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति और उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु खरीद व्यवस्था को अधिक व्यापक बनाने के लिए सुपर बाजार में लागू की गई प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या लागू की गई व्यवस्था की जांच करने के लिए किसी प्राधिकारी को उत्तरदायी बनाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या माल मंगाने में मनमानी पकड़ने और कथित भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए सुपर बाजार और केन्द्रीय भंडार में मांग पत्रों की लेखा परीक्षा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि अधिप्राप्ति की प्रणाली को व्यापक आधार प्रदान करने के लिए वस्तुओं की आपूर्ति हेतु पाक्षिक निविदाओं में विनिर्माताओं, वितरकों तथा व्यापारियों सभी को भाग लेने की अनुमति है। इसके अतिरिक्त व्यापार पत्रिकाओं जैसे व्यापार भारती आदि में भी समय-समय पर विज्ञापन जारी किए जाते हैं और इस प्रकार निविदा कार्य में व्यापक भागीदारी आमंत्रित की जाती है।

(ख) और (ग) सुपर बाजार की प्रबंध समिति सुपर बाजर के कार्यकरण की नियमित रूप से समीक्षा करता है तथा समय-समय पर उचित निर्देश देती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पंजीयक, सहकारी सोसायटी, दिल्ली द्वारा नियुक्त किए गए लेखा-परीक्षकों द्वारा दिल्ली सहकारी सोसायटी अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार सुपर बाजार तथा केन्द्रीय भंडार की लेखा-परीक्षा की जाती है। गोदामों/क्षेत्रीय वितरण केन्द्रों में भंडारों की आवश्यकताओं की जांच की जाती हैं और भंडार की स्थिति तथा वस्तुओं की बिक्री के स्तर को ध्यान में रखते हुए उन्हें समायोजित किया जाता है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

"अमूल" मक्खन की कमी

2415. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत चार माह में अमूल मक्खन का मूल्य दुगुना हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) दिनांक 1.8.94 की स्थिति के अनुसार 500 ग्राम और 100 ग्राम अमूल मक्खन को संशोधित मूल्य कितना था;

(घ) क्या मूल्य में वृद्धि के बावजूद, अमूल मक्खन दिल्ली में मदर डेरी के बूथों पर अब आसानी से उपलब्ध नहीं है;

(ङ) यदि हां, इसकी कमी के क्या कारण हैं;

(च) क्या इस बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि मदर डेरी डिपों के बिक्री कर्मचारी मक्खन की कालाबाजारी कर रहे हैं;

(छ) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने इस संबंध में जांच की है;

(ज) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसका क्या निष्कर्ष है; और

(झ) दिल्ली में मदर डेयरी के डिपो और सब्जी डिपो पर अमूल मक्खन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) अमूल मक्खन के उपभोक्ता मूल्य में वृद्धि विद्युत, पैकेजिंग तथा अन्य ऊपरी खर्चों जैसी आदान लागत में हुई वृद्धि की भरपाई करने के लिए की गई थी।

(ग) दिनांक 1.8.94 को अमूल मक्खन का अधिकतम खुदरा मूल्य इस प्रकार है :-

(1) 100 ग्राम का पैकिट – 9.00 रुपये प्रति यूनिट

(2) 500 ग्राम का पैकिट – 43.50 रुपये प्रति यूनिट

(घ) एवं (ङ) अप्रैल, 1994 से जुलाई, 1994 की कमी की अवधि के दौरान अमूल मक्खन की बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में 4 प्रतिशत अधिक रहा। तथापि मक्खन के अन्य ब्राण्डों के बाजार से गायब हो जाने तथा घी के मूल्य में वृद्धि और मक्खन की मांग में वृद्धि हो जाने से इसकी आपूर्ति में कुछ कमी आई है। दूध की कम अधिप्राप्ति तथा तरल दूध को बेचने की प्राथमिकता दिए जाने के कारण गर्मी के महीनों में उत्पादन में वृद्धि करना संभव नहीं है।

(च) सरकार को इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है।

(छ) तथा (ज) प्रश्न नहीं उठता।

(झ) मदर डेरी तथा फल एवं सब्जी बिक्री केन्द्रों को पिछले वर्षों में मुकाबले अपने औसत मासिक माल उठाव से अधिक मात्रा में मक्खन की आपूर्ति करने की व्यवस्था की गई है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में आरक्षण

2416. डा॰ सुधीर राय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन में विभिन्न पदों की भर्ती के लिए हाल में दिए गए विज्ञापन में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत से अधिक हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली विश्वविद्यालय में हीलियम लिक्विफाइर संयंत्र

2417. श्री ललित उरांव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साइन्टीफिट इन्स्टरूमेंट सेंटर आफ दिल्ली यूनीवर्सिटी द्वारा अमरीकी कम्पनी से खरीदे हुए माडल 1410 के हीलियम लिक्विफाइर संयंत्र ने अभी तक कार्य करना शुरू नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसमें विलंब के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, हीलियम लिक्विफाइर संयंत्र माडल 1410, साइन्टीफिट इन्स्टरूमेंट सेंटर आफ दिल्ली यूनीवर्सिटी द्वारा मार्च, 1985 में अमरीकी की एक कम्पनी से खरीदा गया। लेकिन इसे शीघ्र ही स्थापित नहीं किया जा सका क्योंकि भवन तैयार नहीं था। बाद में जब इसे स्थापित किया गया और इसे काम लेना शुरू किया गया तब यह पाया गया कि इस मशीन का कोल्ड बाक्स खराब था। इसे भारत में ठीक नहीं किया जा सका और अप्रैल, 1990 में इसे जहाज से अमेरिका भेज देना पड़ा। यह मशीन मार्च, 1991 में वापस हो गई लेकिन रास्ते में यह बहुत टूट-फूट गई। इसलिए इसे जनवरी, 1993 में मरम्मत के लिए दुबारा अमेरिका भेजना पड़ा। यह मई, 1993 में वापिस मिली और अमेरिकी अभियन्ताओं की सहायता से स्थापित की जाएगी। आशा है कि ये अभियन्ता अक्टूबर, 1994 में भारत आएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय को उन परिस्थितियों की जांच करने की सलाह दी जा रही है जिनके अन्तर्गत इस संयंत्र को 1985 में खरीदने के पश्चात् भी चालू नहीं किया जा सका।

[अनुवाद]

सुपर बाजार में कथित भ्रष्टाचार

2418. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को सुपर बाजार द्वारा घटिया किस्म की वस्तुओं की आपूर्ति करने के किसी मामले की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गये हैं अथवा किए जायेंगे;

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सुपर बाजार में शाखाओं और गोदामों द्वारा भेजे गए इन्डेंटों की बारीकी से जांच की जाए;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान सुपर बाजार में भ्रष्टाचार के कितने मामलों का पता चला; तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) सरकार सुपर बाजार के निधियों का दुर्विनियोजन को रोकने के लिए क्या कदम उठायेगी ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी हाँ।

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान सुपर बाजार ने झाड़न (डस्टर) खरीदे थे, जो घटिया किस्म के पाए गए।

सुपर बाजार ने सूचित किया है कि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच कार्यवाही शुरू की गई थी परन्तु जांच पूरी होने से पूर्व संबंधित अधिकारी की मृत्यु हो गई। सुपर बाजार ने सूचित किया कि किसी भी वस्तु की बिक्री शुरू करने से पूर्व कड़े गुणवत्ता नियंत्रण उपाय किए जाते हैं और बिक्री-पूर्व चरण में यादृच्छिक नमूने भी लिए जाते हैं।

(ग) व (घ) दी कोआरेटिव स्टोस लि॰ दिल्ली, जो सुपर बाजार के नाम से लोकप्रिय है, दिल्ली सहकारी सोसायटी अधिनियम और नियमों के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त सहकारी संगठन है और अपनी उपविधियों द्वारा शासित होता है। सुपर बाजार की प्रबंध समिति उसके उपयुक्त कार्यकरण के लिए जिम्मेदार है। सरकार नीतिगत रूप से भंडार के समिति उसके उपयुक्त कार्यकरण के लिए जिम्मेदार है। सरकार नीतिगत रूप से भंडार के रोजाना के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती है। पंजीयक, सहकारी समिति, दिल्ली द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा-परीक्षक दिल्ली सहकारी सोसायटी अधिनियम के अनुसार भंडार के लेखाओं की लेखा-परीक्षा करते हैं।

(ङ) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि गत तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय वितरण केन्द्र, पटेल नगर में गबन का केवल एक मामला पाया गया है। यह मामला दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को सौंप दिया गया था और जांच के बाद दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मामले को विचारण न्यायालय के सुपुर्द कर दिया। इसमें शामिल अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है।

(च) सुपर बाजार में मुख्य सतर्कता अधिकारी की अध्यक्षता में एक सतर्कता कक्ष गठित किया गया है। यह सतर्कता कक्ष, भंडार का उपयुक्त कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए अचानक जांच करता है।

छात्रों का एड्स परीक्षण

2419. श्री मोहन रावले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने यह निर्णय लिया है कि छात्रों को तब तक डिग्रियां नहीं दी जायेंगी जब तक कि वे एड्स निवारक और नियंत्रण संबंधी कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा नहीं करेंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस व्यवस्था को पूरे देश में अनिवार्य बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचनानुसार, आयोग को राज्य सरकार द्वारा लिये गये इस प्रकार के किसी निर्णय की जानकारी नहीं है। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को एक कार्रवाई योजना परिचालित की है; जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एड्स एक स्व-अध्ययन पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने पर भी विचार किया गया है। डिग्री पाठ्यक्रमों में अनुसरण की जा रही अध्ययन की पाठ्यचर्याओं और पाठ्यक्रमों के बारे में निर्णय, विश्वविद्यालयों द्वारा जो कि स्वायत्त विकाय हैं, लिये जाते हैं और न कि सरकार द्वारा।

[हिन्दी]

झींगा पालन

2420. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेंट्रल फिशरी एजुकेशन इन्स्टीट्यूट को झींगा पालन हेतु पायलट परियोजना चालू करने के लिए स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना को चालू करने में असाधारण विलम्ब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस परियोजना के वांछित उद्देश्यों को पूरा कर लिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ कृष्ण कुमार) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, बम्बई के लिए झींगा अंडज उत्पत्तिशाला पर मार्गदर्शी प्रायोजना" नामक एक अनुसंधान प्रायोजना का समुद्र विकास विभाग द्वारा उनके दिनांक 21.3.86 के पत्र द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। यह प्रायोजना 3 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत की गयी थी और इसकी कुल लागत 15,62,455,.00 रुपए थी।

(ग) एवं (घ) जी, नहीं। यह प्रायोजना संस्थान को अनुदान मिलने के तुरन्त बाद 17 अक्तूबर, 1987 को आरम्भ कर दी गयी थी।

(ङ) एवं (च) जी, हां। बड़े पैमाने पर झींगा प्रजनन, अंडज उत्पत्तिशाला प्रबंध, लार्वा पालन चारा तैयार करने, प्रशिक्षण और खेतों पर प्रदर्शन सहित प्रसार के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास संबंधी निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की गयी।

अहमदनगर का किला

2421. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदनगर का किला, जो रक्षा विभाग के नियंत्रण में है, उसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है;

(ख) क्या इस घोषणा के परिणामस्वरूप रक्षा विभाग के कुछ कार्यालयों को अन्यत्र स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक इस किले को राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए सौंप दिया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) व (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला छात्रावास

2422. प्रो॰ सावित्री लक्ष्मणन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में राज्यवार और वर्षवार कितने महिला छात्रावास निर्मित किए गए,

(ख) इन ग्रामीण महिलाओं को प्राप्त लाभों का ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार का विचार 1994-95 के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे और छात्रावासों की मंजूरी देने का है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितना धन आबंटित किया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्यमंत्री (श्रीमती वासवा राजेश्वरी) : (क) और (ख) कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल भवन जिसमें दिवस देखभाल केन्द्र भी होता है, के निर्माण/विस्तार हेतु सहायता की स्कीम के अन्तर्गत अधिकतम पांच वर्षों की अवधि के लिए श्रेणी 'क' तथा श्रेणी 'ख' और 'ग' शहरों में क्रमश: 5000/- रू॰ और 4500/- रू॰ (समेकित) प्रति माह से अनधिक आय अर्जित करने वाली एकल कामकाजी महिलाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। स्कीम में यह शर्त रखी गई है कि जिस क्षेत्र में प्रस्तावित होस्टल का निर्माण किया जाना हो, वहां कम से कम 20 कामकाजी महिलाएं होनी चाहिए। अत:, ये होस्टल मुख्यतया शहरी क्षेत्रों में ही बनाए गए हैं, जहां महिलाएं संगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। तथापि, गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में संस्वीकृत कामकाजी महिला होस्टलों संबंधी विवरण इस प्रकार है :

क्रम सं॰	वर्ष	राज्य	संस्वीकृत होस्टलों की संख्या	संस्वीकृत क्षमता	
				कामकाजी महिलाएं	बच्चे
1.	1991-92	केरल	1	165	–
2.	1992-93	कर्नाटक	1	94	41
		केरल	2	216	50
3.	1993-94	–	–	–	–

(ग) और (घ) इस स्कीम के अन्तर्गत कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टलों की संख्या और धनराशि का राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार आबंटन नहीं किया जाता। संबंधित राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों के माध्यम से पात्र संगठनों में प्राप्त हर प्रकार से पूर्ण प्रस्तावों के आधार पर होस्टल संस्वीकृत किए जाते हैं।

[हिन्दी]

बाल वेश्यावृत्ति

2423. श्री राजवीर सिंह :

डा॰ असीमबाला :

डा॰ लाल बहादुर रावत :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "यूनीसेफ" की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में लाखों बच्चे वेश्यावृत्ति में लिप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या बच्चों के यौन शोषण संबंधी कोई जांच कराई गई थी, यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस सामाजिक समस्या विशेषत: वेश्यालयों और मालिश पार्लरों में बाल वेश्यावृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्यमंत्री (श्रीमती वासवा राजेश्वरी) : (क) भारत में बाल वेश्याओं की संख्या के बारे में कोई प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं है। फिर भी, यूनिसेफ के प्रकाशन "प्रोग्रेस ऑफ नेशन्ज" (1994) में थाइलैंड के एक संगठन ने यह कहा है कि अनुमानतया भारत में बाल वेश्याओं की संख्या 3 लाख है।

(ख) अपराध तथा कानून और व्यवस्था राज्य के मामले हैं। विशिष्ट मामलों में जांच का कार्य राज्य पुलिस द्वारा किया जाता है और कानून के मुताबिक उन पर कार्यवाही की जाती है।

(ग) बाल वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए भारतीय दण्ड संहिता और अनैतिक पणन (दमन) अधिनियम 1956 के अंतर्गत प्रावधान पहले से ही मौजूद है। अधिनियम के अन्तर्गत, अवयस्क या बाल वेश्या के मामलों में अधिक जुर्माना और कड़ी सजा निर्धारित की गई है।

अधिनियमों को लागू करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। केन्द्र सरकार ने इस अधिनियम का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदेश जारी किए हैं। इस बारे में सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों के साथ बैठकें भी की गई हैं। भारत सरकार ने बाल वेश्याओं को मुक्त कराने और उनके पुनर्वास के लिए कानूनी और अन्य दोनों प्रकार के उपायों के लिए सिफ़ारिशें/कार्य योजना तैयार करने के लिए एक केन्द्रीय सलाहकार समिति का गठन किया है। समिति ने गई सिफारिशें की हैं, जिनमें कानूनों का कड़ाई से प्रवर्तन, विधि प्रवर्तन में बेहतर समन्वय तथा बाल वेश्याओं को बचाने और छुड़ा लिए गए व्यक्तियों की सुरक्षा, परामर्श और पुनर्वास, गैर-सरकारी संगठनों, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, सीमा सुरक्षा बल, भारतीय

तिब्बत सीमा पुलिस की सहभागिता, स्रोत क्षेत्रों का विकास, बचाव और पुनर्वास के विभिन्न कार्यक्रमों का विस्तार, संबंधित कानूनों की समीक्षा इत्यादि शामिल है।

समिति की सिफारिशों को उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों को भेजा जा चुका है।

[अनुवाद]

बालवाड़ी और नारी निकेतन

2424. श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितनी बालवाड़ियां और नारी निकेतनों की स्थापना हुई है;

(ख) इनमें से अलग-अलग कितनों का रखरखाव सरकारी और निजी एजेंसियों द्वारा किया जाता है;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान उन पर राज्य-वार कितना धन व्यय हुआ और क्या उक्त व्यय की लेखा परीक्षा होती है;

(घ) यदि हां, तो सरकार को उक्त संस्थानों में धन के दुरुपयोग की घटना की जानकारी मिली है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या चालू वर्ष में और भी बालवाड़ियां और नारी निकेतन खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्यमंत्री (श्रीमती वासवा राजेश्वरी) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

चीनी का आयात/निर्यात

2425. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री विश्वनाथ शास्त्री :

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :

श्री सूरजभानु सोलंकी :

श्री जे. चोक्काराव :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994 के दौरान अब तक किस मूल्य पर और किन-किन देशों से चीनी का आयात किया गया है;

(ख) क्या चीनी का निर्यात भी किया गया है और यदि हां, तो उस देश का नाम और इसका निर्यात किस मूल्य पर किया गया था;

(ग) क्या निर्यात मूल्य आयात मूल्य से कम है और यदि हां; तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) चीनी के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा का व्यय किया गया ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) सरकार ने खुले सामान्य लाइसेंस के तहत चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी है। इस प्रकार निजी पार्टियां और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जैसे-एस०टी०सी० एवं एम०एम०टी०सी० द्वारा चीनी का आयात किया जा रहा है। निजी पार्टियां अपने वाणिज्यिक निर्णयों के अनुसार चीनी आयात कर रही हैं और उनके द्वारा किस कीमत पर चीनी का ठेका किया गया; किस देश से चीनी आयात की गई और चीनी आयात में कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई के संबंध में विवरण उपलब्ध नहीं है।

जहां तक एस०टी०सी० और एम०एम०टी०सी० का संबंध है, उन्होंने यू०एस०ए० फ्रांस, यू०के०, हांगकांग, जापान, जर्मनी आदि में स्थित कंपनियों से 387 यू०एस० डॉलर प्रति टन के औसत मूल्य (सी० एंड एफ०) पर लगभग 10 लाख टन चीनी के आयात का ठेका किया है। उनके आयात प्रगति में हैं।

(ख) और (ग) निर्यातक एजेंसी अर्थात् भारतीय चीनी एवं सामान्य उद्योग निर्यात-आयात निगम लि०, नई दिल्ली के अनुसार 1994 के दौरान, आज की तारीख तक उन्होंने यू० एस० ए० को 16,600 मि० टन चीनी तरजीह कोटे के रूप में 435/मी० टन यू० एस० डॉलर (एफ० ओ० बी०) पर चीनी का निर्यात किया है।

उनके द्वारा 1994 के दौरान जिस कीमत पर चीनी का आयात किया गया था उससे उच्चतर कीमत पर चीनी का निर्यात किया है।

(घ) इस स्तर पर जबकि चीनी का आयात प्रगति पर है, चीनी के आयात में कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई, निर्दिष्ट करना संभव नहीं है।

चीनी का उत्पादन

2426. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी मिलों के आधुनिकीकरण से चीनी के उत्पादन में वृद्धि होगी;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) 1994-95 में चीनी का अनुमानत: कितना उत्पादन होगा ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार चीनी फैक्ट्रियों के आधुनिकीकरण और पुन:स्थापन के लिए चीनी विकास निधि के उदार शर्तों पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आगे, खाद्य मंत्रालय के सहयोग से विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय के तहत चुनी गई 30 फैक्ट्रियों में तकनीकी सुधार के लिए उत्पादन की लागत में प्रभावशीलता लाने और अन्य फैक्ट्रियों के लिए प्रदर्शन यूनिट के तौर पर पेश करने के लिए एक मिशन मोड़ परियोजना आरंभ की गई है।

(ग) 1994-95 चीनी मौसम (अक्तूबर-सितंबर) के लिए चीनी उत्पादन का अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी।

[हिन्दी]

चीनी मिल

2427. श्री मंजय लाल :

श्री रामप्रसाद सिंह :

श्री हरिभाई पटेल :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय रुग्ण चीनी मिलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से कितनी मिलें बंद हो चुकी हैं;

(ग) इनके बंद होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन मिलों के पुन: चालू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के उपबंधों के तहत जो कंपनियां रुग्ण हो जाती हैं उनके मामलों को औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी॰आई॰एफ॰आर॰) को भेजना होता है। अब इन उपबंधों में सरकारी कंपनियों को भी कवर कर लिया गया है। बी॰आई॰एफ॰आर॰ से प्राप्त सूचना के अनुसार उनके पास 30.6.1994 को 13 पंजीकृत रुग्ण चीनी कंपनियां थी। बी॰आई॰एफ॰आर॰ द्वारा प्रस्तुत ऐसी रुग्ण चीनी कंपनियों की राज्यवार सूची दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) 1993-94 मौसम के दौरान कर्नाटक में सलारगंज चीनी मिल को छोड़कर उपर्युक्त सभी चीनी फैक्ट्रियों के कार्य करने की सूचना मिली है।

(ग) चीनी फैक्ट्रियों की रुग्णता से बंद होने के विभिन्न कारण हो सकते हैं–जैसे अपर्याप्त गन्ना उपलब्धता, प्लांट एवं मशीनरी का आकार, अवस्था एवं स्थिति, तकनीकी और प्रबंधकीय क्षमता, गन्ने के अधिक मूल्य का बिक्री वसूली के अनुरूप होना, विभिन्न अन्य कारण।

(घ) चीनी मिलों को पुन:स्थापन/आधुनिकीकरण के लिए योजनाएं स्वयं तैयार करनी होती हैं और उनका वित्तीय संस्थाओं से अनुमोदन कराना होता है। ऐसी पुन:स्थापना/आधुनिकीकरण योजनाओं के लिए चीनी विकास निधि (एस॰डी॰एफ॰) से रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है बशर्ते कि वे उनमें निहित शर्तें पूरी करती हों।

विवरण

क्रम सं.	राज्य	कंपनी
1.	आन्ध्र प्रदेश	चल्लापल्ली शुगर
2.	बिहार	चम्पारन शुगर,
3.	कर्नाटक	दावनगेरे शुगर कंपनी
		सलारगंज शुगर
		गंगावती शुगर,
4.	मध्य प्रदेश	जीवाजी राव शुगर
5.	महाराष्ट्र	गोदावरी शुगर मिल्स
6.	पंजाब	भगवानपुरा शुगर मिल्स
7.	राजस्थान	मेवाड़ शुगर
8.	उत्तर प्रदेश	लक्ष्मी शुगर मिल्स
		*कानपुर शुगर वर्क्स लि.
		*शेरवानी शुगर सिंडिकेट लि.
9.	पश्चिमी बंगाल	रामनुगेर केन (खेतान एग्रो कॉम्पलेक्स)

*बी. आई. एफ. आर. द्वारा जांच के अधीन।

[अनुवाद]

लघु चीनी मिलें

2428. **श्री मंजय लाल :**

श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास लघु और ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत लघु इस्पात संयंत्र की भांति लघु चीनी मिलों को खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) एक वैक्यूम पेन चीनी फैक्ट्री का न्यूनतम आर्थिक आकार 2500 टी॰सी॰डी॰ है। 2500 टी॰सी॰डी॰ से कम क्षमता के चीनी संयंत्र आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं हैं इसी प्रकार लाइसेंस नीति मार्गनिर्देशों के अनुसार लघु चीनी संयंत्रों को स्थापित करने की अनुमति दी जा रही है।

[हिन्दी]

मदर डेयरी के संयंत्र

2429. श्री प्रेम चन्द राम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष मदर डेयरी बिहार स्थित संयंत्रों की कितनी क्षमता का उपयोग किया गया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इसे कितना लाभ और घाटा हुआ ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) बिहार में कोई मदर डेरी संयंत्र नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

संयुक्त राज्य अमरीका में भारतीय विद्यार्थी

2430. श्री बलराज पासी :

श्री महेश कनोडिया :

श्री सत्य देव सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राज्य अमरीका में कितने भारतीय विद्यार्थी अध्ययनरत हैं;

(ख) किस पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की संख्या सर्वाधिक है;

(ग) 1990 से अध्ययन के लिए संयुक्त राज्य अमरीका गए विद्यार्थियों में से कितने विद्यार्थी वापस लौटे हैं; और

(घ) सरकार द्वारा जनता के उत्थान के लिए विदेशी शिक्षित युवकों को भारत में कार्य करने के हेतु आकर्षित करने के संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बाल कुपोषण

2431. श्री अनन्त राव देशमुख :

श्री श्रीकान्त जेना :

श्रीमती गिरिजा देवी :

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

श्री सनत कुमार मंडल :

श्री विजय कुमार यादव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "यूनीसेफ" की "प्रोग्रेस आफ नेशनल्स" संबंधी रिपोर्ट के निष्कर्षों पर ध्यान दिया है जिनके अंतर्गत भारत में बाल कुपोषण का स्तर विश्व में सबसे घटिया है :

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की दयनीय स्थिति होने के क्या कारण हैं : और

(ग) स्थिति में सुधार करने हेतु कौन-कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्यमंत्री (श्रीमती वासवा राजेश्वरी) : (क) जी, हां। "प्रोग्रेस ऑन नेशन्ज 1994" के संबंध में युनीसेफ के रिपोर्ट जिसमें भारत में बाल कुपोषण की दर 63 प्रतिशत बताई गई है, 1988-1990 की अवधि के लिए "राष्ट्रीय पोषाहार प्रबोधन ब्यूरो सर्वेक्षण" पर आधारित है। ये सर्वेक्षण केवल 10 राज्यों के ग्रामीण इलाकों में किए गए। राष्ट्रीय पोषाहार प्रबोधन ब्यूरो सर्वेक्षण में इस बात को स्पष्ट रूप से उजागार किया गया है कि इन राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक कुपोषित बच्चों के स्तर में भारी कमी आई है जो 1975-79 की अवधि के दौरान 15 प्रतिशत से घटकर 1988-90 के दौरान 8.7 प्रतिशत रह गया है और साधारण कुपोषित बच्चों का स्तर जो 1975-76 की अवधि के दौरान 47.5 प्रतिशत था, 1988-90 की अवधि में घटकर 43.8 प्रतिशत रह गया है।

(ग) सरकार भारत में बच्चों सहित सभी कमजोर वर्गों में कुपोषण के स्तर को कम करने के लिए अनेक प्रत्यक्ष पोषाहारीय उपायों के जरिए सभी प्रयास कर रही है। पोषाहारीय उपायों में अन्य बातों के साथ समेकित बाल विकास सेवा स्कीम, बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम और शिशुगृह/दिवस देखभाल केन्द्र स्कीम शामिल है। इन पोषाहारीय उपायों के अन्तर्गत बच्चों को पूरक पोषाहार एक अत्यन्त महत्वपूर्ण निवेश है और इसका उद्देश्य पूरक पोषक के जरिए पोषाहारीय दर्जे में सुधार लाना है। इसके अलावा सरकार विशिष्ट अल्प पोषक कार्यक्रम भी कार्यान्वित कर रही है जिनमें विामिन "ए" की कमी के कारण होने वाले अन्धेपन के लिए प्रोफिलेक्सिज कार्यक्रम, पोषाहारीय रक्तक्षीणता प्रोफिलेक्सिज कार्यक्रम, गलगण्ड नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय अतिसार नियंत्रण कार्यक्रम तथा कमजोर वर्गों और विशेषकर गर्भवती तथा शिशुवती माताओं और बच्चों में सूक्ष्म पोषक कमियों को कम करने/समाप्त करने और इनके सामान्य पोषाहारीय दर्जे को सुधारने के विशिष्ट उद्देश्य से कमजोर वर्गों को महत्वपूर्ण पोषाहारीय और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए गए कार्यक्रम शामिल हैं।

इसके अलावा, सरकार ने वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पोषाहार नीति अपनाई है जिसमें प्रत्यक्ष पोषाहारीय कार्यक्रम और अप्रत्यक्ष नीति संबंधी उपाय शामिल हैं जिनके अन्तर्गत भारत में पोषाहारीय दर्जे में सुधार लाने के उद्देश्य से संस्थागत और ढांचागत परिवर्तन करने होंगे।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम

2432. **श्री रामपाल सिंह** : क्या खाद्य मंत्री 3.5.1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6074 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा 98.33 रुपये की दर पर गेहूं की खरीद तथा 125.00 रुपये की दर पर वितरित किए जाने पर हुए खर्च का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम को इस हानि को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार से और अधिक धनराशि लेनी होगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) वर्ष 1994-95 (बजट अनुमान) के लिए गेहूं की वसूली और वितरण लागत पर किये गये खर्च के ब्यौरे बताने वाले विवरण I और II संलग्न हैं।

(ख) और (ग) 1994-95 के बजट अनुमान में खाद्य सब्सिडी के लिए 4,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

विवरण-I

(दर रुपये प्रति क्विंटल)

क्रम संख्या	मद	1994-95 (बजट अनुमान) गेहूं
1	2	3
1.	मंडी प्रभार	16.06
2.	मंडी श्रम	2.79
3.	अग्रेषण प्रभार	0.95
4.	आन्तरिक संचलन	6.81
5.	भण्डारण प्रभार	1.87
6.	ब्याज	8.57
7.	प्रशासनिक प्रभार	4.99
8.	खरीद/बिक्री कर	13.87

1	2	3
9.	बोरी	16.94
10.	अन्य	–
11.	पिछले वर्ष का समायोजन	9.45
12.	गारन्टी	0.02
13.	शुष्कन	0.02
14.	पिछले बचे प्रभार	15.99
	जोड़ :	98.33

विवरण-II

(दर रुपये प्रति क्विंटल)

क्रम संख्या	मद	1994-95 (बजट अनुमान) वितरण लागत
1.	भाड़ा	40.64
2.	हैण्डलिंग	9.48
3.	भंडारण प्रभार	4.79
4.	ब्याज	53.47
5.	मार्गस्थ हानियां	6.89
6.	भंडारण हानियां	1.25
7.	प्रशासन संबंधी उपरिव्यय	8.54
	जोड़	**125.06**

[अनुवाद]

चीनी उत्पादन

2433. डा॰ साक्षी जी :

श्री एन॰ जे॰ राठवा :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में चीनी की उत्पादन क्षमता के बारे में कोई अध्ययन किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यों में गन्ने के मौजूदा उत्पादन को देखते हुए कितनी चीनी मिलें स्थापित करने का विचार है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) केन्द्र सरकार देश के किसी भी भाग में चीनी मिलें स्थापित नहीं करती है। तथापि, यह नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए प्रचलित लाइसेंस नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करती है।

[हिन्दी]

यात्री सुविधाएं

2434. डा० साक्षीजी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में 1994-95 के दौरान रेल यात्रियों की सुविधाओं के विस्तार हेतु योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस उद्देश्य हेतु तैयार किए गए समयबद्ध कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफ़र शरीफ़) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में वृद्धि करना एक सतत प्रक्रिया है जिन्हें यातायात की मात्रा में वृद्धि होने पर शुरू किया जाता है, बशर्ते कि इसके लिए धन उपलब्ध हो। तदनुसार, 1994-95 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य के कतिपय मुख्य रेलवे स्टेशनों पर निम्नलिखित कार्य शुरू किए गए हैं :-

(लागत लाख रुपये में)

क्रम सं०	स्टेशन	सुविधाओं का ब्यौरा	लागत	लक्ष्य
1	2	3	4	5
1.	आगरा कैंट	मास्टर जल शीतक की व्यवस्था	5.20	1995-96
		आधार रसोइघर में पानी के हीटर	4.13	1995-96
		कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण	95.00	1995-96
2.	आगार फोर्ट	रोशनी में सुधार	2.75	1995-96
3.	इलाहाबाद	पानी की सप्लाई में सुधार	29.65	1995-96
		सवारी डिब्बों की प्रीकूलिंग/चार्जिंग	38.99	1996-97
		अतिरिक्त यात्री सुविधाएं	19.79	1995-96
4.	गाजियाबाद	प्लेटफार्म सं० 3 पर धुलनीय एप्रन व्यवस्था	48.91	1995-96
5.	कानपुर	पानी की सप्लाई में सुधार	14.68	1995-96
		सवारी डिब्बों की प्रीकूलिंग/चार्जिंग	20.25	1996-97

1	2	3	4	5
6.	लखनऊ	प्लेटफार्म 3 पर धुलनीय एप्रन का बदलाव	31.08	1994-95
		प्लेटफार्म सं. 4 और 5 का विस्तार	4.33	1994-95
		प्लेटफार्म सं. 2 और 3 का विस्तार	4.47	पूरा हो गया
7.	मथुरा	प्लेटफार्म 1 पर धुलनीय एप्रन की व्यवस्था	21.60	1994-95
		प्लेटफार्म 2 और 3 पर धुलनीय एप्रेन का विस्तार	26.54	1995-96
		यात्री सुविधाओं में सुधार	110.31	1996-97
		आधार रसोइघर में पानी के हीटर	4.13	1995-96
		110 वोल्ट बैटरी चार्जिंग	6.28	1995-96
8.	मुगलसराय	प्लेटफार्म 3 और 4 पर सायबान का विस्तार	8.29	1994-95
		प्लेटफार्म 1 और 2 पर सायबान का विस्तार	3.68	1994-95
		प्लेटफार्म सं. 2 का विस्तार	3.18	1995-96
		पानी की सप्लाई में सुधार	5.80	1995-96
		प्लेटफार्म 1-6 पर छतदार पथ	5.93	1994-95
		प्लेटफार्म 5 और 6 पर सायबान का विस्तार	5.19	1994-95
9.	वाराणसी	110 बोल्ट बैटरी चार्जिंग	9.89	1995-96
		प्लेटफार्म सं. 3-5 का विस्तार	3.90	1994-95
		अतिरिक्त विश्रामगृह	4.00	1994-95
		प्लेटफार्म 3 पर धुलनीय एप्रन का बदलाव	24.72	1995-96
		प्लेटफार्म सं. 6 और 7 का विस्तार	28.45	1994-95
10.	झांसी	कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण	35.00	1996-97

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश राज्य में विभिन्न छोटे, स्टेशनों पर बहुत से अन्य कार्य भी शुरू किए गए हैं।

घटिया किस्म के बीज

2435. श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल :

श्री महेश कनोडिया :

श्री सत्यदेव सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993 और 1994 में आज तक सरकार को किसानों को घटिया किस्म के बीजों की आपूर्ति करने के संबंध में राज्यवार कितनी शिकायतें मिली हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इसके फलस्वरूप किसानों को कितना घाटा हुआ;

(ग) सरकार द्वारा किसानों को हुए घाटे की क्षतिपूर्ति के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच करायी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्णा कुमार) : (क) जबकि महाराष्ट्र राज्य सरकार को वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 (जुलाई 1994 तक) के दौरान क्रमश: दो सौ बयालीस तथा चार शिकायतें प्राप्त हुई कर्नाटक तथा गुजरात राज्य सरकारों ने 1993-94 से आज तक आठ शिकायतें 1993-94 के दौरान 14 शिकायतें तथा 1994 के दौरान आज तक छ: शिकायतें मिलने की सूचना दी है।

विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के बीज विधि प्रवर्तन एजेंसियों डीलरों द्वारा बेचे जा रहे बीज के नमूने प्राप्त करके गुणवत्ता नियंत्रण की समय-समय पर जांच करती है और विधिक प्रणाली के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

(ख) से (ङ) बीज अधिनियम तथा बीज नियमावली के अनुसार राज्य सरकार शिकायतों की जांच करती है और जहां कहीं भी आवश्यक है अधिनियमों और नियम के प्रावधानों के उल्लंघन के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करती है।

[अनुवाद]

फुटबाल खिलाड़ियों को सरकारी व्यय पर भेजना

2436. डा. लाल बहादुर रावल :

श्री राजवीर सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व कप फुटबाल प्रतियोगिता 1994 को देखने के लिए भूतपूर्व/वर्तमान फुटबाल खिलाड़ियों/अधिकारियों को अपने खर्चे पर अमरीका भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस यात्रा पर हुए व्यय को किस शीर्ष के अन्तर्गत रखा गया है; और

(ग) इस यात्रा पर हुए व्यय का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम और खेल विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

शिक्षा का प्रसार

2437. डा. महादीपक सिंह शाक्य : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कार्यान्वित करने में सहायता प्रदान कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में किन-किन जिलों में विश्व बैंक की सहायता प्राप्त शैक्षणिक योजना चल रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) विश्व बैंक भारत में दो शैक्षिक परियोजनाओं अर्थात तकनीकी (पोलिटेक्नीक) शिक्षा परियोजना और उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा परियोजना को अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी (आई०डी०ए०) ऋण प्रदान कर रहा है।

(ख) उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा परियोजना और तकनीकी (पोलिटेक्नीक) शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत शामिल उत्तर प्रदेश के जिलों का विवरण संलग्न है।

विवरण

उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत शामिल जिले

अलीगढ़, इलाहाबाद, बांदा, इटावा, गोरखपुर, नैनीताल, पौढ़ी गढ़वाल, सहारनपुर, सीतापुर, और वाराणसी।

तकनीकी (पोलिटेक्नीक) शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत शामिल जिले

आगारा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, मथुरा, फिरोजाबाद, इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कानपुर, कानपुर (देहात), इटावा, फरूखाबाद, फैजाबाद, नोएडा, बहराइंच, बाराबंकी, सुल्तानपुर, पौढ़ी गढ़वाल, देहरादून, चमौली, टिहरी गढ़वाल, उत्तर काशी, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, देवरिया, मऊ, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, झांसी, बांदा, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर, खेरी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, मेरठ, हरिद्वार, बुलन्दशहर, सहारनपुर, गाजियाबाद, बरेली, बदायूं, शाहजहां पुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, वाराणसी, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, सौनभद्र, पदरौना, मुजफ्फरनगर।

सांसदों के माध्यम द्वारा आरक्षण

2438. श्री लाल बाबू राय :

श्री राम कृपाल यादव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान आरक्षण के लिए सांसदों द्वारा माह-वार कितने आवेदन पत्र अग्रसारित किए गए;

(ख) इनमें से कितने आवेदन पत्र अस्वीकृत हुए; और

(ग) सांसदों द्वारा अग्रसारित आवेदन पत्रों को प्राथमिकता देने की दिशा में सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) से (ग) संसद सदस्यों और अन्य विभिन्न व्यक्तियों से आपातकालीन कोटे में से शायिकाओं/सीटों की व्यवस्था करने के संबंध में प्राप्त अनुरोधों को यात्रा करने वाले व्यक्ति के ओहदे, सरकारी ड्यूटी, शोक, बीमारी आदि जैसे तात्कालिक कारकों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता दी जाती है, यद्यपि संसद सदस्यों द्वारा भेजे गए अनुरोधों को सामान्यतः स्वीकार कर लिया जाता है, परन्तु कभी-कभी जब मांग उपलब्धता से बढ़ जाती है तो सभी अनुरोधों को स्वीकार कर पाना संभव नहीं होता है। चूँकि काफी बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त होते हैं और उन पर दिन-प्रतिदिन के आधार पर कार्यवाई की जाती है, अतः उनका अलग से ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

[अनुवाद]

यमुना की सफाई

2439. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यमुना कार्य योजना के अन्तर्गत यमुना नदी की अब तक कितनी सफाई प्रगति हुई है और उसमें लगभग कितना परिव्यय शामिल है; और

(ख) दिल्ली में नदी के जल की स्वच्छता को पुनः श्रेणी "सी" के स्तर पर लाने और मानसून के दौरान नदी के आसपास कूड़ा-करकट के नदी में रिसने से रोकने के लिए कूड़े के अंबार को विनियमित करने में यह योजना कहां तक सफल रही ?

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) यमुना कार्य योजना के अन्तर्गत अब तक कुल 17 स्कीमों तथा 4 नगरों में भूमि अधिग्रहण के एस्टीमेटों का अनुमोदन किया जा चुका है, जिसकी अनुमानित लागत 9.17 करोड़ रुपए होगी। इस योजना में अब तक अनुमानतः 378 करोड़ रुपए का परिव्यय शामिल है।

(ख) दिल्ली में नदी जल गुणवत्ता पर यमुना कार्य योजना के प्रभाव को इस कार्य योजना के पूरा हो जाने पर ही देखा जा सकेगा। नगरीय ठोस अपशेष के प्रबंध का कार्य योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं है।

केरल में "पुश-पुल" ट्रेन

2440. प्रो॰ के॰ वी॰ थामस : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में "पुश-पुल" ट्रेन शुरू करने की कोई मांग है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) और (ख) केरल में निम्नलिखित खंडों पर, डीएमयू पुश-पुल सेवाएं शुरू करने हेतु मांग प्राप्त हुई है :-

1. कोचीन-एर्णाकुलम-अल्लेप्पी के रास्ते तिरूवनंतपुरम।

2. कोचीन-एर्णाकुलम-कोट्टायम।

3. कोचीन-त्रिचूर।

घटिया कीटनाशक

2441. श्री मोहन रावले : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन सी फर्में घटिया कीटनाशकों का उत्पादन और विपणन कर रही हैं जिस कारण फसलों को नुकसान हो रहा है; और

(ख) सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ कृष्ण कुमार): (क) और (ख) कीटनाशक अधिनियम, 1968 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन गुणवत्ता नियंत्रण के विभिन्न प्रावधानों को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी राज्यों और संघशासित क्षेत्रों को सौंपी गई है। 1992-93 के दौरान घटिया कीटनाशकों के 58 मामलों में आपूर्ति कर्ताओं को अभिशस्ति दी गई है।

बीदर गुलबर्गा के बीच रेल लाइन

2442. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्लीसेट होकर बीदर गुलबर्गा के बीच नई रेल लाइन बिछाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) क्या 1994-95 के दौरान उपरोक्त नई लाइन को आरम्भ करने का कोई विचार है ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) बीदर से गुलबर्गा तक नई लाइन के लिए सर्वेक्षण 1994-95 में बिना बारी के कार्य के रूप में अनुमोदित किया गया है।

(ख) 3.45 लाख रुपये।

(ग) सर्वेक्षण पूरा हो जाने तथा उसका परिणाम प्राप्त हो जाने के बाद ही उक्त लाइन के निर्माण के प्रस्ताव पर आगे विचार करना संभव होगा।

तल्लागोप्पा-होन्नावर के बीच रेल लाइन

2443. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तल्लागोप्पा-होन्नावर के बीच नई रेल लाइन बिछाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) उपरोक्त परियोजना पर अनुमानत: कितनी लागत आयेगी; और

(ग) क्या 1994-95 के दौरान उपरोक्त नई लाइन को आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

चीनी का आयात

2444. श्रीमती सरोज दुबे :

श्री श्रीकांत जेना :

श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात करने वाली एजेन्सियां जैसे एस॰टी॰सी॰, एम॰एम॰टी॰सी॰ और भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्वीकृति नहीं दिए जाने के कारण देश के विभिन्न पत्तनों पर अत्यधिक मात्रा में आयातित चीनी पड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न पत्तनों पर पड़े चीनी के स्टॉक को स्वीकृति नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) इसके परिणामस्वरूप चीनी के स्टॉक को अनुमानत: कितनी क्षति हुई है; और

(ङ) आयात करने वाली एजेन्सियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार देश के किसी भी भाग में एस॰टी॰सी॰ और एम॰एम॰टी॰सी॰ द्वारा आयातित चीनी का कोई अनावश्यक संचय नहीं है। भारतीय खाद्य निगम पत्तनों से उपभोक्ता गन्तव्यों को नियमित रूप से चीनी का वितरण कर रहा है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

रेल विभाग में अन्य पिछड़ी जाति के व्यक्तियों की नियुक्ति

2445. श्री हाराधन राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग ने अब तक अन्य पिछड़ी जाति (ओ बी सी) के उम्मीदवारों की भर्ती की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जोन-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनके लिए आरक्षित स्थान कब तक भर दिए जायेंगे ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पिछड़े क्षेत्रों का विकास

2446. श्री शांताराम पोतदुखे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामाजिक दायित्व के रूप में पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु किन्हीं परियोजनाओं को हाथ में लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य से रेलवे द्वारा पता लगाये गए पिछड़े क्षेत्रों हेतु तैयार किए गए मार्ग निर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित नई रेल लाइनों का निर्माण इस प्रकार की कोटि में आता है :-

(i) महाराष्ट्र में अमरावती-नरखेड़ (138 कि॰ मी॰)

(ii) असम में जोगीघोपा-गुवाहाटी (142 कि॰ मी॰)

(iii) आंध्रप्रदेश में पेदापल्ली-निज़ामाबाद (117 कि॰ मी॰)

(iv) उड़ीसा में लांजीगढ़ रोड़-जूनागढ़ (54 कि॰ मी॰)

(ग) रेलों द्वारा पिछड़े क्षेत्रों की पहचान करने के लिए इस प्रकार के कोई दिशा निर्देश निर्धारित नहीं किए गए हैं परन्तु प्रतिफल की दर कम होने पर भी पिछड़े क्षेत्रों की समग्र विकासात्मक योजनाओं पर विचार करते हुए योजना आयोग के साथ परामर्श करके और उनके अनुमोदन से ऐसी परियोजनाएं शुरू की जाती हैं।

छोटे बंदरगाहों का विकास

2447. श्री रामकृष्ण कोंताला : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91, 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान आंध्र प्रदेश तथा केरल को छोटे बंदरगाहों विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा परियोजना-वार कितनी सहायता दी गई ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ कृष्णा कुमार) : (क) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(लाख रु॰ में)

क्र॰ सं॰	परियोजना का नाम	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5	6
केरल					
1.	पुतिअप्पा	60.00	–	100.00	33.50
2.	तंगस्सेरी	65.00	80.00	50.00	117.00

1	2	3	4	5	6
3.	विजिंजम	11.00	–	–	–
4.	मुनम्बम	10.00	50.00	85.00	125.00
5.	नीनदकारा	–	18.50	–	–
6.	मोपाला बे	–	50.00	–	15.00
7.	चोम्बल	–	50.00	–	40.00
आन्ध्र प्रदेश					
1.	काकोनाडा	3.10	–	–	–
2.	निजमापटणम	7.67	–	–	–
3.	भावनापडु	20.00	–	–	–

चीनी मिलें

2448. श्री शंकर सिंह वाघेला :

श्री ए. अशोकराज :

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील :

श्री मंजय लाल :

श्री रामप्रसाद सिंह :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय गैर-सरकारी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में राज्य-वार कितनी-कितनी चीनी मिलें हैं;

(ख) उदारीकरण की नई आर्थिक नीति के अन्तर्गत नई चीनी मिलें खोलने के लिए निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ग) नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए प्रत्येक राज्य सरकार ने जून, 1994 तक कितने प्रस्ताव भेजे हैं,

(घ) केन्द्रीय सरकार के पास इस संबंध में राज्यवार कितने प्रस्ताव लंबित हैं; और

(ङ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) देश में संस्थापित चीनी मिलों की राज्यवार एवं क्षेत्रवार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण है।

(ख) नई चीनी मिलें खोलने के लिए मानदंड भारत सरकार के दिनांक 8.11.1991 के प्रेस नोट सं॰ 16, जिसकी एक प्रति संलग्न विवरण-II है, में घोषित लाइसेंस नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों में दिये गये हैं।

(ग) से (ङ) देश के विभिन्न राज्यों में नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए औद्योगिक विकास के माध्यम से 30.6.1994 तक प्राप्त प्रस्तावों की राज्यवार संख्या और 30.6.1994 को खाद्य मंत्रालय में लंबित प्रस्तावों की संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण III है। लंबित आवेदनों के संबंध में जांच समिति द्वारा इनकी जांच के बाद खाद्य मंत्रालय की सिफारिशें लाइसेंस समिति के विचारार्थ उद्योग मंत्रालय को भेज दी जाएंगी जिसके बाद वह मंत्रालय आशय-पत्र जारी करेगा।

विवरण-I : 30.6.1994 को

क्रम सं॰	राज्य	निजी	सरकारी	सहकारी	कुल
1.	पंजाब	3	3	13	19
2.	हरियाणा	1	–	10	11
3.	राजस्थान	1	1	1	3
4.	उत्तर प्रदेश	44	35	31	110
5.	मध्य प्रदेश	4	1	3	8
6.	गुजरात	–	–	18	18
7.	महाराष्ट्र	6	–	103	109
8.	बिहार	15	15	–	30
9.	असम	3	1	2	6
10.	उड़ीसा	1	–	4	5
11.	पश्चिमी बंगाल	1	1	–	2
12.	नागालैण्ड	–	1	–	1
13.	आन्ध्र प्रदेश	11	8	18	37
14.	कर्नाटक	10	3	18	31
15.	तमिलनाडु	15	3	15	33
16.	पांडिचेरी	1	–	1	2
17.	केरल	1	–	2	3
18.	गोआ	–	–	1	1
19.	दादरा नगर हवेली	–	–	–	–
20.	मणिपुर	–	–	–	–
	समस्त भारत जोड़	**117**	**72**	**240**	**429**

विवरण-II

भारत सरकार उद्योग मंत्रालय औद्योगिक विकास विभाग प्रेस नोट सं॰ 16 (1991 श्रृंखला)

विषय :–चीनी वर्ष 1991-92 तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-93-1996-97) के लिए नई चीनी फैक्ट्रियों . तथा मौजूदा चीनी फैक्ट्रियों में विस्तार हेतु लाइसेंस देने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत।

(क) इस मंत्रालय के दिनांक 23.7.90 के प्रेस नोट सं॰ 4(1990 श्रृंखला) के तहत नई चीनी फैक्ट्रियों तथा मौजूदा फैक्ट्रियों में विस्तार के लिए लाइसेंस देने हेतु जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों की भारत सरकार द्वारा समीक्षा की गई है। उपरोक्त प्रेस नोट का अधिक्रमण करते हुए संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत निम्न प्रकार बनाए गए हैं :–

(1) 2500 टन दैनिक गन्ना पेराई की न्यूनतम आर्थिक क्षमता की नई चीनी फैक्ट्रियों को लाइसेंस दिए जाने जारी रहेंगे। ऐसी क्षमता पर कोई अधिकतम सीमा लागू नहीं होगी।

तथापि भारत सरकार द्वारा औद्योगिक रूप से पिछड़े घोषित और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि जलवायु आधार पर गन्ना विकास के लिए उपयुक्त प्रमाणित किए गए क्षेत्रों में सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में 1750 टी॰सी॰डी॰ की प्रारंभिक क्षमता की नई चीनी फैक्ट्रियों को लाइसेंस दिए जाएंगे बशर्ते कि ये इकाइयां उत्पादन प्रारंभ करने के 5 वर्ष के भीतर अपनी क्षमता में 2500 टी॰ सी॰ डी॰ तक विस्तार कर लें।

(2) नई चीनी फैक्ट्रियों को इस शर्त पर लाइसेंस जारी किए जाने की प्रस्तावित नई चीनी फैक्ट्री तथा मौजूदा/पहले लाइसेंस दी गई चीनी फैक्ट्री के बीच की दूरी 25 कि॰ मी॰ होनी चाहिए। विशेष मामलों में जहां गन्ना पर्याप्त रूप से उपलब्ध हो 25 कि॰ मी॰ की दूरी को कम करके 15 कि॰ मी॰ किया जा सकता है।

(3) नई चीनी इकाइयों के लिए लाइसेंस प्रदान करने का मूल मानदंड उनकी व्यवहार्यता होगा जिसमें मुख्य रूप से गन्ना उपलब्धता और गन्ना विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखा जाएगा।

(4) सभी नए लाइसेंस इस अनुबद्धता पर दिए जाएंगे कि गन्ने की कीमत सुक्रोज तत्वों के आधार पर देय होगी।

(5) अन्य बातों के समान रहने पर निजी क्षेत्र की तुलना में क्रमश: सहकारी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों को लाइसेंस देने में प्राथमिकता दी जाएगी।

किसी क्षेत्र से एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में पहले प्राप्त हुए आवेदन पत्र को वरीयता दी जाएगी ऐसे मामलों में भी क्रमश: सहकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र तथा इसके बाद निजी क्षेत्र को वरीयता दी जाएगी चाहे पहले दो क्षेत्रों के आवेदन-पत्र बाद की तारीख में प्राप्त हुए हों।

(6) 2500 टी॰सी॰डी॰ से कम क्षमता वाली चीनी फैक्ट्रियों को उपर्युक्त न्यूनतम आर्थिक क्षमता तक विस्तार के लिए वरीयता दी जानी जारी रहेगी।

(7) नई इकाइयों और विस्तार परियोजनाओं के लिए लाइसेंस प्रदान करते समय आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत अर्थात् 1996-97 तक सृजित की जाने वाली अतिरिक्त क्षमता को भी ध्यान में रखा जाएगा।

(8) नई चीनी फैक्ट्रियों के लिए लाइसेंस प्रदान करते समय शीरे के प्रयोग अर्थात् औद्योगिक अल्कोहल आदि के लिए डाउन स्ट्रीम इकाइयों को औद्योगिक लांइसेंस शीघ्रता से दिए जाएंगे।

(ख) लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्रों की सर्वप्रथम खाद्य मंत्रालय की जांच समिति द्वारा जांच की जाएगी। ऐसे आवेदन-पत्रों की जांच करते समय संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के विचार भी मांगे जाएंगे। राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन को अपनी टिप्पणी खाद्य मंत्रालय से प्राप्त पत्र के तीन मास के भीतर भेजनी होगी।

(ग) नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना तथा वर्तमान इकाइयों में विस्तार के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र फार्म आई॰ एल॰ में सीधे औद्योगिक विकास विभाग में औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय को भेजे जाने चाहिए। इसके साथ 2500 रुपये की निर्धारित फीस भी भेजी जानी चाहिए। इसकी एक प्रति खाद्य मंत्रालय को भी भेजी जाये।

(घ) उपरोक्त प्रक्रिया और मार्गदर्शी सिद्धांत उद्यमियों के ध्यान में सूचना तथा मार्गदर्शन के लिए लाए जा रहे हैं।

ह॰/-

(एस॰ भवानी)

उप सचिव, भारत सरकार

एफ सं॰ 10(74)91-एल॰पी॰ नई दिल्ली, 8 नवंबर, 1991

उपरोक्त प्रेस नोट की विषय-वस्तु व्यापक प्रचार के लिए प्रेस सूचना कार्यालय को अग्रेषित

प्रधान सूचना अधिकारी,

प्रधान सूचना कार्यालय,

नई दिल्ली

विवरण-III

क्रम सं॰	राज्य	प्राप्त हुए प्रस्तावों की संख्या	लंबित प्रस्तावों की संख्या
1	2	3	4
1.	उत्तर प्रदेश	323	49
2.	महाराष्ट्र	237	12
3.	गुजरात	13	–
4.	बिहार	27	–
5.	हरियाणा	18	–

1	2	3	4
6.	पंजाब	34	4
7.	आन्ध्र प्रदेश	98	1
8.	कर्नाटक	64	4
9.	तमिलनाडु	46	5
10.	मध्य प्रदेश	20	5
11.	राजस्थान	2	–
12.	उड़ीसा	7	–
13.	केरल	1	–
14.	हिमाचल प्रदेश	2	1
15.	असम	2	–
16.	अरूणाचल प्रदेश	1	–
	जोड़	895	82

बाल रक्षा सेवा कोष

2449. श्री प्रकास बी॰ पाटील : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय बाल कोष के अंतर्गत पिछड़े जिलों के जनजातीय बच्चों को वरीयता देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती वासवा राजेश्वरी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय बाल कोष के अन्तर्गत बाल कल्याण और विकास के कार्यों में संलग्न स्वैच्छिक संगठनों को नई-नई परियोजनाएं शुरू करने के लिए सहायता दी जाती है। पिछड़े हुए इलाकों के गरीब परिवारों, विशेषकर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष रूप से तैयार परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है।

[हिन्दी]

मुगल सराय रेल जंक्शन

2450. श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मुगल सराय रेलवे जंक्शन पर रेलगाड़ियों की भीड़-भाड़ कम करने की दृष्टि से दिलदार, नगर, तारीघाट, गाजीपुर, ओड़िहार और जौनपुर को जोड़ते हुए एक नया वैकल्पिक रेल-मार्ग शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

फसल विकास बोर्ड

2451. श्री संदीपन भगवान थोरात : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के अन्तर्गत किन-किन फसल विकास बोर्डों और अन्य निकायों में किसानों के अनुभवों से विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक निर्दिष्ट अवधि के लिए उन्हें गैर-सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है;

(ख) गठित किये जा रहे अथवा 1994-95 के दौरान गठित किए जाने वाले ऐसे बोर्डों/समितियों का क्या नाम है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे बोर्डों/परामर्श दात्री समितियों के कार्यकरण का आकलन/मूल्यांकन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

खाद्यान्न भंडार

2452. श्री मोहन सिंह देवरिया : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 मई, 1994 तक की स्थिति के अनुसार नागरिक वितरण प्रणाली द्वारा वितरित किये जाने वाले खाद्यान्न का भंडार कितना था;

(ख) अप्रैल, 1994 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा कितना खाद्यान्न वितरित किया गया और 1993 की तुलना में इसकी मात्रा में कितनी कमी की गई और;

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत भंडार में लगातार बढ़ोतरी और वितरण में लगातार कमी के किये जाने के क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) भारतीय खाद्य निगम के पास 1.5.1994 को चावल तथा गेहूं का कुल भण्डार 201.3 लाख मी॰ टन था।

(ख) अप्रैल, 1994 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए खाद्यान्नों की कुल 8.95 लाख मी॰ टन मात्रा उठाई गई थी, जबकि अप्रैल, 1993 के दौरान यह मात्रा 9.81 लाख मी॰ टन थी।

(ग) भंडार में यह वृद्धि गत कुछ वर्षों के दौरान खाद्यानों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में उल्लेखनीय वृद्धि के परिणामस्वरूप अधिक ऊँचे स्तर पर हुई अधिप्राप्ति के कारण हुई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए कम मात्रा उठाए जाने का कारण खुले बाजार में खाद्यान्नों के ऐसे मूल्यों, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए दिए जाने वाले खाद्यान्न के अंतिम खुदरा मूल्यों से बहुत अधिक ऊँचे नहीं हैं, पर आसानी से उपलब्धता को कहा जा सकता है।

[अनुवाद]

बाल और महिला विकास

2453. श्री अन्ना जोशी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बाल विकास और महिला कल्याण के लिए विश्व बैंक अथवा किसी अन्य संस्था से सहायता की माँग की है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता राशि प्राप्त होने का अनुमान है ; और

(ग) इस सहायता से शुरू किए जाने वाले विकासात्मक कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती वासवा राजेश्वरी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) महिला एवं बाल विकास के मुख्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत विश्व बैंक तथा अन्य एजेंसियों से प्राप्त सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र॰ सं॰	एजेंसी का नाम	जिस अवधि तक के लिए सहायता प्राप्त होने की संभावना है	जिस कार्यक्रम के लिए सहायता प्राप्त होनी है	सहायता की संभावित राशि
1	2	3	4	5
1.	विश्व बैंक	1990-91 से 1995-96	आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में समेकित बाल विकास सेवा-I	288 करोड़ रु॰ (96 मिलियन अमरीकी डालर)
2.	विश्व बैंक	1993-94 से 1999-2000	मध्य प्रदेश और बिहार में समेकित बाल विकास सेवा-II	582 करोड़ रु॰ (194 मिलियन अमरीकी डालर)
3.	विश्व बैंक	1990-91 से 1996-97	तमिलनाडु समेकित पोषाहार परियोजना-II	277.62 करोड़ रु॰ (66.1 मिलियन एस॰ डी॰ आर॰)

1	2	3	4	5
4.	विश्व बैंक	1992-93 से 1993-94*	सामाजिक सुरक्षा तन्त्र	132 करोड़ रु.
5.	स्वीडिश इंटरनेशनल डिवेल्पमेंट एजेंसी चरण-II	1.7.1993 से 30.6.95	समेकित बाल विकास	44 करोड़ रु. (115 मिलियन एस. ई. के.)
6.	ओवरसीज डिवेल्पमेंट एडमिनिस्ट्रेशन	5 वर्ष	किशोर बालिका स्कीम	194.96 करोड़ रु. प्रतिवर्ष
7.	यूनिसेफ	1991-95 बृहत कार्य योजना (सामान्य संसाधन)	बाल विकास, महिला विकास, शहरी आधारभूत सेवाएं, समुदाय आधारित सकेन्द्रण सेवाओं के लिए सहायता, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषाहार, जल तथा स्वच्छता, बाल्यावस्था अक्षमता, विशेषकर कठिन परिस्थितियों में बच्चे, सूचना और संचार, आयोजना और कार्यक्रम सहायता तथा बाल उत्तरजीविता और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम।	525 करोड़ रुपए (175 मिलियन अमरीकी डालर)
8.	यूनिसेफ	1991-95 बृहत कार्य योजना (पूरक संसाधन)	–वही–	870 करोड़ रु. (290 मिलियन अमरीकी डालर)
9.	विश्व बैंक	1992-93 से 1999-2000	बाल उत्तरजीविता और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम	643.5 करोड़ रु. (214.5 मिलि.-अमरीकी डालर)
10.	अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन	1994-95	बाल श्रम उन्मूलन	4.2 करोड़ रु. (1.4 मिलि. अमरीकी डालर)
11.	अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन	3 वर्ष (1994-95 से 1997-98)	श्रम कार्रवाई और सहायता कार्यक्रम	2.50 करोड़ रु. (.83 मिलि. अमरीकी डॉलर)
12.	नेदरलैंड	1994-96	महिलाओं के लिए रोजगार उत्पादन	12.76 करोड़ रु. (31.9 मिलियन क्रोनर)
13.	कैनिडा	1992-93	महिला विकास हेतु प्रशिक्षण पैकेज	84.49 लाख रु.

*आगामी वर्षों में जारी रहने की संभावना है हालांकि राशि के बारे में जानकारी नहीं है।

1	2	3	4	5
14.	डैनिडा	1993-94	महिलाओं के लिए राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र की स्थापना हेतु सेतु व्यवस्था	17.70 लाख रु.
15.	डैनिडा	1995-2000	महिलाओं के लिए राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र	6.22 करोड़ रुपए
16.	विश्व खाद्य कार्यक्रम	अप्रैल 1995 से मार्च 1998	छ: वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती और शिशुवती माताओं को पूरक पोषाहार	93.70 लाख लाभार्थियों हेतु 151680 मीट्रिक टन* कॉर्न सोया ब्लैण्ड
17.	केयर इण्डिया	1994-95	–वही–	93.70 लाख लाभार्थियों के लिए 240169 मीट्रिक टन खाद्यान्न*
18.	यूनाइटेड नेशन्स फण्ड फॉर पापुलेशन एक्टीविटिज	1994-96	हरियाणा की समेकित महिला शक्ति ससम्पन्नता एवं विकास परियोजना	7.92 करोड़ रु. (2.63 मिली.अमरीकी डॉलर)
19.	आई.एफ.ए.डी.	1989-94	तमिलनाडु महिला विकास परियोजना	55.23 करोड़ रु. (13,150,000 एस. डी. आर.)

(*सहायता खाद्यान्नों के रूप में प्राप्त हो रही है)

[हिन्दी]

दिल्ली हावड़ा के बीच रेलगाड़ियां

2454. श्री केशरी लाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली-हावड़ा-सियालडाह के मध्य चलने वाली 3111 अप और 3112 डाऊन गाड़ियों को बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का इसके स्थान पर दिल्ली के लिए नई गाड़ी चलाने अथवा उपरोक्त गाड़ी को पुन: चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर. शरीफ़) : (क) और (ख) दिल्ली से कलकत्ता के लिए अन्य गाड़ियों की उपलब्धता को देखते हुए तथा राजस्थान से पटना/कलकत्ता के लिए एक सीधी गाड़ी सेवा की मांग पूरी करने

के लिए, 3111/3112 दिल्ली-सियालदह एक्सप्रैस को टूंडला-दिल्ली खंड पर रद्द कर दिया गया था तथा जयपुर को सियालदह से जोड़ने वाली एक नई गाड़ी सेवा जुलाई, 1994 से उपलब्ध करा दी गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

डा० बी० आर० अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ

2455. श्री रामनिहोर राय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में प्रस्तावित डा० बी० आर० अम्बेडकर विश्वविद्यालय के लिए भूमि और अन्य ढांचागत सुविधएं उपलब्ध कराई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय ने कार्य करना आरंभ कर दिया है;

(ग) क्या सरकार का खुले विश्वविद्यालय की भांति दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम चलाने की जिम्मेवारी राज्यों के किसी विश्वविद्यालय को सौंपने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार राज्य सरकार ने लखनऊ में डा० भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए 244 एकड़ भूमि प्राप्त की है।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने लखनऊ में डा० भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए 9 मई, 1994 को राज्य सभा में एक विधेयक पेश किया है। संसद द्वारा इस उद्देश्य के लिए आवश्यक विधान अधिनियमित करने के बाद विश्वविद्यालय कार्य करना शुरू करेगा।

(ग) एवं (घ) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने वर्ष 1987 में सिफारिश की थी कि प्रत्येक राज्य को एक मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहिए। यह सिफारिश कार्यान्वयन हेतु सभी राज्य सरकारों में परिचालित कर दी गई है। अभी तक निम्नलिखित 5 मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं;

कोटा मुक्त विश्वविद्यालय, राजस्थान	1987
नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय, बिहार	1987
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र	1989
एम० पी० भोज मुक्त विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश	1992
अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, गुजरात	1994

[अनुवाद]

राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ

2456. श्रीमती + भावना चिखलिया : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ ने कर्मचारियों के वेतन से काटी गई भविष्य निधि की राशि अभी तक भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा नहीं कराई है;

(ख) यदि हां, तो यह राशि कब से जमा नहीं कराई गई है;

(ग) उक्त राशि को भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा नहीं कराये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) यह राशि कब तक जमा करायी जायेगी ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि उन्होंने मार्च, 1994 से जून, 1994 तक चार चहीनों के लिए भविष्य निधि अंशदान जमा नहीं कराया है।

(ग) यह राशि वित्तीय बाधाओं के कारण जमा नहीं की जा सकी है।

(घ) मार्च व अप्रैल, 1994 के लिए अंशदान अगस्त, 1994 तक जमा कर दिए जाने की सम्भावना है और शेष अंशदान को सितम्बर, 1994 तक जमा करने के प्रयास किए जाएंगे।

[हिन्दी]

काबुली चने की खेती

2457. श्री भीम सिंह पटेल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय काबुली चने की खेती के अन्तर्गत राज्यवार कितना क्षेत्र है;

(ख) क्या गत कुछ वर्षों से काबुली चने की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र में कोई वृद्धि नहीं हुई है जिसके परिणामस्वरूप काबुली चने के मूल्य लगातार बढ़ रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या काबुली चने की खपत लगातार बढ़ रही है जिसके कारण सरकार काबुली घने का आयात करने के लिए बाध्य है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ कृष्ण कुमार) : (क) काबुली चने की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र का अलग से कोई रिकार्ड नहीं है। फिर भी चना के राज्यवार क्षेत्र में काबुली चना भी शामिल है जो संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) चूंकि काबुली चना के क्षेत्र का अलग से रिकार्ड नहीं रखा जा रहा है, अत: यह उल्लेख करना संभव नहीं है कि काबुली चना के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में गति हीनता आई है या नहीं। काबुली चना के मूल्य में वृद्धि होती रही है जिसका कारण मुद्रास्फीति तथा मांग और पूर्ति के बीच की खाई है।

(घ) और (ङ) खुले सामान्य लाइसेंस के तहत दलहन का आयात किया जाता है तथा यह आंतरिक मांग और पूर्ति द्वारा विनियमित होता है। मांग और पूर्ति के बीच की इस खाई को पाटने के लिए आयात किया जाता है। 1992-93 के दौरान 77012 मी० टन चना/काबुली चना का आयात किया गया।

विवरण

राज्य	क्षेत्र (हजार हैक्टे०)		
	1990-91	1991-92	1992-93
आन्ध्र प्रदेश	88.4	64.0	58.6
असम	3.2	3.2	3.1
बिहार	167.7	150.4	122.6
गुजरात	170.2	66.8	123.4
हरियाणा	649.0	305.0	387.0
हिमाचल प्रदेश	3.4	2.8	2.1
जम्मू व कश्मीर	0.7	0.6	0.6
कर्नाटक	229.5	195.7	206.2
मध्य प्रदेश	2462.1	2137.8	2401.2
महाराष्ट्र	672.9	433.6	591.4
मेघालय	0.5	0.5	0.5
नागालैण्ड	2.2	2.0	1.3
उड़ीसा	45.8	35.4	30.4
पंजाब	60.7	24.8	27.2
राजस्थान	1652.7	1028.7	1449.0
तमिलनाडु	9.9	4.6	5.0
त्रिपुरा	0.7	0.7	0.7
उत्तर प्रदेश	1275.3	1105.0	1028.8
पश्चिम बंगाल	25.6	17.8	20.3
दादर व नगर हवेली	0.4	0.2	0.3
दिल्ली	0.4	0.3	0.3
अखिल भारत	7521.3	5579.9	6460.0

न० (नगण्य)

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सांस्कृतिक केन्द्र

2458. **श्री वीरेन्द्र सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सांस्कृतिक केन्द्र को परिसर निर्माण हेतु भूमि आवंटित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका निर्माण कब तक कर लिया जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) एवं (ख) जी, हां। 24.706 एकड़ का एक भूखण्ड सरकार द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र को आवंटित किया गया है, जो पश्चिम में जनपथ, उत्तर में डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद रोड़, पूर्व में मान सिंह रोड तथा दक्षिण में राजपथ लान से घिरा हुआ है।

(ग) स्थायी भवन परिसर का निर्माण-कार्य वास्तविक रूप से जून, 93 में शुरू किया गया था। निर्माण-कार्य चल रहा है। आशा है कि स्थायी भवन परिसर का पर्याप्त निर्माण-कार्य आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में पूरा हो जायेगा तथा शेषनिर्माण कार्य नवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में पूरा कर लिया जायेगा।

[अनुवाद]

विदेशी छात्रों के केपिटेशन फी पर प्रतिबंध

2459. **श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 जुलाई, 1994 के "इकानॉमिक टाइम्स" में "एस॰सी॰ बेन आन केपिटेशन की अफसेटस मलेशियन स्टूडेन्टस "शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में व्यावसायिक संस्थाओं में केपिटेशन फी लगाने पर प्रतिबंध के बारे में निर्णय के परिणामस्वरूप केवल मलेशिया के छात्रों पर ही नहीं बल्कि उन सभी विदेशी छात्रों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है जो ज्यादा केपिटेशन फी देकर भारतीय व्यावसायिक संस्थाओं में आसानी से प्रवेश पा लेते हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान व्यावसायिक संस्थाओं में केपिटेशन फी देकर देशवार कितने विदेशी छात्रों को प्रवेश मिला;

(घ) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय करने का है कि मलेशिया सहित सभी मित्र देशों के मेधावी छात्रों को भारतीय संस्थाओं में अधिक संख्या में प्रवेश मिल सके ताकि उनकी भावनाओं की कद्र की जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ङ) जी, हां। उच्चतम न्यायालय ने 4.2.1993 के अपने फैसले में निजी व्यावसायिक गैर-सहायता प्राप्त संस्थाओं में दाखिले और शुल्कों को विनियमित करने के लिए एक योजना निर्धारित की थी।

इस योजना के अनुसार दाखिला, बिना किसी प्रबंध कोटे से, पूर्णतया योग्यता के आधार पर होगा। उच्चतम न्यायालय ने 5.4.1994 के अपने अगले फैसले में निर्दिष्ट वर्ष के लिए कुल दाखिले का 5% अनिवासी भारतीयों और विदेशी छात्रों के प्रवेश हेतु अनुमति दी। इन स्थानों पर भी दाखिला केवल योग्यता के आधार पर किया जाएगा। प्रति व्यक्ति शुल्कों के भुगतान के आधार पर व्यावसायिक संस्थानों में विदेशी छात्रों के दाखिले के बारे में कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

कम्प्यूटर साईंस विश्वविद्यालय की स्थापना

2460. श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में प्रथम कम्प्यूटर साईंस विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ अनिवासी भारतीयों ने प्रस्तावित विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु सहयोग दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कब तक प्रस्तावित विश्वविद्यालय स्थापित हो जायेंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ङ) सरकार को निजी रूप से वित्त-पोषित संगणक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए एक शैक्षिक न्यास से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो कि कुछ अप्रवासी भारतीयों की मदद ले रहा है। यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

केरल में मत्स्यन पत्तन

2461. श्री थाइल जॉन अंजलोज :

श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल में विशेषरूप से कायमकूलम में मछली पत्तन बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले में कितनी लागत आएगी; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ कृष्ण कुमार) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) केरल सरकार से 860 लाख रुपये की लागत पर पोन्नानी में लघु मत्स्यन पत्तन स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ था किन्तु इसे केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान बंगलौर की तकनीकी टिप्पणी के आलोक में संशोधित करने और अद्यतन बनाने के लिए राज्य सरकार को लौटा दिया गया है।

624.60 लाख रुपये की लागत पर कायमकुलम में लघु मत्स्यन पत्तन स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और इसे मंजूरी दे दी गई है।

उड़ीसा में मंदिरों को संरक्षण

2462. श्री अनादि चरण दास : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 21.12.1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2863 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राजस्व आंकड़े एकत्र कर लिए गए हैं तथा उड़ीसा के जाजपुर स्थित वाराहनाथ और त्रिलोचनेश्वर मंदिरों को केन्द्रीय संरक्षण प्रदान करने हेतु प्रारंभिक अधिसूचना का प्रारूप तैयार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम अधिसूचना जारी कर दी जाएगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) अन्तिम अधिसूचना जारी करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह समय लेने वाली एक कठिन प्रक्रिया है तथा इसका सख्ती से "प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958" के अनुसार अनुपालन किया जाना है।

[हिन्दी]

कृषि लागत और मूल्य आयोग

2463. श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्रीमती शीला गौतम :

श्री राजेश कुमार :

श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च अधिकार प्राप्त कृषि संबंधी समिति ने कृषि लागत और मूल्य आयोग के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या कृषि लागत और मूल्य आयोग ने समर्थन मूल्यों के निर्धारिण हेतु कोई मानक फार्मूला तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी हां,।

(ख) समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सिफारिश की है कि फार्म उत्पादों के समर्थन मूल्य के

सम्बन्ध को साम्य मूल्य से जोड़ना चाहिए जिसका निर्धारण समानता के सिद्धांत पर किया जाता है और इसका आधार वर्ष 1970-71=100 होना चाहिए। ऐसी जिन्सों का जिनका समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाना है उनके सम्बन्धित अनुपात की समय समय पर मांग एवं आपूर्ति की स्थिति के आधार पर समीक्षा की जाए। यदि समानता की अवधारणों को समर्थन मूल्य के निर्धारण के लिए आधार के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को समाप्त किया जा सकता है फिर भी यदि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को बनाये रखना है तो इसको एक न्यायाधिकरण के रूप में स्वीकार करना होगा जो कि एक सुस्पष्ट रूप से निर्धारित वैज्ञानिक मापदण्डों के अनुसार काम करेगा जिसके समक्ष सभी पक्ष-उत्पादक, उपभोक्ता और व्यापारी-को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समान अवसर प्राप्त होगा।

(ग) तथा (घ) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना करने के लिए कोई मानक माडल या सूत्र तैयार नहीं किया है। मूल्य नीति पर अपनी सिफारिशों को तैयार करते समय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग किसी विशेष जिंस की आर्थिक स्थिति की सम्पूर्ण संरचना पर बृहद तौर पर विचार करने के अलावा विभिन्न महत्वपूर्ण कारकों जैसे उत्पादन लागत, आदान मूल्यों में परिवर्तन, मांग एवं आपूर्ति की स्थिति आदि पर भी विचार करता है।

[अनुवाद]

काली मिर्च के लिए अनुसंधान परियोजना

2464. प्रो॰ सावित्री लक्ष्मणन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोंकण क्षेत्र में काली-मिर्च, जायफल, कोकम तथा वृक्ष से प्राप्त होने वाले अन्य गर्म मसालों की खेती के लिए अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक स्थापित हो जाएगी ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ कृष्ण कुमार) : (क) जी हां।

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान।

खाली पड़े गोदाम

2465. श्री बसुदेव आचार्य : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्यों में भारतीय खाद्य निगम/केन्द्रीय भाण्डागार निगम के बहुत से गोदाम लम्बे समय से खाली पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) 1993-94 के दौरान निगमों को इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई; और

(घ) खाली पड़े गोदामों की पूरी क्षमता का उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम के पास देश भर में 209.44 लाख मीटरी टन की भण्डारण क्षमता के कुल 1469 ढके हुए गोदाम हैं जिनमें से 0.32 लाख मीटरी टन (अनुमानित) की क्षमता के स्वयं के केवल 9 डिपो औद्योगिक सम्बन्धों/कानून और व्यवस्था की समस्याओं सहित परिचालन सम्बन्धी बाध्यताओं के कारण खाली पड़े हुए हैं।

केन्द्रीय भण्डारण निगम के केवल दो गोदाम खाली पड़े हुए हैं जिनमें से उत्तर प्रदेश में बलिया में 15,000 मीटरी टन की क्षमता का एक गोदाम 1.4.93 से और बम्बई में एलफिन्स्टन रोड पर स्थित 4200 मीटरी टन की किराए की क्षमता का दूसरा गोदाम मई, 1993 से खाली पड़ा हुआ है। जहां तक केन्द्रीय भाण्डागार, बलिया का सम्बन्ध है, इसका छः वर्ष की गारंटी योजना के अधीन भारतीय खाद्य निगम के लिए निर्माण करवाया गया था। गारंटी अवधि समाप्त होने के बाद, भारतीय खाद्य निगम जब कभी आवश्यक होता है इसका इस्तेमाल करता रहता है। इस समय इस भाण्डागार में भारतीय खाद्य निगम का कोई स्टाक नहीं है। जहां तक केन्द्रीय भाण्डागार एलफिन्स्टन रोड का सम्बन्ध है, यह केवल खनिज तथा धातु व्यापार निगम के इस्तेमाल के लिए किराए पर लिया गया था। इस गोदाम का अब इस्तेमाल नहीं होता है और गोदाम के मालिक ने मुकदमा भी चला दिया जिसके कारण इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हो रहा है।

(ग) केन्द्रीय भंडारण निगम को 1993-94 के दौरान 7.23 लाख रुपए की हानि हुई है। भारतीय खाद्य निगम की हानि नगण्य है क्योंकि ये खाली गोदाम इसके अपने हैं।

(घ) राज्य प्राधिकारियों से सहायता लेने के अलावा फील्ड स्तर पर औद्योगिक सम्बन्धों और परिचालन सम्बन्धी समस्याओं का हल ढूंढ़कर खाली क्षमता का पूरा इस्तेमाल करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रयत्न किए जाते हैं। केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा अपने पक्ष में न्यायालय से शीघ्र निर्णय के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि निगम एलफिन्स्टन रोड पर स्थिति भण्डागारों का इस्तेमाल करने का कार्य शुरू कर सके। जहां तक बलिया में स्थित भाण्डागार का सम्बन्ध है, केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा भारतीय खाद्य निगम से अनुरोध किया गया है कि वे इस भाण्डागार का इस्तेमाल करना आरम्भ कर दें।

यात्री सुविधाएं

2466. श्री प्रबीन डेका : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में किन-किन रेलवे स्टेशनों पर प्रतीक्षालय, रेस्टोरेंन्ट, पेयजल, प्रसाधन सुविधाएं, आरामगृह और छतों वाले प्लेटफार्मों की सुविधाएं नहीं हैं;

(ख) क्या इस संबंध में कोई ऐसा सर्वेक्षण कराया गया है; यदि हां, तो रेलवे सलाहकार समिति को कितने मामले अग्रेसित किए गए हैं;

(ग) क्या इस स्टेशनों पर चरणबद्ध तरीके से इन सुविधाओं का उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

नर्मदा बांध के विस्थापितों का पुनर्वास

2467. श्री चित्त बसु : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा बांध के विस्थापितों के पुनर्वास संबंधी कार्यक्रमों की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित चार-सदस्यीय तथ्य खोजी दल ने अब तक अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क), (ख) और (ग) नर्मदा घाटी में सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने तथा-जल-मार्गों के बंद हो जाने के बाद पुनर्वास सहित पर्यावरणीय कार्यवाही योजनाओं के अनुपालन की स्थिति की जानकारी देने के लिए एक तथ्य अन्वेषी दल गठित किया गया था। दल ने अभी अपना स्थल दौरा पूरा नहीं किया है।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : महोदय, भारत सरकार ने 89-90 में जब वी०पी० सिंह जी की सरकार थी तो उन्होंने कहा था कि हम किसानों का किसी प्रकार का ऋण 10 हजार तक का माफ करेंगे लेकिन उसे सरकार माफ़ नहीं कर पाई और पूरे देश में जो किसान और मजदूर ऋण से पीड़ित था वे ऋण नहीं दे पाये। इस वजह से उनके ऊपर ऋण का भार दुगुना-तिगुना बढ़ गया। अब आप देश में ऋण मुक्ति तो नहीं कर पाएंगे। इसलिये मैं। सरकार से मांग करता हूं कि कम से कम उन किसानों और गरीबों का सूद जो सरकार की गलत नीतियों के कारण उन पर लादा गया है उसे आप मुक्त कर दें ताकि वे किसान और मजदूर अपने ऋण की अदायगी कर सकें।

12.02 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : मैं सरकार, विशेष रूप से गृह मंत्रालय का ध्यान किसी अन्य उद्देश्य से अंडमान ओर निकोबार द्वीप समूह के लिए यात्री एवं माल पोत सेवा बंद करने के प्रस्ताव की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

मैं यहाँ यह भी उल्लेख करना चाहता हूं प्रत्येक वर्ष अंडमान निकोबार को जाने वाले यात्री पोत को अन्य उद्देश्यों से हटा लिया जाता है। सौभाग्य वश इस वर्ष हज तीर्थयात्रियों को ले जाने के लिए जब यह पोत हटाया गया तो इसके एवज में एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी। लेकिन वह पोत अभी तक वापस नहीं मिला है। इसी दौरान, गृह मंत्रालय ने बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए ही उस पोत को हटाने का प्रस्ताव किया है। इससे अंडमान और निकोबार में रहने वालों के लिए भारी परेशानी पैदा हो जायेगी। मुझे नहीं मालूम कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है क्योंकि ऐसी सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग पूरी तरह से इस पोत सेवा पर ही आश्रित रहते

हैं और वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना कभी भी पोत-सेवा बंद नहीं की जाती है। यह तो एक निष्ठुरता पूर्ण कार्यवाही है।

मैं सरकार और यहाँ उपस्थित संसदीय कार्य मंत्री से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करूंगा कि पोत सेवा बंद करते समय वैकल्पिक व्यवस्था करके ही उन पोतों को हटाया जाये। अन्यथा लोग अन्य उद्देश्यों से पोर्ट ब्लेयर से पोत हटाने की अनुमति नहीं देंगे।

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान 5 अगस्त, 1994 को बम्बई के कतिपय क्षेत्रों में हुई भारी गैस रिसाव की गम्भीर घटना की ओर दिलाना चाहता हूं।

बम्बई विशेष रूप से वरली से थेम्बूर तक के क्षेत्र में रहने वाले निवासियों ने गैस रिसाव की शिकायत की, चूंकि 5 अगस्त 1994 को देर सायं उस क्षेत्र में भारी दुर्गन्ध फैल गई थी जिससे बम्बई शहर में दहशत छा गई।

दहशत ग्रस्त वरली, दादर, पारेल, नई गाम, वड़ाला, प्रभादेवी और केम्बूर में रहने वाले लोगों की ओर से फायर ब्रिगेड, पुलिस नियंत्रण और समाचार पत्र कार्यालयों को गैस की दुर्गन्ध संबंधी टेलीफोन पर टेलीफोन आते रहे।

लोग सिर चकराने, बेचैनी और वमन संबंधी शिकायतें भी कर रहे थे। दुर्गन्ध घंटा भर से अधिक समय तक फैली रही।

फायर इंजनों, एम्बूलेंस और पुलिस वाहनों को सतर्क कर दिया गया था लेकिन गैस रिसाव के स्रोत का पता नहीं चल पाया।

बम्बई में हुए गत वर्ष के बम विस्फोट और भोपाल गैस त्रासदी के मध्येनजर बम्बई में उस दिन जबरदस्त आतंक छा गया।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को जाँच करके उस दिन गैस रिसाव के स्रोत का शीघ्र पता लगाना चाहिए था और लोगों को इस गैस रिसाव के स्रोत की जानकारी देनी चाहिए थी। भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए त्वरित कार्यवाही की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन को मालूम है कि इस वर्ष उड़ीसा में भयंकर बाढ़ आई है और मेरा क्षेत्र जाजपुर सबसे अधिक

[हिन्दी]

प्रभावित हुआ है। इसका कारण है कि ब्राह्मणी, वैसरणी, निरुपा, आदि कई नदियां इस क्षेत्र में बहती हैं और कई डिस्ट्रीब्यूटरीज भी यहां पर हैं। बिगहारपुर, बडाचना जाजपुर, कुरई, दानागठी आदि के ब्लाकों 663 गांव लगातार कई दिनों से बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं और पानी के बीच में ही लोग रह रहे हैं क्योंकि वह जनो-लाइंग एरिआ है। वहां पर रिलीफ आदि के लिए खाने-पीने का सामान भी अभी सरकार मुहैय्या नहीं करा पाई है और वहां पर जनता दल की सरकार होने की वजह से कांग्रेस के लोगों को रिलीफ भी नहीं दिया जाता है। वहां पर

आज भुखमरी है और बीमारी है, जिस से कई लोग मर चुके हैं। सरकार कह देती है कि टट्टी लगने से मृत्यु हुई है, जबकि ये मौते बाढ़ की वजह से आई भुखमरी और बीमारी की वजह से हो रही है। बुखार की स्थिति यह है कि आज ऐसा कोई परिवार वहां पर नहीं है जो बुखार से पीड़ित न हो। लोग चाहे भुखमरी से मरें या बुखार से, सरकार यही कहती है कि टट्टियां लगने से लोग मरे हैं, किसी दूसरी बिमारी से नहीं मरे।

.....व्यवधान.....

उपाध्यक्ष महोदय : अभी बोलने वाले काफी सदस्य हैं इसलिए आप ज्यादा समय नहीं ले सकते।

[अनुवाद]

श्री अनादिचरण दास : महोदय केवल एक अन्तिम वाक्य और कहना चाहूंगा। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन लोगों, विशेष रूप से आदिवासियों और हरिजनों, जो कि मुख्यत: इन क्षेत्रों में रह रहे हैं, की सहायता करें।

श्री पी॰ सी॰ थामस (मुक्तुपुजा) : महोदय, भारत के कई भागों में सड़कों, विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों की दशा इतनी खराब हो गयी है कि यदि कारगर उपाय नहीं किये जाते हैं तो इस देश की प्रगति गर्त में चली जायेगी। केरल में, हाल ही में एर्णाकुलम जिले के जिला मजिस्ट्रेट को संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमे चलाने जैसी कार्यवाही करनी पड़ी है। उन्हें एक कारण बताओ नोटिस का पालन न करने के आरोप में उप अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत नोटिस जारी करना पड़ा। इन मार्गों में गड्ढे इतने गहरे हैं कि यदि कोई मारुति कार उसमें गिर जाये तो उसके ऊपर ट्रक गुजर जाने का भी किसी को पता नहीं चलेगा। सड़कों की यह हालत है। यदि तुरन्त कार्यवाही नहीं की जाती है तो कुछ भी गम्भीर बात घट सकती हैं और दुर्घटनाएं हो सकती हैं। मैं नहीं जानता कि इन सब बातों के लिये आवंटित धनराशि कहां चली जाती है। मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूं, परन्तु हमें इसे मामले पर विचार करना चाहिये। सड़कों के निर्माण और रख-रखाव के लिये बहुत सी धनराशि नियत की जाती है परन्तु यह इस कार्य में लगायी नहीं जा रही है। यह धन कई अन्य लोगों के हाथों में चला जाता है। अत: यदि कोई सतर्कता कार्यवाही नहीं की गयी तो बड़ी दुखद स्थिति उत्पन्न हो जायेगी।

हाल ही में सड़क निर्माण के एक नये तरीके का सुझाव दिया गया है और वह है सड़क निर्माण में रबड़ का प्रयोग यह तारकोल में दो प्रतिशत रबड़ मिलाकर कर दिया जाता है जिससे सड़क तीन गुना अधिक टिकाऊ हो जाती है। इससे बड़ी बचत होगी। लंदन, अमेरिका तथा फ्रांस के वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि रबड़ का प्रयोग सड़कों के लिये बहुत अच्छा रहेगा अमेरिका में, हाल ही में एक कानून बनाया गया है कि राष्ट्रीय मार्गों के पाँच प्रतिशत भाग का रबड़ीकरण किया जाना चाहिए। अत: मेरे विचार से हमें भी नयी प्रौद्योगिकी को अपनाना चाहिये।

मैं सरकार की जानकारी में यह बात केवल इस आशा से ला रहा हूं कि संसदीय कार्य मंत्री इसे माननीय मंत्री श्री टाइटलर, प्रधान मंत्री तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों की जानकारी में लायेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम निहोर राय (राबर्ट्सगंज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा जिले,

थाना-नवाबगंज, जलालपुर गांव में 15 जुलाई को हरिजनों पर सपा के नेता द्वारा वहां के पासियों पर अत्याचार किया गया और मजदूरी न करने पर उनको सताया गया और 13 हरिजनों के घर जला दिए गए और ग्यारह लोगों को गंभीर रुप से पीटा गया जिनमें चार महिलाएं भी शामिल हैं। इसमें कुछ लोगों की हालत गंभीर है और तीन लोग गोंडा अस्पताला में मौत से जूझ रहे हैं। जब अपना मकान बनवा रहे थे और उस समय राम सागर पासी अपने खेत पर काम कर रहा था तभी .....* के साथ हथियारबंद लोगों ने राम सागर पासी को खेत की गुड़ाई छोड़कर काम पर चलने के लिए कहा। राम सागर के मना करने उसकी पिटाई की गई जिससे उसकी हालत बहुत ही नाजुक है। थोड़ी देर बाद इस गिरोह ने .....* के साथ पास्यिान टोला मोहला के लोगों को मारा-पीटा और बुरी तरह से घायल किया।

यहां तक कि उन पासी लड़कियों को नंगा करके घुमाया गया। जैसा कि इलाहाबाद में हुआ था। राम सागर पासी के छोटे बेटे सालिगराम की रिपोर्ट पर पांच नाम दर्ज हुए हैं। जिनमें विनोद सिंह, उर्फ पंडित सिंह महेन्द्र सिंह बिहारी और राम सिंह शाली भी शामिल हैं। इसके अलावा सात आठ लोंगों पर मारपीट और आग जनी की रिपोर्ट भी लिखाई गई है। हरिजन एक्ट के आधार पर थाने में रिपोर्ट लिखाई गयी है। किन्तु अभी तक वे मुलजिम पकड़े नहीं गये हैं। क्योंकि उनकी वहां सत्ता है। उसमें हमारी कांग्रेस की भी भागीदारी है। मैं सदन का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि उन गरीब पासियों को उचित मुआवजा दिया जाये और जिनके खिलाफ रिपोर्ट की गई है, उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाये। इसके साथ ही पूरे मामले की छानबीन हो। इनमें एक स॰ पा॰ के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष हैं। पिछले 16 तारीख के जनसत्ता में यह वाकया आया है। भारत सरकार वहां की सरकार को निर्देश दे कि उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राय, ऐसे व्यक्तियों पर कोई आरोप नहीं लगाये जा सकते हैं जो सभा में उपस्थित नहीं हैं और अपना बचाव नहीं कर सकते हैं आपने कुछ व्यक्तियों के नाम लिये हैं। इसलिये उन नामों को कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : संसदीय कार्य मंत्री इस पर बोलें।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह अनुसूचित जाति पर अत्याचार का मामला है। केन्द्र सरकार का विषय है, इस पर संसदीय कार्य मंत्री को वक्तव्य देना चाहिए।

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (युवा कार्य और खेल विभाग) और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पुकुल बासनिक) : महोदय, माननीय सदस्य श्री राम निहोर राय द्वारा उठाये गये मामले पर मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि यह मामला तुरंत गृह मंत्री महोदय के ध्यान में लाया जायेगा

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

ताकि उपयुक्त कार्यवाही की जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही बोलें। मैं उनसे तथा प्रत्येक व्यक्ति से अनुरोध करता हूं कि हमें यह चर्चा ठीक 12.30 म० प० पर बन्द करनी होगी इसलिये वक्तागण कृपया बाद के वक्ताओं की सुविधा का भी ध्यान रखें।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, ब्राह्मी नदी जो उड़ीसा में दूसरी सबसे बड़ी नदी है पर सम्भल बराज रंगल बहुउद्देश्यीय नदी परियोजना का एक भाग है। यह बराज पूरा होने जा रहा है। मूल कार्यक्रम के अनुसार, अन्य गांवों के साथ बीरू, गाहम, पारबिल तथा गनिपोसी गांवों का अधिग्रहण किया जाना था क्योंकि वे इस परियोजना की 'डूब;' में आ रहे थे। परन्तु, बाद में हमें बताया गया कि क्योंकि सांभर जलाशय को अधिकतम स्तर तक नहीं भरा जायेगा, इसलिये इन गांवों को छोड़ दिया गया है। उन्हें अधिगृहीत नहीं किया जा रहा है यद्यपि इन गांवों के लोगों की ओर से भूमि अधिग्रहण किये जाने तथा उन्हें पुनर्वास संबंधी लाभ दिये जाने की बड़ी मांग है।

1974 की बाढ़ के अनुभव से इन लोगों को डर है कि अधिकारी चाहे जो आश्वासन दें, किन्तु इस परियोजना के अंतर्गत ये गांव डूब जायेंगे।.....**व्यवधान**.....

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पाणिग्रही, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, केवल दो या तीन वाक्य और कहने हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सच है। मैं गंभीरतापूर्वक आपसे अनुरोध करता हूं कि कुछ माननीय सदस्य बहुत अप्रसन्न हैं। वे ज़ोर देकर कह रहे हैं कि उन्हें अवसर नहीं दिया जाता है। वे इस बात से बहुत दुखी हैं।

श्री बल्लभ पाणिग्रही : क्या इस बात से कोई प्रयोजन सिद्ध होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पाणिग्रही, आपका कर्त्तव्य है कि आप दो या तीन वाक्यों में अपनी बात पूरी करें।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मेरे कारण समस्या हो रही है। यदि आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आपको अनुमति न देने का प्रश्न नहीं है। आपको सभा के भीतर अपनी शिकायत को कहने का पूरा अधिकार है, परन्तु इसकी कोई सीमा होनी चाहिये। कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : यदि आप मुझे लगातार बोलने देते तो अब तक मेरी बात समाप्त गयी होती।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभा की कार्यवाही को इसी तरह चलाता रहा हूं। लेकिन अब मैं इस निष्कर्ष पर आया हूं कि मुझसे गलती हुई है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, अब मैं शीघ्र ही अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं।

इस वर्ष जलाशय अधिकतम स्तर तक भरा ही नहीं, पर ये गांव इसलिए जलमग्न हो गए क्योंकि ये सम्बन्ध

बान्ध के पास सोभाकोई और ब्राह्मणी नदियों के संगम पर बसे हैं। राज्य सरकार के सिंचाई अधिकारियों और स्थानीय जनता के बीच विवाद चल रहा है। अत: मैं भारत सरकार से अनुरोध करूँगा कि वह केन्द्रीय जल आयोग के कुछ विशेषज्ञों को प्रतिनियुक्त करे जो स्थल पर जाकर अध्ययन कर इस विवाद को सदा के लिए समाप्त कर दें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, श्री श्रवण कुमार पटेल बोलेंगे। वह ही एक सदस्य है जो सदैव यह कहते रहे हैं कि उन्हें पहले बोलने का मौका मिल जाता है, वे दो-तीन मिनट तक बोलते रह जाते हैं और श्री पटेल जैसे लोगों को जो एक मिनट के लिए बोलते हैं, बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता है। इस संबंध में उन्हें भारी शिकायत है।

श्री श्रवण कुमार पटेल (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि किसी ने कहा है, संक्षेप में ही बुद्धिमानी है। हमें यथासंभव संक्षेप में बोलने का प्रयास करना चाहिए। मैं स्वयं संक्षिप्त होने का प्रयास करूंगा।

महोदय, कुछ ही दिनों पहले लगभग 1,000 लोगों ने जबलपुर में एक रेल रोको आन्दोलन में भाग लिया था। उन्होंने कई घंटों तक गाड़ियों के चलने में अड़चन डाली और गिरफ्तारियां दी। इस संबंध में मैंने माननीय रेल मंत्री जी और साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी को तार दिए। इस आन्दोलन का उनका मुख्य उद्देश्य जबलपुर और गोंडिया के बीच आमान परिवर्तन की आवश्यकता को उजागार करना था। सरकार की घोषित नीति के अंतर्गत केंद्रीय सरकार ने एक आमान प्रणाली आरम्भ की है और इस प्रकार का परिवर्तन कार्य योजना में भी सम्मिलित कर लिया गया है। परंतु आमान परिवर्तन का कार्य केवल एक ओर से–चन्द्रपुर से गोंडिया तक आरम्भ हुआ है। जबलपुर से गोंडिया तक का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है और इसी कारण यह आंदोलन चल रहा है। मेरा इतना ही कहना है कि यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य है और यह उस क्षेत्र के आदिवासियों के लिए जीवन रेखा जैसा है। इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलना सुनिश्चित होगा और इससे वे राष्ट्र की मुख्यधारा में आ पाएंगे। साथ ही इससे दक्षिण और उत्तर के बीच एक संबंध मार्ग खुलेगा और काफी हद तक दूरी में भी कमी होगी। इससे व्यापार और वाणिज्य का भी विकास होगा। अत: मैं सरकार से, विशेषत: रेल मंत्री श्री जाफ़र शरीफ़ जी से जो कुछ देर पहले यहां उपस्थित थे, अनुरोध करूंगा कि वे जबलपुर और गोंडिया के बीच यह काम शुरू कराएं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमने भी नोटिस दिया है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी, यह सही है कि आपने नोटिस दिया है। मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करता रहा हूं कि वे एक-दो मिनट में अपनी बात पूरी करें। पर वे मेरी बात नहीं मानते।

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : महोदय, मैं भी बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं अहमद साहब। आप रोजाना बोल रहे हैं। उनका क्या होगा जिन्हें बोलने का मौका नहीं मिला है ?

श्री के॰ तुलसिएंया वान्डायार (थंजावुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र थंजावुर में ऐसे हजारों कुशल कामगार हैं जो चान्दी मिश्रित कांसे के कलात्मक प्लेटों को बनाने में लगे हैं। इन प्लेटों का लोकप्रिय नाम थंजावुर प्लेट है। धान, इलायची, लौंग आदि की मालाएं भी बनती हैं जिनके निर्यात की भारी सम्भावना है।

समुचित बाजार सुविधाओं के अभाव में उनके उत्पाद बिक नहीं पाते जिसके चलते ये कारीगर बेरोजगार हैं। मैं केंद्रीय सरकार और वस्त्र मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे हथकरघा विकास आयुक्त को उन कारीगरों को सहकारिता संगठनों में संगठित करने और उनके हथकरघा उत्पादों के विपणन की व्यवस्था करने के निर्देश दें। इस सहायता से यह प्राचीन कला अपने गौरव के साथ जीवित रह पाएगी और कारीगरों को रोजी-रोटी मिलेगी।

श्री ई॰ अहमद : इस सभा ने मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1993 पारित कर दिया है। लोक-सभा ने 18 दिसंबर को और राज्य-सभा ने 22 दिसंबर को इसे पारित कर दिया है। इस अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत, राज्य सरकारों को राज्य स्तर पर मानव अधिकार आयोगों का गठन करना है। परंतु ऐसा लगता है कि अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन नहीं किया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं भारत के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र के अनुसार, प्रत्येक राज्य में हजारों लोग जेलों में सड़ रहे हैं। एक प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, श्री मिश्र ने कहा है कि गुजरात में 19,000 पंजाब में 17,000, जम्मू और कश्मीर में 10,000 और आन्ध्र प्रदेश में 8,000 लोग निरुद्ध हैं। महाराष्ट्र ने इनकी संख्या तक नहीं बताई है। हो सकता है, वहां उनकी संख्या इन राज्यों से भी अधिक हो। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के अनुसार, आन्ध्र प्रदेश में भी निरुद्ध व्यक्तियों के रूप में गिरफ्तार 8,000 लोगों में से केवल 206 व्यक्तियों को औपचारिक रूप से हिरासत में लिया गया है। यह टाडा शक्तियों का सरासर दुरुपयोग है।

उपाध्यक्ष महोदय : अहमद साहब, आपने कल भी यह मुद्दा उठाया था कि टाडा का दुरुपयोग हो रहा है।

श्री ई॰ अहमद : महोदय, मेरा कहना केवल इतना है कि भारत सरकार राज्य सरकारों को संसद द्वारा पारित इस अधिनियम का अनुपालन करने के लिए पत्र दे। अधिनियम दिसम्बर, 1993 में ही पारित हो गया था और सात महीने गुजर चुके हैं। राज्य के मुख्य मंत्री, विधान सभा के अध्यक्ष, विपक्ष के नेता और प्रभारी गृह मंत्री सहित समिति को आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करनी है। अत: महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह शीघ्रातिशीघ्र राज्य सरकारों को ऐसे मानव अधिकार आयोगों के गठन के लिए अनुदेश दें।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर ले जाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में इस समय भयंकर रूप से हैजे की बीमारी फैली हुई है और गैस्ट्रो की बीमारी भी फैली हुई है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक तथा उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उत्तर प्रदेश का एक भी कोना या जिला ऐसा नहीं है जहां कि इस समय हैजा या गैस्ट्रो की बीमारी न फैली हो।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, फैजाबाद, बस्ती, इलाहाबाद और मिर्जापुर आदि जिलों में करोड़ों नागरिक हैजे की बीमारी के कारण काफी चिन्तित हैं, बेचैन हैं।

हर जिले में दो-चार मौतें हो रही हैं। अब तक कोई ऐसा जिला बाकी नहीं है जहां 8-10 मौतें न हो गयी हो। यदि उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाले अखबारों को देखा जाये, खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश से निकलने वाले अखबारों पर यदि नजर दौड़ाई जाये तो उनमें ज्यादातर हैजे और गैस्ट्रों की खबरें आपको भरी हुई मिलेगी कि फलां जिले में इतनी मौत, फलां जिले में इतने लोग अस्पताल में भर्ती हुए। हमारे संसदीय क्षेत्र के जलालाबाद कस्बे में तीन दिन में 11 मौतें हुई हैं और लगभग 200 व्यक्ति इस समय अस्पतालों में हैं। दुल्लहपुर, सादात, सैदपुर, देवकली आदि सभी ब्लाक इससे प्रभावित हैं। वाराणसी के चोलापुर, चौबेपुर, पुआरी कलां, औरा, मुबंहां, बेनीपुर, और अटेसुआ आदि में भयंकर रूप से यह बीमारी फैल रही है और रोजाना 2-4 या 10 मौतें हो रही हैं। जौनपुर के जलालपुर, केराकत, धर्मापुर, मुफ्तीगंज, गौराबादशाहपुर में बहुत बुरी तरीके से लोग मर रहे हैं और अस्पतालों में हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट और ले रहा हूं। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से निष्क्रिय है। वहां के मुख्य मंत्री पूरी तरह से जातिवाद में फंसे हुए हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह राज्य सूची का विषय है। यह राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। केंद्र सरकार को इसमें कुछ नहीं करना है।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, हम कोई किसी की बुराई थोड़े ही कर रहे हैं। हम तो जो वास्तविक स्थिति है उसको बयान कर रहे हैं। वहां पर स्वास्थ्य मंत्रालय में दो मंत्री हैं।*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप उन लोगों का नाम नहीं दे सकते जो यहां अपनी अपनी सफाई नहीं दे सकते। इन मंत्रियों के नाम कार्यवाही से निकाल दिए गए हैं।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो वहां की स्थिति बता रहा हूं कि इनकी आपस की लड़ाई की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं ठप्प पड़ गई हैं। आदमी की मौत से बढ़कर तो यह पार्लियामेंट नहीं है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपने उन दो मंत्रियों पर आरोप लगाए हैं। क्या वे यहां अपनी सफाई दे सकते हैं ? आपको नियमों का पालन करना है।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल निष्क्रिय है। न वहां हैजा का टीका है और न दवाएं हैं। सी०एम०ओ० परेशान है। छोटे-छोटे डाक्टर परेशान हैं। जिलाधिकारी बार-बार उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

मंत्रालय को लिख रहे हैं कि हमारे यहां इतनी मौतें हुई हैं। हमें दवा भेजो, टीका भेजो, लेकिन दोनों आपस में लड़ रहे हैं। इसलिए यह सामान नहीं जा पा रहा है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालय के जो सैक्रेट्री हैं, वे चुप हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि जिनकी मौत हुई है उनके वारिसों को 50-50 हजार रुपए केन्द्र सरकार यहां से भिजवाए।

श्री सुभाष चन्द्र नायक (कालाहण्डी) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे उड़ीसा के कालाहण्डी क्षेत्र में,

उपाध्यक्ष महोदय : सुभाष चन्द्र नायक जी, यह तो स्टेट सब्जैक्ट है। इसको वहां की असैम्बली में उठाया जाना चाहिए। यहां नहीं।

[अनुवाद]

श्री सुभाष चन्द्र नायक : महोदय वहां कोई सुनता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह भी राज्य सूची का विषय है। राज्य में विधान सभा है।

[हिन्दी]

श्री सुभाष चन्द्र नायक (कालाहण्डी) : सर, वहां पर सरकार सुनती नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, हमने अपनी कांस्टीट्यूएंसी के विकास के लिए माननीय रेल मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री से एक रेल लाइन देने का अनुरोध किया था। इन दोनों के आशीर्वाद से हमें एक रेल लाइन मिली है। इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं मैं यहां निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत मेरे क्षेत्र में शिक्षा के विकास के लिए जो पैसा दिया गया था वह सही ढंग से खर्च नहीं हुआ है। मेरे चुनाव क्षेत्र के 2500 से अधिक प्राइमरी शिक्षकों की एक साथ बदली कर दी गई है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह मामला शिक्षकों की बदली से संबंधित है। केन्द्र सरकार इसका उत्तर कैसे दे सकती है ? शिक्षकों की बदली राज्य सूची का विषय है।

[हिन्दी]

श्री सुभाष चन्द्र नायक (कालाहण्डी) : सर यह सही बात है लेकिन 2500 से अधिक टीचरों को एक ही साथ बदली करना उड़ीसा में और पहली बार हुआ है। मेरे ही चुनाव क्षेत्र में क्यों किया गया है और किसी भी क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ है, महोदय मेरे क्षेत्र और श्री के॰ पी॰ सिंहदेव जी के धंधाकानाल में हैजे से 28 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। वहां पर हैजे का कोई इलाज नहीं हो रहा है। कालाहांडी में जूनागढ़ में साधारण जनता पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया, महोदय मैं अनुरोध करता हूं कि इस पर तदन्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील (नान्देड़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर खींचना चाहती हूं। मैं महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में आती हूं और मेरे संसदीय क्षेत्र नांदेड़ में तथा मराठवाड़ा के सभी जिलों में यूरिया खाद की बहुत कमी हो गई है जिसके कारण यूरिया खाद की कीमत 400-500 रुपये प्रति बोरी हो गई है। यह बुवाई का सीजन है। यूरिया न मिलने के कारण वहां के किसान बहुत

परेशान हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से और कृषि मंत्री जी से विनती करती हूं कि मराठवाड़ा क्षेत्र में खासकर नांदेड़ में यूरिया खाद विपुल मात्रा में उपलब्ध करवाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मामला भी कृषि से ही सम्बन्धित है। कृषि विभाग ने हमें बासमती चावल का एक नया बीज पूसा-1 बुवाई के लिए दिया। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमने नांदेड़ में उसे बोया लेकिन पूसा-1 बासमती का एक भी पौधा नहीं उगा।

जिसकी वजह से भारी मात्रा में किसानों का नुकसान हुआ है। सरकार से मेरी प्रार्थना है कि आप इस बारे में पूरी चौकसी करें और किसानों की क्षतिपूर्ति करने की व्यवस्था करें।

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

12.35 (म. प.)

रेल दावा अधिकरण अधिनियम 1987, और रेल अधिनियम 1989 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 30 की उपधारा (3) के अंतर्गत रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 1994, जो 15 जून, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 509 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 6230/94]

(2) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत रेल यात्री (टिकट रद्द करना तथा किराये का प्रतिदाय) संशोधन नियम, 1994, जो 29 जून, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 548 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए एल. टी. संख्या 6231/94]

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत अधिसूचना

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं : आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 437 (अ), जो 9 जून, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 10 जून, 1994 से चाय, कॉफी उत्पादकों या रबड़ बागानों या उत्पादकों को विभिन्न उर्वरकों को बैगों में बेचने के लिए कीमत का निर्धारण करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये।·देखीए संख्या एल. टी. 6232/94]

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 आदि के अर्न्तगत अधिसूचना

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) दालें, खाद्य तिलहन तथा खाद्य तेल (भण्डारण नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1994, जो 20 मार्च, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 385 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) दालें, खाद्य तिलहन तथा खाद्य तेल (भण्डारण नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 1994, जो 31 मई, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 396 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) दालें, खाद्य तिलहन तथा खाद्य तेल (भण्डारण नियन्त्रण) तीसरा संसोधन आदेश, 1994 जो 31 मई 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 418 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(2) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 39 के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (सलाहकार समितियां) संशोधन विनियम, 1994, जो 20 मई, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ बीआईएस/ईसी/आरईजी/1 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6233/94]

पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चण्डीगढ़ के वर्ष 1992-93 में कार्यकरण तथा वार्षिक रिपोर्टों पर समीक्षा और इस पत्रादि को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : मैं श्री कृष्ण कुमार की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6234/94]

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय दिल्ली, के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) (एक) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, दिल्ली के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, दिल्ली के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 6235/94]

12.36 म. प.

कार्य मंत्रणा समिति : तैतालीसवां प्रतिवेदन

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का तैतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

12.36 1/2 म. प.

अनुपूरक अनुदान की मांग (रेल), 1994-95

(श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़ रेल मंत्री) महोदय, मैं 1994-95 के बजट (रेल) के संबंध में अनुपूरक अनुदान की मांग दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 6235क/94]

12.37 म. प.

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल), 1991-92 रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : महोदय, मैं वर्ष 1991-92 के बजट (रेल) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 6235ख/95]

12.38 म. प.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) इन्द्रावती नदी से नवरंगपुर, उड़ीसा के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी छोड़ने की आवश्यकता।

श्री के. प्रधानी (नवरंगपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित मामले को नियम 377 के अधीन उठाना चाहता हूं।

इन्द्रावती नदी उड़ीसा के अविभाजित कोटापुर जिले से होकर नवरंगपुर शहर के पास से निरंतर बहती है। नवरंगपुर में इन्द्रावती नदी से पेय जल प्राप्त होता है। इन्द्रावती नदी के तट पर लाखों एकड़ भूमि में प्रतिवर्ष

बाढ़ से लाई गई मिट्टी में गन्ने की खेती की जाती है। इस नदी की ऊपरी धारा पर एक बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माणाधीन है ताकि नदी के पूरे जल के प्रवाह की दिशा को मोड़कर कालाहांडी जिले को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सके तथा इसके प्रवाह का विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग किया जा सके। इसके परिणामस्वरूप बांध के नीचे निचली धार में नदी सूख जाएगी। भारत सरकार ने नवरंगपुर में एक चीनी मिल की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी किया है तथा चीनी मिल की स्थापना के 100 एकड़ भूमि की खरीद की जा चुके है। तदुपरांत इन्द्रावती नदी के जल के प्रवाह की दिशा मोड़ने के प्रस्ताव के बाद मिल की स्थापना का विचार छोड़ दिया गया। राष्ट्रीय एल्युमिनियम कम्पनी पर आधारित अन्य कारखाने, जिन्हें शुरू में नदी के तट पर स्थापित किया जाना था उन कारखानों की स्थापना के प्रस्ताव को इस नदी के अनुसूचित क्षेत्र में गैर अनुसूचित क्षेत्र की ओर पूरे जल की दिशा मोड़े जाने के कारण, वापस लेने पड़े।

मै सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे और उड़ीसा सरकार को निर्देश दे कि वह इस क्षेत्र के हितों की रक्षा के निचले प्रवाह में बांध से कम से कम 20 प्रतिशत जल छोड़े।

(दो) नासिक में टेलीफोन सेवा में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता डा॰ वसंत पवार (नासिक) : महोदय, नासिक जिले का औद्योगिक एवं कृषि की दृष्टि से विकास हो रहा है। इसलिए टेलीफोन सेवाओं की आवश्यकता इस क्षेत्र की आवश्यकता हो आई है।

इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के विस्तार की आवश्यकता है। नासिक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज (ई-10-बी) में टेलीफोन कनेक्शनों की अत्यधिक मांग है और करीब 9000 लोग प्रतीक्षा सूची में हैं। भवन बनकर तैयार है और करीब 75 प्रतिशत उपकरण उपलब्ध हैं। साथ ही 3000 लाइनों की क्षमता वाले पंचवटी इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज पर भी शीघ्र कार्य शुरू किया जाना चाहिए। पंचवटी एक्सचेंज के लिए भूमि का अधिग्रहण भी किया जा चुका है। इस कार्य को पूरा करने के लिए शीघ्र बजट प्रावधान किया जाना चाहिए।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि नासिक में पर्याप्त टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं तथा इन सेवाओं का उचित कार्यकरण सुनिश्चित किया जाए।

(तीन) आन्ध्र प्रदेश के श्री काकुलम जिले के लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता

डा॰ विश्वनाथम कैनिथी (श्री काकुलम) : आन्ध्र प्रदेश में श्री काकुलम देश का एक सबसे पिछड़ा जिला है। इस क्षेत्र के लोग जिन परिस्थितियों में जीवनयापन कर रहे हैं वे बहुत ही खराब हैं। इस जिले में करीब एक सौ गांव हैं जिसके 21,000 परिवार समुद्र में मत्स्यन से अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। परंतु इन लोगों की न्यूनतम आवश्यकताएं भी आज पूरी नहीं हो पा रही हैं। उनका व्यवस्थित विकास किया जाना है। उन्हें शीघ्र पेयजल उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिसकी अधिकांश गांवों में कमी है। कुछ गावों को भू-जल उपलब्ध कराया जा सकता है तथा अन्य को समुद्री जल से पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। यद्यपि योजनाएं तैयार की गई थीं और आकलन प्रस्तुत किए गए थे। लेकिन कुछ ही गांवों को पाइप लाइनों से जल प्राप्त हुआ है।

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि आन्ध्र प्रदेश के श्री काकुलम जिले के लोगों को शीघ्र पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजनाएं लागू करें।

(चार) आन्ध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में सूखे से प्रभावित लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार को प्राकृतिक आपदानिधि से समुचित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता।

श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी (वारंगल) : महोदय, गत तीन वर्षों से आन्ध्र प्रदेश का तेलंगाना क्षेत्र अभूतपूर्व सूखे की स्थिति से बुरी तरह प्रभावित है। वारंगल, नालगोंडा, खम्माम, मडोक तथा महबूब नगर जिले अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र हैं। सबसे अधिक पीड़ित वारंगल जिले में हैं। इस वर्ष भी स्थिति बेहतर नहीं हुई है। यहां बारिश नहीं हुई थी। इसके परिणाम स्वरूप कृषि कार्य, जैसे धान की खेती नहीं हो पाई। मवेशियों के लिए चारे की अत्यधिक कमी है जिसके कारण मवेशी अन्य जिलों में जा रहे हैं। भूमिगत जल का स्तर बहुत नीचे चला गया है और यह हाल के वर्षों में सबसे कम है। भूमिगत जल के खत्म होने के कारण खुले मुंह वाले कुंए तथा बोर कूप सूख गए हैं। जिससे पेयजल की अत्यधिक कमी हो गई है और समस्या अनियंत्रित हो गई है।

राज्य सरकार द्वारा जिले के अधिकारियों को दी गई तदर्थ राशी अपर्याप्त है तथा जनता की अभूत पूर्व कठिनाइयों का समाधान करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तेलंगाना क्षेत्र, विशेषकर वारंगल जिले में अभूतपूर्व सूखे की भयावहता और उससे हुई हानि का आकलन करने तथा इस परिस्थिति से निपटने के लिए आवश्यक केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए एक राहत दल तैनात करें।

मैं यह भी निवेदन करता हूं कि केन्द्र सरकार प्राकृतिक आपदा कोष से तेलंगाना क्षेत्र, विशेषकर वारंगल जिले के सूखा पीड़ित क्षेत्र के लोगों के कष्टों का समाधान करने के लिए राहत उपाय शुरू करने हेतु आन्ध्र प्रदेश सरकार को एक बड़ी राशि (40 से 50 करोड़ रुपए) दे।

12.48 म. प.

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1994-95 अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1990-91 अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (सामान्य) 1991-92 जारी

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में अब अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) पर चर्चा होगी। प्रो. के. वी. थामस का भाषण चल रहा था। वे अपना भाषण जारी रखेंगे।

प्रो. के. वी. थामस : (एरणाकुलम) : देश की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में हमें मुद्रा स्फिति की दर की समीक्षा करनी है। तीन वर्ष पूर्व मुद्रा स्फिति की दर 17.8 प्रतिशत थी। यह दर आज 10.2 प्रतिशत हो गई है। मुद्रा स्फिति की दो अंकों वाली इस दर से हम संतुष्ट नहीं हो सकते। यदि हम थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर पिछले तीन वर्षों के दौरान मुद्रा स्फिति की दर में आए परिवर्तन को देखें तो हम यह पाएंगे कि अप्रैल 1991-92 में यह दर 11.6 प्रतिशत थी। वर्ष 1992-93 में यह दर 13.8 प्रतिशत थी। 1993-94 में 6.9 प्रतिशत और 2 जुलाई, 1994 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान यह दर 10.7 प्रतिशत हो गई है। मुद्रा स्फिति के लिए कई कारक उत्तरदायी हैं। मेरा यह अनुरोध है कि सरकार को इस सम्बन्ध में कड़े उपाय करने चाहिएं जिससे मुद्रा स्फिति को दो अंकों से नीचे रखा जा सके। अन्यथा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी जिससे

साधारण व्यक्ति के दैनिक जीवन में बेवजह कठिनाईयां पैदा हो जाएंगी। यह सौभाग्य की बात है कि गत अप्रैल से अगस्त माह तक चावल, गेहूं, दालों और खाद्य तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कुल मिलाकर स्थिर ही रही हैं। किन्तु सरकार को इस मामले में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाए जाने की जरूरत है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु राज्य सरकारों को पर्याप्त वित्तीय सहायता दिए जाने की जरूरत है।

महोदय, इस सम्बन्ध में मैं एक महत्वपूर्ण बात पर जोर देना चाहता हूं। एक ओर तो हम में से जो किसानों की सहायता करना चाहते हैं वे इस बात पर बल देते हैं और तर्क देते हैं कि न्यूनतम खरीद मूल्य अथवा समर्थन मूल्य में वृद्धि की जाए जबकि दूसरी ओर हम यह कहते हैं कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम की जानी चाहिएं। किन्तु ये दोनों बातें साथ-साथ नहीं चल सकती। इसमें संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है, सत्ता में आने के पश्चात इस सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान गेहूं और चावल के खरीद मूल्य में दो बार वृद्धि की है। खरीद मूल्य में वृद्धि का, गेहूं और चावल के मामले में, बाजार पर भी स्वाभाविक रूप से प्रभाव पड़ेगा। किंतु यह सब संतुलित ढंग से होना चाहिए जिससे किसानों को मदद मिल सके और इसके साथ-साथ उपभोक्ताओं को भी भारी बोझ का वहन न करना पड़े।

सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों में से एक कदम आर्थिक उदारीकरण है। हमने नई उद्योग नीति अपनाई है। यह सरकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर जोर दे रही है। दुर्भाग्य से पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बहुत ही कम हुआ है। चीन जैसे देश को 5 बिलियन अमरीकी डालर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हो रहा है जबकि हमारे देश में केवल 100 से 200 मिलियन अमरीकी डालर का विदेशी निवेश प्राप्त हो रहा है। जब चीन जैसे देश ने जिसके पास भारत जितनी ही बाजार की गुंजाइश है, 5 बिलियन डालर का निवेश प्राप्त हो रहा है, तो हमारे देश में विदेशी निवेश इतना कम क्यों हो रहा है ? इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना जरूरी है। यही कारण है कि सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं और इन निर्णयों के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है। वर्ष 1990 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 194 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिनमें 128.32 करोड़ रुपए की राशि अंतर्ग्रस्त थी। 1991 में 289 प्रस्ताव मिले जिनमें 534.11 करोड़ रुपए की राशि अंतर्ग्रस्त थी। 1992 में 3887.54 करोड़ रुपए की राशि के 692 प्रस्ताव मिले और 1993 में नवम्बर तक 7990.62 करोड़ की राशि के 671 प्रस्ताव मिले थे। नई उद्योग नीति और नई लाइसेंस नीती के कारण लाइसेंस राज से मुक्ति मिलने के पश्चात् प्रतिवर्ष विदेशी निवेश में वृद्धि हो रही है। नए उद्योगों और नई प्रौद्योगिकीयों के प्रसार के लिए केवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से ही सहायता मिल सकेगी। इसलिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही उत्साहवर्द्धक है और देश में नए निवेश आ रहे हैं।

सरकारी क्षेत्र के मामले में स्थिति यह है कि भारतीय सरकारी क्षेत्र अपने आप में एक सुदृढ़ क्षेत्र है। इस क्षेत्र ने देश के विकास में योगदान किया है। मेरे कुछ मित्र जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से बेवजह भयभीत हैं, उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि देश में विदेशी निवेश, कुल निवेश का मात्र तीन प्रतिशत है। अधिकांश निवेश सरकारी उपक्रमों द्वारा किया गया है। किन्तु सरकारी उपक्रमों के मामले में भी देश के प्रति उनका कुछ

उत्तरदायित्व होना चाहिए और सरकारी उपक्रम हमारे औद्योगिक क्षेत्र पर बोझ नहीं बनने चाहिए। इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को उचित समय पर उपयुक्त कार्यवाही करनी चाहिए। कई सरकारी उपक्रमों में चेयरमैन नहीं है। प्रमुख सरकारी उपक्रमों में 1 चेयरमैन नियुक्त करने के लिए विलम्ब क्यों किया जा रहा है?

अब श्रमिक क्षेत्र को ही लें, हमारे यहां का श्रमिक क्षेत्र बिल्कुल शान्तिपूर्ण है। श्रमिकों के मामले में लिए गए प्रमुख निर्णयों में से पत्तन क्षेत्र में हुआ समझौता भी है। सभी प्रमुख पत्तनों में श्रमिकों और पत्तन प्राधिकारियों के बीच समझौता हुआ है। अब अगले कुछ वर्षों तक हम पत्तनों को ठीक ठाक ढंग से चला सकेंगे। सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि इस्पात उद्योग और कपड़ा उद्योग में भी इसी प्रकार के समझौते किए जाने चाहिए। और मुझे यह विश्वास है कि हमारे श्रमिक संघ भी इतने जिम्मेदार हैं कि इस विशिष्ट स्थिति में वे सरकार के प्रयास के लिए सकारात्मक रवैया अपनाएंगे।

मुझे अपने राज्य के बारे में कुछ सुझाव देने हैं। मेरे राज्य की प्रमुख समस्याओं में से एक समस्या विद्युत की कमी है। पूरे राष्ट्र को ही विद्युत की कमी का सामना करना पड़ रहा है। किन्तु केरल एक ऐसा राज्य है जहां हमें केवल जल विद्युत पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है। भारत सरकार अब हमारी मदद करने हेतु काफी मेहरबान हो रही है। कायम कुलम परियोजना को मंजूरी दी जा चुकी है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र एरणाकुलम और कासरगोडु तथा कालीकट के लिए तीन ताप विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। हमने दक्षिणी मैस ग्रिड के लिए सुझाव दिया है। इस परियोजना को निश्चित सभा पर क्रियान्वित करने के लिए दक्षिणी राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बंगलौर में हुई थी। मेरे विचार से सरकार इस सम्बन्ध में उपयुक्त कार्यवाही करेगी।

महोदय, केरल ऐसा राज्य है जो मुख्यत: कृषि पर निर्भर है। हम नारियल पर ही निर्भर करते हैं। किन्तु दुर्भाग्य से नारियल की खेती करने वालों को विकट स्थिति का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि नारियल की कीमतें गिर रही हैं। मेरे विचार से भारत सरकार द्वारा गठित नारियल विकास बोर्ड द्वारा कुछ सकारात्मक कदम उठाए जाने चाहिएं। किन्तु दुर्भाग्यवश मुझे यह कहना पड़ रहा है कि नारियल विकास बोर्ड में भी चेयरमैन का पद पिछले दो वर्षों से रिक्त है। मुझे यह नहीं पता कि सरकार इस मामले से क्यों बेखबर है। इस बोर्ड के मामले में उपयुक्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

केरल के उत्तरी भाग अर्थात् मालाबार की अर्थव्यवस्था काफी की खेती पर निर्भर है। पिछले वर्ष भारत सरकार ने 130 लाख टन काफी के निर्यात की छूट दी थी। किन्तु इस वर्ष इसे 110 लाख टन तक ही सीमित कर दिया गया है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि यह सीमा क्यों निर्धारित की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : हालांकि विदेशों में इसकी मांग है किन्तु फिर भी इसके निर्यात को सीमित कर दिया गया है।

प्रो॰ के॰ वी॰ थामस : पिछले वर्ष निर्यात के 130 लाख टन तक सीमित कर दिया गया था। इस वर्ष 200 लाख टन कॉफी उत्पादन होने की आशा है। हमारी कुल आंतरिक खपत 60,000 टन के आस पास होगी। मुझे यह पता नहीं चल सका है कि हमारे पास निर्यात के लिए कृषि उत्पाद उपलब्ध होते हुए भी यह सीमा क्यों

निर्धारित की गई है। सरकार ऐसी सीमा क्यों निर्धारित कर रही है। औद्योगिक उत्पादों की तरह से कृषि उत्पादों के मामले में भी निर्यात पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।

रबड़ पर भी निर्यात के मामले में कोई प्रतिबंध नहीं है। नारियल के मामले में सरकार की ओर से यह आश्वासन मिला है कि नारियल के तेल का निर्यात किया जा सकता है।

[अनुवाद]

परन्तु इसमें एक मद 'काफी' को भी शामिल किया गया है जिसकी विदेशों में भारी मांग है और इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। मैं यह नहीं समझ पाया कि हम किन हितों को देखते हुए ये प्रतिबंध लगा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक कोपरा का संबंध है इसकी कोई मांग नहीं है। इसलिए इसकी कीमतों में गिरावट आई है।

प्रो॰ के॰ वी॰ थामस : कृषि उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध क्यों हो ? इस प्रतिबंध को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

महोदय, इस सभा में बाढ़ पर वाद-विवाद के दौरान हमने समुद्र द्वारा भूमि कटाव पर जोर दिया था। इससे पहले हमें समुद्र द्वारा भूमि कटाव रोधी कार्य और नए कार्य के लिए केन्द्रीय सरकार की ओर से पचास प्रतिशत का अनुदान एवं सहायता मिलती थी। हमें समुद्र द्वारा भूमि कटाव रोधी संबंधी पुराने कार्य को पूरा करने हेतु और पुराने बांधों की मरम्मत के लिए एक-तिहाई सहायता मिलती थी। अब, भारत सरकार ने यह सहायता अपनी मर्जी से बंद कर दी है और वह यह कहती है कि यह तो राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। महोदय, केरल जैसा छोटा राज्य समुद्र द्वारा भूमि कटाव-रोधी कार्य कैसे कर पायेगा क्योंकि समुद्र द्वारा भूमि कटाव रोधी कार्य बहुत महंगा है और इसके प्रति किलोमीटर कार्य पर दो या तीन करोड़ से अधिक लागत आती है। राज्य सरकार के लिए यह कार्य कर पाना सम्भव नहीं है। मेरे विचार से यह क्षेत्र भी देश के सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा करने वाले रक्षा विभाग की तरह ही है। जब हम रक्षा के लिए इतनी अधिक राशि लगा रहे हैं तो ऐसी दशा में समुद्र द्वारा भूमि कटाव रोधी कार्य के लिए थोड़ी राशि क्यों नहीं लगायी जा सकती है। अतः, सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि इस विषय पर विचार किया जाये।

दूसरी बात यह है कि हमने छोटे और मध्यम कस्बों के विकास के बारे में सुझाव दिए हैं। लगभग तीन चार वर्ष पहले इसके लिए थोड़ी सहायता मिल रही थी। परन्तु, गत दो वर्षों से छोटे और मध्यम शहरों के विकास के लिए भारत सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं मिली है।

1.00 म॰ प॰

एक और अनुरोध मछुवारों के बारे में है। अब विदेशी मत्स्य पोतों को हमारे जल क्षेत्र में मछली पकड़ने की अनुमति दी गई है। यह परम्परागत मछुआरों के हितों के विरुद्ध है। मैं यह समझ सकता हूं कि हमारी सहकारी समितियों को मत्स्य पोत कब दिए गए हैं। परन्तु केवल विदेशी मत्स्य पोतों को बिना किसी रोक टोक के लाइसेंस दिए जा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप हमारी मत्स्य सम्पदा कम हो रही है और हमारे मछुआरों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। विदेशी मत्स्यपोतों को लाइसेंस प्रदान करते समय उचित प्रतिबंध लगाये जाने चाहिए।

केरल राज्य द्वारा कालीमिर्च, अदरक और अन्य मसालों का निर्यात किया जाता था। दुर्भाग्य से, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात् हमें इन मदों के निर्यात में बहुत कठिनाई हो रही है। सरकार द्वारा ऐसे उपाए किए जाएं ताकि हमारे कालीमिर्च, अदरक और अन्य मसाला उत्पादकों को मदद मिल सके। कयर उद्योग की स्थिति भी ऐसी ही है। हम सोवियत संघ को कयर का भारी मात्रा में निर्यात कर रहे थे। अब हमें इसके निर्यात के लिए अन्य देश ढूंढने होंगे। हम अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं। कयर उद्योग में निर्यात हेतु सरकार को उचित निर्णय करना होगा।

केरल राज्य उन राज्यों में से है जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा प्रणाली नहीं है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में इलाज कराने की अनुमति है। परन्तु, कोचीन नेवल बेस के मात्र असैनिक कर्मचारियों को उन मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में इलाज कराने की अनुमति नहीं है जहां अन्य केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को यह सुविधा प्राप्त है। कोचीन नेवल बेस के इन असैनिक कर्मचारियों के लिए नौसेना में इस तरह की कोई सुविधा नहीं है। उन्हें कोचीन में नौसेना अस्पताल में इलाज करने की अनुमति नहीं है और न ही उन्हें कोचीन अथवा कालीकट अथवा त्रिवेन्द्रम स्थित मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में इलाज कराने की अनुमति दी गई है। मेरा यह अनुरोध है कि केरल में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा प्रणाली न होने के कारण केरल स्थित असैनिक रक्षा कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों की सेवाएं लेने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।

अंत में, मैं एज़िमला नेवल अकादमी के बारे में कहना चाहूंगा। रक्षा बलों-थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए एक अकादमी स्थापित करने के बारे में एक प्रस्ताव था। परन्तु, सरकार ने इस पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। यदि सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं ले रही है तो आप एजीमला नेवल अकादमी को स्वयं विकसित होने की अनुमति प्रदान क्यों नहीं करते ? हमने भूमि दे दी है। हमारे समक्ष वित्तीय अड़चनें हैं। केरल सरकार ने हमें पर्याप्त भूमि प्रदान कर दी है। वहां पर सड़कें बना दी हैं। बिजली की व्यवस्था कर दी है। इस सब के बावजूद भारत सरकार ने अभी तक एजीमला नेवल बेस के विकास के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। अत:, मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह एजीमला स्थित नेवल बेस का विकास करने के बारे में तत्काल निर्णय ले।

श्री पी॰ सी॰ थामस (मुवत्तुपुजा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह देखा कि इस वर्ष 304.4 करोड़ रुपये की गई कुल मांग में कृषि हेतु 250 करोड़ रुपये की मांग की गई है और यह मांग उचित है। कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहां अधिकतम राशि लगायी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य भोजनावकाश के पश्चात् अपना भाषण जारी रख सकते हैं। अब सभा 2 बजे म॰ प॰ को पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

1.02 म॰ प॰

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म॰ प॰ तक के लिए स्थगित हुई।

2.03 म. प.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2.03 म. प. पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य), 1994-95 अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1990-91 और अनुदानों की अतिरिक्त मांगें (सामान्य), 1991-92 जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) और वर्ष 1990-91 और 1991-92 के लिए अनुदानों की अतिरिक्त मांगों (सामान्य) पर आगे चर्चा करेगी।

श्री पी. सी. थामस अपना भाषण जारी रखें। श्री थामस आप भोजनावकाश से पहले दायीं ओर बैठे थे। अब आप बायीं ओर बैठे हुए हैं।

श्री पी. सी. थामस : महोदय, मैं इस सभा के दूसरी ओर को भी देखना चाहता था। मैं यह बता रहा था कि कुल राशि में से कृषि के लिए अधिकतम राशि की मांग की गई है और यह ठीक भी है। यह ऐसा क्षेत्र है जिसमें अधिकतम व्यय की आवश्यकता है। अतः मेरे विचार से इस समय प्रमुख पहलू–चाहे वह कृषि अथवा प्राकृतिक आपदा के लिए हो जिसके लिए अपार धनराशि आवश्यक है–बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के बारे में है। इस समय लगभग पूरा भारत हाल की बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से गम्भीर रूप से प्रभावित हुआ है। उदाहरणार्थ केरल एक ऐसा राज्य है जहां राज्य के अनेक भाग लगभग प्रत्येक वर्ष बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं और लगातार गत तीन-चार वर्षों से राज्य इससे प्रभावित रहा है। वित्त आयोग द्वारा बहुत थोड़ी राशि निर्धारित किए जाने के कारण राज्य के समक्ष बहुत ही विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब, वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार हमें मात्र 31 करोड़ रुपये मिलेंगे और इसमें से एक चौथाई हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन करना होगा। यद्यपि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए केन्द्र से राहत देने संबंधी कुछ आश्वासन दिये गये हैं परन्तु मैं समझता हूं कि अभी तक बिल्कुल कोई राहत नहीं दी गई है।

हमें आशा है कि वित्त मंत्रालय इस मामले के संबंध में गंभीरतापूर्वक विचार करेगा। केरल में जो घाटा हुआ है वह 500 करोड़ रुपये का आँका गया है। निर्धारित मानदंडों के अनुसार जो धनराशि दी गई है अथवा दी जा सकती है वह 31 करोड़ रुपये है। अतः मैं इस स्थिति में मंत्रालय ये यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में केरल राज्य के लिये केन्द्रीय सहायता के रूप में पर्याप्त धनराशि देने के लिए शीघ्र कार्यवाही की जाये।

कृषि के संबंध में जिस अन्य पहलू के बारे में मैं कहना चाहूंगा वह यह है। हमारे देश के नारियल जैसी कुछ उपजों की इस स्थिति में गंभीरतापूर्वक पुनरीक्षा की जानी है। अब नारियल की खेती हमारे देश के मात्र एक क्षेत्र में ही नहीं की जाती है ? उसकी खेती लगभग छह या सात राज्यों में की जा रही है। केरल में उसकी खेती अनादिकाल से की जा रही है। 'केरल' नाम ही 'नारियल' से बना है। 'केरल' का अर्थ है नारियल। अतः केरल नारियल की भूमि है। अब एकमात्र केरल ही नारियल भूमि नहीं है। जैसा कि अध्यक्ष पीठ को पता है–यद्यपि मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूं–अब कर्नाटक भी नारियल भूमि है। मैं यह भी कहूंगा कि वहां नारियल की खेती

अब केरल से भी अधिक की जाती है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा जैसे अन्य राज्यों में भी नारियल की काफी खेती की जा रही है। अब किसानों को अत्यंत कठिन स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। एक समय था जब एक नारियल पर 6 रुपये लाभ होता था। ऐसा दो या तीन वर्ष पूर्व था। अब उस पर 3 रुपये भी लाभ नहीं होता। यह लाभ घटकर 2.50 रुपये प्रति नारियल रह गया है। इसलिये कोई किसान इसकी खेती जारी रखना नहीं चाहेगा। जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो उस किसान का जिसके बहुत से नारियल के पेड़ नष्ट हो जाते हैं, प्रत्येक नारियल वृक्ष के लिये राज्य सरकार से मात्र 200 रुपये मुआवजा मिलता है। मेरे विचार से इस बात से बड़ी गंभीरतापूर्वक निपटना चाहिये; तथा इस देश की कृषि के संबंध में विशेष दर्जा दिया जाना चाहिये।

अब मैं यह सुझाव दूंगा कि बाजार का हस्तक्षेप भी आवश्यक है तथा केन्द्र सरकार को देश में नारियल की खेती करने वालों की सहायता करनी चाहिये। जायफल जैसे कुछ और भी पेड़-पौधे होते हैं जिनसे बहुत कम आय होती है। उनसे किसान को सुनिश्चित आय नहीं होती है और अब वे बड़ी अवनत स्थिति में हैं।

अब मैं कागज उद्योग से संबंधित अन्य पहलू की चर्चा करूँगा। यह ऐसा उद्योग है जिसकी भारी उन्नति हो रही है। परन्तु हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन एक ऐसा निगम है जिसे भारी घाटा हो रहा है। हमारे यहाँ हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन के लगभग छह या सात एकक हैं। परन्तु, दुर्भाग्यवश, एक या दो एकक–हिन्दुस्तान न्यूज़प्रिंट लिमिटेट नामक एक सहायक कंपनी तथा उत्तर में एक और एकक-मेरा विचार है कि लगभग अन्य सभी एककों को घाटा हो रहा है। अब हमें इस पर विचार करना है।

लाभ अर्जित करने वाला एक एकक मेरे राज्य में है और वह है हिंदुस्तान न्यूज़प्रिंट लिमिटेट। मेरे विचार से सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इस एकक की बेहतरी के लिये कुछ किया जाये क्योंकि वहां अब हड़ताल हो रही है। संभवतः, लाभ अर्जित करने वाले एकमात्र एकक में अब हड़ताल है। अब हमें देखना है कि श्रमिक, अधिकारी तथा इंजीनियर क्या कर रहे हैं। वे हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड की बेहतरी के लिये कार्य कर रहे हैं और हिन्दुस्तान न्यूज़प्रिंट लिमिटेट तथा राष्ट्र के लिये भारी लाभ अर्जित कर रहे थे। इस पर सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करे। उनका मुख्य रूप से यह कहना है कि उस एकक को पृथक रूप दिया जाना चाहिये। उनके लिये कोई बोर्ड नहीं है। एक प्रबंधन बोर्ड था; परन्तु अब काफी समय से हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेट के लिये कोई प्रबंध निदेशक नहीं है। लाभ अर्जित करने वाले इस उद्योग की इस प्रकार उपेक्षा की जा रही है। वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों की अनेक शिकायतें हैं। उदाहरणार्थ, उन्हें अन्य राज्यों में स्थानान्तरित किया जाता है और उन्हें अंतरिम सहायता नहीं दी जाती है जबकि ऐसे अन्य एककों के कुछ कर्मचारियों, अधिकारियों और इंजीनियरों को अंतरिम सहायता दी जाती है।

अन्य पहलू जिसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा वह दूरसंचार है। इस विभाग ने गत दो वर्षों के दौरान खर्च के संबंध में धनराशि की मांग की है अथवा इस सभा की स्वीकृति मांगी है। अब वे निजीकरण कर रहे हैं। इस बारे में भारी निजीकरण के विरुद्ध बहुत रोष है। मेरे विचार से इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिये। हमें यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्र के हितों को बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से किसी प्रकार बाधा न पहुंचे जो अचानक आकर इस क्षेत्र में अपना आधिपत्य जमा सकती हैं।

इसके अतिरिक्त, मैं यह भी निवेदन करूँगा कि पहले ही से दी जा रही धनराशि को अधिक न्याय संगत रूप से वितरित किया जाये। मैं अपने राज्य का एक उदाहरण दूंगा। मुझे ठीक मालूम है कि वर्ष 1992-93 के दौरान केरल को दूरसंचार के लिये 300 करोड़ रुपये दिये गये थे। केरल सर्किल दिये गये लक्ष्य को पूरा कर सका था वे लक्ष्य से अधिक कार्य कर सके। परन्तु अगले वर्ष, जब इस क्षेत्र में कुल पूंजी निवेश को बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया, तो केरल राज्य को कम से कम 400 करोड़ रुपये दिये जाने थे। ठीक ठीक कहा जाये तो 30 प्रतिशत वृद्धि किये जाने पर वह कम से कम 390 करोड़ रुपये होना चाहिये। परन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि उस वर्ष अर्थात् वर्ष 1993-94 के दौरान उस राज्य को इससे पहले वर्ष के दौरान दी गयी धनराशि की अपेक्षा बहुत कम धनराशि दी गयी थी। वह 300 करोड़ रुपये से घट कर 200 करोड़ रुपये रह गयी। बहुत शोर मचाने पर उसे बढ़ा कर 260 करोड़ रुपये किया गया। इस वर्ष के लिये हमें आशा थी कि पिछले वर्ष की शेष राशि भी केरल सर्किल को दी जायेगी। परन्तु 1994-95 के लिये, 500 करोड़ रुपये से कुछ अधिक राशि देने के स्थान पर, राज्य को केवल 260 करोड़ रुपये दिये गये हैं।

केरल एक ऐसा राज्य है जहां टेलीफोन कनेक्शन प्रत्येक गांव में हैं। प्रत्येक गांव में बड़ी मांग है। मुझे पक्का विश्वास है कि 500 से 1,000 लाइनों के प्रत्येक एक्सचेंज में मांग काफी होगी। उस मांग की पूर्ति की जानी है। जो कुछ भी हो, हम खर्च की स्वीकृति दे रहे हैं। उदाहरणार्थ, वर्ष 1990-91 के लिये केवल दूरसंचार सेवाओं में ही मांग के आधार पर इस सभा से 103.47 करोड़ रुपये राशि खर्च करने की स्वीकृति मांगी गयी थी। मेरे विचार से, न्यायोचित वितरण किया जाना चाहिये। मैं प्रबल रूप से यह दलील देता हूं कि राज्य को इस संबंध में और अधिक धनराशि दी जानी चाहिये।

मैं अन्य पहलुओं के ब्यौरे में नहीं जाना चाहता परन्तु मेरा विचार है कि विद्युत क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमें यह सुनिश्चित करना है कि इसे और अधिक धनराशि अपेक्षित है। वित्त मंत्री महोदय को विद्युत क्षेत्र को और अधिक धनराशि इसलिये देनी है ताकि भारत में औद्योगीकरण में प्रगति हो। मैं अपने राज्य से एक उदाहरण दे सकता हूं। इसी एक बात में यह अन्य राज्यों की अपेक्षा काफी अच्छा है। केरल में एक कायंकुलम उच्च ताप संयंत्र है। उसे समर्पित किये हुए लगभग बारह वर्ष हो गये हैं। परन्तु हमें यह पता लगा है कि भविष्य में इसे समुचित रूप दिया जायेगा। वहां 420 मेगावाट का एक लघु विद्युत संयंत्र शुरू किया जा रहा है। इस संयंत्र की कुल क्षमता 2,420 मेगावाट निर्धारित की गयी थी। यदि कोई पांच मंजिला भवन बनाया जाना हो तो, मुझे पक्का विश्वास है कि, तलघर (बेसमैंट) को इस प्रकार बनाया जाता है कि वह पांच मंजिलों को एक जुट रख सके। परन्तु एक पांच-मंजिला भवन के निर्माण हेतु, यदि हम केवल पहली मंजिल का ही निर्माण करें और एक ढांचे को इस प्रकार रख दें कि तलघर केवल एक ही मंजिल को संभाल सके तो हमें पक्का विश्वास है कि अन्य मंजिलों का निर्माण नहीं हो सकेगा।

यह स्थिति जिसे मेरे विचार से केन्द्रीय सरकार की जानकारी में लाया जाना चाहिये। अब, यदि 2,420 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र जिसे उच्च ताप संयंत्र कहते हैं, केरल राज्य को दिया जाता है तो दूसरे पूरे देश को लाभ होगा। मेरे विचार से इस संयंत्र की स्थापना इस प्रकार की जाये कि लक्ष्य 2,420 मेगावाट विद्युत का उत्पादन

हो सके, यह नहीं कि किसी स्थान पर जाकर एक छोटा या संयंत्र लगा दिया जाये।

इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं।

डा० बसंत पवार (नासिक) : उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1990-91 की अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद में भाग लेने हेतु मुझे अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं। यह खर्च पहले ही किया जा चुका है और मैं एतद् द्वारा इन अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। वर्ष 1991-92 की अतिरिक्त अनुदानों की मांगों के लिए केन्द्रीय सरकार का खर्च पहले ही किया जा चुका है। केवल एक मांग संख्या 15 दूरसंचार सेवाओं के लिए थी और उसके लिए लगभग 65 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च नियमित किया जाना है। अतिरिक्त खर्च मुख्य रूप से नियमित टेलीफोन प्रणाली के लिए और केवल, उपकरण तथा संयंत्रों की खरीददारी से संबंधित था। इस संबंध में मेरी चिन्ता की बात केवल यही है कि सरकार ने ज्यादा केबल की खरीद की थी लेकिन साथ ही क्षेत्र वे हमेशा यह बहाना करते रहे कि केवल उपलब्ध नहीं है। इस कारणवश, इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों का विस्तार कार्य शुरू नहीं किया जा सका है। सभी जगहों पर, जहां भी इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज खोले जाने हैं, सभी उपभोक्ताओं को यही स्पष्टीकरण दिया जा रहा है कि केवल उपलब्ध नहीं होने की वजह से कार्य पूरा करने में ज्यादा समय लगेगा।

महोदय, मैं माननीय दूरसंचार मंत्री से पुन: आग्रह करूंगा कि वे इस मामले पर विचार करें। जैसे-जैसे केबल की खरीद की जा रही है। टेलीफोन उपभोक्ताओं को सेवाएं उचित तरीके से प्रदान की जायें।

वर्ष 1994-95 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों के बारे में मैं यह कहूंगा कि लगभग 15 मांगें 343.30 करोड़ रुपये की हैं तथा बचत और वसूली या बढ़ी हुई प्राप्तियां 36.94 करोड़ रुपये की है। अत: 256. 36 करोड़ रुपये का नकदी निर्गमन आज पारित किया जाना है और मै। यहां इन मांगों का समर्थन करता हूं।

मुख्य खर्च कृषि की वजह से हुआ है। कृषि में, यह मुख्य रूप से विनियंत्रित फॉएफेटिक तथा पोटाशिक उर्वरकों के साथ किसानों को दी गई रियायतों के कारण हुआ है। यह उर्वरक बेचे जाने की योजना के कारण हुआ है।

मैं उर्वरक के बारे में बहुत सी बातें कहना चाहूंगा। यह कांग्रेस पार्टी का ध्येय है कि इस देश के किसानों को सहायता प्रदान की जाय। जब तक कि किसानों की क्रय शक्ति बढ़ाई नहीं जाती है भारत की ही नहीं, वरन् किसी भी अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता है। इसलिए विगत समय में कृषि विभाग ने लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए ऋण दिये थे। महाराष्ट्र में विशेषरूप में मेरे अपने जिले में कई लिफ्ट सिंचाई योजना हैं। ये योजनाएं, 1982, 1984 और इसी तरह अन्य वर्षों में शुरू की गई थी। उस समय, राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मंजूर किये गये ऋणों पर ब्याज की दर 7.5%, 9.5%, 10% और इसी तरह की थी। ऋण वापसी के लिए लगभग 10 वर्ष की समयावधि निर्धारित की गई थी। उस समय कोई गारंटी शुल्क नहीं लिया गया था। लेकिन हाल में या यों कहें कि पिछले तीन-चार वर्षों में सरकार ने किसान सिंचाई सहकारी समितियों से गारंटी शुल्क मांगना शुरू कर दिया है। यदि ये सहकारी समितियां ब्याज नहीं अदा करती हैं, तो यह प्रीमियम की राशि में जोड़ दी जाती है तथा उस पर फिर ब्याज लगाया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि दोहरा ब्याज हो जाता है क्योंकि ब्याज के ऊपर

ब्याज लगाई जाती है। इसलिए, सिंचाई योजनाएं खतरे में हैं। ये सिंचाई योजनाएं अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये गन्ने की फसल, अंगूर के बागानों, तथा सब्जियों के सभी क्षेत्रों को जल पहुंचाती है। मैं नासिक के कोटूर जिले के निफाड़ तालुक में कुछ लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का उल्लेख करना चाहूंगा जैसे जय किसान लिफ्ट सिंचाई सहकारिता चंदोरी, तात्या साहिब बोरस्ते, स्वामी समर्थन जल सिंचन सहकारिता, जलगांव जय दुर्गा जल सिंचन सहकारिता इत्यादि-इत्यादि। कुल मिलाकर चौदह लिफ्ट सिंचाई सहकारी संस्थाएं हैं। क्योंकि ये सभी हमारी फसल के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि किसानों पर दोहरा ब्याज नहीं लगने पाए। मेरा यह भी आग्रह है कि वे लिफ्ट सिंचाई योजनाएं जो 1982, 1983 तथा 1984 के वर्षों में शुरू की गई थीं तथा जिन पर वर्तमान ब्याज की दर कुछ क्षेत्रों में लगभग 15.5% तथा अन्य कुछ क्षेत्रों में 16.5% है, उन पर पुनर्विचार किया जाय। अन्यथा किसान ऋणों की वापसी नहीं कर पाएंगे तथा सहकारी सिंचाई योजनाएं बंद हो जाएंगी। चूंकि सरकार की घोषित नीति हर समय किसानों के हित में होती है, मेरा अनुरोध है कि मेरे राज्य महाराष्ट्र में लिफ्ट सिंचाई योजनाओं को सहायता प्रदान करने के लिए पर्याप्त उपाय किये जाएं। हम विभिन्न अन्य क्षेत्रों को अत्यधिक राजसहायता दे रहे हैं। उदाहरणस्वरूप जहाँ तक उद्योग का संबंध है हम आठ से दस सौ करोड़ की राजसहायता दे रहे हैं। यदि इसी तरह की सहायता कृषि क्षेत्र को भी दी जाती है तथा सरकार किसानों को अधिकतम सहायता पहुंचाने का प्रयास करती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। यही मुख्य सुझाव है।

मैं बाढ़ राहत संबंधी प्रावधान के बारे में एक या दो मुद्दे उठाना चाहूंगा वर्तमान प्रावधानों के अनुसार, यदि एक हेक्टर में फैली फसल को बाढ़ की वजह से नुकसान पहुंचता है, तो बीज राजसहायता के रूप में काफी छोटी राशि 400-600 रु० तक की दी जाती है। इतनी छोटी राशि अपर्याप्त है तथा हमारे देश की बाढ़ की स्थिति को देखते हुए इसमें संशोधन किया जाना चाहिये।

इन अनुदानों में अनुसूचित जाति विकास निगम के लिए 22 करोड़ रुपये का प्रावधान है। मैं इसकी सराहना करता हूं तथा अनुसूचित जाति विकास निगम को पुन: अर्थक्षम बनाने की अविलम्ब आवश्यकता है तथा इस निगम को और राशि दी जानी चाहिए। मैं इस अनुदान की मांग का समर्थन करता हूं।

जहां तक वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों का संबंध है आन्ध्र प्रदेश में गुंटकाल तथा अनंतपुर के रुग्ण कताई मिलों के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान है। यहां मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि मेरे राज्य महाराष्ट्र में भी कई ऐसी कताई मिलें हैं जो कुप्रबंध तथा रुई के मूल्य में वृद्धि के कारण रुग्ण हो चुकी है। इन रुग्ण मिलों को भी पुन: अर्थक्षम बनाने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए। सभी रुग्ण सहकारी मिलों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। मेरे जिले में, एक थिंगोरा कताई मिल है, जो रुग्ण होने की स्थिति में है। यह माननीय तथा वित्तीय दोनों प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न कर रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से ऐसी रुग्ण कताई मिलों की देखभाल के लिए अनुरोध करता हूं।

मैं राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान संबंधी प्रावधान का भी समर्थन करता हूं तथा इसकी अत्यधिक सराहना करता हूं।

मैं शिक्षा मंत्रालय के अनुदान में एक नया विचार पाता हूं जहां राजीव गांधी फाउन्डेशन परियोजना के अन्तर्गत आतंकवाद से पीड़ित बच्चों के पुनर्वास तथा हेतु उनहें सहायता देने 1.5 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। वस्तुत: यह अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि हम सभी इस बात से अवगत हैं कि आतंकवाद के मामलों में, बच्चे अपने को स्वयं नहीं संभाल पाते हैं और उनके पुनर्वास हेतु इस तरह की परियोजनाओं की अत्यन्त आवश्यकता है इन परियोजनाओं को पर्याप्त धन दिया जाना चाहिए। मैं इस बात की सराहना करता हूं कि राजीव गांधी फाउन्डेशन इस तरह का कार्य करने हेतु आगे आया है।

साथ ही, राजीव गांधी फाउन्डेशन द्वारा ग्राम ग्रंथालय परियोजना के लिए अनुदान सहायता के रूप में 1.5 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं और इससे निश्चित रूप से गांवों में पुस्तकालयों के स्तर में सुधार होगा गांवों में प्रौढ़ शिक्षा साक्षरता कार्यक्रम में भी सुधार होगा।

आखिरी बात कहने से पहले मैं यह कहूंगा कि प्लाज्मा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान विकास कार्य चल रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को 50.50 करोड़ रुपये के कुल अनुदान में से 25 करोड़ रुपये उच्च अनुसंधान और प्लाज्मा प्रौद्योगिकी के लिए ही दिए गए हैं। यह अत्यन्त आवश्यक है। जब हम अपने क्षेत्रों में अनुसंधान और प्रौद्योगिकी का विकास करेंगे तभी और केवल तभी, हम अस्तित्व बना रख सकेंगे तथा भविष्य में गुणवत्ता वाले उत्पाद बना सकेंगे। गैट समझौते करने का मुख्य उद्देश्य यह रहा है कि हम अन्तिम उत्पाद की गुणवत्ता के अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को बनाए रख सकें। अतएव, मैं इस अनुदान का भी समर्थन करता हूं।

महोदय, मेरा अंतिम मुद्दा बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति से सम्बंधित है। इसका पहले ही अनुदानों की मांगों में उल्लेख किया जा चुका है। छात्रों को चौथी, सातवीं तथा अन्य इसी तरह की कक्षाओं से छात्रवृत्ति दी जाती है। केवल 60 रु. माह उन्हें यह दिया जा रहा है। इसके अलावा यह देर से मंजूर की गई है और केवल नौ माह के लिए है, जबकि छात्रवृत्ति पूरे एक वर्ष के लिए होती है। यह दर 1960 में ही निर्धारित की गई थी। मेरे विचार से इस पर संशोधन होना चाहिए तथा छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि हमारे छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता एवं स्तर में सुधार लाया जा सके।

यही बातें मुझे कहनी हैं लेकिन अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे जिले की हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड की फैक्ट्री का सोवियत संघ के साथ गठबंधन हुआ है और अब इसका उक्रेन के साथ गठबंधन हुआ है।

कुछ समय से इस कारखाने को 'मिग' विमानों के लिए कोई क्रयादेश नहीं दिये गये हैं। मैं इस बारे में चिन्तित हूं क्योंकि वहां लगभग सात हजार श्रमिक हैं। यदि हमें क्रयादेश नहीं मिलते हैं, और यदि हमें यूक्रेन से अपेक्षित प्रौद्योगिकी नहीं मिलती है, तो हमें इस क्षेत्र में गम्भीर माननीय समस्या का सामना करना पड़ेगा। हाल ही में हमारे प्रधान मंत्री रूस की यात्रा पर गये थे और एक पार्टी के रूप में हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समझौता किया है। मुझे आशा है कि इससे हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स अर्थक्षम बनेगा। अब 'मिग' विमानों के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी और क्रयादेश उपलब्ध होंगे तथा इससे हिन्दुस्तान

एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के कारखाने में कोई माननीय समस्या नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं वर्ष 1994-95 की सभी अनुदानों की अतिरिक्त मांगों का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : डा॰ कार्तिकेश्वर पात्र आपको पांच मिनट का समय दिया जायेगा क्योंकि तीन और सदस्यों को बोलना है और कार्य निर्धारित समय में पूरा करना है। आप से सहयोग की अपेक्षा की जाती है।

डा॰ कार्तिकेश्वर पात्र (बालासोर) : महोदय, मैं वर्ष 1994-95 की अनुदानों की अतिरिक्त मांगों का समर्थन करता हूं।

महोदय, वर्ष 1991-92 में हमारे देश के शासन तन्त्र, अर्थव्यवस्था और औद्योगिक क्षेत्र में अप्रत्याशित परिवर्तन हुए, तथा तनाव व अव्यवस्थाएं पैदा हुई। इन क्षेत्रों में भारी परिवर्तन हुए हैं। माननीय प्रधान मंत्री, श्री पी॰ वी॰ नरसिंह राव के नेतृत्व में सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हमारी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन लाने में सफलता पाई है। 1994-95 में भारत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को 1.4 मिलियन डालर पहले ही अदा कर चुका है। हमारे पास 15 बिलियन, अर्थात् 45,000 करोड़ रुपये का विदेशी मुद्रा भंडार है। हमारे निर्यात में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो पहले कभी नहीं हुई थी। इस सफलता का महत्वपूर्ण कारण ठोस नीतिगत ढांचा तथा निर्यात में प्रतिस्पर्धा और लाभप्रदता बनाए रखना है। 1994-95 में कृषि उत्पादों के निर्यात में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1991 में मुद्रास्फीति की दर बहुत ऊंची अर्थात् 17 प्रतिशत थी। हमारे पास सफल सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। हमने इस हद तक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है कि भारत की अब पहले जैसी स्थिति नहीं है जब वह ऋण के जाल में फंसा था। अब हम समझ रहे हैं कि भारत उत्तरोत्तर विकास कर रहा है। हमारी ठोस औद्योगिक नीति है। 280,000 करोड़ रुपये के घरेलू निवेश से परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं तथा विभिन्न चरणों में इनका कार्यान्वयन हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप 2.6 मिलियन रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। इसके अतिरिक्त, 14,000 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। प्रधान मंत्री द्वारा चलाये जा रहे नए उदारीकरण कार्यक्रमों के कारण ही ये परिवर्तन हुए हैं। इस कार्यक्रम को शुरू करने का निर्णय श्री नरसिंह राव की ही सरकार ने लिया था। एक विख्यात अर्थशास्त्री, श्री सिद्धेश्वर प्रसाद ने कहा है :

"उदारीकरण के लिए एक के बाद एक कदम इतनी तेजी से उठाए गए हैं कि यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि श्री राव जैसे सौम्य व्यक्ति इतना तेज और दृढ़प्रतिज्ञ हो सकता है।"

डा॰ मनमोहन सिंह की भूमिका 300 ई॰ पू॰ के चाणक्य के समान है। यहां पर मैं महान चाणक्य की नीति का उल्लेख करना चाहता था, किन्तु दुर्भाग्यवश मुझे बोलने के लिए केवल पांच मिनट का समय दिया गया है। संक्षेप में, मैं कहूंगा कि उन्होंने अर्थशास्त्र में संरचनात्मक पद्धति का प्रतिपादन किया था। उनके चार सूत्र इस प्रकार हैं; प्रसन्नता का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है, अर्थ का मूल्य राज्य है और राज्य का मूल चरित्र (इन्द्रिय जप) है। अत: इससे स्पष्ट है कि चाणक्य ने भी धरती पर पोषण के लिए प्रतिपादित मूल्य विन्यास में अर्थ को समुचित स्थान देने से इंकार नहीं किया है। इतिहास साक्षी है कि वह काल स्वर्ण काल था। हमने अर्थव्यवस्था का मध्य मार्ग अपनाया है जिसका अभिप्राय यह है कि अन्य देश वह मार्ग अपना रहे हैं जहां पर वे घाटे के किसी

बजट की परवाह नहीं करते हैं। चाणक्य के अनुसार, हमारे पास जो कुछ है उसी के अनुसार चलना चाहिये। यही उद्देश्य होना चाहिये। इसीलिए मैं कहूंगा कि वित्त मंत्री द्वारा अपनायी गई नीति उचित एवं न्यायसंगत है

महोदय, जब कभी कोई सरकार कोई नीति लागू करती है, जब कभी किसी देश में सरकार कोई निर्णय लेती है, यदि लोग उसे समुचित ढंग से कार्यान्वित नहीं करते हैं, यदि लोग इसके प्रति ईमानदारी और निष्ठा प्रदर्शित नहीं करते हैं, तो इसे लागू नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमारे देश में, हमारे नागरिकों का चरित्र निर्माण मुख्य उद्देश्य है। महोदय, आप हर जगह काला बाजारी, गबन, बलात्कार और हत्या जैसी घटनाएं पाएंगे। ये सारी बातें हो रही हैं और विपक्षी दलों का उद्देश्य सरकार पर उचित ढंग से हमला करने का नहीं है, जैसा कि वे कर रहे हैं।

महोदय, हमारी अर्थव्यवस्था खराब थी और जैसा कि आपने देखा होगा संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि यह प्रणाली की विफलता है। प्रणाली की विफलता के लिए हमारी सरकार जिम्मेदार नहीं है। सरकार ने उस प्रणाली को सुधारने का प्रयास किया है और विपक्षी दलों के सुझावों का स्वागत है। देश के लिए, लोगों के लिए, हमारी बेहतरी के लिए हमारे विकास के लिए, हमारी योजना के लिए यदि कोई सुझाव दिया जाता है, तो उसे स्वीकार किया जायेगा। इस बात को सरकार ने महसूस किया है और हमारे प्रधान मंत्री ने जोर देकर कहा है कि यदि देश की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए कोई व्यक्ति कोई प्रस्ताव लेकर आता है, तो उसे स्वीकार किया जायेगा। किन्तु कभी-कभी इसको गलत समझा जाता है। महोदय, तुलसीदास ने कहा है;

[हिन्दी]

"राजा करे राज्य वश, योद्धा करे रणजयी,
अपने मन को वश करे जो, सबसे सरो होई।"

[अनुवाद]

महोदय, व्यक्ति की इच्छा शक्ति पर विजय पाना अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है, मुख्य विशेषता है तथा मुख्य नीति है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में कहा है। "इच्छा शक्ति पर विजय पाने के लिए व्यक्ति को लोभ लिप्सा का दमन करना होगा।" देश के लिए हम यह कह सकते हैं। देश के लिए त्याग आवश्यक है। किसी योजना अथवा परियोजना के कार्यान्वयन में त्याग की भावना होनी चाहिये।

महोदय, यह कहना उचित नहीं है कि एशिया ही नहीं किन्तु सारे विश्व में विख्यात वित्त मंत्री, श्री मनमोहन सिंह को अपनी ईमानदारी, एक रात में ही नीति में परिवर्तन न कर पाने और एक रात में ही सब कुछ न सकने के कारण पद का त्याग कर देना चाहिए। यह कहना बहुत गलत है कि चली आ रही प्रणाली की विफलता के लिए श्री मनमोहन सिंह अथवा किसी अन्य मंत्री को जाना चाहिए।

महोदय, यदि हम सही ढंग से देखें, तो देश 21वीं सदी की ओर बढ़ रहा है। हमें बहादुरी के साथ इसका सामना करना है। शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र तथा सभी क्षेत्रों में हमें आगे बढ़ना है।

मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार हमारे देश की प्रगति और हमारे देश के विकास के लिए कदम उठा रही है और इसलिए, मैं इस मांग को पूरा समर्थन करता हूं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

[हिन्दी]

कुमारी सुशीला तिरिया (मयूरभंज) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का जो समय दिया, उसके लिये धन्यवाद। मैं 1994-95 की अनुपूरक अनुदान मांगों का और 1990-91 और 1991-92 के बजट के संबंध में अतिरिक्त अनुदान की मांगों का समर्थन करती हूं। मैं इनका समर्थन करते हुए कुछ विभागों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। पिछले साल जब बजट पेश हो रहा था,

उस समय मैं सदन में सदस्य नहीं थी लेकिन आज आपके और ऊपर वाले के आशीर्वाद से जब अनुदान की मांगों पर चर्चा चल रही है तो उस समय मैं सदन की सदस्य हूं। मैं आपकी और ईश्वर की बहुत आभारी हूं लेकिन उस जनता की भी बहुत आभारी हूं जिसने सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्स को सपोर्ट करने के लिए मुझे यहां भेजा है।

यह जो सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्स 1993-94 की दी गई हैं, जिन पर चर्चा चल रही है, इस पर मैं ज्यादातर कृषि की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। कृषि विभाग की तरफ से 250 करोड़ रुपये की अनुदान की मांग की गई है। भारत की 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और गांव के लोग ज्यादातर कृषि पर आधारित अपना जीवन-यापन करते हैं। कृषि को उद्योग का दर्जा नहीं दिया गया है, तब भी कृषि से भारत का राजस्व बढ़ता आया है। चाहे बजट में हो या सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्स में हो, हमेशा इसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा अनुदान की मांग करते हैं। सरकार की तरफ से भी इस विभाग के लिए ज्यादा धनराशि दी जाती है लेकिन मैं आपसे और इस सदन से निवेदन करना चाहूंगी कि कृषि के लिए गांवों में जो धनराशि भेजी जाती है, पता नहीं वह कहां जाती है। गांवों में जिस तरह से बीज, खाद और खेती की सामग्री या मशीनों के लिए धनराशि दी जाती हैं, वह कृषि के किसी काम पर लागू नहीं हो पाती है इसलिए जिन किसानों के लिए धनराशि की मांग हो रही है, उनको ठीक समय पर बीज, खाद या मशीनरी मिलें, जिसके लिए यहां से धनराशि भेजी जा रही है। वह धनराशि उनके पास ठीक समय पर पहुंच जाय, यह बहुत जरूरी है।

अनुदान की मांग और सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्स का समर्थन करके पास कर देना मेरे हिसाब से बड़ी बात नहीं है, बल्कि ठीक समय पर गांवों में किसानों को वह चीजें उपलब्ध कराना बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगी कि मेरा क्षेत्र रूरल एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है इसलिए मैं चाहूंगी कि ब्लाक लेविल पर कमेटियां बनाई जायें, उसमें जो पढ़े-लिखे नवयुवक या शिक्षित महिलाऐं हैं, जो खेती में दिलचस्पी रखते हैं, उनको शामिल किया जाय, जो किसानों के हितों की देखभाल कर सकें। केन्द्र सरकार जो देती है, वह अनुदान गांव तक पहुंचता है या नहीं, उसकी वह ठीक ढंग से देखभाल कर सकते हैं। यह कमेटियां बनाने की बहुत जरूरत है। जो शिक्षित महिलाऐं हैं या जो शिक्षित युवक हैं, उनको समय-समय पर ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए।

पिछले दिनों हाउस में बाढ़ और सूखे पर काफी चर्चा हुई थी। जब सूखा पड़ता है या बाढ़ आती है, इसके लिए कितनी धनराशि दी जाती है। मैं उड़ीसा को बिलोंग करती हूं, और उस स्टेट में अगर दूसरी पार्टी की सरकार

है तो किसानों के लिए केन्द्र से जो धनराशि भेजी जाती है, वह धनराशि लोगों को ठीक समय पर नहीं दी जाती है और उसमें राज्य सरकार की तरफ से पक्षपात की नीति अपनाई जाती है। जहां उनको ज्यादा वोट मिले हैं, उन लोगों को ज्यादा अनुदान या सहायता दी जाती है जबकि अनुदान सब को बराबर भेजा जाता है। अनुदान सब लोगों में बराबर भेज़ा जाना चाहिए और राज्य सरकार को इसमें पक्षपात नहीं करना चाहिए। वहां जो जरूरतमंद लोग हैं, जो गांवों में सूखा पीड़ित या बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनके लिए सरकार की ओर से जो धनराशि भेजी जाती है, उसमें देखना चाहिए कि जरूरतमंद लोगों को वह धनराशि मिलती है या नहीं।

मान्यवर दूसरी चीज मैं यह कहना चाहूंगी कि जहां पर लोगों को अनएमप्लॉयमेंट की ज्यादा कठिनाई है। मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहूंगी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जैसे हमारी उड़ीसा में, मेरे हिसाब से तो भुवनेश्वर में है जहां पर एग्रीकल्चर की तरफ लोग ज्यादा रुचि रखते हैं। जहां पर पढ़े-लिखे लोग भी एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान देते हैं उस क्षेत्र में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या तकनीकी शिक्षा केन्द्र खुलना चाहिये ताकि आधुनिक एग्रीकल्चर को लाभ मिल पाए और जो युवक अनएम्पलायड है तथा एजुकेटेड हैं वे भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से सुविधा ले पाएं। मान्यवर, आज के समय में बहुत ज्यादा अनएम्पलायमेंट है इसलिये मैं सरकार से मांग करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा रूरल ऐरिया में इस तरह से तकनीकी शिक्षा केन्द्र खोलने चाहिये ताकि गांवों के किसानों को भी यह सुविधा उपलब्ध हो पाएं।

महोदय, तीसरी चीज मैं यह कहना चाहूंगी कि पशुपालन और डेरी की तरफ से भी सरकार से अनुदान की मांग की है। इसमें 39 करोड़ राजस्व की मांग की है इसके लिये मैं कहना चाहूंगी कि हर साल इसके लिये बहुत धनराशि दी जाती है लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि चाहे आज भारत सरकार की तरफ से हो या किसी भी असुविधा के कारण हो, बहुत सारे राज्यों में पशुपालन और डेरी की जो सुविधाएं हैं क्या वे उपलब्ध हो पाती हैं ? ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जैसे हमारा स्टेट है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में पशुपालन और डेरी विभाग की तरफ से काफी लोग लाभान्वित हो रहे हैं लेकिन उड़ीसा जैसे गरीब देश में इस तरह से कोई भी पशुपालन और डेरी विभाग की तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगी कि इतना पैसा हर साल कृषि, पशुपालन और डेरी के लिये दिया जाता है लेकिन हर साल दिल्ली में मई से सितम्बर तक दूध की बनी हुई चीजों पर, पनीर और खोए पर बैन होता है तथा कई जगह पर दूध की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। झुग्गी-झोंपड़ियों में गरीब लोग अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पाते हैं, उनकी जो न्यूनतम जरूरत है उसको भी वे पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए इतनी धनराशि देने के बावजूद भी आज के समय में जरूरतमंद चीजें, जैसे दूध जो बच्चों को पिलाना बहुत जरूरी है वे भी हम नहीं दे पाते हैं तो इतनी धनराशि जब हम लोग देते हैं, अनुदान देते हैं, जब हाउस से पास होकर जाता है तो यह राशि कहां जाती है ? मैं आपके जरिए यह निवेदन करना चाहूंगी कि इतनी धनराशि के साथ-साथ हम लोगों को सब को देखना चाहिये कि पशुपालन और डेरी का जो विभाग है उस विभाग की उन्नति करनी चाहिये तभी ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो पाएंगे और सुविधा ले पाएंगे, इस तरफ ध्यान देना चाहिये।

मान्यवर, मैं दो-तीन बातें और कहना चाहूंगी। वेलफेयर विभाग में 22 करोड़ का इसमें अनुदान है, इसको

देखते हुए मुझे एक चीज याद आती है कि जब कोई भी पार्टी किसी भी मैदान में आती है तो जब तक आदिवासी हरिजनों के भाषण हम नहीं करते तब तक हम लोगों का भाषण पूरा नहीं हो पाता है। मैं हमेशा जिस-जिस बजट मे भी देखती आई हूं तब-तब हमेशा वेलफयेर विभाग से ज्यादा अनुदान दिया जाता है और इस बार भी सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर के बाद मैं समझती हूं वेलफयर विभाग को अनुदान दिया जा रहा है। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं भी आदिवासियों में से विलोंग करती हूं। मैं खुद भुक्तभोगी हूं, मैं जानती हूं कि गांवों में क्या होता है, हमारे गांवों के लोगों के प्रति क्या होता है।

मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जो धनराशि दी जाती है, उसका सही तरह से उपयोग हो रहा है या नहीं, इसको देखने के लिए कोई इवेलुएशन कमेटी बनाई जानी चाहिए तथा यह कोशिश की जानी चाहिए कि योजना को अधिक से अधिक स्ट्रेंगदन कर के अधिक से अधिक लोगों को इससे फायदा पहुंचाया जा सके।

एक बात की तरफ मैं और आपका और इस सदन का ध्यान दिलाना चाहती हूं। हमारे पूर्व प्रधान मंत्री, प्रिय प्रधान मंत्री श्री राजीव जी ने एससीएसटी कमीशन बनाया था, ताकि एससीएसटी के लोगों को अधिक सुविधाएं मिल सकें, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार एक भी व्यक्ति को इस कमीशन से लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। एक भी एससीएसटी कर्मचारी की समस्या का समाधान इस कमीशन के माध्यम से नहीं हो सका है और शायद जो लोग अपने प्रार्थना-पत्र इस कमीशन में भेजते हैं, उनको रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। इसलिए मेरा कहना है कि इन चीजों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है और यह देखने की आवश्यकता है कि जिस काम के लिए धन उपलब्ध कराया जाता है, उस मद में वह खर्च हो रहा है या नहीं लोगों को इससे फायदा हो रहा है या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज ऐसे गांव हैं जहां पर पीने के पानी के लिए कुएं तक नहीं हैं, रास्ते नहीं बने हुए हैं और जहां पर इन्सान तो क्या जानवर तक आ-जा नही सकते हैं। आईटीडीए के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जो कुओं, रास्तों, स्कूलों, इलेक्ट्रीसिटी आदि का बंदोबस्त होना चाहिए था, वह नहीं हो रहा है और हकीकत में जो पैसा रूरल डेवलपमेंट के लिए भेजा जाता है, उसको अरबन डेवलपमेंट पर खर्च कर दिया जाता है। इस पैसे का उपयोग ग्रामीण विकास के लिए और गांव के गरीब के विकास के लिए हो सके, इसको देखने की आवश्यकता है।

शिक्षा विभाग के लिए भी मांग स्वीकृत की जा रही है, लेकिन आज हमारे यहां शिक्षा में महिलाओं का प्रतिशत केवल 30 है और उसमें भी आदिवासी महिलाओं का प्रतिशत केवल 2 है। इसलिए आदिवासी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां पर स्कूल कालेज की व्यवस्था नहीं है, वहां पर स्कूल, कालेज की व्यवस्था की जाए, ताकि जो मध्यम श्रेणी की महिलाएं बाहर जाकर होस्टल में रह कर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती हैं, वे शिक्षित हो सकें।

कम्युनिकेशन के बारे में सबसे ज्यादा 103,17,60,756 रुपए की मंजूरी मांगी गई है, लेकिन इस बारे में मैं एक चीज की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं कि मयूरभंज जिले के लिए डिवीजनल ऑफिस की मांग काफी समय से लंबित है। पहले बताया गया था कि इसकी फिलिविलिटी कंप्लीट नहीं है, परंतु अब सीजीएम कार्यालय से लिख कर भेज दिया गया है कि डिवीजनल ऑफिस के लिए फिजिबिलिटी कंप्लीट है। मेरा मंत्री महोदय से

निवेदन है कि इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में इन अनुदानों की मांगों के तहत डिवीजनल कार्यालय उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

शिक्षा मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, मैं उनसे विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे बैकवर्ड इलाके के लिए हरिजन, आदिवासी तथा गरीब छात्रों की तरफ से लंबे समय से सेंट्रल यूनिवर्सिटी, रूरल यूनिवर्सिटी, नार्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी आदि की मांग की जाती रही है और आंदोलन होता रहा है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इन अनुदानों की मांगों के तहत इस सवाल पर भी विचार करने का कष्ट करें।

मैं आपको बधाई देना चाहूंगी कि आपने राजीव गांधी फाऊन्डेशन के लिए गांवों में लाईब्रेरी बनाने के लिए कुछ अनुदान रखा हुआ है, यह स्वागत योग्य कदम है। राज्य और केन्द्र सरकार दोनों ही मिलकर रोड्स का काम करती आ रही हैं। लेकिन आज भी गांवों में जाने के लिए रास्ते नहीं हैं और बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर 8-10 किलोमीटर लोगों को पैदल जाना पड़ता है और साईकिल भी नहीं जाती है। जहां पर आदिवासी इलाके हैं तो उन इलाकों में आपको कम से कम प्रिफेंशियल-वे में कदम उठाने चाहिए। मैं अनुपूरक अनुदान मांगों का समर्थन करती हूं और मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि जो मैंने अपने जिले की बातों को बताया है उनको इस अनुदान के तहत पूरा करने की कृपा करेंगे।

श्री मणिकराव होडल्या गावीत (नन्दरबार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अतिरिक्त अनुदान मांगें 1990, 1991 और 1992 और 1994-95 की अनुपूरक अनुदान की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यहां पर कृषि मंत्रालय को ज्यादा धनराशि देने का का विचार किया है। 250 करोड़ रुपए से ज्यादा कृषि मंत्रालय को देनी पड़ रही है क्योंकि फर्टिलाईजर के दाम ज्यादा बढ़े हैं। हमारे महाराष्ट्र में यूरिया की बहुत कमी है। आज सुबह भी एक सदस्य ने नन्दरबार जिले के लिए जो आदिवासी एरिया है, के लिए फर्टिलाईजर की मांग की थी। हमारी सरकार की नीति है कि पिछड़े और ट्राईबल इलाकों के लिए प्रायोरिटी के आधार पर कार्यवाही करने के लिए कहा गया है। हमारे क्षेत्र नन्दरबार, नवापुर, तकोहा, शहादा, साक्री, अक्कवकुल, अक्राणी और शिरपुर में फर्टिलाईजर के वितरण व्यवस्था ठीक नहीं है। बारिश के सीजन में किसानों को खाद समय पर नहीं देंगे तो किसानों को भारी नुकसान होगा और उनके उत्पादन में कमी आयेगी। मैंने इस संबंध में श्री राम लखन सिंह यादव जी को भी पत्र लिखा है कि वितरण करने वाली एजेंसी को ठीक से काम करने के लिए कहा जाए। यहां पर मानव संसाधन मंत्रालय के लिए भी धनराशि रखी गई है। देश में नवोदय विद्यालय खुले हुए हैं, यह काम बहुत अच्छा है। लेकिन प्रशासन का ध्यान नहीं है। स्टेट में कहीं भी मुख्यालय रखा गया है तो टीचर भर्ती, विद्यालय के लिए बिल्डिंग का निर्माण कार्य और अन्य बातें वहां से देखी जाती हैं।

3.00 म. प.

महाराष्ट्र में औरंगाबाद में इसका मुख्यालय रखा गया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में नवोदय विद्यालय कार्यरत है। स्कूल, अस्पताल, हॉस्टल और क्वार्टर्स आदि की व्यवस्था वहां करने की योजना है। इस पूरे निर्माण कार्य पर 1 करोड़ 27 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। पिछले अप्रेल में मैंने सभी भवनों के निर्माण कार्य को देखा, इन पर अभी तक 97 लाख रुपये खर्च किये गये हैं। लेकिन अभी तक एक भी बिल्डिंग पूरी नहीं की गई है।

जो काम हुआ है वह भी कच्चा हुआ है, छत से प्लास्तर निकल रहा था। वहां के इंजीनियर से जब मैंने इसके बारे में बात की तो उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। पिछली 10 जुलाई को हॉस्टल में स्लैब गिर गई। अगर वह रात में गिर जाती तो कितने ही बच्चों की जान जा सकती थी। ऐसे गैर-जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग बच्चों की जान से खिलवाड़ करें, उन्हें माफी नहीं देनी चाहिए।

इन मांगों में राजीव गांधी फाउंडेशन के पुस्तकालय के लिए भी डेढ़ करोड़ रुपये की मांग है। इसमें अहमदाबाद, कलकत्ता और बंगलौर का जिक्र किया गया है। महाराष्ट्र का उल्लेख नहीं है। मैं निवेदन करना चाता हूं कि इस योजना में महाराष्ट्र को भी शामिल किया जाये।

इन अनुपूरक अनुदानों की मांगों में कुल 15 मांगे शामिल हैं। इसमें दूर संचार सेवा के लिए भी 103 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। इसमें ट्राइबल एरिया और पिछड़े इलाकों को टेलीफोन से और एस०टी०डी० से जोड़ने की बात का उल्लेख है। हमारी सरकार ने पिछड़े इलाकों और आदिवासी इलाकों को अच्छा काम करने के लिए अधिकारियों को चेतावनी भी दी है, लेकिन हमने देखा है कि सम्बन्धित विभागों के लोग इन इलाकों में कोई विकास कार्य नहीं करते, इनको पिछड़ा ही रखना चाहते हैं। वहां एस,टी०डी० की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी हमारे साथी वसंत पवार ने ठीक कहा था। वे नासिक जिले से ताल्लुक रखते हैं जो कि आदिवासी एरिया है। मेरा तो पूरा क्षेत्र ही आदिवासी बाहुल्य है। मेरा अनुरोध है कि ऐसे पिछड़े हुए इलाकों में दूर संचार व्यवस्था सुचारू रूप से होनी चाहिए।

अनुसूचित जाति विकास निगम के लिए भी कुछ राशि मिलती है। लेकिन वह भी पूरा तरह से इन लोगों के पास नहीं पहुंच पाती है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।

उद्योग मंत्रालय के लिए भी मांग रखी गई है। सस्कार ने उद्योगों के लिए एक नीति भी बनाई है। प्रधान मंत्री जी ने जो यह नीति बनाई है यह बहुत ही अच्छी है। लेकिन हमारे यहां से अगर कोई छोटे-मोटे उद्योग खोलने के लिए यहां पर उद्योग मंत्रालय के पास आता है तो इस मंत्रालय से सम्बन्धित लोग उसके बहुत चक्कर लगवाते हैं। वे यह समझते हैं कि जो लोग उद्योग खोलना चाहते हैं इसमें इनको बहुत कुछ मिलेगा। इसलिए वे भी कुछ उनसे मिलने की आस रखते हैं। इस तरह से छोटे-मोटे उद्योग खोलने वाले लोगों को प्रोत्साहन नहीं मिलता है। यह भी सरकार को देखना चाहिए।

सरकार द्वारा रखी गई अनुपूरक अनुदानों की मांगों का मैं समर्थन करता हूं और आपने जो समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से अनुदान की जो मांगें रखी गयी हैं, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। समर्थन तो हर परिस्थिति में करना है लेकिन सरकार से दो-चार बातें पूछना चाहता हूं। आप हर साल जनरल बजट पास करते हैं फिर 5 महीने के बाद सप्लीमेंटरी बजट की क्यों जरूरत पड़ जाती है ? इस देश में किसानों की आबादी 80 प्रतिशत है क्या आपने यह आंकड़ा लेने की कोशिश की है ? यदि नहीं लिया है तो इतना कम रुपया रखना क्या इनके साथ घोर अन्याय नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्या बोल रही थीं जो नयी चुनकर आयी हैं वे गांव की बात कर रही थी और उनकी अपनी व्यथा थी। उन्होंने श्री अर्जुन सिंह जी से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की मांग की, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने की बात कही, और किसानों के हित की बात करने के लिये कहा और यह मांग की कि गांव के पढ़े-लिखे लोग, जो दिशाहीन हो रहे हैं, उनके लिये कोई मार्ग निर्धारित करो। तो मैंने इसलिये कहा कि समर्थन करना मजबूरी है। व्यथा बहुत बड़ी है लेकिन साधन कम हैं। चाहते कुछ हैं, और होता कुछ है। यह भी एक जनरल बजट के समान है जिसपर सांसद अपने विचार रखते हैं और सदस्यों को इसपर भी बोलने की आज़ादी रहती है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज की स्थिति के बारे में एक-दो उदाहरण रखना चाहूंगा। हमने बिहार में शिक्षा माफिया सुना है, कोल माफिया है लेकिन वहां पर पशु पालन माफिया भी है। रांची एक आदिवासी क्षेत्र है जहां के लिये भारत सरकार और बिहार सरकार की ओर से स्पेशल बजट पशु पालन विभाग से आदिवासियों के ऊपर खर्च करने के लिये रखा जाता है। मुझे यह कहते हुये दुख हो रहा है कि जितना भी पैसे का भुगतान किया जाता है, वह बोगस वाऊचर्स पर किया जाता है। ऐसे अनुदान देने से क्या फायदा ?

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री एस॰ बी॰ चव्हाण) : यह बहुत गम्भीर आरोप है। यह पूर्णतया गलत है।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिये और ठोस जांच होनी चाहिये क्योंकि जो बड़े माफिया डान हैं, वे पैसे के बल पर केस को दबा लिया करते हैं। एक साधारण डाक्टर पैसे के बल पर हवाई जहाज पर आये बिना पैर नहीं रखता है और दिल्ली अनेकों बार आता है। मैं चाहता हूं कि इस बात की गहराई से जांच हो। मैं जानता हूं कि बिहार के लोग इस सब के संबंध में फैक्ट्स और फिगर्स देने को तैयार हैं। यह लड़ाई पिछले 10-12 सालों से चल रही है लेकिन आप उन लोगों को नहीं पकड़ पाये हैं। इसलिये मैं मांग करता हूं कि इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिये।

आप डेरी फार्म शीर्ष के अंतर्गत पैसा भेजते हैं, यहां उत्तर प्रदेश का जिक्र किया गया, मैं उससे सहमत हूं क्योंकि मैं अक्सर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता हूं और अब वहां डेरी फार्म की हालत देखता हूं तो मुझे देखकर बहुत खुशी होती है लेकिन हमारे बिहार में जितने भी डेरी फार्म हैं, वे सारे कागजों पर चल रहे हैं कोई भी कार्य रूप में नहीं है, फिर आप पैसा देकर क्या करेंगे।

3.11 म॰ प॰

(श्री तारा सिंह पीठासीन हुये)

मैं चाहता हूं कि आप आगे जो भी बजट सदन में लाये, जिस तरह गृह मंत्रालय के लिये पैसे का प्रावधान किया जाता है, रक्षा मंत्रालय के लिये किया जाता है, उससे अधिक प्रावधान देश में कृषि के विकास के लिये होना चाहिये, शिक्षा के विकास के लिये होना चाहिये, बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिये होना चाहिये। यदि

कृषि, शिक्षा और बिजली का उत्पादन आप देश में नहीं बढ़ा सकते तो हमारे मंत्री जी लाख प्रयत्न कर लें, स्थिति खराब होती जायेगी और उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि देश मे जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। बेरोजगार लोगों को कोई काम नहीं मिल रहा है। अपने घरों में रहकर वे काम नहीं करना चाहते हैं। मां-बाप से उन्हें प्रताड़ित होना पड़ता है। माता-पिता अपने बच्चे से कहते हैं कि हमने तुम्हें एम०ए०, बी०ए० करा दिया, अब जाओ और कुछ कमा कर लाओ। जब वह बेचारा काम की तलाश में जाता है तो उसे कोई काम नहीं मिलता जिससे मजबूर होकर वह चोरी, डकैती जैसे काम करने लगता है और दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बंबई जैसे शहरों में व्यवस्था खराब करता है। इसलिये मेरी मांग है और सारे मंत्री महोदय इस समय सदन में बैठे हैं जिनके ऊपर कांग्रेस पार्टी को चलाने का जिम्मा है क्योंकि अब सिवाय कांग्रेस पार्टी के कोई दूसरा विकल्प लोगों के सामने नहीं रह गया है। हम जनता दल दल को छोड़कर आपके साथ आये हैं क्योंकि हम जानते हैं कि इस देश के लोगों की पीड़ा को केवल कांग्रेस पार्टी ही समाप्त कर सकती है। जब 25 पार्टियां मिलकर एक पार्टी बनाती हैं और उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं होता है तो वे फिर बिखर जाया करती हैं। इसलिये इस देश में, इस देश की जनता के सामने कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं रह गया है।

विकल्प का अर्थ यह नहीं होना चाहिये कि हम कुछ कार्य ही न करें अपने कर्तव्य पूरे न करें। इसलिये मेरी विनती है कि आप दिशा मोड़ने का काम करें क्योंकि इसके लिये आप सक्षम हैं, आप एक नई दिशा दे सकते हैं, आप गांवों का विकास कर सकते हैं और आपको दिशा देने का काम करना चाहिये।

अभी आपकी उदारीकरण की नीति आयी। उसके बारे में यहां भले ही कोई कुछ कह दे लेकिन गांव के लोगों ने आपनी नीति का हृदय से समर्थन किया है। डंकेल मुद्दे पर विपक्ष ने गांव में जाकर कहा था कि किसानों अब तुम्हें खेती करने के लिये सरकार से अनुमति लेनी होगी, अपना गेहूं बेचने के लिये अनुमति लेनी होगी, प्याज की खेती करने के लिये अनुमति लेनी होगी, तुम कुछ बेच नहीं सकते हो। मैं भी एक बड़ी सभा में गया था और वहां मैंने अपनी बात रखी कि आज से 15 वर्ष पहले यदि मैक्सिको से गेहूं हमारे देश में न आया होता तो क्या आज हम गेहूं के मामले में इस हालत में होते, देश गेहूं के मामले में आत्म-निर्भर हो गया होता तो सबने मेरा समर्थन किया। फिर मैंने कहा कि अगर संकर मक्का का बीज बाहर से न लाया गया होता तो क्या मक्का की खेती आप लोग कर सकते थे, सभी ने कहा कि नहीं कर सकते थे। मैंने कहा कि अब भी जो भी बीज बाहर से आयेगा, वह अच्छी किस्म का बीज होगा, आपको सारी सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी। हमारे विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। सभी लोगों ने अपने हाथ उठाकर कहा कि हम डंकेल प्रस्तावों को चाहते हैं। लाखों लोगों ने हाथ उठाकर मेरा समर्थन किया था।

किसानों के दुख-दर्द और व्यथा को केवल एक किसान ही अच्छी तरह समझ सकता है। मैं एक साधारण किसान का पुत्र हूं और मैने अपने हाथ से खेती करने का काम किया है। आजकल कुछ जगह सुखाड़ है, किसान का खेत जल रहा है। कहीं बाढ़ है तो उसे तीन तीन बार धान की रोपाई करना पड़ रही है नहीं तो सब कुछ बेकार हो जाता है। इस सबसे किसान मजदूरों की हालत अपनी जगह पर खराब हो रही है। हमारे देश में चाहे राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, 100-100 करोड़ रुपये रिलीफ के नाम पर दिये जाते हैं लेकिन उससे बाढ़ सुखाड़ जैसी समस्या का कोई परमानैंट सौल्यूशन नहीं निकला। इसका कोई परमानैंट सौयूशन होना बहुत

जरूरी है, कुछ परमानेंट व्यवस्था होना जरूरी है लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं मानता हूं कि देश की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है लेकिन मैं यह मानने को कदापि तैयार नहीं हूं कि यदि देश के किसी एक कोने से हम इस समस्या का निदान करना चाहें, कोई एक बड़ी योजना बनाकर परमानेंट सौल्यूशन करें तो वैसा कर नहीं सकते। आप सब कुछ कर सकते है, मैं जानता हूं। अगर आजादी के 40-50 वर्ष बाद, आप चाहते तो कोई बड़ी योजना इस संबंध में बनाकर गांव के किसानों को आगे लाने का काम करते तो निश्चित रूप से आज वे आगे आ गये होते और उनका काफी विकास हो गया होता, इसमें कोई संदेह नहीं है।

अभी उपग्रह से आप टी०वी० दिखाते हैं। हर गांव में दूरदर्शन आप ले जा रहे हैं। हर गांव में टेलीफोन ले जा रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। क्या उपग्रह के माध्यम से हम खेतों में पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते ? क्या हम उपग्रह के जरिये मैप नहीं ले सकते हैं ? उसकी समुचित व्यवस्था नहीं कर सकते हैं ? हम कर सकते हैं, लेकिन इस ओर समुचित ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम इस कार्य को करने पर उतारू हो जाएं, तो यह कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हम इसको कर सकते हैं।

सभापति महोदय, अनुदान की अनुपूरक मांगों का समर्थन करते हुए मैं पुन: मांग करता हूं कि रांची में जो पशु-पालन माफिया है, जिसके कारण वहां एक पैसा भी नहीं जा रहा है, उसकी उच्चस्तरीय जांच करिए क्योंकि उसके हाथ बहुत लम्बे हैं। उसको पकड़ना बहुत कठिन है। उसकी जांच कराइए ताकि उस इंजीनियर इलाके में कुछ राहत मिल सके।

मान्यवर, समय देने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : सभापति महोदय, कल और आज हमने वर्ष 1994-95 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों और वर्ष 1990-91 एवं 1991-92 के अतिरिक्त अनुदानों के मांगों पर चर्चा की है।

मैं उन सभी माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं जिन्होंने इन चर्चाओं में भाग लिया है। उन्होंने अत्यंत बहुमूल्य सुझाव दिए हैं जिन्हें नोट कर लिया गया है। अनेक माननीय सदस्यों ने अपने राज्यों और निर्वाचन-क्षेत्रों की समस्याओं का जिक्र किया है। उनहोंने अपने राज्यों और निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ परियोजनाओं के लगाए जाने की मांग की है।

महोदय, आप मेरी इस बात से सहमत होगें कि मैं एक सीमित उद्देश्य से यहां आया हूं। मैं इस महान सभा में लेखा और अनुपूरक मांगों और अतिरिक्त अनुदानों पर मतदान चाहता हूं। परन्तु मैं माननीय सदस्यों की उनके राज्यों और निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रति चिंता को समझता हूं और मैं उनकी भावनाओं को संबंधित मंत्रालयों तक पहुंचा दूंगा ताकि वे तदनुसार मामलों पर कार्यवाही कर सकें।

अत: सबसे पहले मैं वर्ष 1994-95 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ करूंगा। इस समूह में 15 मांगें हैं जिनमें कुल मिलाकर 343.30 करोड़ रुपया निहित है। सकल व्यय की पूर्ति 86.94 करोड़ रुपये की सीमा तक बचतों या वसूलियों या बढी हुई प्राप्तियों से होती है। पर वास्तविक कुल नकद व्यय 256.

36 करोड़ रुपये का है, और यह मुख्यत: उर्वरक प्रोन्नति के लिए हमारे द्वारा दी गई सहायता के चलते हुआ है, ताकि इस योजना के अंतर्गत निर्माणकर्णत्री एजेंसियों को भुगतान और किसानों को रियायत के साथ नियंत्रण मुक्त फास्फैटिक और पोटाश उर्वरकों की बिक्री हो सके। यह योजना 1994-95 के दौरान जारी रहेगी जिसमें 250 करोड़ रुपए निहित हैं।

दूसरा नियतन लगभग 6.3 करोड़ रुपए के पंचाट निर्णय के कार्यान्वयन की दिशा में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के कामगरों के बकायों के भुगतान से संबंधित है। शेष 86.94 करोड़ रुपए की पूर्ति संबंधित विभागों में अतिरिक्त प्राप्तियों और बचतों से होती है। साथ ही अनुसूचित जाति विकास निगम की शेयर पूंजी में निवेश के लिए हमने 22 करोड़ रुपये का भी प्रावधान किया है। हमने भारतीय इस्पात प्राधिकरण की सहायता के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत 10 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया है और इसे राष्ट्रीय पुनर्नवीकरण विधि से वहन किया जाएगा।

एक और महत्वपूर्ण अनुदान राजीव गांधी फाउंडेशन को सहायता के लिए है। यह एक ऐसी परियोजना है जिसका उद्देश्य आंतकवाद के शिकार बच्चों को शिक्षित करना, उन्हें पुनर्स्थापित करना और उनकी सहायता करना है। हमने ग्राम पुस्तकालय परियोजना के लिए भी राजीव गांधी फाउंडेशन की सहायता की है और इसके लिए 1.5 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। अनुपूरक मांगों में किए गये ये प्रमुख नियतन हैं।

अब मैं वर्ष 1990-91 के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की चर्चा करूंगा। इसमें 7 अनुदान हैं जिसमें 627.73 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि निहित है। लोक लेखा समिति ने उपरोक्त अतिरिक्त व्ययों की जांच कर ली है और अपनी सोलहवीं रिपोर्ट में समिति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 115 (1) (ख) के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को विनियमित करने की सिफारिश की है। व्यय का एक प्रमुख क्षेत्र वाणिज्य मंत्रालय है। भारत से मुख्यत: तत्कालीन ऋण सुविधा के अंतर्गत तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा अधिक निकासी के कारण 521.09 करोड़ रुपए का व्यय हुआ। व्यय का दूसरा प्रमुख क्षेत्र दूर संचार सेवा है। इस पर 103.81 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ था जो अतिरिक्त व्ययों और बचतों का ही कुल परिणाम था। यह अतिरिक्त व्यय मुख्यत: टेलीफोन तंत्र के केबलों और उपभोक्ता उपस्करों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

इसके बाद मैं वर्ष 1991-92 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की चर्चा करूंगा 93 अनुदानों और चार विनियोगों में से सात अनुदानों में कुल 104.27 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ। लोक लेखा समिति ने उपरोक्त अतिरिक्त व्ययों की जांच की है और समिति ने अपनी सातवीं रिपोर्ट में अतिरिक्त व्यय के विनियमन की सिफारिश की है। पुन: अतिरिक्त व्यय का क्षेत्र दूरसंचार विभाग है। सार्वजनिक टेलीफोन तंत्र के अंतर्गत मुख्यत: केबलों, उपकरणों और संयंत्रों की खरीद पर 65.04 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ है। व्यय का दूसरा प्रमुख क्षेत्र पेंशन है। मुख्यत: पेंशनभोगियों की संख्या बढ़ने, महंगाई भत्ते की दर में बढ़ोतरी और डिपाजिट (जमा) से जुड़ी बीमा योजना और सरकारी भविष्य निधि में आशा से अधिक ग्राहकों की प्राप्तियों के कारण 32.51 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ। यह केवल सांविधिक बाध्यता है जिसकी सिफारिश संसद की लोक लेखा समिति ने की थी।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि अनुपूरक अनुदानों की आवश्यकता क्यों पड़ती है।

महोदय, हम सभी इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं कि सामान्य बजट के प्रस्तुतीकरण के बाद होने वाले अप्रत्याशित व्यय के कारण अनुपूरक अनुदानों की मांग आवश्यक हो जाती है। इसमें नया कुछ नहीं है। जहां तक अतिरिक्त अनुदानों का भी प्रश्न है, तो हमने इन अनुदानों पर धन खर्च किया है जिसकी जांच संसद की समिति द्वारा की गई और सांविधिक अनिवार्यता के कारण उन्होंने इन अतिरिक्त अनुदानों को स्वीकृत करने के लिए संसद से सिफारिश की है। अत: हम इस सभा के समक्ष आये हैं।

मैं माननीय सदस्यों से वर्ष 1994-95 की अनुपूरक मांगों और 1990-91 एवं 1991-92 के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों का समर्थन करने की अपील करता हूं।

सभापति महोदय : मैं अब 1994-95 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक सम्बन्धित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें :–

मांग संख्या 1, 4, 10, 11, 45, 47, 74, 79, 80, 83, 84 और 87"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1994-95 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन द्वारा स्वीकृत अनुपूरक अनुदानों की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2		3
1.	कृषि	250,00,00,000	–
4.	पशु पालन और डेरी विभाग	39,00,00,000	–
10.	कोयला मंत्रालय		1,00,000
11.	वाणिज्य विभाग	1,00,000	––
45.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	1,00,000	–
47.	शिक्षा विभाग	2,00,000	–
74.	इस्पात मंत्रालय	10,00,00,000	–
79.	शहरी विकास और आवास	–	2,00,000
80.	लोक निर्माण कार्य	–	1,00,000
83.	कल्याण मंत्रालय	–	22,00,00,000
84.	परमाणु ऊर्जा	–	1,00,000
87.	महासागर विकास विभाग	5,40,00,000	–
	जोड़	**304,44,00,000**	**22,05,00,000**

सभापति महोदय : अब मैं वर्ष 1990-91 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 7,11,13,16,22,93 और 94 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों में अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1990-91 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की द्वारा स्वीकृत मांग की राशि
1	2	3
		रुपये
I.	**राजस्व से पूरा किया गया व्यय**	
13.	रक्षा पेंशनें	11,51,872
16.	रक्षा सेवाएं–वायु सेना	1,44,05,869
93.	लक्षद्वीप	3,55,524
94.	चंडीगढ़	1,16,10,312
II.	**पूंजी से पूरा किया गया व्यय**	
7.	वाणिज्य विभाग	521,08,80,697
11.	दूरसंचार सेवाएं	103,17,60,756
22.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	68,488
93.	लक्षद्वीप	1,25,597

सभापति महोदय : अब मैं वर्ष 1991-92 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 15,17,28,84 और 97 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1991-92 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन द्वारा स्वीकृत मांग की राशि
1	2	3
		रुपये
I.	राजस्व से पूरा किया गया व्यय	
17.	रक्षा पेंशनें	29,29,916
28.	पेंशनें	32,50,53,771
97.	चंडीगढ़	5,01,43,133
II.	पूंजी से पूरा किया गया व्यय	
15.	दूरसंचार सेवाएं	65,03,82,479
84.	न्यूकलीय विद्युत स्कीम	1,03,71,330

3.28 म० प०

विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 1994

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1994-95 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1994-95 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं विधेयक** को पुरः स्थापित करता हूं।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय अब प्रस्ताव करें कि विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं प्रस्ताव* करता हूं : "कि वित्तीय वर्ष 1994-95 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संचय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि वित्तीय वर्ष 1994-95 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

**दिनांक 9.8.1994 को भारत के राजपत्र असाधारण भाग-दो खण्ड 2 में प्रकाशित।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरः स्थापित दिनांक।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरम्भ करेगी।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड-1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड-1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.31 म. प.

विनियोग (संख्याक 3) विधेयक,* 1994

सभापति महोदय : सभा अब मद संख्या 16 पर विचार करेगी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गई हैं, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि 31 मार्च, 1991 के समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गई हैं, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक

*दिनांक 9.8.94 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग-2, खण्ड 2, में प्रकाशित।

को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं विधेयक** पुरः स्थापित करता हूं।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय अब प्रस्ताव करें कि विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, मैं प्रस्ताव** करता हूं :

"कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कतिपय सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपलबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गयी हैं उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।

प्रस्तावित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरः स्थापित।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.34 म. प.

विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक 1994*

सभापति महोदय : अब सभा मद संख्या 18 पर विचार करेगी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : महोदय मैं, 31 मार्च 1992 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई राशियों जो उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए स्वीकृत की गई राशियों से अधिक है, को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च, 1992 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई राशियों, जो उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए स्वीकृत की गई राशियों से अधिक है, को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।**

सभापति महोदय : मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 31 मार्च, 1992 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई राशियों जो उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए स्वीकृत की गई राशियों से अधिक है, को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च, 1992 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई राशियों, जो उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए स्वीकृत की गई राशियों से अधिक है, को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

---

*दिनांक 9 अगस्त, 1994 के भारत के आसाधारण राजपत्र, भाग 2 खंड 2 खंड 2 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च, 1992 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई राशियों, जो उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए स्वीकृत की गई राशियों से अधिक हैं, को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.36 म. प.

जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में जारी की गई उद्घोषणा को जारी रखने का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

जम्मू और कश्मीर बजट, 1994-95 अनुदानों की मांगें

सभापति महोदय : अब हम मद संख्या 20 और 21 पर एक साथ विचार करेंगे।

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में 18 जुलाई, 1990 को जारी की गई उद्घोषणा को 3 सितम्बर, 1994 और छह माह की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

जैसा कि यह सभा जानती है, 1990 में जम्मू और कश्मीर के युवकों के एक वर्ग को इस देश की सुरक्षा के विरुद्ध हिंसात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए सीमा पार के सैनिक फुसलाने में सफल रहे। हजारों युवकों को सीमा पार ले जाया गया उन्हें उपद्रव करने तथा हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया गया और राज्य में सामान्य जनजीवन के अस्तव्यस्त करने तथा देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने हेतु उन्हें भारी मात्रा में हथियार देकर राज्य में वापस भेज दिया गया। 1990 में ऐसी स्थितियां पैदा कर दी गई कि 18 जुलाई, 1990 को राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत जम्मू और कश्मीर के संबंध में एक उद्घोषणा जारी की गई। चूंकि जम्मू और कश्मीर राज्य में कानून और व्यवस्था तथा सुरक्षा संबंधी स्थिति गंभीर बनी रही

इसलिए जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में 18 जुलाई 1990 को लागू की गई उद्घोषणा को जारी रखने के लिए समय-समय पर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति ली जाती रही। राष्ट्रपति शासन की वर्तमान अवधि 2 सितम्बर, 1994 तक लागू रहेगी।

जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल ने अपने हाल ही की रिपोर्ट में कहा है कि विशेष तौर पर कश्मीर घाटी के लोगों के दृष्टि कोण में स्पष्ट परिवर्तन और सुधार हुआ है। आतंकवादी ताकतों को पाकिस्तान द्वारा बढ़ावा देने, सहायता देने और भड़काने के प्रमाण घाटी के कई हिस्सों में मिलते हैं। आतंकवादियों को सहयोग नहीं मिल रहा है और उनके द्वारा धन ऐंठने का विरोध किया जा रहा है। इस लोकप्रिय भावना का प्रभावी प्रदर्शन हाल ही में अनंत नाग में हिजबुल मुजहिदीन के सदस्यों द्वारा काजीनिसार की हत्या पर देखा गया था। संगठनों और पाकिस्तान में इन संगठनों के चलाने वालों की कड़ी निंदा की गई और पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए गए।

राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में आगे लिखा है कि आतंकवादी तत्वों से निपटने में सुरक्षा सैनिक प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप उन पर पर्याप्त नियन्त्रण है और उनका स्पष्ट तौर पर मनोबल टूटा है। इसकी एक वजह घाटी में आतंकवादियों पर दबाव बनाए रखना है जिससे डोडा जिले में हाल में अधिक गति विधि देखी गई है। फिर भी तुरंत कड़े उपाय किए गए और जिले में स्थिति पर नियंत्रण पाया गया।

अधिक खुलेपन आदि के द्वारा सरकार ने कई उपाय किए हैं जिस से जम्मू और कश्मीर राज्य की वास्तविक स्थिति के बारे में उन लोगों को बेहतर जानकारी मिल सके जो पाकिस्तान के व्यापक दुष्प्रचार और गलत सूचना के कारण गलत धारणा बनाए हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न गतिविधियों, मार्च 1994 में जेनेवा घटनाओं सहित, ने भी इस राज्य के संबंध में पाकिस्तान के इरादों का, जहां तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और राज्य के, विशेषकर घाटी के, लोगों का संबंध है, दोनों के समक्ष पर्दाफाश किया है।

जनता पर आतंकवादियों की बढ़ती हुई ज्यादतियों गत कुछ माहों में हुई विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों, स्थानीय स्वशासन को पुन: क्रिया शील बनाने तथा विकास कार्यों को बढ़ाने में सरकार के जबरदस्त प्रयास और हाल ही में इद-उल मिलाद नबी के अवसर पर हजरत बल के संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का जनता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आश्चर्य की बात नहीं है कि इन सभी से उग्रवादी तथा सीमा पार उनके संरक्षक हतोत्साहित हुए हैं। इसलिए हमने उनके द्वारा हिंसा को बढ़ाने तथा बंदूक के आतंक बनाए रखने हेतु निराशा में किये गये प्रयासों को देखा है। सुरक्षा बलों पर हमले किए जाने के अतिरिक्त ऐसे ग्रेनेडों और विस्फोटकों का भारी प्रयोग किया गया है जिनसे सैकड़ों निर्दोष नागरिक घायल हुए हैं अथवा मारे गए हैं। राज्य में आतंकवादियों का मनोबल टूटने के कारण पाकिस्तान ने राज्य में कथित जेहाद जारी रखने के लिए विदेशी नागरिकों और भाड़े के सैनिकों को भेजने के प्रयास किए हैं। इसके बदले में ऐसे तत्व स्थानीय लोगों को परेशान कर रहे हैं। वर्ष 1991 के बाद से पहली बार विदेशियों पर हमले किए गए हैं और राजनैतिकों को लक्ष्य बनाया गया है, ताकि सामान्य और राजनैतिक स्थिति बहाल करने की प्रक्रिया को निष्प्रभावी किया जा सके।

निराशा के रूप में उन्होंने विशेषत: पाकिस्तान समर्पित आतंकवादी गुटों द्वारा समर्थन प्राप्त हरकत-उल-अंसर नामक भाड़े के आतंकवादी गुट ने अमरनाथ यात्रा के विरुद्ध धमकियां दी हैं। पहली ही बार ऐसा हुआ है और

ऐसा प्रतीत होता है कि उनका इरादा राज्य के अन्दर और बाहर साम्प्रदायिकता फैलाने का है।

मैंने इन सब बातों का उल्लेख इस सम्मानित सभा को उस निराशा से अवगत करने के लिए किया है जो हमारे पड़ौसी देश ने कश्मीर के लोगों को किसी भी प्रकार से उनके लोक तांत्रिक अधिकारों से वंचित करने के प्रयास पर व्यक्त की है यद्यपि इसके समर्थित गुटों ने राज्य में निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की हत्याएं की हैं और शान्ति को भंग किया है।

सरकार इस प्रकार की चुनौती और नापाक इरादे से निपटने के लिए दृढ़ संकल्प है तथा इस संबंध में यथासम्भव कठोर कार्यवाही करेगी और यह सुनिश्चित करने हेतु प्रयास करती रहेगी कि सुरक्षा कार्यवाहियों में नागरिकों को कम से कम तंग किया जाए। हम राज्य में राजनैतिक तत्वों को सक्रिय बनाने स्थानीय प्रशासन में विश्वास पैदा करने, उसे चुस्त और जिम्मेदार बनाने तथा राज्य में आर्थिक और विकास की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाते रहेंगे ? सरकार किसी भी ऐसे व्यक्ति अथवा गुट से बातचीत करने को तैयार है। जो राज्य में शान्ति, सामान्य स्थिति और लोकतांत्रिक संस्थाओं को बहाल करने की प्रक्रिया में सहयोग देना चाहता है।

जैसा कि पहले बताया गया है कि हमने काफी प्रगति की है और स्थिति में भी काफी सुधार हुआ है, जिसकी वजह से हम अच्छे भविष्य की आशा कर सकते हैं। हम स्थिति में और सुधार करने के लिए प्रयास करते रहेंगे। इसी बीच वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि पहले संक्षेप में बताया गया है। हम यह अनुभव करते हैं कि चुनावी प्रक्रिया शुरू करना जल्दबाजी होगी। ऐसी परिस्थितियों में राज्यपाल ने सिफारिश की है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि 2 सितम्बर, 1994 से 6 माह के लिए और बढ़ा दी जाए। राज्य में व्याप्त स्थिति और अन्य प्रसांगिक बातों को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक यह विचार किया गया है कि राज्यपाल की सिफारिशों की माना जाए और तदनुसार कार्यवाही की जाए।

मैंने जो स्थिति स्पष्ट की है उसे ध्यान में रखते हुए मेरा इस सम्मानित सभा से अनुरोध है कि संकल्प का अनुमोदन किया जाए।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में 18 जुलाई, 1990 को जारी की गई उद्घोषणा को 3 सितम्बर, 1994 से और छह माह की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

"कि कार्य-सूची से स्तंभ 2 में जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित मांग संख्या 1 से 27 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तंभ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनाधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

लोक सभा

1994-95 के संबंध में सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली अनुदानों की मांगों की सूची-बजट (जम्मू और कश्मीर) (.....की कार्य सूची के अनुसार)

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन द्वारा दिनांक 9.3.94 को स्वीकृत लेखानुदान संबंधी मांगों की राशि		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली अनुदानों की मांगों की राशि	
1	2	3		4	
		राजस्व रुपये	पूँजी रुपये	राजस्व रुपये	पूँजी रुपये
1.	सामान्य प्रशासन विभाग	9,68,58,000	93,97,000	9,68,59,000	93,97,000
2.	गृह विभाग	108,71,53,000	2,82,72,000	108,71,52,000	2,82,73,000
3.	योजना और विकास विभाग	1,62,71,000	3,52,00,000	1,62,72,000	3,52,00,000
4.	सूचना विभाग	2,05,02,000	22,55,000	2,05,01,000	22,55,000
5.	लद्दाख कार्य विभाग	46,40,80,000	28,85,92,000	–	–
6.	विद्युत विकास विभाग	169,19,11,000	136,23,79,000	169,19,12,000	136,23,79,000
7.	शिक्षा विभाग	148,02,58,000	8,64,05,000	148,02,57,000	8,64,05,000
8.	वित्त विभाग	68,71,89,000	1,25,50,000	68,71,90,000	1,25,50,000
9.	संसदीय कार्य विभाग	78,45,000	–	78,45,000	–
10.	विधि विभाग	3,19,64,000	–	3,19,64,000	–
11.	उद्योग, और वाणिज्य विभाग	16,99,02,000	26,76,17,000	16,99,02,000	26,76,16,000
12.	कृषि, ग्रामीण विकास और सहकारिता विभाग	33,09,12,000	26,89,42,000	33,09,11,000	26,89,42,000
13.	पशु पालन विभाग	20,23,94,000	4,78,33,000	20,23,94,000	4,78,34,000
14.	राजस्व विभाग	34,92,82,000	1,69,000	34,92,82,000	1,68,000
15.	खाद्य पूर्ति और परिवहन विभाग	21,39,60,000	214,69,56,000	21,39,60,000	214,69,56,000
16.	लोक निर्माण कार्य विभाग	60,41,91,000	52,31,50,000	60,41,90,000	52,31,50,000
17.	स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग	66,17,16,000	9,28,73,000	66,17,16,000	9,28,74,000
18.	सामाजिक कल्याण विभाग	8,79,61,000	4,05,07,000	8,79,61,000	4,05,06,000

1	2	3		4	
19.	आवास और शहरी विकास विभाग	11,02,03,000	24,78,05,000	11,02,02,000	24,78,05,000
20.	पर्यटन विभाग	3,88,71,000	7,88,44,000	3,88,71,000	7,88,45,000
21.	वन विभाग	17,99,16,000	7,87,33,000	17,99,17,000	7,87,32,000
22.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग	25,86,55,000	18,91,86,000	25,86,55,000	18,91,86,000
23.	लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल आपूर्ति विभाग	36,28,29,000	24,42,34,000	36,28,29,000	24,42,34,000
24.	संपदा, आतिथ्य और नयाचार तथा बाग और पार्क विभाग	7,69,07,000	1,49,34,000	7,69,06,000	1,49,35,000
25.	श्रम, लेखन-सामग्री और मुद्रण विभाग	4,48,36,000	6,04,20,000	4,48,36,000	6,04,19,000
26.	मत्स्य पालन विभाग	1,66,30,000	1,03,70,000	1,66,30,000	1,03,70,000
27.	उच्च शिक्षा विभाग	22,34,27,000	6,67,93,000	22,34,28,000	6,67,93,000

श्री शादर दीघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : सभापति महोदय, आज मध्याह्न पश्चात, गृहमंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प का मैं समर्थन करता हूं। इस संकल्प के अनुसार सभा जम्मू-कश्मीर के संबंध में 18 जुलाई, 1990 को जारी की गई उद्घोषणा को 3 सितम्बर, 1994 से और छः माह के लिए जारी रखने का अनुमोदन कर रहे हैं।

महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने स्पष्ट किया है कि जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 18 जुलाई, 1990 से लागू किया गया है। संविधान को अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति के संवैधानिक आदेश के अनुसार इसे समय-समय पर बढ़ाया गया है। पहली बार इसे तीन वर्ष के लिए लागू किया गया था और उसके बाद 24 फरवरी, 1993 को संविधान के अनुच्छेद 370 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जारी संवैधानिक आदेश में तीन वर्ष के स्थान पर "चार वर्ष" कर दिया गया। इस के पश्चात 19 फरवरी 1994 को इसी प्रकार के आदेश में "चार वर्ष" के स्थान पर "पांच वर्ष" कर दिया गया। इस प्रकार सरकार को यह अवधि कुल मिलाकर पांच वर्ष तक बढ़ाने हेतु संकल्प पारित करने का अधिकार प्राप्त है। इस संकल्प के द्वारा हम यह अवधि छः वर्ष के लिए बढ़ा रहे हैं।

हम जम्मू और कश्मीर में वहाँ की स्थिति के कारण हर बार राष्ट्रपति शासन अनिच्छापूर्वक बढ़ा रहे हैं। जहाँ तक राज्य के भविष्य का संबंध है, यह संतोष की बात है कि संकल्प प्रस्तुत करते समय गृह मंत्री ने बड़ी

आशा व्यक्त की है। मुझे इस बात की खुशी है कि गृहमंत्री महोदय ने राज्यपाल की रिपोर्ट को उद्धृत करते हुए और अपना आकलन व्यक्त करते हुए कहा है कि वहाँ पर्याप्त प्रगति हुई है और लोगों की मन:स्थिति में भी काफी बदलाव आया है।

यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी विशेष राज्य में लोकतांत्रिक शासन का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए हमें यह जानकर प्रसन्नता है कि जहां तक जम्मू और कश्मीर राज्य में आतंकवादियों और लोगों की मन: स्थिति का संबंध है, इसमें काफी बदलाव आया है। राज्यपाल ने अपने संवाददाता सम्मेलन में--मेरे विचार से 10 जुलाई को किसी स्थान पर स्वयं कहा है कि जम्मू और कश्मीर में लोगों की मन:स्थिति में काफी बदलाव आया है वहाँ चुनावों की आशा की जा रही है। उस समय यह बताया गया था कि उन्होंने यह कहा है कि अगामी तीन महीनों के अन्दर चुनाव कराए जायेंगे परन्तु बाद में उस बयान का खंडन कर दिया जाय। उन्होंने उस समय यह स्पष्ट रूप से कहा था कि राज्य में चुनाव कराने के लिए माहौल तैयार किया जा रहा है।

जहाँ तक इस राज्य का संबंध है, यह संतोष की बात है कि केवल आतंकवादियों की रीढ़ ही नहीं टूटी है, बल्कि लोगों की मन:स्थिति में भी काफी बदलाव आया है और लोगों का पलायन भी रुका है। अभी भी कुछ छुटपुट आतंकवादी घटनायें होती रहती हैं। मैं उस संबंध में दो-तीन उदाहरणों का उल्लेख भी करना चाहता हूं। पहला उदाहरण 19 जुलाई का है जब एक हमले में मारे गए अमरीकी नागरिक श्री स्टीफन पॉल का शव मिला था।

15 जुलाई को भूतपूर्व कांग्रेस विधायक श्री अब्दुल मजीद बंदे की हत्या कर दी गई। 16 जुलाई की सुबह को सिम्बल कैम्प से जयपुर जा रही मेटाडोर में हुए एक बम विस्फोट से छ: यात्रियों की मृत्यु हो गई और 28 लोग घायल हो गए। 12 जुलाई को स्टेट मोटर गैराज के निदेशक श्री रियाज रथ और दो अन्य व्यक्तियों का अपहरण कर लिया गया। ये उदाहरण छुटपुट आतंकवादी घटनाओं के हैं, इसलिए हम यह नहीं कह.सकते हैं कि आतंकवाद पूरी तरह समाप्त हो गया है। अमरनाथ यात्रा के दौरान गड़बड़ी पैदा करने जैसी धमकियां मिल रही हैं।

इसलिए मैं गृहमंत्री महोदय की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि हमें इस मामले में बड़ी सावधानी पूर्वक कार्यवाही करनी चाहिए। निस्संदेह वहां यथाशीघ्र चुनाव होने चाहिए परन्तु हमें इस समय चुनावों की घोषणा से उत्पन्न स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि यदि चुनावों की घोषणा कर दी जाए तो उसके तुरंत बाद आतंकवादियों की गतिविधियां बढ़ जायें और पाकिस्तान इस राज्य में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार की बहाली के इन प्रयासों को विफल करने का यथासम्भव अपने प्रयास करने लगे।

तथापि, मैं कहूंगा कि हमें इस राज्य में राजनैतिक प्रक्रिया बहाल करने की दिशा में निर्भीकता से कदम उठाने शुरू कर देना चाहिए। कभी-कभी इस संबंध में पंजाब का दृष्टान्त दिया जाता है। हमने पंजाब में लोकतांत्रिक शासन बहाल करते समय सभी आतंकवादी गतिविधियों के थम जाने तक इंतजार करना उचित नहीं समझा। जहां तक इस राज्य का संबंध है, हमने कुछ जोखिम भरे कदम उठाए थे और अन्तत: ये सफल सिद्ध हुए। तत्काल ही प्रक्रिया शुरू की गई और यद्यपि कतिपय महत्वपूर्ण राजनैतिक दलों ने इन चुनावों का बहिष्कार किया था फिर भी अन्ततोगत्वा उस राज्य में निर्वाचित सरकार को सफलता प्राप्त हुई और चुनाव होने के पश्चात समस्या का व्यावहारिक समाधान निकल आया।

इसी तरह से, यदि यहां भी निर्भीकता से कदम उठाए जायें, तो मेरे विचार से इससे इस समस्या के समाधान में काफी सहायता मिलेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि जहां तक राजनैतिक नेतृत्व का संबंध है, वहां पर एक शून्य व्याप्त है। राजनैतिक प्रक्रिया शुरू करने के लिए राजनैतिक गतिविधियां पूरा जोर नहीं पकड़ रही हैं। कभी-कभी उनके द्वारा जो एक मुसीबत खड़ी कर दी जाती है वह यह है कि एक शिकायत निवारण तंत्र को उपयुक्त बनाना होगा ताकि राजनैतिक कार्यकर्ता जाकर लोगों के साथ घुलमिल सकें और राजनैतिक प्रक्रिया शुरू कर सकें और फिर जहां तक कतिपय गतिविधियों का संबंध है, वे लोगों की मांग पर अनुकूल रुख अपना सकेंगे। वे न केवल लोगों की प्रशासनिक शिकायतों और कतिपय अन्य बातों पर ध्यान दे सकेंगे। बल्कि उन लोगों की गुमशुदगी के प्रश्न पर ध्यान देंगे जो मिल नहीं रहे हैं। विभिन्न स्तरों पर कतिपय नागरिक शिकायतें भी होती हैं और प्रशासन उन शिकायतों को दूर करने में अक्षम रहता है। राजनैतिक दलों के वे कार्यकर्ता जो लोगों के साथ मिलने जुलने की कोशिश करते हैं को इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस तरह से उन्हें प्रोत्साहन देना होगा और कोई तंत्र बनाना होगा ताकि जन शिकायत निवारण तंत्र उचित रूप से कार्य कर सके।

पाकिस्तानी सीमा से सदा ही एक खतरा बना रहता है और अफगानी और अन्य देशों के भाड़े के सैनिक भी वहां पर सक्रिय हैं। यदि राजनैतिक तंत्र को आस्तित्व में लाना है और राजनैतिक प्रक्रिया शुरू करनी है, तो जहां तक इन गतिविधियों का संबंध है, हमें इन पर पूरी सतर्कता रखनी होगी।

यह संतोषजनक बात है कि जो परिवार यहां से पलायन कर गये थे, वे अब वापिस आने लग गये हैं, और इस तरह से राज्य प्रशासन को दुरुस्त करना और लोक शिकायतों के प्रति उसे संवेदनशील और उतरदायी बनाना आवश्यक हो गया है।

रिपोर्टों से पता चलता है कि राज्यपाल महोदय द्वारा शुरू किए गए जन संपर्क कार्यक्रम पर लोगों ने अनुकूल रवैया अपनाया है। उन्होंने कतिपय जन सभाओं को संबोधित किया है और जैसा कि रिपोर्टों में बताया गया है कि उन्होंने कहा है कि लोगों की अनुकूल प्रतिक्रिया मिल रही है और यहां तक कि महिलाएं उन बैठकों में आतंकवादियों के पते ठिकाने बता रही हैं और यह एक अच्छा संकेत है।

यह भी संतोष की बात है कि रोजगार सृजन परियोजनाएं शुरू की गई हैं। लेकिन स्वयं राज्यपाल महोदय ने कहा है कि उनसे केवल 5000 युवाओं को ही रोजगार मिल सकता है। निस्संदेह रेल सम्पर्क की 1500 करोड़ रुपये की एक परियोजना भी है और आशा है कि इस रेल सम्पर्क परियोजना से रोजगार के और अधिक अवसर पैदा होंगे। इस तरह की गतिविधियां भी शुरू करनी होंगी ताकि जो गुमराह युवा समाज में वापिस लौट रहे हैं और आतंकवादियों का साथ देने के अपराध के लिए मांफी मांग रहे हैं और जो अब मुख्यधारा में मिलने की इच्छा दर्शा रहे हैं, उन्हें विकासात्मक गतिविधियों में लगाकर और कतिपय ऐसी परियोजनाओं, जिनमें इन युवा लोगों के लिए नौकरियों के अवसर पैदा होंगे, के लिए कुछ और धन आवंटित करके इन गुमराह लोगों पर ध्यान देना होगा।

यह भी बताया गया है कि पर्यटन सम्बंधी गतिविधियां भी पुन: आरम्भ हुई हैं और कुछ समय पहले प्रेस में समाचार था कि बम्बई से कश्मीर गए पर्यटकों के कतिपय दल कश्मीर की स्थिति से पूरी तरह सन्तुष्ट हैं।

अत: इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, बेशक वहां तत्काल चुनाव कराने में कठिनाइयां हैं, मेरा सरकार

से आग्रह है कि जहां तक इस राज्य का संबंध है, इन कठिनाईयों का सामना करने और यथाशीघ्र चुनाव कराने के लिए सरकार को निर्भीकतापूर्वक कदम उठाने होंगे।

16.00 म० प०

मुझे आशा है कि जम्मू और कश्मीर के संबंध में यह अंतिम सांविधिक संकल्प है जिसकी इस सभा से स्वीकृत करने की अपेक्षा की जाती है। मुझे यह भी आशा है कि यह सांविधिक संकल्प पारित करने के पश्चात उपलब्ध समय के भीतर ही सरकार इस राज्य में चुनाव कराने के लिए अनुकूल माहौल बनाने यहां तक कि इस विषय पर सभी राजनैतिक दलों की एक बैठक बुलाने उनकी सहमति लेकर तथा यथाशीघ्र चुनाव कराने की दिशा में बढ़ने की दृष्टि से आवश्यक कदम उठाएगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 2 सितम्बर 1994 के पश्चात छह माह के लिए और बढ़ाने संबंधी इस सांविधिक संकल्प का मैं भी समर्थन करता हूं। पहले भी मैंने इस तरह के प्रस्ताव अथवा संकल्प पर चर्चा में भाग लिया था। मैं आज पुन: दोहराता हूं कि इस प्रकार के संकल्प का समर्थन करने में प्रसन्नता नहीं होती। मैं यह भी अच्छी तरह जानता हूं कि वह लोकतांत्रिक सरकार एक निर्वाचित सरकार भी इस बारे में प्रसन्नता महसूस नहीं करती। लेकिन कश्मीर में स्थिति ऐसी है कि कोई विकल्प नहीं बचता। चूंकि कोई विकल्प है ही नहीं अत: हमें प्रशासन तो चलाना ही है और इसलिए राष्ट्रपति शासन जारी रखना पड़ रहा है।

महोदय, यहां राष्ट्रपति शासन लगे हुए पांच वर्ष होने को हैं यह 18 जुलाई, 1990 को लागू किया गया था। राष्ट्रपति शासन के चार वर्ष पहले ही पूरे हो चुके हैं और यह पांचवा वर्ष चल रहा है। हम सभी को उस दिन की प्रतीक्षा है जब जम्मू और कश्मीर में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए स्थिति अनुकूल होगी। घाटी में सामान्य स्थिति बहाल करने हेतु सरकार ने इस समय जिसका प्रतिनिधित्व माननीय गृह मंत्री कर रहे हैं, स्थिति में सुधार संबंधी जो कतिपय कदम उठाए हैं, उसके लिए मैं उसे बधाई देता हूं। गृह मंत्री ने कश्मीर का दौरा किया है। आंतरिक सुरक्षा राज्य मंत्री ने भी कई बार कश्मीर का दौरा किया है।

वरिष्ठ अधिकारी वहां गये हैं और उन्होंने वहां न केवल अधिकारियों से ही बल्कि कतिपय जन प्रतिनिधियों से भी बातचीत की है। वस्तुत: अब वहां घाटी में प्रतिनिधि कौन है, यह एक अस्पष्ट चीज है क्योंकि विधान सभा चार वर्ष पहले ही भंग कर दी गई थी। अब अधिकतर राजनैतिक दलों और व्यक्तियों की प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है, उनमें से कतिपय दल और व्यक्ति लोगों से जुड़ने और सामान्य स्थिति की बहाली में किसी तरीके से थोड़ा बहुत योगदान वे कर सकते हैं, उसको प्राथमिकता नहीं देते। फिर भी हमारे मंत्रीगण वहां विभिन्न वर्गों के जो भी उन लोगों से मिले जोकि जब मत का सीमित रूप में प्रतिनिधित्व करते थे, और उनका सहयोग मांगा, और स्थिति प्रत्यक्षत: काफी आशापूर्ण बनी है।

गत कई माह के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय दलों ने भी कश्मीर का दौरा किया है। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाविद् आयोग और अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास के दलों ने भी घाटी का दौरा किया है। 14 राजदूतों ने दो समूहों में कश्मीर का दौरा

किया हमारा मित्र, पाकिस्तान इस मुद्दे का अन्तर्राष्ट्रीयकरण करने के हर सम्भव प्रयास कर रहा है और पाकिस्तानी सरकार आई॰एस॰आई॰ (गुप्तचर शाखा) के माध्यम से हमारे जम्मू कश्मीर के भाग में विनाशकारी गतिविधियों को तेज करने के लिए सीमा पार से जंगजू और प्रशिक्षित आतंकवादी भेज रही है।

डोडा आंतकवाद से ग्रस्त ऐसा दूसरा क्षेत्र है। परन्तु स्थिति में सुधार के संकेत थे और आतंकवादियों का मनोबल टूट गया था। जनवरी से अप्रेल 1994 के चार माह के दौरान उनका मनोबल टूट रहा था और इस चार माह की अवधि के दौरान 379 जंगजू मारे गए थे और 1220 आतंकवादी पकड़े गए थे। इससे आतंकवादियों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव अवश्य पड़ा था। जब उनका मनोबल टूट रहा था तो पाकिस्तान ने उनके टूटे मनोबल को बढ़ाने के लिए अपनी गतिविधियों को विभिन्न तरीकों से पुन: शुरू कर दिया।

इस सभा में कल विदेश मंत्रालय से सम्बन्धित एक प्रश्न उठाया गया था। इसके बारे में मेरा भी एक प्रश्न था। हालांकि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की अपनी समस्याएं हैं और पाकिस्तानी जनता का ध्यान अपने कुशासन और अपनी सरकार की अस्थिरता से हटाने के लिए उन्हें जम्मू-कश्मीर में एक पसन्दीदा विषय मिल गया है। इसलिए उन्होंने जनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर इस विषय को मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में उठाने का प्रयास किया था। हालांकि वे सफल नहीं हुए। एक बार फिर इस मुद्दे को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र का एक और सत्र होने वाला है। पाकिस्तान की सरकार इस मामले को संयुक्त राष्ट्र के मंच पर उठाने के लिए हर संभव तैयारी कर रही है। मेरी सूचना के अनुसार इस संबंध में राजदूतों के सात दल भेजे गए हैं। हमारे विदेश मंत्री और भारत सरकार को प्राप्त सुचनाओं के अनुसार कश्मीर मुद्दे पर भारत के विरुद्ध जनमत तैयार करने और समर्थन जुटाने के लिए राजदूतों के पांच दल विभिन्न देशों को रवाना किये गये हैं।

महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है भारतीय राजनैतिकों और पत्रकारों के साथ असभ्य और क्रूर व्यवहार किया जा रहा है। आधी रात को जब भारतीय राजनयिक अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ रात्रि भोजन के बाद लौट रहे थे तो उन्होंने सभी राजनयिक मानदण्डों का उल्लंघन करते हुए भारतीय राजनयिकों के साथ असभ्य व्यवहार किया। वीजा प्रतिबन्ध लगाए जा रहे हैं और इससे दोनों के सम्बन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है जबकि यह आशा की जाती थी कि हमारे संबंधों में सुधार होगा। व्यक्तिगत स्तर पर होने वाले सम्पर्क भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहे हैं। इस प्रकार जब अन्तर्राष्ट्रीय दलों ने दौरा किया तो वे पाकिस्तानी सरकार द्वारा चलाए जा रहे दुष्प्रचार और सूचनाओं को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने के अभियान के प्रति आश्वस्त हुए थे।

अब, डोडा की घटना हुई है। यह आश्चर्य की बात है कि ये जंगजू भाड़े के सैनिकों के साथ हमारे क्षेत्र में किस प्रकार काफी अन्दर तक इस प्रकार के क्रूर कार्य की अंजाम दे सकते हैं। स्वाभाविक रूप से यह भारत सरकार और प्रत्येक व्यक्ति के लिए परेशानी का कारण है। खैर, जंगजुओं को खदेड़ा जा रहा है।

मैं विपक्षी सदस्यों की भूमिका की सराहना नहीं करता। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्रों की अनुपस्थिति में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं नहीं जानता कि जम्मू और कश्मीर के सबंध में उनकी नीति का क्या तर्क है।

जब डोडा में स्थिति से निपटने और वहां से आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने की जरूरत थी तो वे प्रदर्शन आदि करके कानून और व्यवस्था की स्थिति के लिए समस्याएं पैदा कर रहे

थे। स्वाभाविक रूप से इससे प्रशासन के प्रभारी अधिकारियों का ध्यान बांटने की सम्भावना थी। वे प्रदर्शन दिल्ली में कर सकते थे। वे डोडा जाकर ऐसा क्यों कर रहे हैं जिससे दोनों समुदायों की भावनाएं भड़के और स्थिति और बिगड़े। इस प्रकार की भूमिका सृजनात्मक नहीं है राजनैतिक दलों की अपनी प्रासंगिकता है। हमें जम्मू और कश्मीर में महत्वपूर्ण और प्रासंगिक भूमिका निभानी है लेकिन यह भूमिका सृजनात्मक होनी चाहिए। जहां तक जम्मू और कश्मीर का प्रश्न है प्रत्येक राजनैतिक दल को महत्वपूर्ण और सृजनात्मक भूमिका निभानी है। अन्यथा, हम वहां राजनैतिक प्रणाली को सक्रिय नहीं कर सकते हैं और राजनैतिक प्रणाली को सक्रिय किये बिना वहां प्रजातन्त्र कैसे चलेगा ? हम जम्मू और कश्मीर में चुनाव कराने के बारे में कैसे सोच सकते हैं ? महत्वपूर्ण राजनैतिक दलों और राष्ट्रीय दलों को साहस जुटाकर लोगों के बीच जाकर उनके लिए काम करके सामान्य स्थिति को बहाल करने में सहयोग करना चाहिए।

एक बात और है, जिसका हालांकि माननीय गृहमंत्री ने उल्लेख किया है। यह बात काजी निसार की हत्या के बारे में है। उनकी हत्या के बाद हुई घटनाएं भविष्य में होने वाली घटनाओं का स्पष्ट संकेत थी। हत्या के तुरन्त बाद हजारों लोगों ने इकट्ठे होकर उसका विरोध किया। उन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध नारे लगाए। ये स्पष्ट संकेत हैं। परिस्थितियां इस हद तक खराब हुई हैं कि कश्मीर पंडित समुदाय के ढ़ाई लाख लोगों को घाटी से भागना पड़ा। ऐसी स्थिति पैदा करनी होगी जिससे कि ये लोग अपने घरबार को विश्वास के साथ पुन: लौट सकें।

1948 में कश्मीरी लोगों के सामने विकल्प था। वे पाकिस्तान जाने का विकल्प चुन सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से भारत के साथ रहने का विकल्प चुना क्योंकि हमारे प्रजातन्त्र और धर्मनिरपेक्ष प्रणाली में उनका यकीन था। हमारी धर्म निरपेक्ष प्रणाली और प्रजातन्त्र ने उन्हें आकर्षित किया। जब विकल्प था तो उन्होंने स्पष्टत: हमारे साथ रहने का निर्णय लिया। इस प्रकार कश्मीर भारत का अभिन्न भाग है और सदैव रहेगा और संसार की कोई शक्ति कश्मीर को भारत से पृथक नहीं कर सकती है।

यदि आप समुदाय के आधार पर देखें तो गुर्जर, बकरवाल डार्ड और बैट्स कश्मीरी जनसंख्या के 50 प्रतिशत हैं। उन्होंने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शान्ति की किसी भी पहल का समर्थन करने के उन्होंने संकेत दिए हैं। कश्मीरी जनसंख्या में इस वर्ग के लोगों का पचास प्रतीशत हिस्सा है। इसके अतिरिक्त कश्मीरी पण्डित समुदाय भी है। तत्पश्चात लद्दाख और जम्मू क्षेत्र हैं। हालांकि जम्मू में वे लोग यहाँ वहाँ समस्याएं पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन कुल मिलाकर जम्मू और लद्दाख क्षेत्र प्रभावित नहीं हैं। अतएव जम्मू और कश्मीर के लोगों का प्रजातन्त्र के लिए भारी समर्थन है। वे शान्ति के पक्षधर हैं। उनका मानना है कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और सदैव भारत का अभिन्न हिस्सा रहे स्थिति यह है।

जब स्थिति में सुधार हो रहा था और राजनैतिक प्रक्रिया शुरू होने वाली थी तो कुछ घटनाएं हुई और स्थिति बदतर हो गई। मैं समझता हूं कि यह घटनाक्रम अस्थाई है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई शिकायत निवारण पद्धति वहां बहुत लोकप्रिय हुई है। राज्य में विकास गतिविधियों पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। हम कश्मीर को भू-स्वर्ग कहकर पुकारते हैं। कश्मीर प्राकृतिक सौन्दर्य का अनूठा उदारहण है और सारे विश्व के पर्यटक कश्मीर की ओर आकर्षित होते हैं। वास्तव में जम्मू और कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर आधारित है और पर्यटन

की स्थिति काफी समय से ठीक नहीं चल रही है सभी राजनैतिक दलों को गुमराह युवकों को मुख्यधारा में पुन: लाने के लिए अग्रजी भूमिका निभानी चाहिए। महोदय, जहां तक मुझे मालूम है 1990 के बाद लगभग 6881 युवकों को नौकरियां दी गई हैं। यह एक अच्छी बात है। इन युवकों के लिए और अधिक रोजगार के अवसर जुटाने हेतु सम्भावनाओं का पता लगाना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जब बेरोजगार युवकों को उपयुक्त रोजगार मिलता है तो उससे जंगजुओं को सटीक जबाव मिलेगा। और तब, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोग उस क्षेत्र में नहीं आयेंगे यह रोजगार के अवसर सृजित करने के बारे में है।

हमें विकास गतिविधियों पर और अधिक बल देना है साथ ही प्रजातन्त्र में यह बहुत ही आवश्यक है कि हमारा प्रशासन तंत्र लोगों की आंकाक्षाओं के प्रति उत्तारदायी और जवाबदेह हो। हमें वहां प्रशासनिक प्रणाली का पुनर्गठन करना है।

मैं सरकार की हजरतबल मसले को सफलता से सुलझा लेने के लिए बधाई देता हूं। अब बंकर हटा दिए गए हैं। यह भी विरोध का एक बिन्दु था। इस विचार से भी हमें लोगों की आशाओं के प्रति उत्तरदायी होना होगा। प्रार्थनाओं को पुन: शुरू करने और इसके लिए सुविधाएं देने के बारे में मांग की गई थी। लेकिन हमें हर समय चौकसी रखनी होगी ताकि इन सुविधाओं का दुरुपयोग न हो।

कुछ लोग, बल्कि कहिये आतंकवादियों ने सदैव पूजा-स्थलों और धार्मिक स्थानों का दुरुपयोग करने की कोशिश की है। वे लोग बिल्कुल भी धार्मिक नहीं हैं। वे तो केवल धार्मिक भावना आदि की आड़ ले रहे हैं और समस्याएं पैदा कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा किसी एक समुदाय अर्थात हिन्दू समुदाय की ही नहीं है। यह भारत-भर में एक परम्परा बन गई है। मुस्लिम लोग भी इस श्रमसाध्य यात्रा को पूरी कराने में इन लोगों की सहायता करते हैं। महोदय, अमरनाथ यात्रा शुरू से अंत तक हमारी विरासत और परम्परा का अंग रही है। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों की सुरक्षित यात्रा हेतु सभी तरह से और सभी प्रकार की व्यवस्था करनी होती है। मैं कामना करता हूं कि डोडा में जो कुछ हुआ वह मौजूदा अप्रिय घटना एक अस्थायी घटना ही रहे। मुझे आशा है इस समय पाकिस्तानी प्रधानमंत्री द्वारा जिन भारत विरोधी गतिविधियों को हवा दी जाती है वह एक अस्थायी घटनाक्रम ही सिद्ध होगा। हमें इसका दृढ़तापूर्वक सामना करना होगा और मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार इस बारे में दृढ़प्रतिज्ञ है। कश्मीर में चुनौतीपूर्ण हालातों का कारगर रुप से मुकाबला करने में भारत सरकार के साथ सहयोग करने की अपेक्षा अन्य राजनैतिक दलों से भी की जाती है और हमने सदा ही ऐसी अपेक्षा की है।

मैं पुन: यह दोहराता हूं कि राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का प्रावधान करने वाले इस सांविधिक संकल्प पर यह अंतिम चर्चा होगी।

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए इस सांविधिक संकल्प का मैं समर्थन करता हूं। मेरे विचार से मैं चौथी बार जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प का समर्थन कर रहा हूं।

महोदय, जहां तक भारत के लोगों का संबंध है जम्मू और कश्मीर का मुद्दा उनके लिए बहुत ही संवेदनशील है। मेरे दल ने तो 1948 में भी यही रुख अपनाया था कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और यह इसका

ही भाग बना रहेगा। हमने इस्लामिक देशों के अनेक मंचों पर भी अपना यही पक्ष स्पष्ट किया है कि जो कोई भी जम्मू और कश्मीर को भारत से हथियाने की कोशिश करेगा उसका सबसे पहले प्रतिरोध मुस्लिम समुदाय द्वारा ही किया जायेगा क्योंकि इससे इस देश में मुस्लिमों की संख्या कम हो जायेगी। क्योंकि जम्मू और कश्मीर की मुस्लिम जनसंख्या भारतीय मुस्लिम जनसंख्या का ही एक भाग है। अत: इस देश में सभी मुस्लिम संगठनों ने यही पक्ष अपनाया है कि जम्मू और कश्मीर इस देश का ही एक हिस्सा है और इस देश का एक अभिन्न अंग होने के नाते इसे बांकी देश से अलग नहीं होने दिया जायेगा।

मैं आशा करता हूं कि इस रुख के संबंध में कोई प्रश्न ही नहीं है अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी इस तथ्य को मान्यता दी है कि जम्मू और कश्मीर भारत सरकार ने प्रशासनिक नियंत्रण में है; और यह महान भारतीय गणतंत्र का एक राज्य है। लेकिन यह सच है कि यह समस्या काफी विवादास्पद और जटिल है और हम यथार्थ से अपनी आंखें नहीं मूंद सकते हैं। हर बार और अधिक समस्यायें पैदा हो जाती हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, देश के उस हिस्से में आतंकवादी गतिविधियों में लगातार सहायता देता रहा है। कल ही मैंने सरकार को हजरत बल संकट के समाधान के लिए मुबारकवाद दी थी। हजरत बल पूजा स्थल के प्रबंधन को वक्फ बोर्ड को सौंपना एक सही कदम था और इससे अच्छा प्रभाव पड़ा है। यहां तक पाकिस्तान को भी मजबूरन यह कहना पड़ा कि यह एक सही चीज है। एक सौंदर्यपूर्ण माहौल पैदा करने के लिए इस तरह के कदम उठाने ही चाहिए।

यहां तक कि बंकरों के बारे में भी मेरी यह राय है कि उन्हें वहां से पूरी तरह से हटा लिया जाना चाहिए। हमारी आशाएं बनाए रखने के लिए वहां स्थानीय लोगों का सहयोग लिया जाना चाहिए। वस्तुत: वहां पर आतंकवादी मौजूद हैं और हमें सशस्त्र आतंकवादियों से मुकाबला करना है। इसमें कोई शक नहीं है। एक ओर जहां हम सशस्त्र आतंकवाद का मुकाबला कर रहे हैं, वहीं हमारे सामने प्रश्न यह है कि इस राजनैतिक संकट का क्या किया जाये? जहां तक कश्मीर के मुद्दे का संबंध है, वहां राजनैतिक संकट सबसे अहम चीज है। सरकार को इस समय कश्मीर के संबंध में एक सुस्पष्ट रवैया अपनाना चाहिए। अन्ततोगत्वा हमें बाकी देश से कश्मीर के लोगों के अलगाव के कारणों की छानबीन करनी होगी। पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय से ही केन्द्रीय सरकार द्वारा यह पक्ष अपनाया गया है कि कश्मीरी लोगों की आस्मता का सदैव सम्मान किया जायेगा। लेकिन दुर्भाग्य में उसके बाद की घटनाओं से कश्मीर के लोगों का बाकी देश से अलगाव हो गया है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि कुछ ऐसे राजनैतिक दल और तत्व हैं जो अभी तक यह सोचते हैं कि कश्मीर इस महान देश का एक उपनिवेश है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हमारा उपनिवेश बाद में विश्वास नहीं है। हम किसी देश या राष्ट्र को किसी भाग पर अपना दावा नहीं जताते हैं। सभी राष्ट्रों को हम एक जैसा मानते हैं। लेकिन कश्मीर के प्रश्न और कश्मीर के भारत में विलय के इतिहास में एक ऐसा रुख अपनाना पड़ा है कि अनुच्छेद 370 के अन्तर्गत कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों की तुलना में एक विशेष दर्जा दिया गया है। जो लोग अनुच्छेद 370 समाप्त करने की वकालत करते हैं, वे नहीं समझते होंगे कि वे लोग सम्पूर्ण कश्मीर विवाद और पाकिस्तानियों से लड़ाई लड़ने के कश्मीरी लोगों के संकल्प तथा बाकी भारत से अपनी एकता बनाए रखने के उनके इरादे की अनदेखी कर रहे हैं।

अतएव, अनुच्छेद 370 बनाए रखना, कश्मीरी लोगों से हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा किये गये वादे निभाना जैसा ही है। हमारे महान राष्ट्रीय नेताओं ने 1948 के बाद से कश्मीर के लोगों को आश्वासन दिए हैं। अत: मुझे विश्वास है कि सरकार वहां स्वायत्त शासन मजबूत करने के लिए सभी संभव कदम उठाएगी जिसके बारे मे कश्मीरी लोग पिछले कई वर्षों से मांग करते रहे हैं।

प्रत्येक राज्य की अपनी विशेषताएं होती हैं। आन्ध्र के लोग, तमिल अथवा बंगाली अथवा देश के अन्य भागों में रहने वाले लोग अपने विशेष दर्जे, स्थिति और आस्मेता पर काफी गर्व महसूस करते हैं। हमने बोडो समझौता क्यों किया ? हमें नागा समझौता क्यों करना चाहिए ? यह एक तरह से मिजो और नागा अस्मिता को सम्मान देना है। भारतीयता और इस देश की भिक्षित संस्कृति की यह एक विशेष पहचान है।

पंडित नेहरू ने 'अनेकता में एकता' का एक अप्रतिम नारा दिया था। इस देश की एकता की आत्मा हमारी अनेकता में ही निहित है। इस तरह से कश्मीरी अस्मिता को सम्मान देने में कोई गलत बात नहीं है। आपने जैसे ही कश्मीरी लोगों की उपेक्षा की है और उनके साथ विशेष तरीके से व्यवहार किया है, तो इसका अनिवार्यत: प्रतिवाद करना ही पड़ेगा। इस तरह से दुर्भाग्यवश हमने जो अनेक कदम उठाए हैं, उनसे कश्मीरी लोगों को बाकी देश से काटने में ही मदद मिली है। इस तरह से भारत सरकार को वास्तव में राज्य सरकार के सहयोग और सहायता से कश्मीरी लोगों में भरोसा पैदा करने वाले कतिपय कदम उठाने चाहिए।

कश्मीरियों की मुख्यत: आतंकवादियों द्वारा हत्याएं की जा रही हैं। हमारे सशस्त्र बलों को सशस्त्र आतंकवाद का मुकाबला करना पड़ेगा। मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं। लेकिन नागरिकों से मुठभेड़ से बचने की जिम्मेदारी तो हमारे सुरक्षा बलों की है। नागरिकों को बचाना ही होगा। सशस्त्र आतंकवाद से बचाना होगा। जब कभी भी और जिस तरीके से भी वे हत्या करते हैं हमें कश्मीर के लोगों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए बेशक वे आतंकवादी मुठभेड़ में ही क्यों न मारे जायें। हमें उन आतंकवादियों के प्रति तो नहीं, लेकिन कश्मीरी लोगों के प्रति अपनी अनुकंपा दर्शानी चाहिए। लेकिन हम यदि और ज्यादा शत्रुता या इसी तरह की कोई भावना दर्शाएंगे, तो लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा। इस तरह से कश्मीर के लोगों के मन में विश्वास पैदा करने के लिए सभी संभव कदम उठाए जाने चाहिए।

दूसरी बात मैं राज्य के विकास के लिए आर्थिक पैकेज के बारे में कहना चाहता हूं। यह बहुत ही पिछड़ा राज्य है। कश्मीर में इस उपद्रव से कुछ वर्ष पहले मुझे वहां जाने का अवसर मिला। वहाँ औद्योगिक और पर्यावरण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सरकार वहां अनेक सोफ्टेवेअर उद्योग लगा सकती है जिससे कश्मीर के लोगों को रोजगार मिलेगा। वहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है जिससे सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों को बड़ी कठिनाई हो रही है। सरकार उनको रोजगार देने में सहायता कर सकती है। घाटी के अधिकांश लोग हमेशा यही शिकायत करते हैं कि सभी पदों पर कुछ ही लोगों का कब्जा है। मैं इसकी सच्चाई के बारे में नहीं जानता हूं। परन्तु मुझे विश्वास है कि सरकार इस मामले की जांच करेगी, आम आदमी को रोजगार प्रदान करेगी तथा लोगों की कश्मीर की एकता और भारत के साथ कश्मीर की एकता के प्रति अधिक वचनबद्ध बनाने की भावना पैदा करेगी।

मेरी सूचना के अनुसार पाकिस्तान अभी भी घुस पैठियों की सीमा पार करने में मदद कर रहा है। यह घुस पैठ अभी भी जारी है। इस घुस पैठ को रोकने के लिए हमें सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने सभी प्रयासों को सुदृढ़ बनाना है। परन्तु इसके विपरीत वर्तमान कार्यवाही के अनुसार इन क्षेत्रों में अंधाधुंध तलाशी चल रही है जिसके फलस्वरूप आम जनता निर्दोष लोगों को तंग किया जा रहा है। ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि वे इसे भारतीय अधिराजत्व कहते हैं और हमारी सेना पर व्यवसायिक सेना होने का आरोप लगा रहे हैं। निस्संदेह तलाशी जरूरी है। हम इसे गलत नहीं बता रहे हैं। परन्तु सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए तलाशी भारत सरकार और कश्मीर के लोगों के हित में होनी चाहिए। जहां तक संभव हो यह तलाशी नहीं होनी चाहिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जिसके बारे में मुझे विश्वास है कि भारत सरकार इस पर समुचित ध्यान देगी।

महोदय, पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे का अन्तर्राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास कर रहा है। वह इसके लिए संयुक्त राष्ट्र में भी प्रयास कर रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की सरकार, चाहे वह बेनजीर भुट्टो अथवा नबाज शरीफ अथवा किसी और की हो, हमेशा स्थानीय दबाबों के कारण ये प्रयास करती रहेगी। उनके पास हल करने के लिए यही एक मुद्दा है। परन्तु हम इससे सही ढंग से निपट सकते हैं। मैं यह नहीं सोचता कि पाकिस्तान जो कुछ कह रहा है इस्लामिक देश उसमें विश्वास कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं यह भली-भांति जानता हूं। परन्तु उन्हें केवल इस बात पर ही आपत्ति है कि हमारे सुरक्षा बल नागरिकों पर अत्याचार न करें। कश्मीर में जो राजदूत गये थे वे यह भली-भांति जानते हैं कि कश्मीरी मुसलमान पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं। हमें ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिए जो उन्हें यह सोचने के लिए मजबूर करे कि उनका भारत में रहना कठिन है। वे पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं और वे पाकिस्तान जायेंगे भी नहीं। हमें कश्मीर के लोगों की भारत के साथ एकता की भावना को सुदृढ़ करने हेतु यथासम्भव कदम उठाने चाहिए।

पाकिस्तान द्वारा इस विवाद का अन्तर्राष्ट्रीयकरण करने का मैंने उल्लेख किया है। मैं यह नहीं कहता कि पाकिस्तान के प्रयासों को विफल करने के लिए हमारी ओर से प्रयास नहीं किये गए हैं। हम इस मामले के संबंध में कदम उठा रहे हैं परन्तु उतनी तेजी से नहीं उठा रहे हैं जितनी तेजी से पाकिस्तान उठा रहा है। दक्षिण कश्मीर के काजी निसार और मिरवैज की नृशंस हत्या कर दी गई और हिजबुल मुजाहिद्दीन ने इस नृशंस कृत्य की जिम्मेदारी ली। मैं हाल ही में कुवैत गया था मैं कुवैत के कुछ सांसदों के साथ विचार-विर्मश कर रहा था। जब मैंने काजी की हत्या के इस जघन्य अपराध की घटना के संबंध में आलेख तस्वीर प्रस्तुत की तो वहां के अनेक राजनीतिज्ञ आश्यर्चचकित हुए और उन्होंने पूछा कि वास्तव में कश्मीर में ऐसा हुआ था। धार्मिक नेता की इस नृशंस हत्या से पूरे कश्मीर में असन्तोष फैल गया। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने इन पहलुओं का समुचित ढंग से उपयोग नहीं किया ताकि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को वास्तविकता का पता चल जाता। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि मैंने तत्काल विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय का इस मामले की ओर ध्यान आकर्षिक किया था। जब मैं इस्लामिक देशों में गया तो मैंने उनके कुछ प्रतिनिधियों से बातचीत की और उन्होंने हमारी स्थिति को भी समझा है। जनता का प्रतिनिधि होने के नाते मैंने उन्हें इस स्थिति से अवगत कराया कि करीब 150 मिलियन मुसलमान भारत में रह रहे हैं। हमारी कुछ शिकायतें हो सकती हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि भारत में मुसलमानों की

कोई समस्याएं नहीं है। हमारी अनेक समस्याएं हैं। हमारे समाज और देश का ढांचा लोकतांत्रिक है। यह सच है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश के निवासी हैं। जब हम इस देश में रह सकते हैं तो तीन-चार मिलियन कश्मीरी लोग हमारे साथ क्यों नहीं रह सकते हैं ? इसमें कोई समस्या नहीं होगी। जब मैंने उन्हें इन तथ्यों से अवगत कराया तो वे हमारे दृष्टिकोण को समझ गये।

परन्तु मैं यह अनुभव करता हूं कि यह सन्देश सही ढंग से और सही परिप्रेक्ष्य में नहीं भेजा गया है। यह सन्देश अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषत: इस्लामिक सम्मेलन संगठन के सदस्यों को भेजा जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि उन्होंने पाकिस्तान को गलत कदम न उठाने के लिए समझाया है और उन्होंने पाकिस्तान को उसके प्रस्ताव पर अपनी अस्वीकृति से भी सूचित कर दिया है। इसलिए जेनेवा मानवाधिकार सम्मेलन में अनेक देशों ने भारत का समर्थन करके साहसिक कदम उठाया है। गृहमंत्रालय और इसके अधिकारी भी इस दिशा में कुछ रचनात्मक कदम उठा रहे हैं। परन्तु विदेश मंत्रालय को भी इस संबंध में अपना भरसक प्रयास करना चाहिए मैं यह नहीं कहता कि वे कुछ नहीं कर रहे हैं। परन्तु उन्हें प्रभावी ढंग से सही समय पर सही कार्यवाही करनी चाहिए। केवल तभी कश्मीर की समस्या का अन्तर्राष्ट्रीयकरण करने और राज्य की स्थिति के लिए भारत को दोषी ठहराने के पाकिस्तान के नापाक प्रयासों को विफल किया जा सकता है। हो सकता है इस प्रकार की कार्यवाही के लिए पाकिस्तान पर स्थानीय दबाव पड़ रहा हो। परन्तु वह अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत के विरुद्ध अपने दुष्प्रचार को कुछ नया आयाम दे रहा है। हमें इसका दो तरीके से मुकाबला करना है।

साथ ही सभापति महोदय मेरा सरकार से अनुरोध है कि कश्मीर में राजनैतिक समाधान के लिए सभी सुधारात्मक उपाय करें। यह कश्मीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैं कश्मीर के राज्यपाल, जनरल कृष्णाराव का एक वाक्य उद्धृत करना चाहता हूं। हाल ही में प्रकाशित अपने एक वक्तव्य में उन्होंने कहा है कि "पाकिस्तान लोकप्रिय प्रशासन को बहाल करने के भारत के प्रयासों को विफल करने का प्रयास कर रहा है और भारत के प्रति घृणा फैला रहा है।" यह वास्तव में सच है। इन विचारों को ध्यान में रखकर और पाकिस्तान के दृष्टिकोण को जानकर हमें सचेत और सहसी होना चाहिए तथा कश्मीर में लोकप्रिय प्रशासन बहाल करने हेतु जनता की सहायता और उसके सहयोग के लिए उससे सम्पर्क स्थापित करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : सभापति महोदय, मैं कश्मीर के हर बजट पर बोला हूं और आज से पूर्व वहां जो तीन-चार वर्ष पहले की स्थिति थी उसमें काफी सुधार हुआ है, इसको मैं मानता हूं। कश्मीर का ऐसा मुद्दा है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से शह दिया है, इसका प्रमाण बंबई की विस्फोट घटनाओं से मिलता है। पाकिस्तान की यह मानसिकता है कि यह अलग देश बने इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जितनी भी हमारी ताकत है वह वहां सख्ती से पेश आनी चाहिए। वहां किसी तरह का समझौता करने की आवश्यकता नहीं है। हम थोड़ी सी भी ढिलाई कर देते हैं तो उसका दुरुपयोग होता चला आ रहा है इसलिए आज पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करना चाहिए। यह चीज हमने विदेश के मंच पर कारगर ढंग से उठायी है। अमेरिका जैसे देश और अन्य देशों को भी इस बारे में शीघ्र निर्णय करना चाहिए। निर्णय करने में उन्होंने सहमति व्यक्त की है या नहीं

तो इस बारे में गृह मंत्री जी बतायेंगे। मैं यह कह सकता हूं कि मुस्लिम कहीं पर सुरक्षित है तो वह हिन्दुस्तान में है। मैं हिन्दुस्तान के मुसलमानों को बधाई देना चाहता हूं कि जब भी कश्मीर की समस्याओं की गलत तस्वीर पेश की गई तो इस देश के मुसलमान भी पाकिस्तान को कोसने से बाज नहीं आए। मैं यह कहना चाहता हूं कि कश्मीर गरीब राज्य नहीं है बल्कि धनी प्रदेशों में गिना जाता है लेकिन कुछ आतंकवादियों के चलते वहां कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए, मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे वहां के बजट में ज्यादा से ज्यादा प्रावधान करें ताकि वहां के लोगों को कुछ राहत मिल सके। हम लोग हमेशा यही बोलते हैं कि सेना को संयम से काम लेना चाहिए। इस बारे में कोई नहीं सोचता कि उग्रवादी घर की छत पर बैठकर आक्रमण करता है और हमारे राजनेता भी जाते हैं तो उन पर भी आक्रमण करता है तो सेना क्या करे ? इसलिए, कश्मीर की जनता से कहना चाहता हूं कि तुम सामने आओ और उसका मुकाबला करो और इस देश की एक-एक जनता और इस देश की सारी ताकत आपका साथ देने के लिए तैयार है। मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत सी भीतर की बातें हैं जिनको खोलना जरूरी नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वहां पर शांति व्यवस्था शीघ्र स्थापित हो और गृह मंत्री जी वहां पर थोड़ी सी कठिनाई भी हो तो वहां पर चुनाव कराएं और जनतंत्र को मजबूत करें। पंजाब में आपने चुनाव कराए तो सारी समस्याएं धराशायी कर दी। आप कश्मीर में चुनी हुई सरकार को लायेंगे तो वह उग्रवाद का मुकाबला करेगी।

फिर हमारे देश में कोई खतरा नहीं रहेगा। मैं इतना ही कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। इसके साथ ही गृह मंत्री को पुन: धन्यवाद देता हूं कि जिस लगनता से आपने वहां काम किया है, उसी लगनता से इस कार्य को आगे बढ़ायें।

श्री अयूब खां (टूंडला) : मोहतरम चेयरमैन साहब, मैं जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने एवं वहां के लिए रखे गये बजट का समर्थन करता हूं। मैं सबसे पहले प्रधान मंत्री और गृह मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि इतनी सूझबूझ से वहां के हालात पर इन्होंने काबू पाया है। वहां पर जिस तरह से सरकार ने हजरतबल का मामला सुलझाया है, उसका एक अच्छा असर वहां पर देखने को मिला है। मैं हजरतबल में जाने वाले लोगों से भी अपील करना चाहता हूं और उस धर्म के मानने वालों से भी अपील करना चाहता हूं जिन लोगों ने अमरनाथ यात्रा का विरोध किया है। उन लोगों को यह यकीन दिलाना चाहिये कि हम लोग भी उतने धर्म-निरपेक्ष हैं जितने कि दूसरे धर्म वाले अमरनाथ यात्रा करने वाले लोग हैं। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उन लोगों की भी है। क्योंकि कोई भी धर्म किसी को यह नहीं सिखाता कि किसी दूसरे धर्म की मुखालफत की जाये, अगर कोई अपने धर्म का आदर करता है, उसके धर्म का तभी आदर होगा जब वह दूसरे धर्म का आदर करेगा। जब वह हजरतबल में जाने के लिए अपने धर्म के प्रति अपनी आस्था रखते हैं तो अमरनाथ की मुकद्दस यात्रा पर जाने वाले लोगों की यात्रा में उसे रुकावट नहीं डालनी चाहिए। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वे अपने मजहब से अनभिज्ञ हैं क्योंकि मजहब कभी नहीं कहता कि तुम दूसरे धर्म को अनादर की दृष्टि से देखो। यह तो यह कहता है जितनी तुम मस्जिद में आस्था रखते हो उतनी ही आस्था मन्दिर में भी रखो।

वहां पर जितनी भी फोर्स काम कर रही है, वह बधाई की पात्र है। मेरा एक सुझाव है। वहां पर जो आर्मी

लगी हुई है वह बहुत सहर कर सकती है। वहां के लोगों के दिल जीत सकती है। वहां पर आर्मी को मेडिकल फैसेलिटी है। वह गांव-गांव में प्रोवाइड की जा सकती है। ऐसे ही आर्मी के पास पी. डी. एस. का राशन भेजते हैं, वह वहां के गांवों में बांटा जा सकता है। इससे गांव के हर आदमी को उनको खबर मिलेगी और उनका दिल भी जीता जा सकता है। आर्मी अगर गांव के आउटस्कर्ट में रहे तो बाहर के लोग दाखिल नहीं हो सकेंगे, इससे वहां के लोगों के साथ इनका अच्छा व्यवहार होगा। अगर हम पुलिस और आर्मी में इस तरह का सहयोग डालने की कोशिश करेंगे इससे वहां के लोकल निवासियों में भी उनके प्रति हमदर्दी का जज्बा पैदा होगा। आर्मी में जात-पात का सवाल नहीं होता है। वहां तो देशी की हिफाजत होती है। कश्मीर हमारे मादरे-वतन का हिस्सा है। दुनिया की कोई ताकत उसको हमसे अलग नहीं कर सकती। हम इस मुल्क में पैदा हुए हैं और इसकी मिट्टी में पले हैं, अगर कोई हमारी मादरे-वतन का कोई हिस्सा अलग करने की कोशिश करता है तो इस मुल्क के हर नागरिक का फर्ज बनता है कि वह उसकी हिफाजत करे। अल्लाहतआला हमें तौफिक बख्शे कि हम ऐसा कर सके।

मुझे भी 1986-87 में कश्मीर में अपने पार्टी की तरफ से पर्यवेक्षक बनकर जाने का अवसर मिला था। जब मैंने वहां के हालात देखे तो मुझे बड़ी समस्या बेरोजगारी की लगी थी।

मैं होम मिनिस्टर से यह अर्ज करूंगा कि वहां पर इतनी बेरोजगारी है कि 4-5 साल के बच्चे पेरेंट्स के साथ किश्ती के चप्पू चलाकर अपना गुजारा करते हैं। इस प्रकार वे बच्चे अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। सरकार जो फंड्स देती है, यदि उसको इस तरह से कर दिया जाये कि हर बच्चे की तालीम ग्रेजुएशन तक फ्री हो, कपड़ा-खाना फ्री हो तो इससे यह होगा कि जो पैसा स्टेट को जाता है उसमें करप्शन नहीं हो सकता है। वहां पर ऐसी फैक्ट्रीज खोल दी जायें जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिल सके और उस इलाके का विकास भी हो सके। मेरा ऐसा मानना है कि मैडिकल कालेजेज में कुछ भेदभाव होता था अगर इसमें कुछ गौर किया जा सके तो वहां के लोगों को फायदा होगा।

सभापति महोदय, किसी गवर्नर ने वहां के कुछ नागरिकों को वहां भेज दिया था इसलिये होम मिनिस्टर से आग्रह होगा कि उन लोगों को वापस वहां पर पहुंचाने का इन्तजाम किया जाये। यह हमारी सरकारी की जिम्मेदारी है। इससे हालत में अमन-चैन हो सकेगा, ऐसा मेरा मानना है। वहां के लोग इस बात के लिये तैयार बैठे हुये हैं कि यहां से गये नागरिकों का स्वागत किया जाये। इससे दोनों आबादी मिक्स होगी तो आधी समस्या अपने आप ही हल हो जायेगी। जो लोग कश्मीर के यहां पर हैं, उनके रख-रखाव का ठीक से इन्तजाम हो ताकि वे अपने आप को रिफ्यूजीज न महसूस कर सकें। मेरा यह भी कहना है कि कुछ सियासी पार्टियों के लोग यहां पर लुंगी पहने हुये लोगों को बंगलादेशी कहते हैं। लेकिन जब वे इस मुल्क मे रहते हैं तो अपने आप को हिन्दुस्तानी ही समझते हैं। वे जहां रहते हैं, वे उस मुल्क की मादरे-वतन के वफादार हैं। उन्हें भी इस मुल्क से उतनी ही मुहब्बत है जितनी कि किसी दूसरे आदमी को हमारे धर्म में लिखा हुआ है कि यदि वह दिल से इस मुल्क से मुहब्बत नहीं करेगा तो वह मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं है। मैं तो यह समझता हूं कि जो आतंकवादी लोग हैं, उनका कोई धर्म नहीं है और न ही उनका कोई समाज है। वह हर व्यक्ति के साथ वैसा ही सलूक करता है चाहे वह किसी भी जाति का हो, धर्म के हो। लेकिन हमारे मुल्क में सदियों से लोगों में भाईचारा रहा है। अगर

हम इस भाईचारे की समस्या को हल कर लेंगे तो कश्मीर की समस्या जल्द हल हो जायेगी। यह भाईचारा जितनी जल्दी पैदा किया जा सके, उतना ही अच्छा है। इसका एक इलाज है कि वहां पर जल्द ही चुनाव कराकर सत्ता सौंप दी जाये।

सभापति महोदय, मैं होम मिनिस्टर साहब को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस सूझ-बूझ और काबलियत का परिचय दिया है, उससे लोगों में विश्वास पैदा होने लगा है। लोग यह सोचने लग गये हैं कि उनकी हिफाज़त होने लगी है। मेरा मानना है कि पाकिस्तान वर्षों से हिन्दुस्तान के साथ दुश्मनी रखे हुए हैं लेकिन वह हमारे मुल्क का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यदि हम लोगों को अपने हिन्दुस्तान मुल्क से इतना प्यार है और इतनी मुहब्बत है तो कोई भी छोटा देश हो या बड़ा मुल्क हो, हमारे देश को कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कश्मीर हमेशा से हमारा रहा है और हमारा ही रहेगा। इसके लिये चाहे कोई भी मुल्क यू० एन० ओ० में कुछ भी कहता रहे, इसे भारत से अलग नहीं किया जा सकता है। इसलिये यह जरूरी है कि उन लोगों को इतना प्यार और विश्वास दें कि इस समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान हो।

5.00 म० प०

[अनुवाद]

श्री मृत्युन्जय नायक (फूलबनी) : महोदय, मैं जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने और इसके साथ जम्मू और कश्मीर के बजट के संबंध में सांविधिक संकल्प का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

यह सर्वमान्य बात है कि जम्मू और कश्मीर हमारे शरीर का सिर है और दिल्ली हमारे शरीर का दिल है। सिर के बिना शरीर काम नहीं कर सकता। यही कारण है कि हम लोग इस विशेष राज्य से जिसे धरती पर स्वर्ग कहा जाता है, भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। जम्मू और कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है।

इस सरकार के सत्ता में आने से पहले हमारे समक्ष दो मुद्दे थे, एक था आर्थिक मुद्दा और दूसरा राजनैतिक मुद्दा था। उस समय देश में खलबली मची हुई थी। राजनैतिक अस्थिरता फैले हुई थी। अर्थव्यवस्था के मामले में भी हमें गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा था। इसके अतिरिक्त, देश के सामने अनेक अन्य समस्याएं थीं। जम्मू और कश्मीर में अस्थिरता व्याप्त थी; पंजाब तथा असम में अस्थिरता थी; और एल० टी० टी० ई० के कारण तमिलनाडु में भी अस्थिरता का माहौल था। किन्तु इस सरकार के सत्ता में आने के पश्चात् इन दोनों ही मोर्चों पर हमने काफी साख अर्जित की। अत: इन सभी उपलब्धियों का श्रेय इस सरकार को ही जाता है।

विपक्ष ने कई अवसरों पर अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की उन्होंने अयोध्या का मुद्दा खड़ा कर दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने समझा कि यदि मुस्लिम हिन्दुओं के बीच टकराव पैदा कर दिया जाए तो देश में अस्थिरता पैदा हो जाएगी। उन्होंने यह भी समझा कि यदि वे धर्म को मुद्दा बना दें, तो उनको देश के भीतर और बाहर से इस प्रकार की आलोचना सुअवसर मिल जाएगा। किन्तु कुछ भी हो हम कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के प्रति वचनबद्ध हैं और सरकार ने इस बारे में काफी कठोर तथा कड़ा कदम उठाया था।

महोदय, जम्मू और कश्मीर को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जब मैं 1980 में पहली बार चुना गया था तब मैंने जम्मू और कश्मीर का दौरा किया था। उस समय में परामर्शदात्री समिति की बैठक के संबंध में श्रीनगर गया था। उस समय इसे सौन्दर्य और शान्ति का शहर माना जाता था किन्तु बाद में हमें देख कर यह आश्चर्य होता है कि वहां अनेक समस्याएं खड़ी हो गई। तभी से वहां राजनैतिक अस्थिरता व्याप्त है। पाकिस्तान किसी भी चीज हासिल करने के मकसद से इस मुद्दे को उठाकर सौदेबाजी करता है। इसके अतिरिक्त, उन्हें यह भी पता है कि दो महा शक्तियों के बीच टकराव बना हुआ है।

उस समय उन्हें यह भी पता है कि भारत और सोवियत संघ की मैत्री काफी मजबूत थी। वे जम्मू और कश्मीर को अपने नीतिगत परिदृश्य में इसलिए रखे हुए थे जिससे उप महाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में अस्थिरता पैदा की जा सके। ऐसा करके पाकिस्तान ने भी हथियारों की पूर्ति हासिल करने के लिए दोनों महाशक्तियों को राजी कर लिया।

5.05 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इसलिए मैं यही कहूंगा कि यह स्पष्ट रूप से ब्लैक मेल अथवा सौदेबाजी का मामला है। वे भारत के साथ लड़ने की स्थिति में नहीं हैं। इसमें शंका करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। महाशक्तियों को मात्र संतुष्ट करने और उनके साथ सौदेबाजी करने हेतु पाकिस्तान ने अनावश्यक रूप से जम्मू और कश्मीर को लक्ष्य बना लिया। किन्तु ऐसे में हमें राज्य की भूगोलीय स्थिति और लोगों की मन:स्थिति को देखते हुए अत्यधिक व्यावहारिक होना चाहिए। भारतीय लोग कठोर परिश्रमी हैं और इसलिए वे स्वयं ही आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं।

महोदय, जम्मू और कश्मीर में वनीय और जलीय संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। वहां के लोग भी परिश्रमी हैं और उनके पास यह सोचने का समय ही नहीं है कि कौन व्यक्ति मुसलमान है, कौन हिन्दू अथवा किसी अन्य धर्म का है, मैंने यह देखा है कि वे लोग बहुत ही ईमानदार हैं और उनमें अपने व्यवसाय के प्रति अत्यधिक समर्पित भावना है, वे लोग शान्ति प्रिय हैं और अत्यधिक सीधे हैं और यह राज्य ही स्वयं में मनोहारी संगीतमय राज्य था। यहां की डल झील अपने मनोहारी संगीतमयी दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है जो लोगों की सौंदर्य भावना के लिए संतुष्टि का एक स्रोत थी।

राज्य में पर्यटन संसाधन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। अब प्रश्न यह है कि हम इस सम्भावना का किस ढंग से पता लगाएं कि हम उस विशिष्ट राज्य में कुछ वित्तीय परिवर्तन अथवा सुधार किस प्रकार से लाए जिससे उन लोगों में हम आशावाद और आत्म-विश्वास की भावना पैदा कर सकें। मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि राज्य में पर्यटन सुधार की काफी गुंजाइश है जिसका कि हमें पता लगाना चाहिए और इस पहलू पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

राज्य में संचार सुविधाओं की कमी के कारण लोग अपने को अलग-थलग महसूस कर रहे हैं। यदि हम उचित संचार सुविधाएं प्रदान कर दें तो वहां पर निश्चित रूप से लोगों के साथ विचारों का नियमित आदान-प्रदान जारी रह सकता है। इसके अतिरिक्त लोगों को इस बात से भी संतुष्टि मिलेगी कि भारत सरकार उनके लिए कुछ

न कुछ कर रही है। यदि हम भौगोलिक कारणों से संचार सुविधाएं प्रदान नहीं सकते, तो उन्हें रेल सुविधा प्रदान कर सकते हैं, श्रीनगर अथवा किसी पास पड़ौस के अन्य स्थान पर कुछ रेल सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें वहां के पर्यावरण में कुछ बदलाव महसूस होगा।

हमें उस क्षेत्र के सुरक्षा पहलू का भी ध्यान रखना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि क्या हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं अथवा नहीं क्योंकि हमें चीन अथवा पाकिस्तान द्वारा हमला किए जाने की आशंका भी है। जहां तक दक्षिण अथवा उत्तर का सम्बंध है, इस मामले में मैं यह समझता हूं कि हमारे पास संचार की सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और रक्षा की दृष्टि से भी हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। केवल इसी कारण से कि जम्मू और कश्मीर का क्षेत्र पाकिस्तान के साथ सीमा से जुड़ा हुआ है, अतः उस क्षेत्र विशेष में सुरक्षा के बारे में खतरा है। वहां पर संचार सुविधाएं प्रदान करके हम अत्यधिक जनशक्ति और रोजगार जुटा सकते हैं। पर्यटन में सुधार करके हम उस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ हम वहां के लोगों में विश्वास की भावना जागृत कर सकते हैं।

महोदय, इसके अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेखनीय है कि हम युद्ध के मामले में क्या प्रयोग करने जा रहे हैं यह नहीं बताया गया है क्योंकि एक ईंजन के भी स्टार्च होने में पांच मिनट का समय लग जाता है।

महोदय, इसके अतिरिक्त, हमारी रक्षा तैयारी का मामला भी यहां पर उल्लेखनीय है। मुझे यह बताया गया था कि "नाग" नामक प्रक्षेपास्त्र, जिसका कि हम पाकिस्तान के साथ युद्ध में उपयोग कर सकते हैं, इसका ईंजन स्टार्च होने में कम से कम पांच मिनट का समय लेता है जबकि पाकिस्तानी एफ-16 विमान केवल दो ही मिनट का समय लेता है। एफ-16 विमान को जम्मू-कश्मीर और दिल्ली पहुंचने में कुछ ही मिनट का समय लगेगा और यह हमारे लिए घोर चिन्ता का विषय है। अतः हमें यह देखना है कि हमारी रक्षा पंक्ति मजबूत हो और यह मजबूत तभी हो सकती है जब देश के सभी भागों के बीच संचार की उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मैं अपने माननीय गृह मंत्री महोदय का बहुत आभारी हूं। जिन्होंने इस सभा को यह आश्वासन दिया है कि हम पाकिस्तान को जवाब देने में सक्षम हैं।

विदेशी मामलों संबंधी नीति के बारे में मैं यह कहूंगा कि हमारे प्रिय प्रधान मंत्री श्री पी. वी. नरसिंह राव की अमरिका यात्रा से पूर्व कई पूर्वानुमान और कई आशंकाएं व्यक्त की जा रही थीं। किन्तु उनकी यात्रा के बाद हमें इस मामले में यह आशा बंधी है कि कई बातें सामने आएंगी और भारत अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपना विशिष्ट स्थान स्थापित कर सकेगा। अब बात केवल यही है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष आंदोलन और "योग्य" जैसे आंदोलनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुधारने में सक्षम है।

मेरा मुद्दा यह है कि भारत तीसरी दुनियां के देशों को नेतृत्व प्रदान करने में पूरी तरह से सक्षम है ऐसे में हम पाकिस्तान जैसे छोटे से शत्रु से क्यों डरे हुए हैं ? हम जम्मू और कश्मीर में प्रजातंत्र क्यों नहीं स्थापित कर पा रहे हैं ?

निस्संदेह ही हमने राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को कई बार बढ़ाया है किन्तु इसके साथ-साथ में माननीय गृह मंत्री से यह जांच करने का अनुरोध करूंगा कि क्या हम राज्य में विधान सभा चुनाव नहीं कराए

जाने की स्थिति में और इस प्रक्रिया को अपनाने में कुछ अड़चनों के दृष्टिगत वहां पर पंचायत समिति अथवा किसी स्थानीय समिति अथवा स्थानीय निकाय जैसे किसी निकाय का गठन करके राजनैतिक प्रक्रिया आरम्भ कर सकते हैं।

मेरा सुझाव यह है कि हम कुछ स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों को चुनकर इनका प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को विभिन्न निगमों में नाम निर्दिष्ट कर सकते हैं। जो पैसा हम नौकरशाही के माध्यम से खर्च करते हैं उस पैसे को इन नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधियों के माध्यम से खर्च कर सकते हैं। राज्य में विधान सभा के चुनाव कराए जाने से पूर्व इस प्रकार की प्रक्रिया विकसित की जानी चाहिए और धीरे-धीरे इस प्रकार की प्रक्रिया की परिकल्पना की जानी चाहिए। इस प्रकार से हम निश्चित रूप से यह जान पाने की स्थिति में होंगे कि क्या ग्राम पंचायतों आदि निकायों को अवसर प्रदान करके हमें कुछ सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। इसलिए विधानसभा चुनाव कराए जाने से पहले ऐसी प्रक्रिया आरम्भ की जा सकती है।

इसके साथ-साथ मैं अपने गृह मंत्री और प्रिय प्रधान मंत्री महोदय से हजरत बल की स्थिति में अत्यधिक शांतिपूर्ण ढंग से निपटने के लिए बधाई देता हूं जिसके लिए उन्हें पूरे विश्व से सराहना मिली है। वे पूरे विश्व को यह आश्वासन देने में सक्षम रहे कि हमारा देश एक प्रजातांत्रिक देश है हमारे लोगों में सहनशक्ति भी है और हमारे देश के लोगों को शांति और अहिंसा पसंद है। हमने हजरतबल दरगाह के मामले को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाकर विश्व में यह सिद्ध करके दिखाया है कि हम किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने में पूरी तरह से सक्षम हैं। अब वहां पर बंकर हटा दिए गए हैं और इस प्रकार से सरकार अपने विश्वास में सुधार करके लोगों के बिल्कुल निकट आई है।

मैं गृह मंत्री महोदय से एक अनुरोध करना चाहूंगा। विभिन्न लोगों, विभिन्न प्रतिनिधियों द्वारा वहां की यात्रा की जानी चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार उस विशिष्ट राज्य के मामले में कुछ हासिल करने के संबंध में सक्षम है जिससे हम कुछ ही महीनों में अर्थात् एक सीमित समयावधि के भीतर राजनैतिक प्रक्रिया आरम्भ कर सकें। हमें यह विचार स्पष्ट कर देना चाहिए जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दूसरे लोगों का समर्थन हासिल कर सकें।

महोदय, मैं इस सांविधिक संकल्प और इसके साथ-साथ जम्मू-कश्मीर के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका अत्यधिक कृतज्ञ हूं।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे समक्ष जम्मू-कश्मीर के बारे में जो बिल हैं, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। कश्मीर का सवाल सबसे अहम सवाल है। आज हमारे देश में इस तरह की भावना पैदा की जा रही है कि कश्मीर हमारे हाथ से जाने वाला है। मैं समझता हूं कि ये बातें असत्य हैं। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। हमारे नेता शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर को हिन्दुस्तान से मिलाने के लिए बहुत बड़ा काम किया। उसके बाद में कश्मीर की हालत ठीक होती रही, वहां पर असैम्बली के इलैक्शन्स हुए, यहां तक कि वहां से मैम्बर भी चुनकर आए। उसके बाद वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। वह

क्यों लागू हुआ, कैसे हुआ, इसकी एक बड़ी कहानी है। हमारी सरकार ने इस मुद्दे को हल करने की कोशिश की है और यहां के लोगों की उन्नति के लिए प्रयत्न किए हैं। लेकिन कुछ देशद्रोही लोगों ने पाकिस्तान के जरिए वहां गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की और इस देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के बजाए कमजोर करने की कोशिश की।

हमारे गृह मंत्री जी ने लद्दाख, कश्मीर आदि जगह-जगह जाकर अमन कायम करने के लिए मीटिंग की जिसके बाद लोग इस निर्णय पर पहुंचे कि हम इस देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो वहां पर उग्रवादिता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। परसों की बात है, एक रिक्शा में बम ब्लास्ट हुआ जिससे बहुत से लोगों की मौतें हुई।

ये चाहे डोडा में हो, चाहे कश्मीर में हो और चाहे जम्मू में हो। इस तरह के फसाद करने की कोशिश की जा रही है। हमारे देश को तबाह करने की साजिश रची जा रही है। मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप इसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें।

जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली जल्दी से जल्दी की जानी चाहिये। शिक्षा, उद्योग और दूसरे विभागों पर आप जो पैसा खर्च करते हैं, उनसे वहां के लोग लाभान्वित होने चाहिये। फाइनान्स मिनिस्टर साहब की जानकारी में यह बात अवश्य होगी कि डोडा में एक डिप्टी कमिश्नर सारा पैसा खा गया। इस पर उसको गिरफ्तार किया गया था और उसके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ था। वहां ऐसे बहुत से अधिकारी हैं जिन्होंने यहां से भेजे गये पैसों का दुरुपयोग किया। इतना ही नहीं, कई अधिकारी लोग तो उग्रवादियों से भी मिले हुए हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि वहां के सभी अधिकारी भ्रष्ट हैं लेकिन सरकार को इस बारे में सतर्क रहना चाहिये और देखना चाहिये कि कहीं पैसे का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। वहां के युवकों को राष्ट्र की मुख्यधारा में लाना चाहिये। वहां के लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिये आपने बहुत से प्रयत्न भी किये। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं।

बॉर्डर पर जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ हिमाचल का क्षेत्र भी लगता है। डोडा से कई लोग भाग कर चम्बा आये। वहां के लोगों ने और राज्य सरकार ने उनको पनाह दी और पूरी मदद दी पहले आप लद्दाख के लोगों को इनकम टैक्स में छूट देते थे। यह छूट इन्दिरा जी के समय से दी जाती थी लेकिन अब इनकम टैक्स की छूट मिलनी बंद हो गई है। इससे वहां के लोगों में नाराजगी है। वहां की सड़कें खराब हैं। उनको आप सुधारें। वहां के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार मुहैय्या कराने के लिये आप प्रयत्न करें।

यहां ठीक बात कही गई कि जम्मू-कश्मीर में पहले पंचायतों और नगरपालिका के चुनाव कराये जाने चाहिये और उसके बाद ही असैम्बली के चुनाव कराये जाने चाहिये। वहां लोकतंत्र की बहाली के लिये कदम उठाये जाने चाहिये जिससे वे इसका लाभ उठा सकें। वहां के लोग सभा के 6 संसद सदस्य चुन कर आते हैं – एक जम्मू से आता है, एक लद्दाख से आता है, एक उधमपुर से आता है और बाकी के तीन कश्मीर वैली से आते हैं। उनका भी यहां प्रतिनिधित्व होना चाहिए, देश के विभिन्न हिस्सों से चुनकर आये संसद सदस्य यहां बैठ कर विचार-विमर्श करते हैं और राष्ट्र को आगे ले जाने के लिये प्रयत्न करते हैं। अगर आप वहां जल्दी से जल्दी चुनाव कराने का निर्णय लेते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। इन 6 महीनों के बीच यदि आप चुनाव करा दें तो अच्छा होगा। पंजाब,

असम, त्रिपुरा और तमिलनाडू आदि जगहों में जहां भी उग्रवाद पनपा, वहां आपने अमन कायम किया।। इसके लिये प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। सारे देश में एकता लाने के लिए और देश की सारी शक्ति को एक जगह लाने के लिए उन्होंने जो आह्वान किया, वह सराहनीय है। इसमें हमारे जम्मू-कश्मीर के भाई भी शामिल, हैं। जो केन्द्र से जाता है, उसका ठीक मे उपयोग होना चाहिए। वहां जो विद्युत के प्रोजैक्ट लगे हैं, उनकी सरकार को पूरी देखभाल करनी चाहिए। उग्रवादी रोज धमकी दे रहे हैं कि वहां गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने जो विकास के काम किये हैं, उनको हम डिस्ट्राय कर देंगे और इस तरह से वह हिमाचल प्रदेश में भी उग्रवाद फैलाने की कोशिश करते हैं। सरकार को चाहिए कि जब वह खास तौर से कश्मीर के लिए पुलिस की भर्ती करती है तो वहां के लोगों को उसमें भर्ती करे और बोर्डर के ऊपर सख्ती करे ताकि जो हमारा दुश्मन मुल्क है, जिसके लिए हम कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के साथ दोस्ती कायम रखी है, हमने कभी उसके साथ अन्याय नहीं किया लेकिन पाकिस्तान उल्टे या सीधे तरीके से हमारे ऊपर हमला करता रहा और आज भी वह शरारत करने से बाज नहीं आ रहा है, आज भी वह हमारे देश में शरारत करा रहा है और हिन्दुस्तान की सरकार उसको देख रही है।

पंजाब में सरदार बेअन्त सिंह ने उग्रवाद को कण्ट्रोल किया है। हम वहां उग्रवाद को बड़ी मुश्किल से कण्ट्रोल कर पाये हैं। पहले वहां यह हालत थी कि दिन में भी पंजाब में कोई नहीं जा सकता था। आपको पता है कि जब वी० पी० सिंह की सरकार थी तो उन्होंने कहा था कि मैं पंजाब में जाऊंगा और मैं वहां खुली मोटर पर घूमूंगा। जब उनकी सरकार बनी तो वह वहां गये, लेकिन उनके साथ हजारों की संख्या में पुलिस वाले गये। फिर वह देश के लोगों से कहने लगे कि मैं सारे देश की ताकत को लेकर वहां पहुंचा और उनको विश्वास दिला दिया कि हम पंजाब के हालात को ठीक कर देंगे लेकिन वह हालात को ठीक नहीं कर सके। उनके टाइम में पंजाब में हालात और बिगड़े और वहां उग्रवाद और बढ़ा। जैसे ही सरदार बेअन्त सिंह सरकार पंजाब में आई तो उन्होंने उस समय उग्रवाद को कण्ट्रोल में किया और उसका असर जम्मू कश्मीर में भी पड़ा। पहले पंजाब से उग्रवादी जम्मू कश्मीर जाते थे लेकिन जब हमारी सरकार ने पंजाब के एरिया को बन्द किया तब से उस पर फर्क पड़ा। आपने वहां अच्छी रहनुमाई की है। जो हालात वहां खराब हुए हैं, वह इस कारण से हुए हैं कि अभी वहां सत्याग्रह शुरू हो गया, इस नाम पर कि जैल भरो और कश्मीर को आजाद कराओ, वह आन्दोलन बी० जे० पी० की तरफ से शुरू किया गया और वहां गिरफ्तारियां दी गई। आप केरल से जायें तो जम्मू कश्मीर के हालाता को कैसे समझ सकते हैं ? कोई दफा वहां आन्दोलन होते हैं और कई दफा ड्रामे होते हैं। जैसे पिछले दिनों हुआ कि कन्याकुमारी से चले और 26 जनवरी को लाल चौक में झण्डा फहरायेंगे। ऊधमपुर से आगे पूरी बर्फ पड़ी थी इसलिए बहुत कम लोग वहां पुलिस के संरक्षण में जा सके। तो इस तरह से वहां लोगों को भड़काने का प्रयत्न होता है, उसको कण्ट्रोल करना हमारी सरकार का काम है। नरसिंह राव जी ने इस बात को साबित किया कि वह पंजाब में और सारे देश में हालात को ठीक कर रहे हैं।

यहां पर मूर्ति जी की तरफ से जो विनियोग विधेयक लाया गया है, वह बिल्कुल सही है, वह पैसा खर्च होना चाहिए। उनको इस बात की जांच करनी चाहिए कि किन-किन मदों पर यह पैसा खर्च हुआ है आखिर

में मैं यह कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के लोगों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए वही मापदंड होने चाहिए, जो जम्मू कश्मीर में हैं। उसमें पहले 90 परसेण्ट मदद हिमाचल को मिलती थी और दस परसेंट कर्जा। यही मापदण्ड दोनों राज्यों के होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फाइनेशियल इंस्टीट्यूशंस कहने पर वहां की स्थिति बहुत अच्छी हो गई। हमारे सारे उद्योग बीमार हो गये हैं इसलिए हमको रिलीफ मिलनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को डैम्स की रायल्टी मिलनी चाहिए। उन डैम्स मे हमें पूरा हिस्सा मिलना चाहिए ताकि हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। इन प्रदेशों को बनाते वक्त देखा गया था कि इनकी हालत अच्छी नहीं है इसलिए इन पहाड़ी प्रदेशों की रक्षा की जाय। यहां इस दफा जो नुकसान हुआ, उसका हर्जाना दिया जाना चाहिए। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गढ़वाल में इस बार बहुत नुकसान हुआ। इस पहाड़ी बेल्ट में जो लोग रहते हैं, वह बहुत गरीब हैं और वहां के उत्पादक बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं। यहां कम यूनिवर्सिटी और कालेज हैं। यहां आबादी के हिसाब से नोर्म्स बने हुए हैं, जिसके आधार पर वहां उन्नति नहीं हो सकती, क्योंकि वहां एक-एक घर का एक गांव बनता है।

मान्यवर, कई जगह ऐसी हैं जहां पर बड़ी मुश्किल से स्कूल खुलते हैं और हमारे बच्चे एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और अपनी सरकार को बधाई देता हूं कि यह बहुत अच्छा काम कर रही है इसको सिस्टमवाइस चलने दिया जाये और जो लोग कश्मीर के लिये यहां शोरगुल करते हैं कि हम कश्मीर को ऐसा देखना चाहते हैं, वे बोलना नहीं चाहते। वे कश्मीर के लोगों के प्रति अपनी हमदर्दी सिर्फ बाहर जाहिर कर सकते हैं यहां वे जाहिर नहीं करना चाहते हैं। मेरी उन नेताओं से प्रार्थना है, अगर वे सुन रहे हों मैं उनको सतर्क करना चाहता हूं कि वे कम से कम कश्मीर के मामले में तो यहां बैठ जाया करें और बताया करें कि उनकी कश्मीर के बारे में क्या राय है ? कभी कोई राय देने को तैयार नहीं है कि उनके लिये क्या कदम उठाना चाहिये। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यहां बैठ कर हमारी वार्तालाप आपस में हो तो अच्छा रहेगा। इसको देश देखेगा, सुनेगा और प्रधानमंत्री जी की बात भी सुनेगा। हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात भी सुनेगा और गृह मंत्री जी की बात भी सुनेगा तथा इस देश के नेताओं के यहां जो कर्तव्य हैं उनकी बात भी सुनेगा।

अंत में मेरा कहना यही है कि मैने काफी समय लिया है इसलिये इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री ई॰ अहमद : उपाध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं कि विपक्षी दलों ने वर्तमान सत्र का बहिष्कार किया है परन्तु हमारे संसदीय कार्य मंत्री कहां हैं। लगभग पांच या छह मंत्री हैं, किन्तु यहां पर एक भी उपस्थित नहीं है निस्संदेह, अन्य माननीय मंत्रिगण भी हैं, परन्तु संसदीय कार्य मंत्रालय प्रभारी मंत्री कहां पर हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आर॰ नायडू रामासामी।

श्री राजगोपाल नायडू रामासामी (पेरियाकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस चर्चा में भाग लेने की अनुमति प्रदान करने के लिये मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

महोदय, यह बड़े शर्म की बात है कि केन्द्र सरकार जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू करने के महीनों और वर्षों के उपरांत भी आतंकवाद का सामना नहीं कर सकी है। सरकार ने प्रत्येक छह माह की अवधि में राष्ट्रपति शासन काल बढ़ाने की परिपाटी बना ली है। राष्ट्रपति शासन काल में बार-बार वृद्धि करने से लोगों के लोकतंत्र में भाग लेने के मूलाधिकार का हनन होता है। इस सीमा तक राष्ट्रपति शासन काल में बार-बार वृद्धि अलोकतांत्रिक है। महोदय, यह माना ही जाना चाहिये कि लोकतंत्र आतंकवाद से लड़ने के लिये सरकार तथा जनता के हाथों में सबसे मजबूत हथियार है। इस मामले में पहल सरकार के साथ में है। समाज के मूल अस्तित्व के लिये आतंकवाद द्वारा उत्पन्न लिये गये खतरों के प्रति जनता को निरंतर जाग्रत करते रहना सरकार का मूलभूत कर्तव्य है।

महोदय, मैं समझता हूं कि सरकार का कार्य करने का लेखा-जोखा यह दर्शाता है कि सरकार ने आतंकवाद के विरुद्ध जनांदोलन तैयार करने के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठाये थे। यह सुनिश्चित करने हेतु पूरा प्रभाव किया जाना चाहिये कि लोग देश की खातिर लड़ने के लिये एकजुट हों।

इस सन्दर्भ में, मैं सभा को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डा. पुरत्ची थलैवी के वीरोचित कार्यों के संबंध में बताना चाहूंगा जिन्होंने 'लिट्टे' के उस आतंकवाद का सामना किया, पदभार ग्रहण करने के छ: माह के भीतर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को तमिलनाडु में लिट्टे के उस आतंकवाद को समाप्त करने के कारण सभी की प्रशंसा मिली जो दुमुक के शासनकाल में फला-फूला था। उन्हें यह सफलता केन्द्र अथवा सशस्त्र बलों से सहायता प्राप्त किये बिना अपने ही बलबूते पर मिली।

महोदय, पाकिस्तान ने सारी मर्यादाओं का उल्लंघन किया है और हमारे चुप्पी अथवा निष्क्रियता का अर्थ होगा कि हमें पाकिस्तान द्वारा हमारे देश को अस्थिर करने के षड्यंत्र की कोई चिन्ता नहीं है। प्रधान मंत्री को स्वयं पाकिस्तान द्वारा भारत को खंड-खंड करने के प्रयासों की निन्दा करनी चाहिये और इसके साथ ही इस बात का प्रचार करने के लिये कूटनीतिक गतिविधियां शुरू करनी चाहिये कि भारत पाकिस्तान को मर्यादाओं का और अधिक उल्लंघन नहीं करने देगा। यदि सैन्य विकल्प एकमात्र हल है तो यह पाकिस्तान का स्पष्ट रूप है बता दिया जाना चाहिये। इससे पहले, जम्मू और कश्मीर राज्य को भारत के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जोड़ा जाना चाहिये तथा वहां के नागरिकों के स्वतंत्रतापूर्वक आने-जाने की अनुमति प्रदान करके, उस राज्य को दिये गये विशेष दर्जे को धीरे-धीरे कम करना चाहिये। मुझे आशा है कि इस सरकार को सद्बुद्धि आएगी।

श्री किरिप चालिहा (गुवाहाटी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं क्योंकि आज इस अत्यंत महत्व के दिन अर्थात् 9 अगस्त को, हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं जो बहुत अधिक समय से, इस संसद में हम सभी के लिये चाहे हम किसी भी राजनैतिक दल से सम्बद्ध हों, एक चुनौती के रूप में उपस्थित हुआ है।

कश्मीर की समस्या, कश्मीर के मुद्दे को सरल रूप में नहीं देखा जा सकता। किसी के द्वारा उत्पन्न की गयी साधारण सी परेशानी समझ कर कश्मीर की उपेक्षा नहीं की जा सकती क्योंकि मेरे विचार से कश्मीर समस्या में ऐसे कई मूलभूत विरोधाभास हैं जिनका सामना इस देश को हमारी मातृभूमि को अपने पूरे विकास और अपनी क्षमता को पूर्णत: उपलब्ध करने की अपनी उद्विकासात्मक और मैं तो कहूंगा कि क्रांतिकारी-यात्रा में करना पड़ा

था। हम सभी जानते हैं कि इस राष्ट्र, इस देश का निर्माण उन हजारों, लाखों अज्ञात लोगों के उच्चतम बलिदानों से हुआ था जो फासीवादी शोषण सामन्तवादी शोषण, और सभी प्रकार के शोषण की विभिन्न प्रणालियों के दौरान रहे थे और जो व्यापक स्तर पर शोषण का शिकार बनाये गये थे। परन्तु इसके बावजूद, इस देश के लोग अंग्रेजों की औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध एक होकर खड़े हो गये और महात्मा गांधी के प्रेरणादायी नेतृत्व से प्रेरणा ग्रहण कर हम विभिन्न प्रकार के ऐसे लोगों को एकजुट करने के लिये एक प्रकार की आध्यात्मिक एकता प्राप्त कर सके जो उस समय बंटे हुए थे और अपने आपको एक राष्ट्र समझने के अभ्यस्त नहीं थे। जब हम उस समय की चुनौती की विशालता का विचार करते हैं तो हमें लगता है कि हम अतिविस्मयकारी उपलब्धि प्राप्त कर सके। परन्तु जिस भारतीय एकता को हम उस राष्ट्रीय संघर्ष द्वारा प्राप्त कर सके जिसने हमें 1947 में राजनैतिक आजादी दी, उसका पोषण हमें सावधानीपूर्वक करना है। यह सुनिश्चित करने हेतु कई कदम उठाये जाने की आवश्यकता थी कि भारतीय संघ का जन्म जिस आरंभिक सुकुमारता से हुआ था उसे मजबूत बनाया जाना है। और मेरा विचार है कि हम अभी भी इस प्रक्रिया में लगे हैं। आज भी यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हममें से प्रत्येक व्यक्ति इस अवसर पर उठ खड़ा हो, भविष्य के प्रति सोचे, और यह विचार करे कि किस सर्वोत्तम ढंग से हम उस महान देश की उस महान एकता को प्राप्त करने हेतु अपना योगदान और आत्म-बलिदान कर सकते हैं जिसमें इतनी अधिक क्षमता निहित है कि विश्व भर में अधिकांश लोग सोचते हैं कि संभवत: एक दिन मानव सभ्यता किसी भी दूसरी कौम की अपेक्षा केवल भारतीयता के ही गुण गायेगी। अपने मन में ऐसा सपना संजोकर, हमारे लिये क्षुद्र हितों से ऊपर उठना, वैयक्तिक हितों से ऊपर उठकर सोचना, समूहगत हितों से ऊपर उठ कर सोचना और समय पड़ने पर इस देश की एकता को सुदृढ़ करने हेतु सर्वोत्कृष्ट संभव ढंग से प्रयास करने का वास्तव में विचार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इस प्रक्रिया में कश्मीर सदैव एक समस्या बना रहा है। कश्मीर जातिगत विभिन्नताओं के कारण समस्या बना रहा है। कश्मीर इसलिये समस्या बना रहा क्योंकि इस राष्ट्र का जन्म आंशिक रूप से धर्म के आधार पर लोगों के बंटवारे के फलस्वरूप तथा इस तथ्य के कारण हुआ था कि देश में परिधिस्थित छोटी-छोटी राष्ट्रीयताओं को उनकी भौगोलिक सीमाओं सहित अपने आपको मुख्यधारा में पूर्णत: मिलाने के लिये समय देना ही था और इस कारण भी कि बाहर से आयी इन जातियों को अपने आपको उस भारतीय मुख्यधारा के साथ जोड़ना और उसमें घुल-मिल जाना था जो स्वयं ही कई समूहों में विभाजित और उप-विभाजित थी, यह कहना अत्यंत कठिन है कि वास्तव में भारतीय मुख्यधारा कौन सी है।

मैं तो कहूंगा कि उन परिस्थितियों के अंतर्गत कश्मीर के प्रति हमारा दृष्टिकोण वास्तव में ऐसा नहीं रहा है कि जिसकी यूं ही उपेक्षा की जा सके। इसके अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के भी हित निहित में। मुझे विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भाग लेने और कश्मीर की समस्या से निपटने के कई अवसर मिले। मुझे यह कहना ही चाहिये कि हमारे पड़ौसियों, विशेष रूप से पाकिस्तान, जिसका पूरा अस्तित्व भारत की निन्दा करने पर आश्रित है, के हित इसमें निहित हैं। कश्मीर पाकिस्तान के लिये न केवल देश के भीतर प्रत्येक पाकिस्तानी राजनेता के राजनैतिक अस्तित्व हेतु बल्कि देश से बाहर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पाने के लिये एक अत्यंत महत्वपूर्ण

उपाय है। संभवत: पाकिस्तान ने कश्मीर को ऐसा स्थान समझा है। जिसमें उसकी कुछ आंतरिक मनोग्रंथियों का या तो समाधान निकल सकता है अथवा उन्हें अभिव्यक्त किया जा सकता है।

व्यक्तिगत रूप से मैं ऐसा नहीं समझता कि कश्मीर समस्या का कोई सुगम समाधान निकल सकता है। मैं इस बात में विश्वास नहीं करता कि किसी दिन वहां किसी मुख्यमंत्री को थोप दिया जाये और कश्मीर में सब कुछ ठीक-ठाक हो जायेगा मुझे इस बात में विश्वास नहीं है कि वहां एक दिन एक निर्वाचित विधानसभा का गठन और अगले दिन उसके भंग हो जाने मात्र से कश्मीर की सारी समस्या सुलझ जायेगी। मेरे विचार से हमें कुछ आधारभूत कदम उठाने चाहिये।

कश्मीर के मामलों से निपटने में हमारे वर्तमान गृह मंत्री जिस बुद्धिमता और समझदारी का प्रदर्शन कर रहे हैं उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं। मेरा विचार है कि कश्मीर के दैनंदिन मामलों से निपटने के लिये एक परिपक्व और बुद्धिमान बौद्धिक व्यक्ति के स्पर्श की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि जहां तक कश्मीर का संबंध है, गृहमंत्री वास्तव में आम सहमति की प्रक्रिया अपनाने का प्रयास कर रहे हैं।

मैं यह अवश्य समझता हूं कि स्थिति काफी सुधर गयी है। हजरतबल संकट से हाल ही में निपटने और उसके बाद के घटनाक्रम, तथा यासीन मलिक के मुद्दे से निपटने और उसके बाद के घटनाक्रम, ने कुछ सकारात्मक दिशा प्रदान की है और हमें यह सोचने के कुछ कारण हैं कि कश्मीर अधिक समय तक अलग-थलग नहीं रहेगा।

मैं यह भी अवश्य उल्लेख करूंगा कि इस संदर्भ में विदेशनीति की दिशा में हमारे नवीनतम प्रयास भारत और अमेरिका एक दूसरे के बोध के बेहतर रूप से समझने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अमेरिका को अब पाकिस्तान के मित्र और इस प्रकार भारत के शत्रु के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, इस तथ्य से भी उन लोगों में डर फैलेगार जो महसूस करते हैं कि कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है।

महोदय, मेरा विचार है कि मैंने सभा का काफी समय ले लिया है। मैं अनुदान मांगों और बजट को अपना पूरा समर्थन देता हूं। मुझे आशा है कि निकट भविष्य में हम कश्मीर के संबंध में पहले से कहीं अधिक सकारात्मक स्वर में बोलने की स्थिति में होंगे। मैं ऐसा नहीं सोचता कि इस मंच अर्थात संसद की चर्चा के दायरे के अन्दर विकास के पहलू के संबंध में न्याय किया जा सकता है। मेरे विचार से इसमें कुछ और समय लगेगा और हमें काफी समय और लगाना चाहिये सकारात्मक कारकों को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिये कि कश्मीर एक बार फिर पहले के समान ही भारत का रत्न बन जाये।

मुझे पक्का विश्वास है और मैं इस बात के प्रति बहुत आशावान हूं कि कश्मीर एक दिन निश्चय ही मुख्यधारा का हिस्सा बन जायेगा और प्रत्येक कश्मीरी भारतीय होने मे उसी प्रकार गर्व अनुभव करेगा जिस प्रकार आज हम करते हैं।

इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं। मुझे जो अवसर दिया गया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

गृहमंत्री (श्री एस॰ बी॰ चव्हाण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को चर्चा में भाग लेने तथा मिलाजुलाकर एक सज्जन के अलावा लगभग सर्वसम्मति से समर्थन देने के लिए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता

हूं। उनकी सूचनाएं एकदम गलत हैं। मैं नहीं समझता कि उन्हें यह भी पता है कि तमिलनाडु के मुख्यमन्त्री इस सम्पूर्ण समस्या के बारे में क्या महसूस करते हैं। लेकिन मैं उनके दिए हुए भाषण को ज्यादा महत्व नहीं दूंगा। लेकिन बाकी सदस्यों की उस बारे में स्पष्ट विचार हैं।

मैं एकबार फिर सभा में उपस्थित या अनुपस्थित माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि कश्मीर मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में लिया जाना चाहिए और हम लोगों को गम्भीरतापूर्वक ऐसी परिस्थितियां बनानी चाहिए ताकि स्थानीय लोगों में हमारी कथनी और करनी के बारे में लेशमात्र भी सन्देह नहीं रहे और वे लोग यह नहीं सोचें कि आप लोग कुछ छिपा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि किसी भी राजनैतिक दल से सम्बन्धित किसी भी माननीय सदस्य के दिमाग में ऐसा कोई विचार है। परन्तु मैं सभी राजनैतिक दलों से अपने मतभेद भुलाने का आग्रह करता हूं और यह दर्शाने के लिए कि हम सभी कश्मीरी लोगों के समर्थन में एकजुट हैं। उन लोगों को हमारे इरादों का सदाशयता के बारे कोई संशय रखने का लेशमात्र भी अवसर नहीं दिया जाना चाहिए।

मैं माननीय सदस्य श्री ई. अहमद के विचार से पूर्ण सहमत हूं कि कश्मीरियत की कुछ विशेषतायें हैं। हम लोग कश्मीरी लोगों द्वारा कश्मीरियत की पहचान को बनाए रखने का विरोध नहीं करते हैं। लेकिन साथ ही आपको उन सीमाओं को ध्यान में रखना है जिनके अन्तर्गत आपको काम करना है। मुझे पूर्ण विश्वास है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं जैसा श्री दिघे ने आशा प्रकट की है कि हम लोग कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बनाने के लिए अन्तिम बार आग्रह कर रहे हैं। हालांकि हम लोग गम्भीर प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियां हस्तक्षेप नहीं करें तो हम लोग इस क्षेत्र में एच्छिक परिवर्तन ला सकते हैं। मैं कह सकता हूं कि अगले छ: महीनों में इस देश में प्रजातान्त्रिक ढांचा तैयार किया जा सकता है। लेकिन यह अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों और उनके द्वारा देश में अब तक निभाई गई भूमिका के तरीके पर निर्भर करता है।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : पड़ोसी देशों के बारे में क्या कहना है ?

श्री एस. बी. चव्हाण : मैं पड़ोसी देशों के बारे में बिलकुल भी चिन्तित नहीं हूं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो खेल खेल रहा है उसे समझता नहीं है। वास्तव में, वे जो कुछ कर रहे हैं ऐसा करने के लिए स्वतन्त्र नहीं हैं। वे कश्मीर मुद्दे की छोटी-छोटी बातों का फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। वे कश्मीर मुद्दे को समझ नहीं पाए हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। वे अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों के हाथों में खेल रहे हैं। इसलिए हम लोग चिंतित हैं। अथवा कश्मीर समस्या का समाधान खोजना बहुत आसान है। मैं नहीं समझता कि इस क्षेत्र में सामान्य स्थिति को पुन: स्थापित करने और प्रजातान्त्रिक ढांचा कायम करने में कोई बाधा है। लेकिन हम लोगों को कोई सन्देह नहीं रहना चाहिए। हम लोगों को एकजुट होकर कश्मीरी लोगों में विश्वास जगाना चाहिए। जो कुछ पाकिस्तान या अन्य पड़ोसी देश कहते हैं, मैं उससे जरा भी चिन्तित नहीं हूं। लेकिन यदि कश्मीरी लोगों के दिमाग में कोई सन्देह है तो यह मेरे लिए परेशानी की बात है। इसलिए हरसम्भव प्रयास किए गए हैं और मैं महसूस करता हूं कि कश्मीरी लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। लेकिन अब मेरा भी पक्का यकीन है और कश्मीरी लोग भी मानते हैं कि इस समस्या का धर्म या धार्मिक युद्ध से कोई लेना देना नहीं है।

यह विशुद्ध रूप से अन्तर्राष्ट्रीय षड्यन्त्र है और वे लोग अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों के हाथों में खेल रहे हैं।

हमें इस बारे में चिन्ता नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को ऐसी परिस्थितियां पैदा करनी चाहिए ताकि स्थानीय लोगों में विश्वास पैदा हो और उन्हें महसूस हो कि हम लोग कुछ करना चाहते हैं। हम लोग हर सम्भव प्रयास करके और विश्वास कायम करने वाले उपाय करने को तैयार हैं।

महोदय, कुछ एक सदस्यों ने मानवाधिकारों और उनके उल्लंघन का मुद्दा उठाया। और विडम्बना यह है कि यह मुद्दा पाकिस्तान जैसे देश ने उठाया है। वास्तव में, उनको इस मुद्दे को उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और आश्चर्य की बात यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियां भी पाकिस्तान के प्रचार से प्रभावित हो जाती हैं। क्या उनको इसकी जानकारी नहीं है ? पाकिस्तान को जम्मू और कश्मीर में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है यह कोई स्थानीय विद्रोह नहीं है। अफगान मुजाहदीन, सूडानी, लेबनानी यहां क्यों आ रहे हैं और इन लोगों को जम्मू और कश्मीर से क्या लेना देना है। मैं जम्मू और कश्मीर में उनकी उपस्थिति पर आपत्ति करता हूं। उनको इस क्षेत्र में आने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह अन्तर्राष्ट्रीय षडयन्त्र है। इस सबके कुछ कारण भी हैं। जो लोग मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा उठाते हैं उन्हें यह प्रश्न निश्चित रूप से उठाना चाहिए: वे जम्मू और कश्मीर में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं ? क्या यह राज्य प्रायोजित आतंकवाद नहीं है जिसे ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं ? क्या अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय इस प्रकार की गतिविधि का समर्थन करता है ? यदि वे समर्थन नहीं करते हैं तो उन्हें मानवाधिकारों के उल्लंघन की निंदा करने से पहले इसकी निंदा करनी चाहिए। हम निश्चित तौर पर मानवाधिकारों के पक्षधर हैं। यदि हम कुछ गल्तियां करते हैं तो हम स्वीकार भी करते हैं। लेकिन यदि वे समझते हैं कि मानवाधिकारों के नाम पर कुछ विकसित देश मानवाधिकार रूपी हथियार का प्रयोग करके नए स्वतन्त्र हुए देशों या विकासशील देशों को कठघरे में खड़ा कर सकते हैं तो मैं समझता हूं कि वे गलत फहमी में हैं। ऐसा नहीं है कि हम यह सब नहीं समझते हैं। हम मानवाधिकारों के निहितार्थों को समझते हैं और वे मानवाधिकारों के पालन में किस सीमा तक रुचि रखते हैं। यह हम भली भांति जानते हैं। यदि नक कुछ भी नहीं है हमें इसकी जानकारी है। उनको हमें मानवाधिकारों का पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए।

जब वे लोग आदिम युग में रह रहे थे तब भी हमारे यहां सहिष्णुता की परम्परा रही है। अत: हमें समझना चाहिए कि यह इतिहास का एक भाग है। उन्हें इस बारे मे हमें नैतिक उपदेश देने की जरूरत नहीं है। विकसित देश होने के नाते उनके पास विपुल धन भण्डार है और संसाधनों की ऐसी स्थिति होने के कारण वे शर्तें और नियम थोपने का प्रयास कर रहे हैं। यही वस्तु स्थिति है।

हमें भी उन सीमाओं को समझना चाहिए जिनके अन्तर्गत रहकर हमें कार्य करना है। यह मेरा काम नहीं है। मेरे मित्र अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक शक्तियां संबंधी प्रश्न का उत्तर देंगे और यह भी कि वे शक्तियां किस प्रकार अपने संसाधनों के बल पर दुनिया पर प्रभुत्व कायम करने का प्रयास कर रही हैं।

महोदय, हमारे लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा की जानी चाहिए जिससे हम बड़ी सीमा तक सामान्य हालत कायम कर सकें। यदि लगभग सामान्य हालात कायम हो जाते हैं तो हमें साहस के साथ इस क्षेत्र में प्रजातान्त्रिक सरकार कायम करने के प्रयास करने चाहिए। इस प्रकार के हालात पैदा करने के लिए हमें हर संभव प्रयास करने चाहिए। बेरोजगारी की गम्भीर समस्या है और इस समस्या को समझने में कोई कठिनाई नहीं है। हमें आगे बढ़ना

चाहिए और नियमों को दर किनार करके रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए। हमें ऐसी स्थितियां पैदा करनी चाहिए ताकि जो लोग अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर सके हैं, उनको विशेष सहायता दी जा सके।

वास्तव में, हमने कुछ मामलों में वित्त मंत्रालय में सम्पर्क किया है लेकिन मैं इस मामले पर सभा में कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं। मैं इस मामले पर अपने मित्र श्री मनमोहन सिंह से अलग से चर्चा करूंगा कि उन क्षेत्रों के लिए क्या करना है जहां सुरक्षा की कुछ समस्याएं हैं और कुछ मजबूरियों के कारण हमें इन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए धन खर्च करना पड़ता है। यह धन राज्य सरकारों से वसूल नहीं किया जा सकता है। अत: हमें ऐसी स्थितियां पैदा करनी चाहिए ताकि इन राज्यों को विकास कार्यों के लिए और धनराशि दी जा सके।

मेरी सभी मित्रों से अपील है और मैं श्री ई. अहमद के इस विचार का पूर्ण समर्थन करता हूं कि विशेष रूप से मुस्लिम देशों में यह अहसास होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में 30 लाख मुस्लिम आबादी है और चौदह करोड़ 45 लाख .....।

श्री ई. अहमद : पन्द्रह करोड़।

श्री एम. वी. चव्हाण : नहीं, आप इस दिशा में तेजगति से आगे बढ़ रहे हैं।

श्री ई. अहमद ' मैं सत्य कह रहा हूं।

श्री एस. बी. चव्हाण : पन्द्रह करोड़ एक तरफ और तीस लाख दूसरी ओर हैं। दोनों की तुलना कीजिए और मेरा मानना है कि उन्हें मुसलमानों के हितों की बातें विशेषरूप में अपने दिलों में सीमित रखनी चाहिए। यह बहुजातीय समाज है। हम हिन्दुओं, मुस्लिमों, ईसाइयों या पारसियों में विश्वास नहीं करते हैं। हम प्रत्येक के साथ बराबरी का व्यवहार करते हैं और यह भी एक प्रमुख कारण है कि यह लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच है। वहां धर्म तन्त्रिक समाज है। वे अपने विचार हम पर थोपना चाहेंगे। हम इस प्रकार के विचार का समर्थन कभी नहीं करेंगे और हम धर्म निरपेक्षता के विचार का समर्थन करेंगे और प्रत्येक को न्याय मिलेगा।

श्री ई. अहमद : मेरा यह आशय नहीं था। मैंने कहा था कि मुस्लिम देशों में वे धर्म के नाम पर प्रचार कर रहे हैं और उनके लिए यह सटीक उत्तर होगा कि जब पन्द्रह करोड़ मुसलिम धर्मनिरपेक्ष भारत में रह रहे हैं तो तीस या चालीस लाख मुसलमानों की क्या समस्या है।

श्री एस. बी. चव्हाण.: मैं इस विचार का समर्थन कर रहा हूं। वह तो मैंने यू ही कह दिया था। आप इसको गम्भीरता से न लें।

मैं यह बात कहना चाहता था। मैं सभा से प्रस्ताव को पारित करने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब सांविधिक संकल्प सभा के मतदान हेतु रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य की संबंध में 18 जुलाई, 1990 को जारी की गई उद्घोषणा को 3 सितम्बर, 1994 से और छह माह की अवधि के लिए जारी करने का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, जिनहोंने सांविधिक संकल्प तथा जम्मू और कश्मीर के लिए वर्ष 1994-95 की अनुदानों की मांगों संबंधी वाद-विवाद में भाग लिया और मैं केवल राज्य के वित्तीय पक्ष पर ही टिप्पणी करूंगा।

जम्मू और कश्मीर की वर्ष 1994-95 की राज्य योजना परिव्यय के लिए 1993-94 के संशोधित परिव्यय 680 करोड़ रुपये की तुलना में 954 करोड़ रुपये मंजूर किए गये हैं और वाद-विवाद में भाग लेने वाले कई माननीय सदस्यों ने कहा कि इस क्षेत्र में विकास कार्यों में तेजी लाये जाये।

6.00 म० प०

मैं माननीय सभा को 1993-94 के दौरान प्राप्त हुई प्रमुख उपलब्धियों के बारे में बताना चाहता हूं। प्रथम, जम्मू और कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ने वाली 220 किलोवाट पारेषण लाईन का कार्य शुरू किया गया है। दूसरा, कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण ऊपरी सिन्ध पनविजली परियोजना के कार्य के बाधा उत्पन्न हो गई थी, उसे फिर से शुरू किया गया। तीसरे लगभग 17.17 करोड़ रुपये की लागत वाली रंजन तथा रजाल नामक दो मध्यम श्रेणी की सिंचाई योजनाओं को पूरा किया जा रहा है। इसके बाद जम्मू डैंटल कालेज से सम्बद्ध 800 बिस्तरों का एक आधुनिक अस्पताल 1993 में चालू किया गया था। जम्मू क्षेत्र के छात्रों को शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जम्मू हेतु एक इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना की गई है। 1994-95 की वार्षिक योजना में भी हमने स्वरोजगार के क्षेत्र तथा सड़कों व पुलों के निर्माण पर बल दिया है। इसके अलावा लगभग 163 प्राथमिक विद्यालय भवन आतंकवादी हिंसा में क्षतिग्रस्त हुए थे।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, मैं केवल एक मिनट लूंगा। अब छः बज गये हैं। क्या हम सभा का समय तीन मिनट और बढ़ायें।

अनेक माननीय सदस्य : हां।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। हम तीन मिनट का समय और बढ़ाते हैं। माननीय मंत्री अपना भाषण जारी रखें।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं कह रहा था कि आतंकवादी हिंसा में लगभग 163 प्राथमिक विद्यालय क्षतिग्रस्त हुए थे। हमने जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्य के लिए 3 करोड़ रुपये की लागत से इनकी मरम्मत का कार्य शुरू किया है। 150 विद्यालय भवनों का निर्माण अगले महीने में अंत तक पूरा हो जायेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पेय जल योजनाओं के लिए 12.82 करोड़ रुपये जारी किए थे। ग्रामीण विकास विभाग ने त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 12.99 करोड़ रुपये जारी किए हैं। हमने जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर समुदायों तथा पिछड़े वर्गों के लिए कम लागत के मकानों का निर्माण कार्य भी शुरू किया है। इस क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने हेतु प्रधान मंत्री राहत कोष से राज्य सरकार को आठ एम्बूलैंस उपलब्ध कराये गये हैं। राज्य में लघु उद्योगों की संवर्धन के लिए जम्मू में लघु उद्योग निगम का कार्यालय खोला गया है। इसके अतिरिक्त, प्रधान मंत्री ने 23 और ब्लाकों में पुनर्गठित सार्वजनिक

वितरण प्रणाली का विस्तार करने हेतु मंजूरी दी है तथा इस क्षेत्र जिन नये ब्लाकों में पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई है, वहां खाद्यान्नों की आपूर्ति के लिए विशेष रियायती केन्द्रीय निर्गम मूल्य पहले से ही शुरू किये गये थे। हमने राष्ट्रपति शासन के दौरान इन प्रमुख विकास कार्यों को शुरू किया है।

माननीय मंत्री, श्री के० डी० सुल्तानपुरी ने कहा है कि शरणार्थियों को आय कर में राहत दी जाये। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि कश्मीरी शरणार्थियों को अग्रिम कर भुगतान से छूट दी गई है। मैं यही कुछ बातें बताना चाहता था।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं वर्ष 1994-95 के जम्मू कश्मीर राज्य के बजट के सम्बन्ध में अनुदानों की मांगों को मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ दो में 1 से 27 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

18.05 म० प०

जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक-1994*

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1994-95 की सेवाओं के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1994-95 की सेवाओं के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं विधेयक...** को पुर:स्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री प्रस्ताव करें कि विधेयक पर विचार किया जाये।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं प्रस्ताव...** करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1994-95 की सेवाओं के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

---

*दिनांक 9.8.1994 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड 2 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की संस्तुति में पुर:स्थापित किया गया। प्रस्ताव किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1994-95 की सेवाओं के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग की प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाये।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6.07 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 10 अगस्त, 1994/19 श्रावण, 1916 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।